॥ सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ॥

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed. E.–23
(शांति शिक्षा)
Peace Education

खण्ड 01 शान्ति शिक्षा की अवधारणा और प्रासंगिकता

इकाई–01 शान्ति शिक्षा का अर्थ प्रासंगिकता एवं महत्व 5—13

इकाई–02 शान्ति शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 14—22

इकाई–03 शान्ति शिक्षा के भारतीय परिप्रेक्ष्य 23—28

खण्ड 02 सामाजिक सुरक्षा के खतरे

इकाई–04 आतंकवाद, नक्सलवाद एवं युद्ध 30—39

इकाई–05 प्राकृतिक आपदा 40—48

इकाई–06 समाजिक सुरक्षा हेतु शांति का प्रसार 49—54

खण्ड 03 शांति हेतु शिक्षा

इकाई–07 शांति हेतु शिक्षा – अर्थ एवं अन्तर का सम्प्रत्यय 56—70

इकाई–08 शांति हेतु शिक्षा के लिए युक्तियाँ 71—84

इकाई–09 शांति शिक्षा के लिए अन्तराष्ट्रीय प्रयास 85—94

खण्ड 04 शांति के लिए शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

इकाई–10 शांति के लिए शिक्षा के सन्दर्भ में अध्यापक की भूमिका 96—108

इकाई–11 शांति के लिए छात्रों में संवेदनशीलता उत्पन्न करने की आवश्यकता 109—121

इकाई–12 शांति शिक्षा में मीडिया की भूमिका 122—131

खण्ड 05 शांति के लिए शिक्षा में मुख्य मुद्दे

इकाई–13 शांति शिक्षा के विधिक पहलू 132—145

इकाई–14 शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक 146—156

इकाई–15 शांति के लिए शिक्षा हेतु शिक्षक प्रशिक्षण 157—166

उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed. E – 23 : Peace Education (शांति शिक्षा)

संरक्षक एवं मार्गदर्शक :

प्रोफेसर सत्यकाम — **कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज**

विशेषज्ञ समिति :

प्रोफेसर पी० के० स्टालिन — निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रोफेसर पी० के० पाण्डेय — प्रोफेसर, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रोफेसर छत्रसाल सिंह — प्रोफेसर, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रोफेसर के० एस० मिश्रा — पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रोफेसर धनन्जय यादव — विभागाध्यक्ष, षिक्षाषास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रोफेसर मीनाक्षी सिंह — आचार्य, षिक्षा संकाय, काषी हिन्दू विष्वविद्यालय, वाराणसी

डॉ० जी० के० द्विवेदी — सह आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

डॉ० दिनेश सिंह — सह आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

डॉ० सुरेन्द्र कुमार — सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

लेखक :

डॉ० शैलेश कुमार पाण्डेय — सहायक आचार्य, बी० एड० विभाग, मुनीश्वर दत्त पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, प्रतापगढ़ (इकाई 1, 2 एवं 3)

डॉ० आलोक गारडिया — सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय, बी० एच० यू० वाराणसी (इकाई 4, 5 एवं 6)

डॉ० सोमू सिंह — सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय, बी० एच० यू० वाराणसी (इकाई 7, 8 एवं 9)

डॉ० आकांक्षा सिंह — सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (इकाई 10, 11 एवं 12)

डॉ० अविनाश पाण्डेय — सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, इश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज (इकाई 13, 14 एवं 15)

सम्पादक :

डॉ० सुरेन्द्र कुमार — **सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**

परिमापक :

प्रोफेसर पी० के० स्टालिन — **निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**

समन्वयक

डॉ० सुरेन्द्र कुमार — **सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज**

© m0i0 jktf"k V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt

ISBN: 978-93-48270-28-3

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्य सामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

नोट : पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आकड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय, उत्तरदायी नहीं है।

प्रकाशन : उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रकाशक : कुलसचिव, कर्नल विनय कुमार उ०प्र० राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज–2024

मुद्रकः– चंद्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, 42/7 जवाहरलाल नेहरू रोड, प्रयागराज।

सन्देश

मेरे प्रिय शिक्षार्थियों,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज में आपके प्रवेश लेने पर मैं गर्मजोशी से स्वागत करते हुए खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। सन् 1999 में स्थापित उत्तर प्रदेश का यह एक मात्र ऐसा विश्वविद्यालय है, जहाँ पर "मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धित" (O.D.E.) के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। अपनी स्थापना के दो दशक के समय में विश्वविद्यालय ने 12 क्षेत्रीय और 1300 से अधिक अध्ययन केन्द्रों की सहायता से उत्तर प्रदेश के उन दूर–दराज इलाकों में भी, जहाँ अन्य शिक्षण संस्थान नहीं पहुँच पाये हैं अपनी व्यापक पहुँच बनायी है। अपने लगभग 125 डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कार्यक्रमों के माध्यम से विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा के विकास में निरन्तर अपना योगदान दे रहा है।

वर्तमान समय में भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में **विश्व में दूसरे स्थान** पर है। हमारे देश में अधिकतर विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैं जबकि एक बहुत बड़ी आबादी, जो ग्रामीण एवं दूरदराज इलाके में बसी है, उनको उच्च शिक्षा का अवसर उपलब्ध नहीं है। ऐसे लोगों के लिए यह मुक्त विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक सुनहरा माध्यम है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा उन लोगों के लिए लाभप्रद अवसर प्रदान करता है जो आर्थिक, सामाजिक और भौगौलिक सीमा/बन्धन के कारण उच्च शिक्षा से वंचित हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करने एवं सतत् शिक्षा के विकास के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति ने नवीन मार्ग का सृजन किया है।

हमारे कार्यक्रम कई दृष्टिकोणों से सुविधाजनक हैं क्योकि यह **"छात्र जहाँ हम वहाँ"** जैसे आदर्श एवं लचीली पद्धति पर आधारित है। जहाँ एक ओर परम्परागत शिक्षा के अन्तर्गत समय से कक्षा में उपस्थित होने जैसी बाध्यताएं हैं वही दूसरी ओर मुक्त विश्वविद्यालय में इस बन्धन से आजादी मिलती है और शिक्षार्थी अपनी सुविधानुसार परामर्श कक्षाओं में आकर या मोबाइल काउन्सिलिंग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विषय के विविध पक्षों का ज्ञान कराने के लिए विद्वान विषय–विशेषज्ञों द्वारा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के आधार पर पाठ्य सामग्री तैयार करायी जाती है जो विविध विद्वानों के ज्ञान और कौशल का निचोड़ है। इस प्रकार यहाँ पर **"कोई भी, कहीं भी और किसी भी समय"** अध्ययन कर सकता है अर्थात् "**3A (Any One, Any Where and Any Time)**' मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के विकास का मूल दर्शन है। शिक्षार्थियों के शिक्षा के स्तर में गुणोत्तर वृद्धि के लिए आई.सी.टी. आधारित कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है तथा शिक्षा में नवीन तकनीक को जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम मुक्त विश्वविद्यालय उठा चुका है। शिक्षा को और सरल तथा रोचक विधि से आप तक पहुँचाने एवं समझाने के लिए हम नित नवीन सूचना तकनीकियों का प्रयोग कर रहे हैं।

अन्त में मुझे यह विश्वास है कि हमारे विश्वविद्यालय से शिक्षार्थी के रूप में जुड़कर आप अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करेंगे और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उच्च गुणवत्ता के साथ मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय देश में एक आदर्श बनकर उभरेगा।

आपकी सफलता की कामनाओं के साथ

आपका

कुलपति

खण्ड 01 : शान्ति शिक्षा की अवधारणा और प्रासंगिकता

खण्ड परिचय

शिक्षा द्वारा व्यक्ति को सभ्य, सुसंस्कृत एवं सुयोग्य बनाया जाता है, अर्थात् शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है। वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन तक ही सीमित नही रहा वरन् शिक्षा राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग भी बन चुकी है। वर्तमान में शैक्षिक जगत में अनेक नवीन प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हो चुका है, जैसे; शान्ति शिक्षा, मानवाधिकार शिक्षा, समावेशी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण हेतु शिक्षा आदि। आधुनिक समाज का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि कुछ समय से मानवीय समाज में बढ़ती अशान्ति, विवाद, भेद–भाव व कलह की वजह से शान्ति शिक्षा की माँग बढ़ रही है। आज बच्चों को ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की आवश्यकता है जिससे उसमें हिंसा, व्यभिचार, विद्वेष, आतंकवाद, नक्सलवाद, कट्टरता जैसी अवांछनीय घटनाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो तथा सहयोग, सहिष्णुता, परस्पर प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, सह–अस्तित्व, मित्रता जैसे सकारात्मक गुण विकसित हो सके। प्रस्तुत खण्ड तीन इकाईयों में विभक्त है–

ईकाई–1 में शान्ति शिक्षा का अर्थ प्रासंगिकता एवं महत्व के बारे में जानकारी दी गई है। (शान्ति शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जो मनुष्यों में नैतिकता, मूल्यों, आदर्शों, कौशलों एवं अभिवृत्तियों का समावेश करें जिससे उन्हें दूसरों के साथ परस्पर सौहार्दपूर्ण व्यवहार एवं उत्तरदायी नागरिक बनने में सहायक हो।) साथ–ही साथ शान्ति शिक्षा के पाठ्यक्रम, शान्ति शिक्षा की गाँधीवादी विचारधारा एवं विश्व शान्ति हेतु शैक्षिक सुझाव पर प्रकाश डाला गया है।

इकाई–2 में शान्ति शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शान्ति शिक्षा के प्राचीन उद्देश्य, ऐतिहासिक अवधारणा, विकास, मूल सिद्धान्त के साथ शान्ति स्थापित करने हेतु प्रस्ताव, फ्रांसीसी क्रान्ति के दौरान शान्ति, 19वी शताब्दी में शान्ति आन्दोलन एवं निशस्त्रीकरण, एन.पी.टी. एवं सी.टी.बी.टी. पर प्रकाश डाला गया है।

इकाई–3 में शान्ति शिक्षा के भारतीय परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य में शान्ति शिक्षा के उद्देश्य, अवधारणा, आवश्यकता, महत्व, इतिहास, शान्ति शिक्षा हेतु शिक्षा ही क्यों? एवं शान्ति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य का उल्लेख किया गया है।

इकाई— 1 : शान्ति शिक्षा : अर्थ, प्रासंगिकता एवं महत्व

इकाई की संरचना

1.1 प्रस्तावना

1.2 इकाई के उद्देश्य

1.3 शान्ति शिक्षा का अर्थ

1.4 शान्ति शिक्षा की परिभाषा

1.5 शांति शिक्षा के उद्देश्य

1.6 शान्ति शिक्षा की अवधारणा

1.7 शान्ति शिक्षा का क्षेत्र

1.8 शान्ति शिक्षा की आवश्यकता

1.9 शान्ति शिक्षा का पाठ्यक्रम

1.10 शान्ति शिक्षा की गाँधीवादी विचारधारा

1.11 विश्व शान्ति हेतु शैक्षिक सुझाव

1.12 सारांश

1.13 अभ्यास के प्रश्न

1.14 चर्चा के बिन्दु

1.15 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.16 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.1 प्रस्तावना

मनुष्य इस जीव जगत का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो लगातार अपनी शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं में वृद्धि करता जा रहा है। अपनी बौद्धिक क्षमताओं के प्रयोग के क्रम में वह अपनी इन्हीं क्षमताओं का प्रयोग गलत तरीके से भी कर जाता है।

एक तर्क से यह कहा जा सकता है कि वह सत्य के ज्ञान से अनभिज्ञ था इसलिये अज्ञानवश उसने कुछ गलत कर दिया होगा किन्तु दूसरा तर्क यह भी हो सकता है कि मनुष्य द्वारा की गयी गलती उसके पूर्णतः संज्ञान में होते हुये भी जानबूझकर की गई हो। इस दूसरे तर्क में जीव का व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत स्वार्थ आदि निहित होता है। ऐसे में मनुष्य को नैतिकता का बोध कराना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है, उसे एक ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता होती है जिससे वह गलत करने से बच जाय एवं समाजपयोंगी नियमों को जानकर वह भी समाज में शांति व्यवस्था कायम करने में भागीदार बनें। यहीं से एक ऐसी शिक्षा की शुरूआत होती है जिसे शान्ति शिक्षा कहते हैं।

हमने आकाश, पृथ्वी व पाताल के बारे में पर्याप्त अध्ययन कर लिया है, परमाणु एवं तारों के रहस्यों को भी कुछ हद तक समझने लगे हैं, फिर भी हम अनेकों आशंकाओं से घिरे रहते हैं जिसके फलस्वरूप विवाद व कलह जैसी स्थितियाँ आये दिन होती रहती हैं। हमारी इसी आशंका एवं कलह के कारण ने ही राष्ट्र को "शान्ति शिक्षा"

देने के लिये बाध्य कर दिया है।

1.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप इस योग्य हो जाएंगे कि–

1. शान्ति शिक्षा के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट कर सकेंगे।
2. शान्ति शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे।
3. शान्ति शिक्षा से संबंधित सम्प्रत्ययों के मध्य अन्तर कर सकेंगे।
4. शान्ति शिक्षा की आवश्यकता की विवेचना कर सकेंगे।
5. शान्ति शिक्षा पर गांधीवादी विचारधारा को स्पष्ट कर सकेंगे।
6. शान्ति शिक्षा के पाठ्यक्रम की विवेचना कर सकेंगे।

1.3 शान्ति शिक्षा का अर्थ

शान्ति से हमारा अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें मानव व्यवहार परिलक्षित हो जाता है। इसे मानव की सहजत प्रवृत्ति भी कहा जा सकता है, अन्य शब्दों में शांति एक प्रकार की मनः स्थिति होती है जा मानव के कार्य व्यवहार तथा चिंतन में दिखाई देती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में सामाजिक समरसता का भाव जाग्रत होता है। साथ ही विवाद, द्वन्द्व एवं शत्रुभाव का नाश होता है।

शान्ति शिक्षा से आशय ऐसी शिक्षा से है जिसके द्वारा व्यक्ति के भीतर की शान्ति की सहज प्रवृत्ति को विकसित करके बाहर की ओर प्रकट किया जाता है, अर्थात् व्यक्ति में शान्ति से सम्बन्धित अन्तहर्निहित गुणों व शक्तियों को उसके कार्य–व्यवहार या आचरण में लाना ताकि शान्ति का व्यवहार करना उसकी आदत बन जाए।

शान्ति शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा ऐसे समाज का निर्माण तथा विकास होता है जो शोषण, हिंसा तथा अन्याय से मुक्त हो। एक व्यक्ति, समूह, समाज या देश दूसरों के द्वारा अनुसरित विचारों के प्रति सहिष्णुता तथा भाईचारे का निरन्तर प्रवाह करता रहे। इस तरह की निहित भावना से युक्त व्यक्ति क्रोध एवं घृणा का त्याग कर देता है तथा समाजोपयोग बातों को स्वीकार करता है।

शान्ति शिक्षा का आशय विभिन्न परिस्थियों में अलग–अलग देखने का मिलता है, जैसे– अहिंसा, भाईचारा, सद्भाव, युद्ध व समस्याओं का अभाव तथा अपने व्यापक दृष्टिकोण में पूर्णता व संतुष्टि। शान्ति परस्पर आस्था की वह स्थिति है जिसे मनुष्य ने कई वर्षों की लम्बी आध्यात्मिक प्रगति के फलस्वरूप प्राप्त की है , जो युद्ध व संघर्ष को प्रोत्साहित होने से रोकती है।

शान्ति शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके चार भेद हम देखते हैं। पहला है कि यह युद्ध–निवारक शिक्षा है जिसमें युद्ध को रोकने या टालने का प्रयास किया जाता है। दूसरा– शान्ति शिक्षा मुक्ति है जिसमें कुपोषण, गरीबी, निरक्षरता तथा सामाजिक भेद–भाव आदि से मुक्ति पाने का प्रयास किया जाता है तथा शिक्षा के माध्यम से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति व मानवाधिकारों की उन्नति का प्रयत्न किया जाता है। तीसरा– शान्ति शिक्षा सीखने की प्रक्रिया है, इसमें ऐसे शैक्षिक वातावरण को निर्मित किया जाता है जहाँ व्यक्ति में सहिष्णुता, प्रेम, भाई–चारा, सहअस्तित्व एवं सृजनात्मकता की भावना का विकास व संचार हो सके और चौथा– शान्ति शिक्षा एक जीवन शैली है जिसमें लोग शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला सीखते हैं।

1.4 शांति शिक्षा की परिभाषा

शान्ति शिक्षा वह है जो मानव की मौलिक आवश्यकताओं तथा समाज की यथार्थ प्रकृति या स्वरूप का अध्ययन करता है, जिसमें इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यह शिक्षा या विज्ञान लोगों को मानव अधिकारों के विषय में जागरूक बनता है। शान्ति शिक्षा व शिक्षा है जो शोषित, अहिंसक तथा न्यायप्रिय समाज का निर्माण करती है।

कुछ विद्वानों ने शांति शिक्षा की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है–

डॉ. मर्सी अब्राहम के अनुसार–

''शान्ति शिक्षा शान्ति प्रिय लोगों के लिए शिक्षा है, जो इस पृथ्वी पर शान्ति कायम करने के योग्य होंगे। यह विशेषतः भावात्मक शिक्षा है। यह धार्मिक शिक्षा है, साथी ही स्वयं में शिक्षा है।''

के. एस. वासवराज के अनुसार–

''शांति शिक्षा एक कार्यक्रम एवं प्रक्रिया है, जिससे लोगों (नवयुवक तथा प्रौढ़ों) में शांति के मूल्य की सराहना तथा समझदारी की भावना का विकास किया जाता है। यह वह तैयारी है जिससे सामुदायिक जीवन को न्यायप्रिय, व्यवस्थित एवं सामंजस्यपूर्ण बनाया जाता है।''

इयान हैरिस के अनुसार–

''शान्ति शिक्षा मानव चेतना में शान्ति के मार्ग के प्रति वचनबद्धता निर्मित करने की आशा करती है।''

अल्बर्ट आइन्स्टीन के अनुसार–

''शान्ति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है अपितु यह न्याय एवं कानून व्यवस्था की उपस्थिति भी है।''

फ्रेरी के अनुसार–

''शांति शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने अंतःकरण को शुद्ध करके हिंसा को त्याग देता है व अहिंसा एवं शांति का मार्ग अपना लेता है।''

1.5 शांति शिक्षा के उद्देश्य

डॉ. पी. वी. नायर के अनुसार–

1. बालको में उदार मस्तिष्क, विवेकपूर्ण चिन्तन तथा विश्वव्यापी ज्ञान की खोज हेतु रुचि का विकास करना।
2. बालको को धार्मिका सहिष्णुता, अन्य प्रजातियों का आदर तथा धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों को आदरभाव से देखने के योग्य बनाना।
3. बालकों में सहअस्तित्व की भावना को विकसित करना।

प्रो. के. एस. बासवराज के भाब्दों में–

1. बालकों में उपयुक्त एवं अनुपयुक्त न्याय एवं अन्याय के विषय में जागरूकता विकसित करना।
2. बालकों में शांतिप्रिय मानवों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना।
3. मानव जीवन में शांति के मूल्यों को समझने तथा उसकी सराहना करने के लिए छात्रों को तत्पर करना।
4. बालकों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा भ्रातृत्व को विकसित करना।
5. बालकों को परिवार, देश तथा विश्व में शांति स्थापित रखने में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक बनाना।
6. नवयुवकों में शांति के आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करना।

1.6 शान्ति शिक्षा की अवधारणा

आइन्स्टीन ने शांति शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि– ''भय से शान्ति नहीं लाई जा सकती शान्ति तो तब आती है जब हम आपसी विश्वास के लिए इमानदारी से कोशिश करें।''

शान्ति को सकारात्मक शान्ति एवं नकारात्मक शान्ति के रूप में परिभाषित करने के सर्वप्रथम कार्य जॉन गल्टुंक ने किया। इसलिए उन्हें सकारात्मक शान्ति एवं नकारात्मक शान्ति का जनक भी कहा जाता है।

बेट्टी कोर्टन सकारात्मक शान्ति एवं नकारात्मक शान्ति की अवधारणा की बात करता है। नकारात्मक शान्ति के अंतर्गत युद्ध या शारीरिक हिंसा को संदर्भित किया गया है। बेट्टी कोर्टन ने माना कि व्यक्ति का यह स्वभाव है कि जब वह चीजों को अपने अनुकूल नहीं पाता है तो वह झल्लाकर, झुंझलाकर व गुस्से में आकर हिंसात्मक प्रवृत्ति

का हो जाता है।

जबकि सकारात्मक शान्ति से तात्पर्य उस अवस्था से है जिसमें व्यक्ति स्वयं के हितों को साधने हेतु किसी का शोषण न करे व साथ ही साथ कोई हिंसात्मक रवैया न अपनाकर हमेशा अहिंसा को प्राथमिकता देने वाले बनें।

प्रायः हम यह कहते रहते हैं कि हाइड्रोजन बम शान्ति स्थापना का अस्त्र बन सकता है क्योंकि उसकी विनाश क्षमता युद्ध को रोकने में समर्थ है। वस्तुतः युद्ध की अनुपस्थिति ही शांति नहीं है। यह एक सुदृढ़ बन्धुत्व भावना का विकास है, अन्य लोगों के विचारों तथा मूल्यों को ईमानदारी से समझने का प्रयास है।

बेटी ने अपने स्वयं के लोगों को सलाह दी थी कि वे क्रोध कम करें, दूसरे की भर्त्सना न करें, दूसरों के उत्कृष्ट अंश पर विश्वास करने को तैयार रहें, सहज ज्ञान और करूणा जैसे गुणों का विकास करें। ये सभी गुण शांति एवं संतोष के आधार हैं।

शांति शिक्षा को 1980 के प्रारम्भ में वेल्स के अन्तर्राष्ट्रीय कॉलेज में प्रस्तावित किया गया।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. डॉ. पी. वी. नायर के अनुसार शांति शिक्षा के किन्ही दो उद्देश्यों को लिखिए।

   ....

   ....

2. डॉ. मर्सी के अनुसार शांति शिक्षा की परिभाषा लिखिए।

   ....

   ....

1.7 शान्ति शिक्षा का क्षेत्र

शांति शिक्षा छात्रों को उन कौशलों और प्रक्रियाओं के बारे में उनकी जागरूकता विकसित करने और बढाने में मदद करती है, जो विद्यार्थियों में निम्न गुण उत्पन्न करते हैं–

- सहनशीलता
- सद्भावना
- सहानुभूति
- अंतर के लिए सम्मान
- समझ और सहयोग

पूर्ण मानव उन्नति को प्राप्त करने के लिए शांति शिक्षा निम्न महत्वपूर्ण अवयवों से भी प्राप्त होती है–

- शिक्षा सिद्धान्त
- शिक्षाशास्त्र परम्पराएं
- अन्तर्राष्ट्रीय पहल
- छात्रों की समग्र भलाई

- छात्रों का सही इलाज
- शिक्षार्थियों और शिक्षकों के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को बढ़ावा देना।

1.8 शान्ति शिक्षा की आवश्यकता

वर्तमान समय में बालकों को ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता है जिससे उसमें आतंकवाद, हिंसा, द्वेष जैसी अवांछनीय घटनाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो साथ ही परस्पर सौहार्द, सह–अस्तित्व, सहयोग, सहिष्णुता एवं भाईचारा जैसे सकारात्मक गुण विकसित हो। शान्ति के लिए शिक्षा की आवश्यकता के विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है–

1) सामाजिक दृष्टिकोण
2) वैयक्तिक दृष्टिकोण
3) वैश्विक दृष्टिकोण
4) पर्यावरणीय दृष्टिकोण
5) लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण

1.9 शान्ति शिक्षा का पाठ्यक्रम

शान्ति शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम में किसी अलग विषय को समाहित करने का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि इसे वैयक्तिक व सामूहिक विकास के साथ–साथ हिंसा व युद्ध के मनोसामाजिक, नैतिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक कारणों पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम निर्माण में छात्रों व अध्यापकों के दिन–प्रतिदिन शान्ति सम्बन्धी अध्ययन, प्रवचन एवं व्यवहार को समाहित कर सकते हैं। इसमें मानवता के प्रति अहिंसा, दया, स्नेह, करुणा, विश्वास, सहयोग, आदर, भाईचारा, सहनशीलता एवं तर्कसंगतता का भाव रहता है।

यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसलिये इसमें समूहों के मध्य होने वाली गत्यात्मकता व सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी के मूलभूत तत्वों का अध्ययन करना भी आवश्यक है।

शान्ति के सफल क्रियान्वयन के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की आवश्कता है, साथ ही शिक्षकों, छात्रों न अभिभावकों के लिए निर्देशन पुस्तिकाएँ तैयार होती हैं, ताकि सैद्धान्तिक जानकारी के साथ क्रियाकलापों को व्यावहारिक रुप से एकीकृत करने में सहायता मिल सके। इन सभी प्रयासों से विषय विशेषज्ञों, अनुसन्धानकर्ताओं, पाठ्यक्रम निर्माताओं, पुस्तक लेखकों, शिक्षकों आदि की सक्रिय सहभागिता रहेगी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 में भी शान्ति शिक्षा का विधिवत् उल्लेख किया गया है तथा इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयास किये गये हैं। इसके अनुसार–

"शान्ति की शिक्षा एक ऐसे सरोकार के रूप में विकसित हो जो समूचे स्कूली जीवन पर छा जाए– पाठ्यचर्या, कक्षा का वातावरण, स्कूल प्रबन्धन,शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्ध और स्कूल से जुड़ी तमाम गतिविधियाँ। अतः यह आवश्यक है कि पाठ्यचर्या और परीक्षा का इस दृष्टि से मूल्यांकन हो कि कहीं ये विद्यार्थियों में अपर्याप्तता, निराशा और असुरक्षा आदि के भावों को बढ़ावा तो नहीं दे रहें हैं। साथ ही, आसपास और मीडिया द्वारा प्रचारित हिंसा का बच्चों के मन पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसे दूर कर नैतिक एवं शान्तिपूर्ण जीवन के उद्देश्यों के गहरे अर्थों को विकसित किया जाए। शिक्षा सच्चे अर्थ में व्यक्तियों के अपने मूल्यों को स्पष्ट कर पाने में सहायक हो। उनको सजग निर्णय की दिशा में प्रेरित करें, हिंसा के स्थान पर शान्ति को चुनने के लिए प्रेरित करें, शान्ति निर्माण की प्रक्रिया से उन्हें जोड़े न कि केवल शान्ति के उपभोक्ता बने रहें।"

(I) प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम–

1) नैतिक जीवन सम्बन्धी कहानियाँ एवं कविताएँ।
2) सभी धर्मों से सम्बन्धित कहानियाँ।

(II) जूनियर स्तर पर पाठ्यक्रम–

1) ऐसे महापुरूषों का जीवन परिचय जिन्होंने विश्व शांति की स्थापना का प्रयास किया। जैसे– महात्मा गाँधी, विवेकानन्द आदि।

(III) हाईस्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम–

1) शांति का अर्थ।
2) शांति स्थापना की आवश्यकता एवं महत्व।
3) समाज में शांति स्थापना का अर्थ।

1.10 शान्ति शिक्षा पर गाँधीवादी विचारधारा

सामान्य रुप से मानव जाति को प्रभावित करने वाले वैश्विक मुद्दों और समस्याओं का उभरना इस तथ्य को रेखांकित करता है कि हमें न केवल सोचने बल्कि अभ्यास करने के लिये भी एक नए दर्शन की आवश्यकता है जो गाँधीवादी शांति शिक्षा के दर्शन का प्रतीक है।

गाँधी के लिये, अहिंसा के व्यापक ढांचे में धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रकृति में पूरक है और शान्ति शिक्षा का मूल है। असमानता, सामाजिक विकास, शिक्षा और अहिंसा पर गाँधी के विचार यदि क्रियान्वित होते हैं, तो न केवल सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों बल्कि वर्तमान समय की नैतिक दुविधाओं पर भी बातचीत करने और दूर करने के लिये एक जंबा रास्ता तय कर सकते हैं। शिक्षा की वर्तमान प्रकृति और सामग्री एक संतुलित व्यक्तित्व के विकास के सामाजिक लक्ष्य और दायित्व को कमजोर करती है।

गाँधी ने शिक्षा को व्यक्ति के साथ–साथ समाज के समग्र विकास में महत्वपूर्ण माना। यह शिक्षा छात्रों को देनी होगी ताकि पे मानवतावादी, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज यानी 'सर्वोदय समाज' की नैतिकता एवं मूल्यों को सीख सकें और आत्मसात कर सकें।

शान्ति शिक्षा की गाँधीवादी धारणा के अनुसार "शांति शिक्षा" का एक मूलभूत सरोकार आधुनिक युग में युद्ध की पीड़ा और बर्बादी को रोकने के लिये शिक्षा है।

हाल के कुछ अध्ययनों में, विद्वानों ने शांति के लिये शिक्षा के ढांचे के भीतर गाँधीवादी अध्ययन के उद्भव को प्रासंगिक बनाने और रखने की कोशिश की है।

फील्ड के अनुसार– ''अहिंसा शिक्षा या गाँधीवादी अध्यापन शान्ति की सकारात्मक अवधारणाओं पर जोर देता है।''

शान्ति शिक्षा के उनके विचार को धार्मिक शिक्षा की उनकी व्याख्या में देखा जा सकता है, हालांकि वे कई बार इसके आलोचक थे। धार्मिक शिक्षा व्यक्ति को उसके नैतिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील बनाती है। सभी धर्म मानवता के प्रति प्रेम और करूणा पर आधारित हैं और अस प्रकार अपने संबंधित अनुयायियों को सहिष्णुता सिखाते हैं

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. शान्ति शिक्षा छात्रों में किस प्रकार के गुणों का विकास करते है ?

....

....

2. प्राथमिक स्तर पर शान्ति शिक्षा के पाठ्यक्रम में किन महत्वपूर्ण अवयवों का होना आवश्यक है ?

....

....

3. हाईस्कूल स्तर पर शान्ति शिक्षा के पाठ्यक्रम में किन महत्वपूर्ण अवयवों का समावेश होना चाहिए ?

....

....

1.11 विश्व शान्ति हेतु शैक्षिक सुझाव

- शिक्षा के उद्देश्यों में विश्व शान्ति की प्रस्थापना को वरीयता दी जाये।
- सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली व नई शिक्षा नीति में शान्ति शिक्षा को स्थायी रूप से स्थान दिया जाये।
- अध्यापक शिक्षा (शिक्षक प्रशिक्षण) पाठ्यक्रम में भी शान्ति शिक्षा का समावेश किया जाये।
- पाठ्य सहगामी क्रियाएं शान्ति शिक्षा से आच्छादित हो।
- ऐसे शिक्षकों को चयनित किया जाये जिनका व्यक्तित्व शान्तिमय हो।
- शान्ति शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार गोष्ठियाँ व कार्यशालायें आयोजित की जाये।
- सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ व्यावहारिकता का भी समावेष हो।
- विश्व शान्ति हेतु शिक्षा को एक प्रभावशाली उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाये।
- विश्व समाज को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से शान्तिमय बनाने हेतु शान्ति शिक्षा को वैश्विक स्तर पर विषय के रूप में सम्मिलित किया जाए।
- अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना व अन्तर्सांस्कृतिक अवबोध की भावना को विकसित करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाये।
- राष्ट्रीय व अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये जिससे शान्ति स्थापना के प्रयासों को बल मिले।

1.12 सारांश

वैश्विक और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर वर्तमान समय के संकट ने एक बार फिर से हमें गाँधीवादी दर्शन के अत्यधिक महत्व और प्रासंगिकता से अवगत कराया है। यह सच है कि अन्य सिद्धान्तकारों के विपरीत, उन्होंने सामाजिक मुद्दों को सिद्धान्तबद्ध नहीं किया, फिर भी शिक्षा पर गाँधी जी के विचार वर्तमान पीढ़ी के लिये शांति

शिक्षा की आवयकताओं के अनुरुप है।

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि 'शान्ति शिक्षा' आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। परमाणु हथियार से सुसज्जित देश जहाँ एक–दूसरे देश को चुनौती देते रहते हैं। तो वहीं पर आये दिन नक्सलवाद व आतंकवाद जैसी गतिविधियाँ होती आ रही हैं। ऐसे में मूल्यों की ऐसी शिक्षा देना अति आवश्यक हो जाता है जिससे शांति का सृजन हो सके, आपसी भाईचारे की भावना का पुनर्जागरण हो सके व समग्र जनमानस का कल्याण हो सके।

1.13 अभ्यास के प्रश्न

1. अपने जिले व राज्य में संचालित शांतिशिक्षा के पाठ्यक्रमों के अंतर्गत शामिल होने वाले पाठ्यचर्या की सूची बनाइये।
2. समाचारपत्रों आदि में प्रकाशित होने वाले आख्यानों पर अपने विचार प्रस्तुत करें
3. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शान्ति शिक्षा के क्रियान्वयन पर अपने व्यक्तिगत सुझाव दीजिये।
4. गाँधी जी के अनुसार शान्ति शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए?
5. एन.सी.ई.आर.टी. के अनुसार शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए?

1.14चर्चा के बिन्दु

1. शांति शिक्षा की अवधारणा एवं आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
2. शांति शिक्षा की गाँधीवादी विचारधारा की चर्चा कीजिए।

1.15 बोध प्रश्नों के उत्तर

1) **क.** बालकों में उदार मस्तिष्क, विवेकपूर्ण चिन्तन तथा विश्वव्यापी ज्ञान की खोज हेतु रुचि का विकास करना।

ख. बालकों को धार्मिक सहिष्णुता, अन्य प्रजातियों का आदर तथा धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों को आदरभाव से देखने के योग्य बनाना।

2) शान्ति शिक्षा शांतिप्रिय लोगों के लिए शिक्षा है, जो इस पृथ्वी पर शांति कायम करने के योग्य होता होंगे। यह विशेषतः भावात्मक शिक्षा है। यह धार्मिक शिक्षा है, साथ ही यह स्वयं में शिक्षा है। **–डॉ. मर्सी**

3) सहनशीलता, सद्भावना, सहानुभूति, अंतर के लिए सम्मान, समझ और सहयोग।

4) **प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम**

1) नैतिक जीवन सम्बन्धी कहानियाँ एवं कविताएँ
2) सभी धर्मों से सम्बन्धित कहानियाँ।

5) **हाईस्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम**

1) शांति का अर्थ।
2) शांति स्थापना की आवश्यकता एवं महत्व।
3) समाज में शांति स्थापना का अर्थ।

1.16 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Barash, P. David (2000). Approaches to Peace, Oxford University Press, New York.
2. Galtung, I (1996). Peace by peaceful means : Peace and conflict, Development and civilization, PRIO-International peace research institute of Oslo and sage publications.

3. प्रसाद, एस. एन. (1998) ,Development of Peace and Education in India, Delhi India.
4. मोहन्ति जगन्नाथ (2004), Modern trends in Indian Education, Bhubaneshwar.
5. विकीपीडिया – शांति शिक्षा और गाँधी जी।
6. अब्बासी ,डॉ. आयशा अब्बासी, ठाकुर पब्लिकेशन, लखनऊ
7. सोनी, डॉ. रश्मि सोनी, ठाकुर पब्लिकेशन, लखनऊ
8. बिलग्रामी, अकील,(27 सितंबर,2004) "गाँधी, द फिलॉसफर," इकोनॉमिक एंड पालिटिकल विकली", 4159–4165.

इकाई– 2 : शान्ति शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

इकाई की संरचना

2.1 प्रस्तावना
2.2 इकाई के उद्‌देश्य
2.3 भारत में शान्ति शिक्षा और इसका विकास
2.4 शान्ति शिक्षा के प्राचीन उद्‌देश्य
2.5 शान्ति की ऐतिहासिक अवधारणा
2.6 शान्ति शिक्षा का विकास और इसके मूल सिद्धांत
2.7 शान्ति स्थापित करने हेतु प्रस्ताव एवम् संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना
2.8 फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शांति
2.9 19वीं शाताब्दी में शान्ति
2.10 शांति आंदोलन
2.11 19वीं शताब्दी के मध्य का काल
2.12 1870 का काल
2.13 द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की स्थिति
2.14 भारत में शांति आंदोलन और निशस्त्रीकरण
2.15 परमाणु अप्रसार संधि (एन. पी. टी.)
2.16 समग्र परीक्षण प्रतिबन्ध संधि (सी. टी. बी. टी.)
2.17 सारांश
2.18 अभ्यास के प्रश्न
2.29 चर्चा के बिन्दु
2.20 बोध प्रश्न के उत्तर
2.21 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.1 प्रस्तावना

शान्ति शिक्षा के इतिहास के संदर्भ में विद्वान एकमत नहीं रखते। कुछ विद्वान जिनमें अनेक भारतीय हैं, यह मानते हैं कि शांति शिक्षा भारत की प्राचीनतम शिक्षा पद्धति में किसी न किसी रूप में अभिन्न तरीके से जुड़ी रही। इसके बहुत से प्रमाण वैदिक साहित्य में मौजूद भी हैं। इसके अतिरिक्त षड्, जैन, बौद्ध, सूफी आदि अनके भारतीय दर्शनों में शांति शिक्षा का स्वरूप मौजूद है। विद्वानों का दूसरा समूह जिसमें अधिकांश पाश्चात्य विचारधारा का समर्थन करते हैं, उनका मानना है कि शान्ति शिक्षा का औपचारिक विकास लगभग 19वीं सदी के प्रारम्भ में हुआ। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार शांति शिक्षा का अपना एक लम्बा इतिहास है जिसका स्रोत ऐतिहासिक शान्ति गिरिजाघरों में देखा जा सकता है। सन् 1828 ई. में अमेरिका के बोस्टन में प्रथाम अमेरिकन पीस सोसाइटी की स्थापना हुई। बीसवीं शताब्दी के शुरूआत के वर्षों में अमेरिका की फैनी फर्न एंड्रयूज ने 'अमेरिकन स्कूल पीस लीग' की शुरूआत करते हुए 18 मई को शांति दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया। जेम्स एडम्स को अन्तर्राष्ट्रीय शांति आन्दोलन के कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है, इनको सन् 1931 ई. में 'नोबल पीस प्राइज' भी मिला। विद्वानों का तीसरा समूह यह मानता है कि शान्ति शिक्षा का विस्तृत विकास विश्वयुद्ध के बाद के काल में हुआ। (यूनेस्को की स्थापना 4 नवम्बर, 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ के एक घटक निकाय के रूप में हुई। इसका उद्‌देश्य

शिक्षा व संस्कृति के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है।)

2.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप इस योग्य हो जाएंगे कि–

1. शान्ति शिक्षा के प्राचीन उद्देश्य एवं एतिहासिक अवधारणा को वर्णित कर सकेंगे।
2. शान्ति शिक्षा के विकास एवं इसके मूल सिद्धान्तों की व्याख्या कर सकेंगे।
3. विभिन्न शान्ति आंदोलनों की आवश्यकता एवं स्थिति को समझ सकेंगे।
4. भारतीय शान्ति आन्दोलनों एवं निरस्त्रीकरण की व्याख्या कर सकेंगे।

2.3 भारत में शान्ति शिक्षा और इसका विकास

भारतीयों में शांति, अन्तर्राष्ट्रीय समझ, सहिष्णुता, भाईचारा और आत्म–संयम को बढ़ावा देने का एक लंबा इतिहास रहा है जो भारतीय प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, एवं उपनिषदों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। प्राचीन भारतीय ऋषि–मुनियों ने पृथ्वी को एक वैश्विक गाँव के रूप में देखा। हम कह सकते हैं कि 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना भारतीय संस्कृति की देन है, उन्होंने संपूर्ण विश्व को एक परिवार माना।

भारतीय संस्कृति के पोषक, युवाओं के प्रणेता, युग पुरूष स्वामी विवेकानन्द के जीवन का एक महान मिशन–मानव जाति को उसकी दिव्यता का ज्ञान कराना, उसका प्रचार करना एवं जीवन के हर आन्दोलन में उसे कैसे प्रकट करना है। उन्होंने कहा कि शांति शिक्षा का अंतिम उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों की आध्यात्मिकता की नींव को मजबूत करके आंतरिक शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। उन्होंने धर्म और शिक्षा में सहिष्णुता का प्रचार किया जो अनिवार्य रूप से शांति की ओर ले जाता है। वह मनुष्यों में सार्वभौमिक भाईचारें एवं विश्व बंन्धुत्व की वकालत करते हैं, इस दिशा में उन्होंने काफी प्रचार–प्रसार किया। महात्मा गांधी, इकबाल, रवीन्द्रनाथ टैगोर और विष्णु प्रसाद राव जैसे महान एवं उत्कृष्ट व्यक्तियों द्वारा शांति को बढ़ावा देने के लिए किए गए विचारों एवं कार्यों ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया। हम देखते हैं कि लोगो के बीच अधिकांश विवाद बिना हिंसा के हल हो जाते हैं, लेकिन सभी नही, अगर हमें देश और विदेश में विवादों को सुलझाने के तरीके के रूप में हिंसा से दूर जाना है तो हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि युवाओं को यह सीखने में मदद मिल सके कि रचनात्मक तरीके से संघर्ष से कैसे निपटा जाए।

2.4 शान्ति शिक्षा के प्राचीन उद्देश्य

शान्ति शिक्षा के यदि प्राचीन उद्देश्यों पर यदि विचार किया जाय तो हम देखते है कि उसमें नैतिकता, धर्म, अध्यात्म, व्यायाम, संतोष, संयम,परोपकार, सहिष्णुता आदि पर विशेष बल दिया गया है। प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् है–

1) 'वसुधैव कुटुम्बकम्', यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्, सर्वे–सन्तु निरामयाः, आदि सूक्तियों में निहित भावनाओं के विकास के साथ ही साथ मूलभूत मानवीय गुणों और मूल्यों के प्रवर्धन हेतु।
2) आदर्शवादी एवं मानवतावादी दृष्टिकोण के उन्नयन हेतु।
3) मानवीय स्वभाव एवं दृष्टिकोण में प्राथमिक तौर पर सदैव अहिंसात्मक विकल्पों के अन्वेषण की उत्कंठा जागृत करने के लिए।
4) विद्यालयी वातावरण में गुरू–शिष्य सम्बन्धों में सुधार, आत्मानुशासन को प्रोत्साहन, भावनात्मक व नैतिकता के विकास तथा शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में विविधता लाने हेतु।
5) शोषण एवं अन्याय जैसी भावनाओं के विरूद्ध सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु।

व्यावहारिक भाषा में यह कहा जा सकता है कि 'शांति शिक्षा' का प्राचीन उद्देश्य शिक्षा के द्वारा बालक के मन–मस्तिष्क में ऐसी भावनाओं का समावेश करना जिससे एक ऐसे व्यक्तित्व और समाज का निर्माण हो

सके जिसमें हर एक इंसान दूसरे इंसानों के लिए सोचे, उसकी प्रसन्नता, उसके भविष्य तथा उसके और अपने सह–अस्तित्व के आगामी विषयों पर चिन्तन–मनन और कल्पना करते हुए उसे व्यावहारिकता प्रदान करने का प्रयास कर सके

2.5 शान्ति की ऐतिहासिक अवधारणा

शान्ति मानव जाति की शाश्वत अभिलाषा है। इसे जीवन के श्रेष्ठतम मूल्यों की सूची में रखा जाता है। "हर कीमत पर शांति" सबसे बेकार किस्म की शांति भी सबसे न्यायपूर्ण युद्ध से अच्छी होती है।

"युद्ध कभी अच्छा नहीं होता न शांति कभी बुरी"।

उपर्युक्त उदाहरणों से शान्ति का महत्व रेखांकित होता है।

शान्ति की नई परिभाषा है "युद्ध और तनाव की अनुपस्थिति"। शान्ति दो या अधिक देशों के बीच सौहार्द, सामंजस्य और समझौते के रूप में भी परिभाषित की जाती है। शत्रुता, हिंसा या युद्ध का विलोम शब्द है, शान्ति। शान्ति युद्ध से मुक्ति की अवस्था है।

आज मनुष्य नित नये लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण कर रहा है और मृग मरीचिका की भाति उनके पीछे भागता चला जा रहा है । दौड़ की इस संस्कृति में सिर्फ और सिर्फ आगे निकलने की होड़ सी मची हुई है। चाहे भले ही सबको कुचल कर ही क्यों न आगे निकलने की जीत हासिल हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति छोटी–छोटी बातों पर हिंसक रूप धारण कर ले रहा है। वह द्वन्द्व, आक्रामकता और हिंसा की भावनाओं से पूरी तरह घिरा हुआ है। यही भावना व्यक्ति से समाज और समाज से वैश्विक समुदाय तक फैल चुकी है। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में आपसी संघर्ष चलायमान है। विश्व में तृतीय विश्व युद्ध की आशंका बनी हुई है। मानव जीवन की मूलभूत प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुन्ध दोहन की होड़ मच गयी है।

ऐसी स्थिति में शिक्षा में उन सार्वभौमिक उद्देश्यों की महत्ता अनिवार्य रूप से बढ़ जाती है जिनसे मानवीय गुणों, सद्भावना, सहिष्णुता, प्रेम, अहिंसा, दया, समायोजनशीलता आदि का उचित एवं संतुलित विकास संभव हो। इस संदर्भ में महात्मा गांधी का विचार अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है जिसमें उन्होंने कहा कि, "शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है।" शिक्षा के माध्यम से ही मानव जगत् की अभिरूचि को दीर्घकालिक हितों की ओर बारंबार आकृष्ट करना होगा। ताकि आज के सभ्य संसार के कोने–कोने में यह संदेश फैल सके कि, "जीवित रहो और जीवित रहने दो"।

2.6 शान्ति शिक्षा का विकास और इसके मूल सिद्धांत

शान्ति की अवधारणा की समझ पूरे इतिहास में बदल गई है, और इसलिए बच्चों के संस्थागत समाजीकरण की शुरूआत से ही शिक्षा प्रणाली में इसकी भूमिका और महत्व बदल गया है। हालांकि, शांति शिक्षा के विकास पर चर्चा करते समय, इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं जिन्होंने इसके लक्ष्यों और कार्यों को परिभाषित किया।

प्रथम विश्व युद्ध (1914–1948) के अंत ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ की आवश्यकता के लिए शक्तिशाली समर्थन लाया और इन विचारों को शैक्षिक प्रणालियों में शामिल करने की इच्छा पैदा करने में मदद की। राष्ट्र संघ और कई गैर–सरकारी संगठनों ने इन विचारों पर एक साथ काम किया। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सहयोग संस्थान के माध्यम से एक ऐसा संगठन जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का पूर्ववर्ती था।

द्वितीय विश्व युद्ध (1939–1945) लाखों पीड़ितों और हिरोशिमा और नागाशाकी में जापान के खिलाफ परमाणु हथियारों के भयावह उपयोग के साथ समाप्त हुआ। 1946 में यूनेस्को की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की छतरी संस्था के रूप में हुई थी, और इसे शान्ति और सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनुसार शिक्षा में सामान्य

परिवर्तनों की योजना बनाने, विकसित करने और लागू करने का आरोप लगाया गया था। इस संगठन की कानून ने शांति के विकास में शिक्षा की भूमिका के सिद्धांत को सुदृढ़ किया और सामान्य विश्व शिक्षा प्रणालियों में शांति के सिद्धांतों को शामिल करने और लागू करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का शीत युद्ध विभाजन और तथाकथित पश्चिम और पूर्वी गुटों के बीच भय के संतुलन की रणनीति ने शांति प्रयासों को पुर्ननिर्देशित किया। शांति आंदोलन ने परमाणु युद्ध के खतरे को रोकने, हथियारों की होड़ को रोकने और निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करने पर ध्यान देना शुरू किया। इसके कुछ समानांतर, पर्यावरण संरक्षण और विकास के मुद्‌दों ने शांति शिक्षा कार्यक्रमों में अपना स्थान पाया।

समकालीन सामाजिक–राजनीतिक वातावरण (विशेष रूप से 1990 के दशक की शुरूआत से पूर्वी यूरोप में घटनाएं, आतंकवाद का डर और विकसित और अविकसित देशों के बीच बढ़ती खाई) ने शांति की समझ और जिम्मेदारी के अंतर्निहित सिद्धांतों के विकास के लिए नई चुनौतियां पैदा की हैं।

शान्ति शिक्षा में शामिल क्षेत्र और विषय विविध हैं। विविधता सैद्धन्तिक दृष्टिकोण, अंतर्निहित दर्शन, बुनियादी पद्धति और लक्ष्यों में स्पष्ट है। इसलिए, शान्ति शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों में हिंसा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सहयोग तक विकसित दुनिया और अविकसित दुनिया के बीच संघर्ष से लेकर भविष्य के लिए आदर्श के रूप में शांति तक कई तरह के मुद्‌दे मिल सकते हैं। मानवाधिकार का सवाल सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के शिक्षण के लिए। एक आलोचक कह सकता है कि क्षेत्र बहुत व्यापक है और शान्ति शिक्षा अच्छे इरादों वाले लोगों से भरी हुई है, लेकिन बिना किसी अद्वितीय सैद्धांतिक ढ़ांचे, दृढ़ पद्धति और शान्ति शिक्षा के व्यावहारिक प्रयासों और कार्यक्रमों के परिणामों के मूल्यांकन के बिना। क्षेत्र के कुछ लोग आम तौर पर इस आलोचना से सहमत होंगे। समाज की जटिल प्रणालियाँ, परिस्थितियाँ और संदर्भ शान्ति शिक्षा क्षेत्र को बहुत सक्रिय और विविध बनाते हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. शान्ति शिक्षा के प्राचीन उद्‌देश्य हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं?

....

....

2. शान्ति शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानन्द का क्या कथन था?

....

....

3. शान्ति शिक्षा के प्रसार–प्रचार में किन महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने योगदान दिया?

....

....

2.7 शान्ति स्थापित करने हेतु प्रस्ताव एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना

मनुष्य के शाश्वत स्वप्न, शान्ति की स्थापना के लिये बहुत से प्रस्ताव पारित हुये, और योजनायें बनी हैं। इस उद्‌देश्य की प्राप्ति के लिये राज्यों के संघ बनाने, लोगों और देशों के बीच संधियों, वैधानिक प्रणालियों में सुधार

करने जैसे उपायों पर बहस चलती रही है।

इस संदर्भ में परिवर्तन से शांति की अवधारणा भी बदल जाती है। मध्यकालीन यूरोप में शान्ति का मतलब था "काफिरों" के विरूद्ध ईशाइयत वाले राज्यों की एकता स्थापित करना। यह शान्ति की सांप्रदायिक अवधारणा थी। इस काल में भी कुछ विद्वान ऐसे थे जो वस्तुगत शांति की अवधारणा को ज्यादा वस्तुगत बनाने पर जोर दे रहे थे और इस तरह से यह सार्वभौमिक होती गयी। इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रांति के दौर में शान्ति की माँग बढ़ी, क्योंकि इसे पूंजीवादी विकास में सहायक माना जाता था।

संयुक्त राष्ट्र को प्रथम विश्व युद्ध के बाद गठित राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी कहा जा सकता है। 19 अप्रैल 1946 को राष्ट्र संघ की साधारण सभा में राष्ट्र संघ की समाप्ति की घोषणा करते हुए उसकी संपत्ति आदि को संयुक्त राष्ट्र को हस्तांतरित कर दिया गया। राष्ट्र संघ के समान ही संयुक्त राष्ट्र का भी प्रधान उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की रक्षा करना है। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 14 अगस्त 1941 को अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टर्न चर्चिल अपने युद्ध पोतो पर अटलांटिक महासागर में मिले और उन्होंने अटलांटिक चार्टर की घोषणा की जिसमें एक प्रस्तावना एवं विश्व शान्ति की स्थापना के कुछ सिद्धांतों से संबंधित आठ अन्य अनुच्छेद थे।

अक्टूबर 1943 के मास्को सम्मेलन में स्पष्ट रूप से एक अंतर्राष्टीय संगठन की स्थापना का निश्चय किया गया। अगस्त–सितम्बर 1944 डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया। अप्रैल–जून 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया। 24 अक्टूबर 1945 को यह चार्टर लागू कर दिया गया तथा 10 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। संयुक्त राष्ट्र के छः प्रधान अंग है–

1. महासभा
2. सुरक्षा परिषद्
3. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्
4. न्यास परिषद
5. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
6. सचिवालय

2.8 फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शान्ति

फ्रांसीसी क्रांति के दिनों में क्रांतिकारियों ने शांति की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इस नई अवधारणा के अनुसार विवेक, तर्क और मूलभूत मानव अधिकार शांति के घटक हैं। राष्ट्र राज्यों के संघ या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मध्यस्थता की व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बहस में तेजी आई। देशभक्ति के नाम पर युद्धों के लिये लोगों का लामबंद किया जाता रहा है। लेकिन लोग शांति की अनावश्यकता के प्रति ज्यादा जागरूक होने लगे हैं। शांति जनसामान्य का सरोकार बन गई।

2.9 19वीं भाताब्दी में शांन्ति

19वीं शाताब्दी में शांति संगठनों एवं आंदोलनों की उपस्थिति तीव्रता से महसूस की जाने लगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार शान्ति संगठनों का गठन हुआ और सम्मेलन आयोजित किए गए। 19वीं शताब्दी में ही मार्क्सवाद और मार्क्सवादी आंदोलनों के चलते शांति आंदोलन को एक नया आयाम मिला।

शांति की इस नई अवधारणा के अनुसार शांति की स्थापना सामाजिक परिवर्तन के जरिये ही की जा सकती है। शान्ति शिक्षा मनुष्य के नैतिक आदर्शों के उन्नयन तथा एक–दूसरे के साथ मिल–जुलकर रहने के विविध लाभो को प्रतिबिंबित करती है। इस प्रकार शान्ति शिक्षा जहां बालक की सामाजिकता को प्रभावित करती है, वहीं उसको भावी जीवन के उत्तरदायित्त्वों के प्रति भी निष्ठावान बनाती है। शान्ति शिक्षा के द्वारा अपेक्षित एवम् प्रभावकारी परिणामो के लिए शिक्षक, विद्यालय, समाज एवं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने–अपने स्तर पर अपने दायित्वों का निश्चय एवम् निर्धारण करना होगा।

2.10 भाांति आंदोलन

सेंट साइमन की पुस्तक ″रिआर्गनाइजेशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी″ के प्रकाशन के साथ–साथ शान्ति संगठनों का गठन शुरू हो गया। पहले शान्ति संगठन की स्थापना अमरीका में हुई। शुरूआती दौर के शान्ति संगठनों के बहस के मुद्दे थे उचित और अनुचित युद्ध, हिंसा की आवश्यकता और उपनिवेशवाद आदि।

धीरे–धीरे दासता, नारी–मुक्ति, सार्वजनिक शिक्षा एवं मानवाधिकार जैसे सामाजिक मुद्दे शान्ति संगठनों की बहस का विषय बनते गये। धीरे–धीरे राष्ट्रीय शान्ति संगठनों को एक अंतर्राष्ट्रीय शान्ति संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगी।

2.11 19वीं भाताब्दी के मध्य का काल

19वीं शताब्दी के मध्य के आस–पास अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलनों में राष्ट्रों के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गठन और झगड़ों के निपटारे के लिए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना पर बहसें होती रहीं थी। इन सम्मेलनों में औपनिवेशिक लोगो की आजादी पर भी चर्चाएं हुई। व्यक्तिवादियों ने इस बात की हिमायत शुरू की कि राज्यों के बीच मुक्त व्यापार के सिद्धान्त के आधार पर शांति की स्थापना की जा सकती है। इन संगठनों पर ज्यादातर जनतांत्रिक उदारवादियों का वर्चस्व था जिन्होंने बहुत से क्रांतिकारी फैसले लिए किन्तु उन्हें लागू करने में असफल रहे।

2.12 1870 का काल

1870 में मार्क्सवाद के अनुयायियों ने ″फस्र्ट इंटरनेशनल″ इंटरनेशनल वर्किंग मेन्स एशोसिएशन (कामगारों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की।) फर्स्ट इंटरनेशनल की मान्यता में मजदूर वर्ग के आंदोलन का उद्देश्य निहित है, सामाजिक परिवर्तन जो कि विश्व शांति स्थापना की अनिवार्य शर्त है। फर्स्ट इंटरनेशनल ने एक एतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। जिसके अनुसार–

″युद्ध का भार मुख्य रूप से मजदूर वर्ग पर पड़ता है। युद्ध मजदूरों को उनकी आजीविका के साधन से ही नहीं दखल करता बल्कि एक–दूसरे का खून बहाने को भी बाध्य करता है। सशस्त्र क्रांति से उत्पादन शक्तियाँ कमजोर होती है। यह मजदूरों से शांति के लिए व्यर्थ श्रम की माँग करती है जो कि आम जन की भलाई की आवश्यक शर्त है। इसे नई व्यवस्था में नए तरीके से संपादित करना होगा। एक ऐसी व्यवस्था में जिसमें एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का सिलसिला समाप्त हो जाए। मार्क्सवादी शांति आन्दोलनों के नेतृत्व में आदर्शवादियों को हटाकर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया।″

20वीं शताब्दी की शुरूआत के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति संगठनों की भरमार हो गयी। लेकिन ये संगठन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहे। युद्ध के दौरान इनमें से कई संगठनों ने अपना आदर्शवादी सार्वभौमिक सिद्धान्त छोड़ कर राष्ट्रीय युद्ध के पक्ष में जुट गए।

युद्ध के बाद शान्ति, लेनिन के शांति के सूत्र और राष्ट्रपति विलसन के 14 सूत्र आदि प्रस्ताव दुनिया के सामने पेश किये गए। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध को रोका नहीं जा सका। यह युद्ध अत्यन्त भयावह था। इस युद्ध में

पहली बार परमाणु बम जैसे भयंकर प्रलयकारी हथियारो का उपयोग हुआ। इस युद्ध का दुनिया पर भयंकर प्रभाव पड़ा। युद्ध की समाप्ति के साथ एक नए युग की शुरूआत हुई– परमाणु युग की। नए युग के नई आशंकाओ को जन्म दिया। यदि परमाणु युद्ध छिड़ा तो मानव सभ्यता का विनाश अवश्यंभावी है, ऐसा डर लोगों के मन में बैठ गया है। परमाणु युद्ध की आशंका के भय ने शांति की नई अवधारणाओं को जन्म दिया और शांति आंदोलन में नई बहसें चल पड़ी।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. 19 वीं शताब्दी में किन आंदोलनों के चलते शांति आंदोलन को एक नया आयाम मिला?

   ....

   ....

2. परमाणु प्रसार को रोकने के लिए किस प्रकार की संधियां बनायी गयीं?

   ....

   ....

3. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस संगठन की स्थापना हुयी जिसने शांति हेतु एक जनआंदोलन का रूप लिया?

   ....

   ....

2.13 द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की स्थिति

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद तो शांति आन्दोलन ने विश्व शांति संगठन (वर्ल्ड पीस कौंशिल) के तत्त्वाधान में आंदोलन का रूप ले लिया। दुनिया के तमाम देशों में संगठन ने अपना सांगठिक जाल फैलाया। ये संगठन विश्व शांति के आदर्शों का प्रचार करते थे। इस आंदोलन में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के लेखक दार्शनिक और कलाकार शामिल हुए। दार्शनिक लेखक बट्रांड रसेल भी आंदोलन के सदस्य थे। लेकिन अमेरिका ने इन शांति आंदोलनो को सोवियत संघ और साम्यवाद की चाल बताकर इनकी भर्त्सना करना शुरू कर दिया। अमरीकी विरोध के बावजूद आंदोलन दुनिया के तमाम हिस्सों में फैल गया। आज दुनिया में तमाम शांति संगठन है। ये संगठन विश्व शांति की हिमायत करते हैं और शांति के मुद्‌दों और इससे जुड़े विषयों पर शोध को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत से संगठन शांति संगठनों के परामर्शदाता की हैसियत से सक्रिय हैं

2.14 भारत शांति आंदोलन और निशस्त्रीकरण

भारत एक शांतिप्रिय देश है। इसने शताब्दियों पुराने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति। शांतिपूर्ण– अहिंसक तरीकों से प्राप्त की। भारत में शांति और युद्ध के प्रति वितृष्णा की एक लम्बी परंपरा रही है। प्राचीन काल में सम्राट अशोक ने शस्त्रों एवं युद्ध के सिद्धान्त का त्याग किया था। यह निशस्त्रीकरण का एक प्राचीनतम उदाहरण है। भारत में ब्रिटिश के आगमन के पहले यहाँ के राजे–रजवाड़े आपसी युद्धो में फंसे रहते थे। लेकिन इन युद्धों का जनसाधारण के जीवन और संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। शांति की परंपराओं का पालन करते हुए आजादी के बाद भारत ने शांति को एक प्रमुख राजनीतिक नीति के रूप में स्वीकार किया। 1954 में भारत ने परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की मुहिम की पहल की। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ में परमाणु परीक्षणों के मामले में यथाशक्ति बनाये रखने का प्रस्ताव किया।

दुनिया के तमाम देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया किंतु महाशक्तियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रस्ताव ने निरस्त्रीकरण की चर्चा को आगे बढ़ाया और संयुक्त राष्ट्र संघ में कई देश शांति और निरस्त्रीकरण की मुखर रूप में हिमायत करने लगे। परिणामस्वरूप 1960 के दशक की शुरूआत से शांति और निशस्त्रीकरण की दिशा में नए प्रयास शुरू हो गए।

2.15 परमाणु अप्रसार संधि (एन. पी. टी.)

परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी.टी.) 1967 में सम्पन्न हुई और 1960 तक इसे देशों द्वारा हस्ताक्षर के लिए खुला रखा गया तथा 1970 में 25 सालों के लिए इसे लागू किया गया। 17 अप्रैल से 12 मई, 1995 तक न्यूयॉर्क में इसकी समीक्षा के लिए एक सम्मेलन हुआ जिनमें एन.पी.टी. अवधि बिना किसी शर्त के अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दी गयी। सम्मेलन में कोई समीक्षा दस्तावेज भी जारी नहीं किया गया। 178 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किये लेकिन भारत समेत 13 देशों ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

2.16 समग्र परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी.टी.बी.टी.)

एन.पी.टी. में ही समग्र परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी.टी.बी.टी.) का उल्लेख था। इस संधि का उद्देश्य सामान्य और पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण है। लेकिन अपने मौजूदा स्वरूप में सी.टी.बी.टी. विश्व को परमाणु अस्त्रों से मुक्त करने में अक्षम है। इससे न तो परमाणु अस्त्रों की संख्या घटेगी न ही परमाणु हथियारों वाले देशों की मौजूदा आक्रमण क्षमता। एन.पी.टी. की भांति सी.टी.बी.टी. भी भेदभावपूर्ण है। भारत ने इसके भेदभावपूर्ण चरित्र के कारण इस संधि पर भी हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया।

2.17 सारांश

कोई भी व्यवस्था स्थापित होने से पहले एक दीर्घकालिक यात्रा तय करती है। शांति शिक्षा व्यवस्था ने भी एक लम्बी क्रमबद्ध यात्रा तय करते हुए अपनी उपयोगिता एवं आवश्यकता को सिद्ध किया है। शांति आन्दोलन, 19वीं शताब्दी के मध्य का काल, 1870 का काल, 20वीं शताब्दी की शुरूआत व द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की स्थितियों ने शांति शिक्षा को अधिक बल प्रदान किया।

शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त प्रत्येक जीव कुछ–न–कुछ सीखता रहता है। वह कभी नैतिकता व मूल्यों की बात करता है, तो कभी तनावपूर्ण स्थितियों के उत्पन्न होने से युद्ध की बात करता है। एक बेकार तरह की शांति व्यवस्था एक सुनियोजित एवं आवश्यक युद्ध से भी बेहतर विकल्प है। ऐसे में प्राचीन समय से ही शांति शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए तरह–तरह के प्रयास होते आ रहे है।

अतः सार रूप में यह कहा जा सकता है, कि प्राचीन समय में भी शांति शिक्षा की सार्थकता सिद्ध हुई है तथा साथ ही समय–समय पर इसमें अनेकों सुधार एवं परिवर्तन किये जाते रहे हैं। अन्य शिक्षा के साथ शांति शिक्षा की उपयोगिता को कदापि भी नकारा नहीं जा सकता है।

2.18 अभ्यास के प्रश्न

1. शांति की मार्क्सवादी अवधारणा की व्यख्या कीजिए।
2. शांति में मानव विकास संभव होता है। अशांति में विकास रूक जाता है और जान–माल की हानि होती है। स्पष्ट कीजिए।
3. शांति आंदोलन का इतिहास क्या है ? इसके लिए कौन–कौन सी सन्धियाँ की गयी हैं ?
4. प्राचीन शांति शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किये गये प्रयासों का उल्लेख कीजिए।
5. शांति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।

2.19 चर्चा के बिन्दु

1. शांति शिक्षा के विकास एवं इसके सिद्धांतों की चर्चा कीजिए।
2. परमाणु अप्रसार संधि पर चर्चा कीजिए।

2.20 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे– वेद, पुराणों व उपनिषदों से।
2. शांति शिक्षा का अंतिम उद्देश्य विभिन्न देशों की आध्यात्मिकता की नींव को मजबूत करके आंतरिक शांति और सुरक्षा स्थापित करना है।
3. शांति शिक्षा के प्रचार व प्रसार में यूनेस्को जैसी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने योगदान दिया।
4. 19वीं शताब्दी में मार्क्सवादी आंदोलनों के चलते शांति आंदोलनों को एक नया आयाम मिला।
5. परमाणु प्रसार को रोकने के लिए सी.टी.बी.टी. व एन.पी.टी. जैसी महत्वपूर्ण संधियां प्रभाव में लायी गयीं।
6. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व शांति संगठन (वर्ल्ड पीस कौंसिल) के तत्त्वाधान में शांति आंदोलनों ने जनांदोलन का रूप ले लिया।

2.21 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. खान वसीम अहमद (2010) सामाजिक मनोविज्ञान, नई दिल्ली, डिस्कवरी पब्लिकेशन हाउस प्राइवेट लिमिटेड।
2. लाल, रमन बिहरी (2012), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, मेरठ रस्तोगी पब्लिकेशन।
3. शर्मा, योगेश कुमार, मधुलिका, (2008), शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार नई दिल्ली, कनिष्क पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्युटर्स।
4. अग्रवाल, जे.सी. (1992), डेवलपमेन्ट एण्ड प्लानिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, न्यू डेल्ही विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड।
5. आनन्द, एस. पी. (1993) द टीचर एण्ड एजुकेशन इन इमरजेन्सी इन्डियन सोसाइटी न्यू डेल्ही एन. सी ई. आर. टी.
6. बिस्वास ए. (1992) एजुकेशन इन इन्डिया, आर्या बुक डिपो, न्यू डेल्ही।
7. बिस्वास, ए. एण्ड अगरवाल, जे. सी. (1992) एजुकेशन इन इण्डिया, आर्या बुक डिपो, न्यू डेल्ही।
8. चन्द्रा, बी. (1997) नेशनलिज्म एण्ड कोलोनलिज्म, ओरिएंट लांगमैनः हैदराबाद।

इकाई– 3 : शांति शिक्षा का भारतीय परिप्रेक्ष्य

इकाई की संरचना

3.1 प्रस्तावना

3.2 इकाई के उद्देश्य

3.3 भारतीय परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा के उद्देश्य

3.4 भारतीय परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा की अवधारणा

3.5 भातीय परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व

3.6 भारतीय परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा का इतिहास

3.7 शांति हेतु शिक्षा ही क्यों

3.8 शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य

3.9 सारांश

3.10 अभ्यास के प्रश्न

3.11 चर्चा के बिन्दु

3.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ सूची

3.1 प्रस्तावना

वैश्वीकरण के इस दौर में जहाँ वैज्ञानिक और तकनीकी ने दुनिया को भैतिकतावाद के अग्र शिखर पर स्थापित कर दिया है, वहाँ विज्ञान और तकनीकी की आधारशिला पर स्थापित यह आधुनिक समाज उदात्त मानवीय गुणों और मूल्यों से दूर होता जा रहा है। जिससे कट्टरता, धर्मान्धता, कटुता, असहिष्णुता, आतंकवाद, विवाद, अलगाववाद, संकीर्णता तथा वैमनस्यता बढ़ती जा रही है। प्राथमिक स्तर से ही शांति शिक्षा को व्यावहारिक रूप से विविध विद्यालयी गतिविधियों का स्वाभाविक अंग बनाकर आधुनिक विश्व को इन समस्याओं से मुक्ति दिलाई जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में शांतिपूर्ण भारतीय समाज की स्थापना हेतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है।

3.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप इस योग्य हो जाएंगे कि –

1. भारतीय परिप्रेक्ष्य में शान्ति शिक्षा की अवधारणा को वर्णित कर सकेंगे।
2. भारतीय परिप्रेक्ष्य में शान्ति शिक्षा के उद्देश्यों को समझ सकेंगे।
3. भारतीय परिप्रेक्ष्य में शान्ति शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को बता सकेंगे।
4. भारतीय परिप्रेक्ष्य में शान्ति शिक्षा के इतिहास को क्रमबद्ध रख सकेंगे।
5. शान्ति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्यों को समझ सकेंगे।

3.3 भारतीय परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा के उद्देश्य

भारतीय परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. राष्ट्र के समस्त नागरिकों को एकसमान समझने की भावना का विकास करना।
2. देश के सभी क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिको को एक परिवार के रूप में समझने की भावना का विकास करना।
3. मानव की पारस्परिक अंतःनिर्भरता को समझाने का प्रयास करना।
4. देश की शांति के लिए प्रयासरत संगठनों व व्यक्तियों से बच्चों को परिचित करवाना।
5. विश्व अहिंसा दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, मानवाधिकार दिवस जैसे आयोजनों को वैश्विक रूप प्रदान करना।
6. प्रतिवर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का जीवन परिचय तथा कार्य प्रणाली व उनके कार्यों की महानता से छात्रों को परिचित कराना।
7. युद्ध तथा भयंकर विनाशक हथियारों के विनाश की क्षमता से विद्यार्थियों को अवगत कराना।
8. शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व की भावना का विकास करना।
9. मानवता के वैश्विक मूल्यों का विद्यार्थियों में विकास करना।
10. राष्ट्र के प्रति सहिष्णुता की भावना का विकास करना।
11. शांति शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु विभिन्न प्रकार की सामाजिक कार्यशालाओं का आयोजन करना।

3.4 भारतीय परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा की अवधारणा

शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक आदि सभी पक्षों से है। हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व हिंसा और संघर्ष की आग में पल रहा है। हिंसा चाहे वैश्विक स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर या स्थानीय एवं वैयक्तिक स्तर पर, उसके नित नए स्वरूप, जैसे – असहिष्णुता, कट्टरवाद, वर्ग विवाद, संघर्ष, आतंकवाद आदि के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। 9/11 की अमेरिकी घटना हो या 26/11 का मुंबई हमला या फिर भारतीय संसद पर हमला हो या फिर पुलवामा में हमारे भारतीय सेना जवानों पर आतंकी हमला, इन सभी घटनाओं की पृष्ठभूमि में यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि इन्हें अंजाम देने वाले तथाकथित पढ़े–लिखे व्यवसायी ही रहे हैं। ये घटनाए हमें यह सोचने पर बाध्य कर देती हैं कि अखिल विश्व स्तर पर कहीं न कहीं शिक्षा को कोई पक्ष अछूता रहा है, जिससे शिक्षा मानवमात्र को कल्याण करने के बजाय उसे विध्वंसक गतिविधियों में संलग्न कर रही है।

विश्व शांति की स्थापना के आदर्श लक्ष्य के लिए ही शांति शिक्षा की अवधारणा का जन्म हुआ। इसे शिक्षा के स्वरूप के साथ जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। विगत कुछ दशकों से अस्तित्व में आई शांति शिक्षा वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता के रूप में उभरी है, क्योंकि शांति शिक्षा ही विश्व शांति, स्थिरता, सहिष्णुता, सुदृढ़ता और नियोजित भविष्य तथा मानव जाति के निरंतर विकास का एकमात्र साधन है। भारत जैसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध देश में शांति हेतु प्रयास प्राचीन समय से ही होते रहे हैं। भारतीय धर्मग्रंथों में वर्णित–

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद दुःख भाग भवेत्।।

ऐसे श्लोकों के मूल में शांति की भावना ही निहित है। महाभारत कें शांति दूत श्रीकृष्ण के प्रयासों को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता–

धृतराष्ट्र के पूछने पर कि, "हे दूत कृष्ण! आपका शांति का प्रस्ताव क्या है?"

श्रीकृष्ण का उत्तर था– "महाराज! शांति कोई प्रस्ताव नहीं अपितु वर्तमान की आवश्यकता है।"

यही वर्तमान की आवश्यकता हमारी सांस्कृतिक पहचान थी, इसका अभिसिंचन आगे भी होते रहना चाहिए। इस शताब्दी के महान विचारक **महात्मा गाँधी** ने कहा था,

"मैं शांति में विश्वास रखता हूँ यदि शांति नहीं है तो कल कोई जीवन नहीं होगा।"

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. भारतीय समाज में शांति शिक्षा के क्या लाभ हैं?

   ....

   ....

2. शांति शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में गाँधी जी का मूल कथन क्या था?

   ....

   ....

3.5 भारतीय परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा की आवश्यकता और महत्त्व

शांति शिक्षा की आवश्कता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है–

- राष्ट्र के सभी नागरिकों के मध्य सौहार्द्र तथा विश्वास का वातावरण उत्पन्न करने के लिए।
- विभिन्न धर्मों, समुदायों, जातियों, तथा संस्कृतियों की जीवन शैलियों की विभिन्नता में एकता की संभावना तलाश कर उसका महत्व स्थापित करने के लिए।
- देश के सभी लोगो के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए।
- विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान तथा सद्भाव का विकास करने के लिए।
- लोगों में सहिष्णुता, क्षमा, दया, सहयोग, त्याग तथा परोपकार की भावना का विकास करने के लिए।
- लोगों में पारस्परिक समझदारी का विकास करने के लिए।
- व्यक्तियों में विचार–विनिमय तथा संचार हेतु बंधन मुक्त, खुला और स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करने के लिए।
- आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना का विकास करने के लिए।
- *'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'सर्वे भवन्तु सुखिनः', परहित सरिस धरम नहीं भाई'* के आदर्शों को पुनः स्थापित करने के लिए।
- वैचारिक, आर्थिक, राजनीतिक, और सामाजिक मतभेदों को समाप्त करने के लिए।

3.6 भारतीय परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा का इतिहास

भारतीय परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा की संकल्पना काफी प्राचीन है। जिस समय विश्व के अन्य देशों की सभ्यताएँ अंगड़ाई ले रही थीं, भारतीय मेधा अपने शिखर पर थी और भारत को विश्वगुरू का दर्जा हासिल था। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित *सर्वे भवन्तु सुखिनः....* तथा *वसुधैव कुटुम्बकम्* जैसे आदर्श, भारत के शान्ति पक्ष की ऐंतिहासिक पृष्ठभूमि के जीवंत प्रमाण हैं।

भारतीय बौद्ध दर्शन ने शांति शिक्षा के विकास, प्रचार व प्रसार में अभूतपूर्व भूमिका निभा रहा है। बौद्ध दर्शन ने न सिर्फ भारत को अपितु समस्त विश्व को शान्ति शिक्षा हेतु प्रेरित किया। महान मौर्य सम्राट अशोक ने भी कलिंग युद्ध की विभिषिका को देखते हुए युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति का अनुसरण किया तथा इसके प्रचार व प्रसार में अपने पुत्र व पुत्री को विश्व के अनेक हिस्सों में भेजा।

प्रमुख जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की शिक्षाओं में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, युद्ध और आतंकवाद के जरिए हिंसा, धार्मिक असहिष्णुता तथा गरीबों के आर्थिक शोषण जैसी सम–सामयिक समस्याओं के समाधान पाए जा सकते हैं। भगवान महावीर ने अहिंसा परमो धर्मः का शंखनाद कर ***आत्मवत् सर्व भूतेषु*** की भावना को देश और दुनिया में जाग्रत किया। ***जियो और जीने दो*** अर्थात् सह–असतित्व, अहिंसा एवं अनेकांत का नारा देने वाले महावीर स्वामी के सिद्धांत विश्व की अशांति दूर कर शांति कायम करने में समर्थ है।

इसके अतिरिक्त आधुनिक भारत की आजादी के उपरान्त भी भारत ने विश्व के विभिन्न मित्र व धुरी राष्ट्रो से तटस्थ होते हुए किसी भी प्रकार की हिंसात्मक समूह का हिस्सा न होने की नीति (गुटनिरपेक्ष नीति) का अनुसरण कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ और युनेस्को द्वारा किए गए शांति प्रयासों के अतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 तथा समय–समय पर लागू किए गए विभिन्न शिक्षा नीतियों के माध्यम से शांति शिक्षा हेतु प्रयास किए गए।

3.7 शांति हेतु शिक्षा ही क्यों?

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्य बनाने का साधन है, शिक्षा द्वारा शांति के अग्रलिखित बिंदु विचारणीय हैं–

1. शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला है शिक्षा ही वह माध्यम है जो समाज के स्वरूप को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करती है। ये बुराइयाँ ही समाज में अशांति की जननी हैं, अतः शिक्षा के द्वारा उन कारणों का निराकरण किया जा सकता है।
2. शिक्षा के द्वारा विभिन्न संस्कृतियों, समाजों और राष्ट्रों के बीच संवाद उत्पन्न एवं विकसित किया जा सकता है, जो एक–दूसरे की संस्कृतियों को समझने तथा उनके बीच आदान–प्रदान करने का आधार प्रस्तुत करती है।
3. समाज में व्याप्त विविधताओं का सम्मान करते हुए उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने में शिक्षा की भूमिका सदा से ही रही है। रंगभेद, साम्प्रदायिकता, नस्लवाद, जातिवाद, कट्टरवाद, तथा आतंकवाद जैसी समस्याओं का समाधान करने में शिक्षा ही व्यक्ति को सक्षम बनाती है।
4. शिक्षा के द्वारा हम वैयक्तिक स्तर पर उस सामंजस्य की भावना जग्रत कर सकते हैं, जिसे कभी **ऋग्वेद** की ऋषिप्रज्ञा ने इस प्रकार साक्षात् कृत किया था–

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मानसि ज्ञानतम,

देवभाग यथापूर्वे सजानाना उपासते।

समानो मत्र समितः समानी मनः सह चिनतेयेषाम,

मंत्रमात्रि मन्त्रये व् सयानेन वे हविषा जूहोयि।

सयानी व् आकृतिः समानाः हन्नयानि वः,

सयानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।

अर्थात् हम परस्पर एक होकर रहें, परस्पर मिलकर वार्तालाप करें। समान मन से ज्ञान प्राप्त करें जिस प्रकार श्रेष्ठ जन एक होकर उपासना करते हैं, उसी प्रकार से हम भी अपना विरोध त्यागकर अपना काम करें। हम सबकी प्रार्थना समान हो, भेदभाव से रहित होकर परस्पर मिलकर रहें, मन, चित, विचार समान हों, हमारे हृदय समान हों, जिससे हमारा कार्य परस्पर पूर्ण रूप से संगठित हो। इस तरह शिक्षा के द्वारा शांति की स्थापना करना असंभव नहीं है।

3.8 शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य

- मूल्य एक ऐसी आचार संहिता है या सद्‌गुणों का समूह है जिसे व्यक्ति अपना कर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है।
- हमारी भारतीय संस्कृति के अन्तर्गत जीवन दर्शन का मूलाधार ही मूल्य है।
- वर्तमान में हमारा देश लोकतंत्रीय मूल्यों का पोषक है। जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता इत्यादि उत्कृष्ट गुणकारी मूल्यों को रखा गया है।

किन्तु अमानवीयता, अलगाववाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद आदि विघटनकारी शक्तियाँ हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं। अतः आवश्यक है कि विश्वबन्धुत्व तथा वसुधैव कुटुम्बकम् जैसी प्राचीन जीवन मूल्यों व लोकतंत्रीय मूल्यों से अपने मानव जीवन को चरितार्थ करें।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. शांति शिक्षा का संक्षिप्त महत्व बताइए।

....

....

4. वैदिक काल की शिक्षा में शान्ति शिक्षा किन माध्यमों से प्रदान की जाती थी?

....

....

5. प्राचीन भारतीय शांति शिक्षा में किन–किन धर्मों का विशिष्ट योगदान रहा?

....

....

3.9 सारांश

भारतीय शिक्षा प्रणाली में शांति शिक्षा एक ऐसी अमूर्त धरोहर है जिसके माध्यम से समाज का दीर्घकालिक अस्तित्व बना रहे। इस शिक्षा ने भारतीय समाज के विकास में निरंतर अपनी भूमिका को आवश्यकतानुसार विभिन्न रूपों में निर्वहन किया है। चाहे वह प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में हो, जो हमें वैदिक शिक्षा में परिलक्षित होती है। वर्तमान में शिक्षा का उद्‌देश्य ज्ञानार्जन से परे राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। क्योंकि वर्तमान के परिदृश्य में समाज में बढ़ती अशांति, विवाद व कलह के फलस्वरूप विगत कुछ समय से शांति शिक्षा की माँग बढ़ रही है। आज बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी की आवश्यकता है जिससे उसमें आतंकवाद, हिंसा, विद्वेष, जैसी अवांछनीय घटनाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो तथा परस्पर सौहार्द, सह–अस्तित्व, सहयोग, सहिष्णुता भाईचारा जैसे सकारात्मक गुण विकसित हो सके।

सारांशतः हम कह सकते हैं कि शांति शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों और दृष्टिकोण के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत् के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

3.10 अभ्यास के प्रश्न

1. आधुनिक भारत में शांति शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन कीजिए।

2. शांति शिक्षा में क्षेत्रीयता की भूमिका बताइए।

3. भारतीय परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए।

4. शांति शिक्षा की अवधारणा का विस्तृत वर्णन कीजिए।

5. शांति शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए।

6. शांति शिक्षा की उपयोगिता का वर्णन कीजिए।

3.11 चर्चा के बिन्दु

1. भारत के सन्दर्भ में शान्ति शिक्षा की अवधारणा एवं महत्व पर चर्चा कीजिए।
2. शान्ति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्यों पर चर्चा कीजिए।

3.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. मानव मूल्यों को बनाये रखते हुए शांति शिक्षा के माध्यम से सभ्य समाज का निर्माण करना तथा उस सभ्य समाज के अस्तित्व को निरंतरता प्रदान करना।
2. "मैं शांति में विश्वास रखता हूँ, यदि शांति नहीं है तो कल कोई जीवन नहीं है।" —महात्मा गाँधी
3. आधुनिक समाज में पनप रहें नकारात्मक मनोवृत्तियों को शांति शिक्षा कें माध्यम से दूर करना।
4. वैदिक काल में शांति शिक्षा विभिन्न्न गुरूकुलों में ऋषियों के द्वारा मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी।
5. प्राचीन भारतीय शांति शिक्षा में बौद्व ,जैन आादि धर्मों का विशिष्ट योगदान रहा।

3.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ सूची

1. अरोड़ा, रीता. 2005. शिक्षा में नवचिंतन. शिक्षा प्रकाशन, जयपुर. पृ. 2–3
2. आर. आर. संपादक. गाँधी पीस फाउंडेशन, नयी दिल्ली. वॉल्यूम 6, अंक 4 और 5. पृ. 217–23.
3. गार्डिया, आलोक और पुष्पेश पाठक. 2010, 'शांति शिक्षा एवं विद्यालयों में शांति संस्कृति की अवधारणा.' भारतीय आधुनिक शिक्षा. पृ. 48.
4. .विश्व शांति एवं भावी शिक्षा, शोध लेख. विश्व शांति एवं भावी शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, भागलपुर. पृ. 67, (2011)
5. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक. शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद. द्वितीय संस्करण, पृ, 382, (2013)

खण्ड– 02 : सामाजिक सुरक्षा के खतरे

खण्ड परिचय

समाज में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा करना सभ्य समाज एवं राष्ट्र का परम कर्तव्य है परन्तु इस पर आर्थिक, समाजिक एवं राजनीतिक कारणों से समय–समय पर समाज में टकराहट दिखाई देती है। कभी धर्म के नाम पर, कभी देश की सीमा के नाम पर बटवारा, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी किसी संगठन के आन्दोलनों के द्वारा सुरक्षा पर खतरा आता रहता है। समाजिक सुरक्षा पर खतरा मानव निर्मित एवं प्राकृतिक भी होता है। इस खण्ड के अन्तर्गत निहित चार इकाईयों क्रमशः 4, 5 एवं 6 के माध्यम से इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी है।

इकाई 04 के अंतर्गत आतंकवाद का संप्रत्यय, आतंकवाद के प्रकार तथा आतंकवाद के कारण एवं आतंकवाद के प्रभाव हैं तथा आतंकवाद को समाप्त करने के उपाय आदि पर विस्तार से वर्णन किया गया है। नक्सलवाद का सम्प्रत्यय, नक्सलवाद के कारण तथा नक्सलवाद को समाप्त करने के उपाय इत्यादि पर विस्तार से चर्चा की गयी है। युद्ध का अर्थ, युद्ध के कारण तथा युद्ध के भाव को समाप्त करने के उपाय इत्यादि विषय पर भी विस्तार पूर्वक विवेचना की गयी है।

इकाई 05 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा क्या है, प्राकृतिक आपदाओं के कौन–कौन से वर्गीकरण हैं तथा प्राकृतिक आपदाओं के क्या कारण हो सकते हैं इस पर विस्तार से वर्णन दिया गया है। प्राकृतिक आपदा का प्रबंध किस प्रकार से किया जाना चाहिए तथा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के कौन–कौन से उपाय हैं जैसे– रोकथाम, तैयारी, अनुक्रिया तथा पुनर्स्थापना के विषय में विस्तार चर्चा की गई है।

इकाई 06 के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा हेतु शांति के प्रसार के सम्बन्ध में चर्चा की गयी है। इसमें शांति का अर्थ, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु शांति का प्रचार–प्रसार किस तरह से करना चाहिए इसके विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है।

इकाई– 4 : आतंकवाद, नक्सलवाद एवं युद्ध

इकाई की संरचना

4.1 प्रस्तावना

4.2 इकाई के उद्देश्य

4.3 आतंकवाद

4.3.1 आतंकवाद के प्रकार

4.3.2 आतंकवाद के कारण

4.3.3 आतंकवाद के प्रभाव

4.3.4 आतंकवाद को कम करने के उपाय

4.4 नक्सलवाद

4.4.1 नक्सलवाद के कारण

4.4.2 नक्सलवाद को समाप्त करने के उपाय

4.5 युद्ध

4.5.1 युद्ध के कारण

4.5.2 युद्ध के भाव की समाप्ति के के उपाय

4.6 सारांश

4.7 अभ्यास के प्रश्न

4.8 चर्चा के बिन्दु

4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

4.1 प्रस्तावना

आतंकवाद का प्रारम्भ 1793–94 की अवधि में फ्रांस से प्रारम्भ हुआ था। आज वर्तमान समय में आतंकवाद से यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी एवं भारत जैसे देश प्रभावित हैं। भारत में नक्सलवाद के रूप में आतंकवाद काफी लम्बे समय से चल रहा है। आजादी के बाद से ही भारत में कई आतंकवादी घटनाएँ हुयी। व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु देश को या देश के नागरिकों को जान–माल का नुकसान पहुँचाया जाय तो उसे आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है। प्रस्तुत इकाई में आतंकवाद, नक्सलवाद एवं युद्ध के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना की गई है।

4.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. आतंकवाद के विषय मे जान सकेंगे ।
2. आतंकवाद के प्रकारों एवं रूपों आदि से परिचित हो सकेंगे।
3. आतंकवाद के करणों को भली–भाँति समझ सकेंगे।
4. आतंकवाद द्वारा वि'व समुदाय पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों को समझ सकेंगे ।

5. आतंकवाद को कम करने के उपायों का विस्तार से वर्णन कर सकेंगे।
6. नक्सलवाद के विषय मे जान सकेंगे।
7. नक्सलवाद के प्रमुख कारणों से परिचित हो सकेंगे।
8. नक्सलवाद समाप्ति हेतु किए जाने वाले शासकीय एवं गैर–शासकीय प्रयासों आदि से परिचित हो सकेंगे।
9. युद्ध के विभिन्न कारणों से परिचित हो सकेंगे।
10. युद्ध के भाव की समाप्ति के उपायों से परिचित हो सकेंगे ।

4.3 आतंकवाद

आज आतंकवाद मानव जाति के समक्ष एक चुनौती बन गया है। विश्व में होने वाली आतंकवादी घटनाएँ जैसे फ्रांस के नीस शहर में एक आतंकवादी द्वारा ट्रक से उन लोगों को मारा जाना जो फ्रांस की राष्ट्रीय क्रांति की सालगिरह का समारोह मना रहे थे (2016) एक दर्दनाक घटना है जो प्रदर्शित करती है कि वाकई आतंक का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। आतंक सिर्फ हिंसा, डर, असुरक्षा व असंतोष को फैलाना चाहता है। आज विश्व का कोई भी देश आतंकवादी गतिविधियों से अछूता व अपरिचित नहीं है। लगभग सभी देश किसी न किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि का शिकार हुए है। फिर चाहे वह बांग्लादेश के ढाका में होने वाली गोलीबारी हो (2016) या यास में होने वाला संसद हमला, मुम्बई काण्ड पठानकोट हमला या अमेरिका में होने वाला हमला (Sept., 2011) आतंकवाद लगातार अपना रूप बदलता जा रहा है। बम विस्फोट, गोलीबारी, विमान अपहरण, विमान द्वारा हमला, ट्रक या भारी वाहनों द्वारा हमला इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। आतंकवाद एक संगठित रूप में विश्व के समस्त देशों के सामने खड़ा हैं। ड्रग्स का काला धंधा नकली मुद्रा का विनिमय, मानव तस्करी, भ्रष्ट्राचार, काला धन, हथियारों का निर्माण तथा तस्करी आदि एक दूसरे से जुड़कर आतंकवाद को प्रशस्त करते हैं। वर्तमान सदी में अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण, विशेषकर जैविक हथियार तथा परमाणु हथियार आदि आतंक को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। आतंकवाद का खात्मा जड़ से करने के लिए सम्पूर्ण विश्व समुदाय को एक साथ उठने की आवश्यकता है।

परिभाषा

- राजनीतिक व सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामान्य जन, उनकी संपत्ति पर की जाने वाली गैरकानूनी हिंसक गतिविधियाँ तथा बल प्रयोग जिससे शासन, सामान्य जन या किसी वर्ग को धमकाया व भयभीत किया जाये, आतंकवाद कहलाता है। (एफ0 बी0 आई0)
- राजनीतिक, धार्मिक तथा वैचारिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लोगों तथा उनकी सम्पत्ति के विरूद्ध बल और हिंसा का गैरकानूनी प्रयोग जो शासन व समाज को भयभीत करता है, धमकी देता है आतंकवाद कहलाता है। (US, रक्षा विभाग)
- राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए बलपूर्वक डराने या धमकाने को आतंकवाद कहते है। (ब्रायन जेन्कीन्स) (Brian Zenkins)

4.3.1 आतंकवाद के प्रकार

आतंकवाद मुख्यतः दो प्रकार का होता है–

(अ) **राष्ट्रीय आतंकवाद**– राष्ट्रीय आतंकवाद वह आतंकवाद है जो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समूहों द्वारा किसी विदेशी सहयोग या सहायता के ही शासन को आतंकित करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ करता है। ओकलाहामा शहर में बम फटने की घटना राष्ट्रीय आतंकवाद का एक उदाहरण है।

(ब) **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद**– अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से तात्पर्य ऐसे आतंकवादी समूहों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से है जिन्हें इस आतंक फैलाने के कार्य के लिए बाहरी देशों या दूसरे देशों में स्थित आतंकवादी समूहों से सहायता मिलती है। या जो स्वयं दूसरे देशों से ही निर्देशित किये जाते है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सितंबर, 2011 को होने वाली घटना आतंकवाद का ही उदाहरण है। इसी प्रकार में

भारतीय संसद पर होने वाला हमला तथा पठानकोट हमला अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को दर्शाते है।

4.3.2 आतंकवाद के कारण

विश्व में आतंकवाद बहुत तेजी से फैल रहा है और आतंकवाद के प्रसार के कई संभावित कारण है, जो निम्नलिखित हैं–

1. **असाक्षरता**– असाक्षरता को आतंकवाद के प्रधान कारणों में से एक माना जा सकता है। अशिक्षित लोगों को बहकाना तथा आपराधिक कार्यों की ओर प्रवृत्त करना उपेक्षाकृत आसान होता है क्योंकि उनमें अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है। यही कारण है कि अशिक्षा आतंकवाद को फैलाने में अहम योगदान देती है।

2. **सामाजिक व राजनीतिक अन्याय**– सामाजिक व राजनीतिक अन्याय भी आतंकवाद को जन्म देता है। सामान्य जन को उनके मैलिक अधिकारों से वंचित करना, उनकी जमीन, खेत बाहुबलियों या प्रभावशाली लोगों द्वारा हड़प लिया जाना, उनके सामाजिक अधिकारों की वंचना आदि ऐसे कारण हैं जो लोगों में आक्रोश तथा असंतोष को प्रस्फुटित करते हैं व उन्हें आतंकवादी बनाते हैं।

3. **हिंसा की विचारधारा में विश्वास**– हिंसा की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग मानते है कि प्रत्येक समस्या का निराकरण केवल डर, आतंक व हिंसा से ही किया जा सकता है। वे आपसी बातचीत व सामूहिक समझौते में विश्वास नहीं करते हैं तथा आतंक का मार्ग अपनाकर गलत को सही बनाना चाहते है।

4. **अन्याय**– अन्याय भी आतंकवाद का एक प्रमुख कारण है। बहुत अधिक समय तक अन्याय सहने के पश्चात् लोगों को अपनी शासन व्यवस्था तथा विभिन्न संस्थाओं से नफरत हो जाती है और वे इस अन्याय का विरोध करने के लिए आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं।

5. **धर्म**– धर्म की गलत समझ तथा धार्मिक कट्टरता आतंकवाद का एक मुख्य कारण बन गया है। अपने धर्म का पालन सबसे करवाने की इच्छा स्वधर्म का प्रसार, दूसरे धर्म/मजहब के प्रति असम्मान के भाव व अपने धर्म के सिद्धांतों का गलत अर्थ व व्याख्या करना आदि आतंकवाद को जन्म देते हैं ऐसे में व्यक्ति अपने धर्म के प्रति अंधकट्टरता दिखाते हुए औरों को आतंकित करते है व इस प्रकार आतंकवाद फलता–फूलता है।

4.3.3 आतंकवाद के प्रभाव

आतंकवाद विश्व समुदाय को अनेकों प्रकार से प्रभावित कर रहा है। मुख्यतः इसके प्रभाव को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है–

1. **आर्थिक प्रभाव**– आतंकी घटनाएँ किसी भी देश को आर्थिक हानि पहुँचाती है। किसी आतंकवादी घटना से होने वाले जान–माल की हानि अपूर्तनीय होती है। व्यक्तिगत एवं सरकारी संम्पत्ति तथा संसाधनों का नुकसान लम्बे समय तक प्रभावी रहता है तथा पुनः स्थापन में पुनः उतनी ही आर्थिक सहायता आवश्यक होती है। पर्यटन स्थलों पर लोगों की आवाजाही बन्द होने से भी आर्थिक क्षति होती है। जैसे–कश्मीर।

2. **सामाजिक प्रभाव**– आतंकवादी घटनाओं में होने वाली जनहानि, हत्या, अंगभंग, आगजनी, अपहरण, जबरन वसूली, यातना, बलात्कार आदि लोगों में आतंक व भय का वातावरण बना देते हैं। अविश्वास, शंका तथा आपसी डर के कारण न्याय व्यवस्था अनियंत्रित हो जाती है और लोगों की आपसी मेलजोल की भावना समाप्त हो जाती है, समाज बिखर जाता है।

3. **राजनीतिक प्रभाव**– आतंकवादी घटनाएँ वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रभाव डालती है। विभिन्न राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली आधारभूत मसौदे आदि आतंकी घटनाओं से प्रभावित होते हैं। प्रत्यक्ष भागीदारी न होने के बावजूद आतंकी दल राजनीति को दुरूह व कठिन बना देते है।

4.3.4 आतंकवाद को कम करने के उपाय

आतंकवाद को जन्म देने तथा बढ़ावा देने के लिये कई कारण जिम्मेदार हैं इन कारणों का उन्मूलन कर आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं–

- आतंकवाद को समाप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण हथियार 'शिक्षा' है। शिक्षा के द्वारा लोगों में विभिन्न धर्मों,

संस्कृतियों, भावनाओं, विश्वासों के प्रति परस्पर प्रेम सहयोग, भाईचारे, शांति व सत्य के मूल्यों से ओतप्रोत होकर साथ–साथ रह सके। शिक्षा ही लोगों को समानता, भ्रातृत्व, सर्वधर्म समभाव के बारे में समझा कर उन्हें आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास कर सकती है। अतः विभिन्न देशों की शिक्षा व्यवस्था को 'सबके लिए शिक्षा' आन्दोलन के तहत अपने नागरिकों में विश्व नागरिकता के प्रबल गुणों का विकास करना चाहिए।

- विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों को 'शांति के लिये शिक्षा' तथा 'प्रजातांत्रिक नागरिकता के लिए शिक्षा' का अनुशीलन करना आवश्यक है। इस कार्य में विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं एवं निजी प्रयासों का भी साथ होना आवश्यक है जिससे जन–जन तक शिक्षा वास्तविक अर्थों में पहुँच सके।

- वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक दलबन्दी जातिगत संकीर्णता, धार्मिक संकीर्णता तथा तथाकथित वैचारिक प्रभुत्व से बचाना जरूरी है। पाठ्यक्रम में विश्व राजनीति, विश्व भूगोल, विश्व संस्कृति का समावेशन लाभदायक सिद्ध हो सकता है। केवल अपने क्षेत्र अथवा स्वहित के लिए सोच को निरूत्साहित कर विश्व मानवता के लाभ के लिए, विश्व कल्याण के लिए चिन्तन प्रणाली को विकसित करने हेतु शिक्षा जैसे प्रभावी अस्त्र का उचित उपयोग किया जाना चाहिये।

  शिक्षा के द्वारा आपसी द्वेश भाव, स्वार्थ, घृणा, अहंकार, छल, हिंसा आदि का निराकरण कर आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है।

- आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आतंकवाद पैदा करने वाले कारणों को जानना व उनका उन्मूलन करना आवश्यक है। आतंकवादियों को मारकर या सजा देकर आतंकवाद को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि कई और नवयुवक व नवयुवतियाँ किसी प्रलोभन में फँसकर या झूठी चकाचौंध के कारण आतंकवादी समूहों कि गिरफत में आ जाते है। कई आतंकवादी समूह धन, ड्रग्स का प्रलोभन देते हैं, तो कई तथाकथित धार्मिक मुक्तिसंग्राम में शहादत का। आतंकवाद के उन्मूलन के लिए आतंकवाद के मनोविज्ञान को समझना होगा। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कारणों जैसे–काला धन की आवाजाही, ड्रग्स, वेश्यावृत्ति, अवैध हथियारों के निर्माण व तस्करी, मानव तस्करी पर रोक लगानी होगी।

  आतंकवाद छोड़कर समाज की मुख्य धारा में प्रवेश चाहने वाले युवाओं के पुर्नस्थापन हेतु शासकीय प्रयास होने चाहिये। ऐसे युवाओं हेतु रोजगार के नवीन साधनों का निर्माण किया जाये जिससे वे पुनः धन हेतु किसी के बहकावे में न आवें। युवाओं को विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हे चुनौतिपूर्ण व्यवसायों के लिए दक्ष (Skillful) वे सुझाव (Entrepreneur) बनाये जाये और नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाये।

- समय–समय पर सरकारी व गैरसरकारी व निजी प्रयासों से युवाओं हेतू मानवीय मूल्य कार्यशालाएँ आयोजित की जा सकती हैं, जिनमें विभिन्न धर्मों के धर्मगुरू दार्शनिक, शिक्षक, शोधकर्ता प्रतिभागियों से सार्वभौमिक मूल्यों पर चर्चा कर सकें।

- आतंकवाद के अन्य कारणों जैसे प्रशासनिक बदसलूकी, अन्याय की घटनाओं को खत्म किया जाये। प्रशासन तथा न्याय व्यवस्था युवाओं के सामने समानता और न्याय की नजीर रखे जिससे अधिकाधिक युवा सरकार को सहयोग दें।

- युवाओं को आतंकवाद की ओर ले जाने वाली संस्थाओं व व्यक्तियों को पहचान कर उचित न्यायिक कार्रवाई की जावे।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. आतंकवाद को परिभाषित करें।

....

....

2. आतंकवाद के प्रमुख प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करें।

....

....

3. आतंकवाद के प्रमुख कारणों की बिवेचना करें।

....

....

4.4 नक्सलवाद

नक्सलवाद का जन्म पश्चिम बंगाल के एक गाँव नक्सलवाड़ी में हुआ था इसी कारण नक्सलवाद कहा गया। साम्यवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले कनू सान्याल को इसके प्रारम्भ का श्रेय जाता है। नक्सलवाद शब्द का प्रयोग चारू मजूमदार द्वारा किया गया। मजूमदार माओजेडांग के सिद्धांत द्वारा प्रभावित थे वे मानते थे कि शासक व उच्चवर्ग को किसान तथा आदिवासी बलपूर्वक हटा सकते हैं। मजूमदार द्वारा लिखित 'आठ एतिहासिक दस्तावेज' नक्सलवादी विचारधारा का आधार है।

नक्सलवादियों को पूर्ण उग्र वाम साम्यवादी माना जाता है जो कि माओवादी राजनीतिक विचारधारा के समर्थक हैं। भारत में नक्सलवाद का प्रारंभ 1967 में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के विभाजन से माना जाता है। इसी वर्ष नक्सलवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था।

सामान्यतः नक्सलवादी, गरीब, दलित, पिछड़े, बेसहारा, लोगों, आदिवासियों के हित के लिए शासन से संघर्ष करते हैं। नक्सलवादी डर व आतंक को हथियार बनाकर सत्ता और कानून के विकेंद्रीकरण हेतु लड़ते हैं। वे सर्वजन के लिए समान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आधार चाहते है और इस हेतु मुख्यतः जंगली इलाकों में संगठित तरीके से रहते है। तथा कभी–कभी धर्म का भी प्रयोग करते हैं। नक्सलवाद देश में तीव्रगति से फैल रहा है। मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा....आदि राज्यों सहित भारत के 20 राज्यों के 220 जिलों में नक्सलवाद सक्रिय है। (2009) हमारे देश के लगभग 40 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में नक्सलवाद फैला हुआ है विशेषकर 92,000 वर्मकिमी क्षेत्र जिसे 'लाल गलियारा' के नाम से जाना जाता है, में नक्सलवाद अतिसक्रिय है।

4.4.1 नक्सलवाद के कारण

नक्सलवाद फैलने के कई कारण है जिनमें से मुख्य निम्नलिखित है–

1. सामाजिक कारण– समाज मे फैली अंतहीन गरीबी, भ्रष्टाचार, सामाजिक अफवाहें, दुष्प्रचार, न्याय की कमी आदि कुछ कारण नक्सलवाद को पनपने व बढ़ने के अवसर प्रदान करते हैं।
2. जैविक कारण– कुछ जैविकीय कारण जैसे– व्यक्ति का जन्म, जन्मस्थान, परिवार आदि भी नक्सलवाद को बढ़ाते हैं।
3. मनोवैज्ञानिक कारण– कुछ मनोवैज्ञानिक कारण जैसे– संस्कृति, नेतृत्व, धारणा, प्रभाव आदि नक्सलवाद को उत्पन्न करने में सहायक हैं।

4.4.2 नक्सलवाद को समाप्त करने के उपाय

वर्तमान में नक्सलवाद ऐसी समस्या का रूप ले चुका है जो देश के लिए अति खतरनाक है। देश के भीतर विभिन्न नक्सलवादी समूहों की सक्रियता आन्तरिक द्वन्द्व तथा गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न कर रही है जो आतंकवाद व अन्य देशों के आक्रमण से भी अधिक नुकसानदेह है।

नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए केन्द्र व राज्य स्तर पर सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है। सर्वप्रथम

नक्सलवाद तथा नक्सल आतंक से पीड़ित समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाना आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा समझ वंचित वर्गों को समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित कर उन्हें नक्सलवाद की बुराइयों से परिचित करवाना चाहिये। समस्त नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शासन को आवश्यक सवास्थ्य सुविधाएँ मुहैया करवाना जरूरी है। पिछड़े जनजातीय, सुदूर इलाकों में रहने वाले लोग बहुत गरीबी व लाचारी में जीवन काट रहे हैं। इस वर्ग के वयस्कों को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी बनाये जाने की आवश्यकता है। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए शासन की कई योजनाएँ क्रियान्वयन के दौर में हैं। इन योजनाओं का सफल प्रबंधन, पर्यवेक्षण व मूल्यांकन करवाया जाना आवश्यक है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय व गैर शासकीय प्रयासों द्वारा साक्षरता अभियान को सफल बनाया जा सकता है। शिक्षा व कौशल प्रशिक्षण व आत्मविश्वास नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को विभिन्न बाहुबलियों और भ्रष्टाचार से बचाने का कार्य करेगा। इन वंचित समूहों के लिए त्वरित न्याय की व्यवस्था भी करनी होगी जिससे वे भविष्य में कभी शोषण, अराजकता, अन्याय के शिकार न हों। नक्सलवादी क्रियाकलापों से विरत लोगों के लिए भी व्यवस्था करना होगा कि वे पुनः ऐसी गतिविधियों में लिप्त न हो तथा समाज निर्माण में आवश्यक भूमिका प्रदान करे। इस हेतु व्यवसाय के नवीन साधनों की व्यवस्था करना होगा जिससे पीड़ित जनजातीय समुदाय के लोग व वंचित युवा पुनः स्वप्रयासों द्वारा राष्ट्रीय हित में कार्य कर सके।

नक्सलवाद की समाप्ति हेतु शासन दो प्रकार से कार्य कर रहा है–

1. सामाजिक विधि एवं व्यवस्था उपागम (Law & Order approach) इसमें पुर्नवास तथा पुनः स्थापना नीति, 2007 (Rehabilitation &Resettlement Policy) Forests Rights Act, 2005 शामिल है।
2. सामाजिक एकीकरण प्रणाली (Soial Integration Approach) इसमें बुद्धिमत्ता प्रणाली (Intelligence Setup) का सुदृढ़ीकरण, विकास की तीव्र गति, तथा नक्सलवादियों व उनके संसाधनों के विरूद्ध पुलिस बल का प्रयोग शामिल है।

   इसके अतिरिक्त पुलिस बल का प्रशिक्षण तथा उसे आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित करना भी शासकीय प्रयासों में सम्मिलित है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

4. नक्सलवाद की उत्पत्ति पर प्रकाश डालें।

....

....

5. नक्सलवाद के प्रमुख करणों की चर्चा कीजिए।

....

....

4.5 युद्ध (War)

आदिकाल से मानव आपस में युद्ध लड़ते आया है। प्रथम व द्वितीय विश्वयुद्धों की विनाशगाथा को संसार अब तक भुला नहीं पाया है। युद्ध से होने वाले जन–धन के विनाश को देखकर भी 21वीं सदी में पुनः विश्व तृतीय विश्वयुद्ध की दहलीज पर खड़ा है।

4.5.1 युद्ध के कारण

युद्ध के कई कारण है जिनमें से मुख्य निम्नलिखित है–

- जमीन/भूक्षेत्र हड़पना
- संसाधनों पर नियंत्रण
- अधिकार
- धर्म का फैलाव/विस्तार
- वैचारिकता का प्रसार
- समुद्री क्षेत्र पर अधिकार व नियंत्रण
- संस्कृति का प्रसार

अपने देश/राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना युद्ध के प्राचीन कारणों में से एक है। आज कई देश इसी कारण युद्ध के संकट से जूझ रहे है। दूसरे देशों के संसाधनों यथा–प्राकृतिक संसाधन (खनिज, तेल, गैस) आदि पर स्वयं नियंत्रण व अधिकार करने की ईच्छा भी युद्ध भड़काती है। अन्य राज्यों पर अपने अधिकार को बनाये रखना, अपना दबदबा बनाना, अन्य देशों को गुलाम बनाना आदि युद्ध के कारण है।

पुरातन समय से अपने–अपने धर्मों का प्रचार प्रसार, लोग करते आये है परन्तु बलात् किसी राज्य पर अपने धर्म को थोपना एवं उस देश के नागरिकों से अपने धर्म का पालन करवाना भी युद्ध के मुख्य कारणों में से है। विभिन्न देशों द्वारा अपनी वैचारिकता का दूसरे देशों में प्रसार करना भी युद्ध की वजह बना है। विशेषतौर पर कमजोर व आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले देश प्रभुत्वसंपन्न देशों की वैचारिकता प्रसार नीति के शिकार बनते हैं। इसी क्रम में अपनी संस्कृति का प्रसार दूसरे देशों में करने की इच्छा भी विभिन्न संस्कृतियों में युद्ध का कारण बनती है। भूक्षेत्र के साथ–साथ समुद्री क्षेत्र पर भी विभिन्न प्रभावशाली देश अपना नियंत्रण रखना चाहते है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा अन्य सामरिक कारणों से बलशाली देश समुद्र क्षेत्र पर नियंत्रण हेतू अन्य देशों से युद्ध करते हैं।

4.5.2 युद्ध के भाव की समाप्ति के के उपाय

युद्ध करना मानव के स्वभाव में है। सृष्टि के प्रारंभ से ही अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतू मानव आपस में युद्ध करते आये हैं। उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त नाभिकीय क्रांति के कारण संसार के विभिन्न देशों में उपजी विषमता शक्ति और प्रभुत्व उलन्न करती है। विश्व के समस्त देश एक–दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं यह तथ्य समझने की आवश्यकता है। विश्व के प्रत्येक नागरिक को विश्व नागरिकता का अहसास होना आवश्यक है। अपने घर, समाज, राज्य व देश की संकुचित सीमाओं से ऊपर उठकर 'वसुधैव कुटुम्बकम' के भाव का विकास ही युद्ध के उन्माद को गिरा सकता है। युद्ध के भाव की समाप्ति हेतू विश्व नागरिकों में शांति, प्रेम, दया, क्षमा, अहिंसा के सार्वभौमिक मूल्यों का विकास शिक्षा के द्वारा करना होगा तभी विश्व से युद्ध के नकारात्मक विचारों का अंत संभव होगा।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

6. युद्ध के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए।

....

....

....

4.6 सारांश

आदिकल से ही युद्ध करना मानव का स्वभाव रहा है और इसके बहुत सारे कारण भी रहे हैं जिनमे अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, मत,विचार,मान्यताओं आदि को दूसरों के उपर थोपना,राजनीतिक महत्वाकांक्षा,अवैध क्षेत्र विस्तार आदि केन्द्रीय कारण रहे हैं तथा युद्ध के भाव की समाप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का अति महत्वपूर्ण योगदान है।

सामान्य तौर पर आतंकवाद का तात्पर्य सामाजिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अवैध और हिंसक गतिविधियों से लगाया जाता है, जो बिभिन्न प्रकार के व्यक्तियों और व्यक्ति समूहों के द्वारा किया जाता है। आज आतंकवाद एक वैश्विक संकट का रूप ले चुका है, जिससे किसी न किसी रूप मे संसार का लगभग हर राष्ट्र प्रभावित है।

आतंकवाद का रूप सारे संसार मे एक जैसा नहीं है, न, हीं, सारे संसार मे आतंकवाद के कारण एक जैसे हैं। अतः समस्त संसार मे आतंकवाद की समस्या के निराकरण के लिए एक जैसे उपायों को भी नहीं अपनाया जा सकता, फिर भी, कुछ ऐसे कारण भी हैं जो सारे संसार मे सर्वनिष्ठ रूप से आतंकवाद के लिए उत्तरदायी हैं। परिणाम स्वरूप, कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो समस्त संसार मे आतंकवाद की समस्या के निराकरण के उपकरण के रूप मे प्रयोग मे लाये जा सकते हैं और वे इस समस्या के स्थायी निराकरण के लिए अत्यंत प्रभावी और सशक्त भी हैं, ऐसे ही उपायों मे से एक है शिक्षा।

नक्सलवाद की शुरुआत यद्यपि पश्चिम बंगाल से हुई थी परंतु आज देश के एक बृहद भाग मे ये समस्या फैली हुई है। जिसके बहुत सारे कारण हैं जिनमे अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी तथा समाज की मुख्य–धारा से दूरी आदि इसके प्रधान कर्ण हैं। यद्यपि प्रारुम्भ से ही इस समस्या के निराकरण के प्रयास शासकीय, गैर शासकीय तथा सामाजिक एवं वयक्तिक स्तर पर किए जा रहे हैं तथा सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं परंतु समस्या के पूर्ण निराकरण के लिए हमें प्रयास करते रहने की आवश्यकता है।

4.7 अभ्यास के प्रश्न

1. आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। स्पष्ट करें।
2. आतंकवाद की समस्या के निराकरण के लिए कौन– कौन से उपाय किए जा सकते हैं? वर्णन कीजिये।
3. आतंकवाद की समस्या के निराकरण के लिए अपने सुझाव दीजिये।
4. नक्सलवाद की समस्या के निराकरण के लिए किए जाने वाले शासकीय और गैर–शासकीय प्रयासों का संछिप्त विवरण दीजिये ।
5. नक्सलवाद की समस्या केसमाधान हेतु अपने विचारों का उल्लेख करें ।
6. युद्ध के भाव की समाप्ति के लिए सुझाव दीजिये।

4.8 चर्चा के बिन्दु

1. आतंकवाद एवं नक्सलवाद पर चर्चा कीजिए।
2. आतंकवाद एवं नक्सलवाद समस्या के समाधान हेतु किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा कीजिए।

4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. राजनीतिक व सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामान्य जन, उनकी संपत्ति पर की जाने वाली गैरकानूनी हिंसक गतिविधियाँ तथा बल प्रयोग जिससे शासन, सामान्य जन या किसी वर्ग को धमकाया व भयभीत किया जाये, आतंकवाद कहलाता है।
2. आतंकवाद मुख्यतः दो प्रकार का होता है–
   i. अंतर्राष्ट्री राष्ट्रीय आतंकवाद

ii. या आतंकवाद

3. विश्व में आतंकवाद बहुत तेजी से फैल रहा है और आतंकवाद के प्रसार के कई संभावित कारण है, जो निम्नलिखित हैं–

   i. असाक्षरता

   ii. सामाजिक व राजनीतिक अन्याय

   iii. हिंसा की विचारधारा में विश्वास

   iv. अन्याय

   v. धर्म

4. नक्सलवाद का जन्म पश्चिम बंगाल के एक गाँव नक्सलवाड़ी में हुआ था इसी कारण नक्सलवाद कहा गया। साम्यवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले कनू सान्याल को इसके प्रारम्भ का श्रेय जाता है। नक्सलवाद शब्द का प्रयोग चारू मजूमदार द्वारा किया गया।

5. नक्सलवाद फैलने के कई कारण है जिनमें से मुख्य निम्नलिखित है–

   i. <u>सामाजिक कारण– </u>समाज मे फैली अंतहीन गरीबी, भ्रष्टाचार, सामाजिक अफवाहें, दुष्प्रचार, न्याय की कमी आदि कुछ कारण नक्सलवाद को पनपने व बढ़ने के अवसर प्रदान करते हैं।

   ii. <u>जैविक कारण– </u>कुछ जैविकीय कारण जैसे– व्यक्ति का जन्म, जन्मस्थान, परिवार आदि भी नक्सलवाद को बढ़ाते हैं।

   iii. <u>मनोवैज्ञानिक कारण– </u>कुछ मनोवैज्ञानिक कारण जैसे– संस्कृति, नेतृत्व, धारणा, प्रभाव आदि नक्सलवाद को उत्पन्न करने में सहायक हैं।

6. युद्ध के कई कारण है जिनमें से मुख्य निम्नलिखित है–

   i. जमीन / भूक्षेत्र हड़पना

   ii. संसाधनों पर नियंत्रण

   iii. अधिकार

   iv. धर्म का फैलाव / विस्तार

   v. वैचारिकता का प्रसार

   vi. समुद्री क्षेत्र पर अधिकार व नियंत्रण

   vii. संस्कृति का प्रसार

4.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Egendorf, Laura K. (ed.)(2000), *Terrorism: Opposing Viewpoints*, San Diego : Greenhaven Press
2. Primoratz, Igor (2013), *Terrorism: a philosophical investigation*, Cambridge: Polity
3. Swamy, Subramanian (2008), *Terrorism in India: A Strategy of Deterrence for India's National Security*, New Delhi: Har Anand
4. Silke, Andrew (ed) (2020), *Routledge Handbook of Terrorism and Counterterrorism*, New York: Routledge

5. Swamy, Subramanian (2021), *HUMAN RIGHTS and TERRORISM in INDIA*, New Delhi: Har Anand
6. Kennedy-Pipe, Caroline *et. al.* (eds.) (2015), *Terrorism and Political Violence*, London: SAGE
7. Singh, Prakash (2016), *The Naxalite Movement in India*, New Delhi : Rupa
8. Ray, Rabindra (1992), *The Naxalites and Their Ideology*, New Delhi : OUP, Third Edition, 2012.
9. Bhūẏāṃ̐, Dāśarathi (2010), *Naxalism : Issues and Concerns*, New Delhi : :Discovery Publishing House
10. Lindley-French, Julian and Yves Boyer (eds.) (2012), *The Oxford Handbook of War*, Oxford : OUP

इकाई–5 : प्राकृतिक आपदा

इकाई की संरचना

5.1 प्रस्तावना

5.2 इकाई के उद्देश्य

5.3 प्राकृतिक आपदा

5.4 प्राकृतिक आपदा का वर्गीकरण

5.5 प्राकृतिक आपदा के प्रकार

5.6 प्राकृतिक आपदा के कारण

5.7 प्राकृतिक आपदा प्रबंधन

5.8 प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के अवयव

- 5.8.1 रोकथाम (Prevention)
- 5.8.2 तैयारी (Preparedness)
- 5.8.3 अनुक्रिया (Response)
- 5.8.4 पुर्नस्थापन (Recovery)

5.9 सारांश

5.10 अभ्यास के प्रश्न

5.11 चर्चा के बिन्दु

5.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

5.1 प्रस्तावना

प्राकृतिक आपदा एक अप्रत्याशित घटना है जिससे विस्तृत रूप में जन–धन की हानि होती है। प्राकृतिक आपदाओं को अनेक प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनके अनेक कारण हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करके उनका बेहतर प्रबन्धन किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन के अनेक अवयव हैं जिनकी इस इकाई में विस्तृत चर्चा की गयी है।

5.2 इकाई के उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई पढ़ने के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि –

1. प्राकृतिक आपदा का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे।
2. प्राकृतिक आपदा का स्रोत के आधार पर वर्गीकरण कर सकेंगे।
3. प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकार का वर्णन कर सकेंगे।
4. प्राकृतिक आपदा के कारणों को समझ सकेंगे।
5. प्राकृतिक आपदा प्रबंधनको समझ सकेंगे।
6. प्राकृति आपदा प्रबंधन के मूल घटकों को पहचान सकेंगे एवं उनका महत्व बता सकेंगे।

5.3 प्राकृतिक आपदा

आपदा या Disaster एक ऐसी अनचाही, एवं अप्रत्याशित निर्मित स्थिति है जिसमें मानव सहित समस्त जंतु जगत् की जान पर खतरे की स्थिति बनती है। यह आपदाएँ विभिन्न रूप में हो सकती है जिनकी चर्चा इस इकाई के आगे की गई है –

आपदाओं के फलस्वरूप जहाँ भारी संख्या में मानव जीवन को हानि पहुँचती है वही यह मानव द्वारा संचित समस्त संसाधनों को खत्म करने के खतरे के रूप में भी सामने आती है।

सालों से व्यवस्थित एवं विकसित जीव किसी एक दिन आपदाओं की वजह से छिन्न भिन्न हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि जिस प्रकार हम अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैयारी करते हैं उसी प्रकार जीवन की भावी आपदाओं हेतुभी स्वयं को, परिवार को शिक्षित किया जाय।

5.4 प्राकृतिक आपदा का वर्गीकरण

आपदाओं को स्रोत के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाएँ एवं मानव निर्मित आपदाएँ जिनकी चर्चाएँ इस प्रकार हैं–

प्राकृतिक आपदाएँ वे आपदाएँ हैं जो प्राकृतिक स्रोत की अप्रत्याशित अधिकता या न्यूनता से जुड़ी हो सकती है। पृथ्वी के गर्भ में एवं धरातल पर ऐसी अनेकों स्थितियाँ प्राकृतिक रूप से या मानवीय भूल से निर्मित होती है जो प्राकृतिक आपदा का कारण बनती है।

मानव जीवन में संकट के रूप में अप्रत्याशित परिस्थितियाँ आपदाओं के रूप में प्रगट होती है। यह आपदाएँ न केवल मानव जीवन हेतु अपितु संपूर्ण संसाधनों पर एक खतरे के रूप में सामने आती है।

यह आपदाएँ जहाँ मानव जीवन समाप्ति की परीणिति के रूप में होती है वहीं मानव निर्मित एवं संचित संपूर्ण संसाधनों के खत्म होने की भ्यानक स्थिति भी इनसे निर्मित होती है। आपदाएँ मानव जीवन में या भौतिक संसाधनों के नष्ट होने के खतरे के रूप में विभिन्न स्रोतों से आ सकती है। यह स्रोत मूलतः दो वर्गों में विभाजित कए गए हैं –

(अ) प्राकृतिक आपदाएँ

(ब) मानवनिर्मित आपदाए

(अ) प्राकृतिक आपादाएँ

वे आपदाएँ जो प्राकृतिक असंतुलन की वजह से किसी भी प्राकृतिक घटना के अतिरेक से या न्यूता से होती हैं। प्रकृति जहाँ मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता का स्रोत है वही कुछ प्राकृतिक घटनाओं का विभत्स रूप भी देखने को मिलता है ऐसी प्राकृतिक घटनाएँ वृहद् मानवीय एवं भौतिक विध्वंस लेकर आती है।

(ब) मानव निर्मित आपदाएँ :

ज्ञान के असीमित विस्तार ने जहाँ मानव समाज को असीमित संसाधनों से युक्त किया है वहीं कुछ ऐसी विध्वंसकारी परिस्थितियाँ भी इसी तकनीक एवं ज्ञान के आधार पर निर्मित की जा सकती है जो मानव अस्तित्व के लिए घातक है। द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ हिरोशिमा, नागासाकी परमाणु बम हमला इसका स्पष्ट उदाहरण है। मानव ने ऐसे विशिट संहारक हथियार निर्मित कर लिए हैं, जो संपूर्ण मानव अस्तित्व के लिए खतरा हैं इसके अतिरिक्त अलग प्रकार के भी मानव निर्मित आपदाएँ हैं जिसमें भगदड़, आग, ज्वलनशील पदार्थ का भारी मात्रा में उत्सर्जन, युद्ध, सड़क दुर्घटना आदि शामिल हैं। मानव उद्धेवन या लापरवाही के फलस्वरूप ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती हैं जिसमें बड़ी संख्या में जान–माल का नुकसान होता है आतंकवाद वर्तमान में एक बड़ी मानव निर्मित आपदा के रूप में विश्व के सामने उपस्थित है। मानव निर्मित आपदाएँ निम्न प्रकार की हो सकती हैं –

- परमाणु आपदाएँ
- जैविक आपदाएँ

- रसायनिक आपदाएँ
- आग
- आतंकवाद
- सड़क दुर्घटना

5.5 प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार

प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार निम्नलिखित हैं –

- ज्वालामुखी विस्फोट (Volcanic Erruption)
- भूकम्प (Earthquake)
- तूफान एवं चक्रवात (Cyclone or Hurricane)
- बाढ़ (Flood)
- सूखा (Drought)
- जंगल की आग (Forest Fire or Bush Fire)
- अवालांच (Avalanche)

1. ज्वालामुखी विस्फोट :

यह मुख्यतः भूगर्भीय हलचलों का परिणाम होता है जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनती है।

2. भूकम्प :

भूकम्प धरती का आंतरिक हलचलों के फलस्वरूप हिलना है। कभी–कभी ये हलचलें इतनी तीव्र हो सकती है जो मैदानी भू–भाग के अलग होने के रूप में भी देखी जा सकती है। जब भूगर्भ में स्थित विभिन्न प्लेटों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है या सरकने की घटना होती है तो भूकम्प तरंगे पृथ्वी को प्रभावित करती हैं। भूकंप तरंगें समुद्र में होने पर और विनाशकारी हो जाती है जो समुद्री तटों पर सुनामी का कारण बनती है। सुनामी अपने–आप में एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है जो भूकंप से जुड़ी हुई है।

3. तूफान एवं चक्रवात :

तूफान अत्यधिक तीव्र वेग से हवा चलने की घटना है। प्रतिकूल मौसम परिस्थितियाँ इस प्रकार की घटना के लिए जिम्मेदार हैं। वातावरणीय गर्मी अत्यधिक होने के फलस्वरूप कम दबाव का क्षेत्र बनना एवं हवाओं में अत्यधिक वेग का आ जाना तूफान का कारण है। कभी–कभी यह हवाएँ अत्यधिक गति से पेड़ों को उखाड़ने से लेकर, भवनों के ढ़हने तक का कारण बन सकती हैं।

4. बाढ़ एवं सूखा :

अत्यधिक वर्षा के फलस्वरूप नदियों का उफान में आना और संपूर्ण आवासीय क्षेत्र का जलमग्न होना बाढ़ कहलाता है। इसमें अनवरत् वर्षा, बादलों का फटना, विक्षोभ का क्षेत्र बनना, कम दबाव का क्षेत्र बनना आदि अनेक परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो बाढ़ का कारण बनती है। वर्षा ऋतु में सभी नदियों में बाढ़ की स्थिति की आशंका बनी रहती है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में बिना वर्षा के भी बाढ़ देखी जाती है जिसमें बांधों द्वारा अत्यधिक मात्रा में जल छोड़ा जाता है जो आवासीय क्षत्रों में प्रवेश कर जाता है। ऐसी परिस्थिति भी बाढ़ का कारण बनती है।

अधिकता जहाँ बाढ़ का कारण बनती है वहीं न्यूनता भी सूखा के प्रकोप के रूप में सामने आता है और एक प्राकृतिक आपदा है। पीने के साफ पानी की अनुपलब्धता, खेती में नकारात्मक प्रभाव, अनाज की कमी, आर्थिक मंदी

आदि सूखे के परिणाम होते हैं।

5. **जंगल की आग (Forest fire or Bush Fire)**

ऐसे क्षेत्र जो वन क्षेत्रों में सम्पन्न है कुछ कारणों की वजह से जंगल में आग लगने से कभी–कभी भयंकर अग्नि का स्वरूप ले लेते हैं। जैसे– बिजली गिरने के फलस्वरूप, बिजली के तारों में रगड़ के फलस्वरूप, गैरजिम्मेदार लोगों के व्यवहार या सुखी लकड़ियों में आपसी रगड़ के फलस्वरूप वनक्षेत्रों में आग लग सकती है। कभी–कभी यह हवा के प्रवाह से आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है जो भयावह रूप ले सकती है। इसकी परिणति वन संपदा का विस्तृत नुकसान, जान–माल की हानि आदि के रूप में होती है।

6. **अवालांच (Avalanche)**

जंगल की आग जहाँ वन क्षेत्रों की घटना है वही अवालांच बर्फिले पहाड़ों में होने वाली घटना है। इन अवालांच की वजह से बर्फिले प्रदेश में रहने वालों में अत्यधिक जान–माल का नुकसान होता है।

अवालांच बर्फ की एक बड़ी सतह का बर्फिले पहाड़ से खिसकना होता है जिससे भारी मात्रा में बर्फ पहाड़ की सतह से फिसलती हुई नीचे आती है। इसमें पहाड़ियों में सैलानीयों, पहाड़ पर चढ़ने वालों की मौत हो सकती है एवं बर्फ के अत्यधिक प्रसार से जान–माल की हानि होती है।

अवालांच निम्नलिखित कारणों से हो सकते हैं –

- बर्फ का धीरे–धीरे पिघलना।
- बर्फ का पिघलना, जमना एवं फिर पिघलना जिससे बर्फ की एक बड़ी सतह विलगित हो सकती है।
- भूकंप
- पहाड़ी क्षेत्रों में तेज आवाज का होना।

5.6 प्राकृतिक आपदा क कारण

प्रकृतिक आपदाओं के कारण के रूप में विभिन्न कारक जिम्मेदार है जिनमें प्राकृतिक कारक के रूप में मौसमी परिवर्तन एवं घटनाएँ शामिल है। किंतु प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य कारणों में मानव द्वारा प्राकृतिक स्रोतों का अतिरेक दोहन एवं मानवीय गतिविधियों द्वारा प्रकृति में वृहद् प्रदूषण का होना मुख्य कारण हैं। हाल ही में केदारनाथ में आयी बाढ़ इसका प्रमुख उदाहरण हैं जो अत्यधिक व्यवसायीकरण का परिणाम थी।

5.7 प्राकृतिक आपदा प्रबंधन

आपदाएँ जहाँ अपने आप में मानव इतिहास को समेटे हुए है वहीं यह अनवरत् गति से प्रगतिशील मानव हेतु एक सबक के रूप में भी सामने आती है। निश्चित रूप से प्राकृतिक संसधान मानव प्रगति के मूल घटक है वही प्राकृतिक संसाधनों के अतिरेक दोहन ने प्राकृतिक असंतुलन को भी जन्म दिया है जो आपदाओं के कारण बनते हैं।

जिस प्रकार मानव जीवन एक सच्चाई है उसी प्रकार मानव जीवन में आपदाएँ भी एक कष्टकारी सच्चाई है। विश्व के प्रत्येक कोने में भिन्न–भिन्न समय अंतराल पर कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदाएँ घटित होती रही हैं एवं होती रहेंगी। यह आपदाएँ संसाधनों के खत्म होने की परिणति के रूप में एवं सामाजिक वातावरण में हिंसा के प्रसार में भी सहायक होती हैं।

प्रायः देखा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सामाजिक समरसता का विध्वंस होता है एवं व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं (यथा– रोटी, कपड़ा, मकान) की प्राप्ति हेतु हिंसाग्रस्त वातावरण हो जाता है। प्राकृतिक आपदाएँ जहाँ मानव सभ्यता को पीछे ढकेल देती है वहीं मानव सभ्यता में प्राकृतिक आपदाओं में उचित प्रबंधन में कमी को भी उजागर करती है। उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि मानव जीवन के शंतिपरक विकास हेतु आपदा प्रबंधन सीखा जाए। मूल आपदा प्रबंधन कौशल निर्माण की समाज में अत्यधिक आवश्यकता है जिससे कि आपदाओं से होने वाली हानि को रोका जा सके।

आपदा प्रबंधन से तात्पर्य यहाँ ऐसी युक्तियों एवं बचाव के तरीकों से है जिससे आपदाओं के असर को कम

किया जा सके एवं आपदा उपरांत शीघ्रातिशीघ्र सामान्य अवस्था प्राप्त की जा सके।

प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता। लेकिन निश्चित रूप से आपदाओं के निस्तारण हेतु पूर्व तैयारी एवं उचित आपदा कौशलों द्वारा इसके असर को कम किया जा सकता है।

अतः आपदा प्रबंधन से तात्पर्य उन सभी कौशलों के विकास एवं संरक्षण से है जिससे आपदा के पूर्व एवं आपदा के उपरांत सामान्य अवस्था प्राप्त की जा सके एवं मानव जीवन को विकास के पथ पर शीघ्रातिशीघ्र अग्रसरित किया जा सके। आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु विश्वस्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं एवं आपदा प्रबंधन के नवीन आयाम स्थापित किए जा रहे हैं।

एक प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु निम्नलिखित चरण बतलाये गए हैं।

(अ) रोकथाम (Prevention)

(ब) तैयारी (Preparedness)

(स) अनुक्रिया (Response)

(द) पुर्नस्थापन (Recovery)

जैसी कि इकाई के प्रारंभ में लिख गया कि प्राकृतिक आपदाएँ मानव जीवन का सत्य है। प्राकृतिक आपदों के समय अंतराल एवं क्षेत्र में विभिन्नता हो सकती है। लेकिन इनके घटित होने को रोका नहीं जा सकता।

किसी भी आपदा की स्थिति में मानव प्रतिक्रियाएँ तीन तरह की हो सकती है –

(अ) आपदाओं को टालना।

(ख) आपदा स्थिति में व्यवस्था नियंत्रित करना।

(स) आपदा के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त होना

उपरोक्त तीन प्रतिक्रियाओं के आधार पर मानव क्रिया का समायोजन ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। आधुनिक समाज में निरंतर ज्ञान का विस्तार हुआ है। आपदा के क्षेत्र में भी विभिन्न वैज्ञानिक एवं समाज वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किए गए हैं एवं आपदा निस्तारण संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं।

उन्हीं के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम आपदा प्रबंधन है जिससे की मानव समाज को आपदा में कम से कम क्षति हो सके।

इसके लिए जहाँ जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है वही उचित कौशल विकास प्रशिक्षण की राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यकता है।

ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जहाँ आपदाओं की ज्यादा आशंका है उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर यह कार्यक्रम चलाया जा सकता है।

इस संबंध में सरकारी एवं गैरसरकारी प्रयास प्रारंभ किए जा चुके हैं एवं विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन किया जा रहा है।

5.8 प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के अवयव

आपदा प्रबंधन आज के बदलते भौगोलिक परिवेश में एक महत्त्वपूर्ण कौशल हो गया है जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है। आपदाओं से होने वाली विस्तृत स्तर की हानियों को बहुत हद तकआपदा प्रबंधन द्वारा रोका जा सकता है। जापान का एक अनुकरणीय उदाहरण लिया जा सकता है। जहाँ हर वर्ष तीव्र स्तर का भूकंप देखा जाता है। किंतु आपदा प्रबंधन कौशल द्वारा नागरिक त्वरित रूप से बाहर आते हैं और कुछ ही दिन में दिनचर्या सामान्य हो जाती है।

आपदा प्रबंधन में मानव जीवन के संपूर्ण घटकों को शामिल किया जाता है जिसमें संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का उचित दोहन, जीवनशैली में परिवर्तन, भवन निर्माण, आकड़ों, विशिष्ट दस्तावेजों का संरक्षण शामिल है।

उचित आपदा प्रबंधन व्यक्तित्व के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति सभी पक्षों में शामिल है।

विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा उचित एवं गुणवत्तापरक आपदा प्रबंधन के चार घटक चिन्हित किए गए हैं –

5.8.1 रोकथाम (PREVENTION)

अंग्रेजी में कहा गया है उपचार से रोकथाम भली। अर्थात् ऐसे उपाय किए जाए जिसमें आपदा की स्थिति को टाला जा सके। निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदाएँ प्राकृतिक कारणों के फलस्वरूप होती है किंतु ऐसे अनेक मानवीय विध्यवंसकारी गतिविधियाँ है जो आपदा का कारण बनती है। ऐसी गतिविधियों को पहचानना एवं उसे कम करना रोकथाम के तहत आता है।

आपदा प्रबंधन में रोकथाम के तहत निम्न क्रियाएँ आ सकती है।

- ऐसी सभी क्रियाएँ जो आपदाओं को आने से रोकती हैं। आपदाओं के आने की दर को कम करती हैं या अप्रत्याशित परिस्थितियों के निराकरण का प्रयास करती हैं। आपदा प्रबंधन में रोकथाम के तहत शामिल है।
- अधिक मात्रा में अनाज लेकर रखना या भवन हेतु बीमा करना, फसलों का बीमा करना, रोकथाम क्रियाओं के तहत शामिल है।
- रोकथाम की क्रिया आपदा के पहले या पूर्व की जाती है।

उपरलिखित क्रियाओं से स्पष्ट है– वयक्तिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर आपदाओं के रोकथाम हेतु क्रियाएँ संचालित की जा सकती हैं। इनमें अनाज भंडारण, वृक्षारोपण, वर्षा जल संचयन एवं प्रदूषणकारी घटकों को निरंतर कम करना शामिल है।

इसके लिए जहाँ सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास उल्लेखनीय हैं वही व्यक्तिगत एवं पारिवारिक स्तर पर भी आपदा की रोकथाम हेतु प्रयास किए जा सकते हैं।

5.8.2 तैयारी (PREPAREDNESS)

जीव–जगत् में आज सर्वोच्च स्थिति में मानव विराजमान है यह स्थिति किसी भी प्रकार से शाररिक बल या ताकत पर हासिल नहीं है वरन् असीमित मानवीय मानसिक क्षमता ही इसका मूल कारक है।

आधारित योजनाएँ बना सकता है एवं भारी समस्याओं के निदान हेतु वर्तमान में ही अनुसंधान एंव ज्ञान द्वारा अपने आप को तैयार करता है।

अतः आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में भी आपदाओं के निस्तारण हेतु समुचित तैयारी की आवश्यकता है जिससे आपदाओं को खत्म तो नहीं किया जा सकता वरन् इसका समझादारी एवं तैरूारी से सामना किया जा सकता है, जिससे आपदाओं का असर कम से कम हो सके। यही समस्त विचार आपदा प्रबंधन में तैयारी के अवयव के तहत शामिल है। इसके निम्नलिखित घटक हो सकते हैं–

- आपदा स्थिति को ध्यान रख जान–माल के बचाव हेतु पूर्व योजना का निर्माण करना।
- भवनों में आपदा स्थिति में सर्गमन की व्यवस्था, अनाज एवं पेयजल की व्यवस्था रखना, रेलगाड़ियों, आकस्मिक निर्गमन द्वार बनाना आदिरोकथाम की तैयारी के तहत शामिल है।
- इसके अतिरिक्त नागरिकों को आपदा प्रबंधन कौशल सिखलाना, आपदा स्थिति का अभ्यास करना, भवनों में अग्निशमन यंत्र लगवाना आदि आपदा प्रबंधन में तैयारी के पक्ष से जुड़े हुए हैं।

5.8.3 अनुक्रिया (RESPONSE)

जैसा कि सर्वविदित है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वर्तमान साम्य स्थिति किसी भी समय आपदा स्थिति में परिवर्तित हो सकती है। यह स्थिति आपकी आपदा प्रबंधन की तैयारियों की परीक्षा है वही यह भावी आपदा प्रबंधन हेतु नवीन दिशा भी प्राप्त करना है।

अनुक्रिया (Response) से तात्पर्य आपदा की स्थिति में शीघ्रातिशीघ्र समुचित कार्ययोजना को लागू करना

है जिससे आपदा के प्रभाव को निम्न किया जा सके।

आपदा प्रबंधन में अनुक्रिया घटक के निम्न बिंदु शामिल है–

- अनुक्रिया आपदा के प्रति आपकी कार्य योजना जिससे आपदा के प्रभाव को शीघ्रातिशीघ्र कम किया जा सके। अनुक्रिया से तात्पर्य आपकी पूर्व तैयारी (Preperdness) को कार्य रूप देना है।
- बाढ़ की स्थिति में क्षेत्र की बिजली काटना बड़ी मात्रा में जीवन रक्षक प्रणाली वितरित करना अनुक्रिया के उदाहरण हैं।
- इसी तरह अग्नि की स्थिति में गैसवाल्व बंद करना, बचाव समूहों को सक्रिय करना, जीवन रक्षक औसधियों का वितरण शुरु करना एवं आपदा ग्रस्त लोगो को समुचित स्थान में भिजवाने की व्यवस्था करना आदि अनुक्रिया घटक के तहत शामिल हैं।

5.8.4 पुर्नस्थापना (RECOVERY)

पुर्नस्थापना से तात्पर्य आपदा स्थिति के उपरांत सामान्य जन जीवन की स्थापना से है। आपदा के दौरान् हुए व्यापक जान–माल का नुकसान से उबारन एवं आपदा प्रभावित लोगों को पुनः मुख्यधारा से जोड़ना इसमें शामिल है आपदा की गंभीरता के आधार पर ही चरण की अवधि अनिश्चित है। उदाहरणतः भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में घटित हुई थी, की पुर्नस्थापना आज भी जारी है। वहीं केदारनाथ में बाढ़ की तबाही के फलस्वरूप पुर्नस्थापना अभी तक नहीं हो पाई है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में पुर्नस्थापना के तहत निम्न घटक शामिल हैं –

- समुचित लक्ष्योन्मुखी कार्ययोजना का निर्माण जिससे सभी क्षेत्रां तक राहत पहुँचायी जा सके।
- पर्याप्त मात्रा में आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था जिससे पुर्ननिर्माण कार्य सुचारू रूप से चल सके।
- आपदा के उपरांत आपदा के फलस्वरूप क्षति का उचित आकलन एवं अपेक्षित संसाधनों की व्यवस्था जिससे जनजीवन पर्याप्त गति से चलता रहे।
- भविष्य हेतु उन्नत एवं परिस्कृत आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण जिससे भविष्य में आपदा की स्थिति में नुकसान कम से कम किया जा सके।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आपदा जहाँ संकट की घड़ी के रूप में मानव समाज के सामने आती हैं। किंतु उचित आपदा प्रबंधन द्वारा आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है एवं इसके प्रभाव से मानव एवं सामाजिक प्रयास द्वारा मुक्त हुआ जा सकता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. प्रकृतिक आपदा का अर्थ स्पष्ट करें।

   ....

   ....

2. आपदाओं के प्रकार बताएं।

   ....

   ....

3. मानव निर्मित प्रमुख आपदाओं का विवरण दें।

....

5.9 सारांश

आपदा एक ऐसी अनचाही, एवं अप्रत्याशित निर्मित स्थिति है जिसमें मानव सहित समस्त जंतु जगत् की जान पर खतरे की स्थिति बनती है। यह आपदाएँ विभिन्न रूप में हो सकती है।आपदाओं को स्रोत के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है -प्राकृतिक आपदाएँ एवं मानव निर्मित आपदाएँ।

प्राकृतिक आपदाएँ वे आपदाएँ हैं जो प्राकृतिक स्रोत की अप्रत्याशित अधिकता या न्यूनता से जुड़ी हो सकती है। पृथ्वी के गर्भ में एवं धरातल पर ऐसी अनेकों स्थितियाँ प्राकृतिक रूप से या मानवीय भूल से निर्मित होती है जो प्राकृतिक आपदा का कारण बनती है।

आपदा प्रबंधन आज के बदलते भौगोलिक परिवेश में एक महत्त्वपूर्ण कौशल हो गया है जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है। आपदाओं से होने वाली विस्तृत स्तर की हानियों को बहुत हद तक आपदा प्रबंधन द्वारा रोका जा सकता है। जापान का एक अनुकरणीय उदाहरण लिया जा सकता है। जहाँ हर वर्ष तीव्र स्तर का भूकंप देखा जाता है। किंतु आपदा प्रबंधन कौशल द्वारा नागरिक त्वरित रूप से बाहर आते हैं और कुछ ही दिन में दिनचर्या सामान्य हो जाती है।

आपदा प्रबंधन में मानव जीवन के संपूर्ण घटकों को शामिल किया जाता है जिसमें संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का उचित दोहन, जीवनशैली में परिवर्तन, भवन निर्माण, आकड़ों, विशिष्ट दस्तावेजों का संरक्षण शामिल है।

5.10 अभ्यास के प्रश्न

1. आपदा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
2. आपदा प्रबंधन का सविस्तार वर्णन कीजिए।
3. प्राकृतिक आपदा का वर्गीकरण करते हुए उसका वर्णन कीजिए।

5.11 चर्चा के बिन्दु

1. आपदा प्रबन्धन पर चर्चा कीजिए।
2. प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा पर भेद करते हुए चर्चा कीजिए।

5.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. आपदा या Disaster एक ऐसी अनचाही, एवं अप्रत्याशित निर्मित स्थिति है जिसमें मानव सहित समस्त जंतु जगत् की जान पर खतरे की स्थिति बनती है। यह आपदाएँ विभिन्न रूप में हो सकती है।
2. आपदाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं–

   (अ) प्राकृतिक आपदाएँ

   (ब) मानवनिर्मित आपदाएँ
3. मानव निर्मित आपदाएँ निम्नलिखित हैं –

   i. परमाणु आपदाएँ

   ii. जैविक आपदाएँ

   iii. रसायनिक आपदाएँ

iv. आग

v. आतंकवाद

vi. सडक दुर्घटना

5.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. प्रोफेसर जगदीश सिंह, पर्यावरण एवं विकास, ज्ञानोदय प्रकाशन, गोरखपुर
2. प्रोफेसर सविंद्र सिंह, आपदा प्रबंधन, प्रवालिका पब्लिकेशन यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद
3. डॉ. गणेश कुमार पाठक, आपदा प्रबंधन, राजेश पब्लिकेशन दरियागंज, नई दिल्ली
4. वी. सी. जाट, पर्यावरण भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर
5. Singh, R.B. (ed), Natural Hazards & Disaster Management, Rawat Publications, Delhi, 2006
6. Singh, U.B., and Singh A.K., Socio-Economic Dimensions of National Disasters in India: Suggested Strategies for Mitigation, paper presented in World Congress on Natural Disaster Mitigation by World Federation of Engineering Organizations at Delhi, February 19-22, 2004.
7. Sinha P. (ed) Disaster vulnerabilities and Risks, SBS Publications and Distributions, New Delhi, 2006
8. Sinha P.C.(ed) Disaster Mitigations, SBS Publications & Distributors Pvt. Ltd. New Delhi, 2006
9. Sinha P.C.(ed) Disaster Relief, SBS Publication & Distributors Pvt. Ltd. New Delhi, 2006

इकाई– 6 : सामाजिक सुरक्षा हेतु शांति का प्रसार

इकाई की संरचना

6.1 प्रस्तावना

6.2 इकाई के उद्देश्य

6.3 शांति का अर्थ

6.4 सामाजिक सुरक्षा का अर्थ

6.5 सामाजिक सुरक्षा हेतु शांति का प्रचार

6.6 सामाजिक सुरक्षा के लिए शांति स्थापित करने के कुछ सुझाव

6.7 सारांश

6.8 अभ्यास के प्रश्न

6.9 चर्चा के बिन्दु

6.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

6.1 प्रस्तावना

वर्तमान वैश्विक समाज में शांति भाव का विकास एक अति विचारणीय समस्या बन गया है। विश्व के समस्त धर्मों यथा– हिन्दू, इस्लाम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख में शान्ति, दया, प्रेम, क्षमा को सर्वोत्कृष्ट मूल्य माना गया है परन्तु मानव क्षुद्र स्वार्थपूर्ति तथा लोलुप्ता के कारण स्वयं ही उपुर्यक्त शाश्वत मूल्यों के क्षरण में लगा है। सम्पूर्ण विश्व मानवता आज हिंसा, आगजनी, आतंकवादी घटनाओं तथा युद्ध का सामना करने को विवश है। सामाजिक सुरक्षा आज हाशिये पर आ चुकी है। गौतम बुद्ध, गाँधी, महावीर, टैगोर की पंक्ति भूमि भी आतंकवाद, नक्सलवाद, युद्ध, धार्मिक उन्माद, दंगों व आपसी द्वेष भाव का पर्याय बनती जा रही है। वर्तमान पीढ़ी महापुरुषों द्वारा दिये गये प्रेम, शांति व अहिंसा के संदेशों को भूलकर सामाजिक सुरक्षा को नुकसान पहुँचा रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पुनः विश्व में सार्वभौमिक मूल्यों यथा– शांति, प्रेम, अहिंसा, विश्वास, भाईचारा, सहिष्णुता, धार्मिक, सद्भाव का विकास हो।

6.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. शांति का के अर्थ एवं संप्रत्यय को जान सकेंगे
2. शांति के महत्व एवं आवश्यकता को जान सकेंगे
3. सामाजिक समरसता एवं सामाजिक समन्वय की स्थापना मे शांति की भूमिका को समझ सकेंगे
4. सामाजिक सुरक्षा के अर्थ एवं संप्रत्यय से परिचित हो सकेंगे
5. सामाजिक सुरक्षा एवं शांति के मध्य संबंध को जान सकेंगे
6. सामाजिक सुरक्षा के लिए शांति की आवश्यकता का वर्णन कर सकेंगे

6.3 शांति का अर्थ

शांति का प्रत्यय अत्यंत व्यापक है। शांति का तात्पर्य तनाव रहित सुरक्षित व शान्त अवस्था की प्राप्ति से है तथा जिसमें युद्ध, शोषण, द्वन्द्व व अन्याय न हो एवं प्रत्येक व्यक्ति समरस व स्वतंत्र वातावरण में सह अस्तित्व बनाये रखे। शांति का अर्थ केवल युद्ध व तनाव से मुक्ति ही नहीं अपितु मन की शान्त अवस्था से भी है।

शांति (Peace) शब्द की उत्पत्ति एंग्लो फ्रेंच शब्द 'Pes' तथा प्राचीन फ्रेंच शब्द 'Pais' से मानी जाती है जिसका अर्थ है शांति, सुलह (Reaconsiliation) संधि (Agreement) परन्तु Pes शब्द को लैटिन भाषा के Pax से व्युत्पन्न माना जाता है जिसका अर्थ शांति, संघन, संधि (Campact Agreement), शांति संधि नियम पत्र (Treaty of Peace), शांतता (Tranquility), शत्रुता के भाव का अभाव (Absence of Hastilty), सद्भाव (Harmany) है।

अंग्रेजी शब्द शांति (Peace) हीब्रू शब्द Shalam का अनुवाद माना जाता है जो स्वयं ज्यू (Jewish) धर्मशास्त्र के अनुसार एक अन्य शब्द से जन्मा है जिसका अर्थ है स्थापित करना (To Restore) इसे 1300 वी सदी से व्यक्तिगत शुभकामनाएँ प्रदान करने के लिये प्रयोग में लिया जाता रहा है। 'Shalam' शब्द अरबी भाषा के 'सलाम' से संबंधित है जो शांति के अतिरिक्त भी अन्य अर्थ दर्शाता है जैसे– न्याय, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समता, अच्छा भाग्य (Good Fortune), समृद्धि (Prosperity), सुरक्षा (Safety), दोस्ती (Friendliness)

1200वी सदी से यूरोपियन शोध कार्यों में शांति से तात्पर्य वैयक्तिक अन्तःदर्शन प्रत्यय (Individual's Introspective Concept) अर्थात् मन में शांति की अवस्था से माना जाता है। शांति का अंग्रेजी अनुवाद Peace भी परिवार, मित्रों व समाज के प्रति शांति (Calm), निर्मल (Sence) व ध्यानस्थ (Meditative) प्रणालियों की ओर इंगित करता है जो आपसी झगड़ों व द्वन्द्व से दूर शान्ति की तलाश में है। विश्व की कई भाषाओं जैसे हवाईयन (Hawaiian) का शब्द अलोहा (Aloha) तथा अरबी भाषा का सलाम (Salaam) अभिवादन हेतु प्रयोग किया जाता है जो शांति का ही पर्याय है।

शांति की व्याख्या एफ0 वाट्सन ने निम्न शब्दों में की है– सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में नियम एवं सामंजस्य का होना ही शांति का द्योतक है। शांति प्रत्यय बहुआयामी है यूनेस्को संविधान की उद्देशिका के अनुसार ''चूंकि युद्धों की योजना मानव मस्तिष्क में बनती है, अतः शांति योजना का निर्माण भी मानव मस्तिष्क में होना चाहिए।'' शान्ति एक ऐसी अवस्था है जो मानव समाज को तादात्मय प्रदान करता है। शांति की स्थिति में मानव मस्तिष्क समस्त प्रकार के द्वन्द्वों से मुक्त रहता है। अहिंसक, प्रेमपूर्ण, सहयोगात्मक समाज की स्थापना, मानसिक शांति व स्वास्थ्य, प्रजातांत्रिक मूल्यों के पालन तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु शांति महत्वपूर्ण है। शान्ति एक सन्तुलन की अवस्था है जिसे मानव स्वनियंत्रण, प्रेम, सत्य, अहिंसा आदि साधनों द्वारा पा सकता है तथा न्यायप्रिय, अहिंसक, सर्वहारा समाज का निर्माण कर सकता है।

6.4 सामाजिक सुरक्षा का अर्थ

अंग्रेजी शब्द Security की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द Se-cures से हुई है। Se का अर्थ है मुक्ति (Liberation) तथा Curus का अर्थ है असहजता (Uneasiness) सुरक्षा से तात्पर्य असहजता से मुक्ति अथवा किसी भी प्रकार के जोखिम और डर (Risks & Threats) से मुक्त शांतिपूर्ण अवस्था से है। अंग्रेजी शब्द Security का वृहद अर्थ सुरक्षित महसूस करना (To Feel safe), संरक्षित रहना (To be Protected) व जोखिम एवं चिंताओं (Risks & Worries) से मुक्त अवस्था से है।

मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र के अनुच्छेद–22 में भी सामाजिक सुरक्षा पर प्रकाश डाला गया है– ''समाज का सदस्य होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक राज्य के संगठन व संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में और राष्ट्रीय प्रयासों व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गरिमा व व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास हेतु आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का अधिकार है।''

अर्थात् समाज को अपने प्रत्येक सदस्य के अधिकतम विकास हेतु प्रयास करना चाहिये। शासन द्वारा जनकल्याण हेतु चलाये जा रहे सहयोगी कार्यक्रम जिनके द्वारा समाज के वंचित, पिछड़े और गरीब वर्गों जैसे– बूढ़े, बच्चे, बीमार व बेरोजगार लोगों हेतु भोजन, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाना भी सामाजिक सुरक्षा में शामिल है। सामाजिक सुरक्षा में सामाजिक सेवाओं को भी जोड़ा जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य पेंशनभोगी और विकलांगों हेतु चलाये जा रहे विशिष्ट सामाजिक बीमा कार्यक्रम से है। अन्य स्थानों पर सामाजिक सुरक्षा का अर्थ विभिन्न कठिन परिस्थितियों में फँसे लोगों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध करवाना है। 1952 में सामाजिक सुरक्षा (निम्नतम मानक) नियम और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था (International Labour Organisation) द्वारा सामाजिक सुरक्षा के निम्नलिखित पक्षों को परिभाषित किया गया है–

- वृद्धावस्था–पेंशन (Old age Pension) द्वारा एक निश्चिय आयु के पश्चात् जीवन (Survival) जीने के लिए।
- उत्तरजीवी लाभ (Surviors Benefit) परिवार में कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के कारण विधवा महिला अथवा बच्चों के जीवनयापन हेतु।
- परिवार लाभ (Family Benefit) बच्चों के उचित अनुरक्षण (Maintence) की जिम्मेदारी पूर्ण करने हेतु।
- चिकित्सा सुविधा (Medical Care) किसी रुग्ण परिस्थिति, गर्भावस्था में चिकित्सा हेतु।
- मातृत्व सुविधा लाभ (Maternity Benefit)– गर्भावस्था एवं प्रसूति (Confinement) के कारण आय अर्जित नहीं कर पाना।
- बेरोजगारी लाभ (Unemployment Benefits)– समर्थ लोगों को उपर्युक्त रोजकार न मिल पाने से आय नहीं हो पाना।
- बीमारी अवकाश लाभ (Sickness Leave Benefits)– बिमारी के कारण कार्य न कर पाने की स्थिति में आय नहीं हो पाना।
- असमर्थता लाभ (Disability Benefits)– स्थायी असमर्थता के कारण उत्पादपूर्ण कार्य नहीं कर पाना।
- रोजगार (Employment)– नौकरी के दौरान होने वाले दुर्घटना (Accident) या बिमारी के कारण होने वाली शारीरिक असमर्थता, चिकित्सा अवकाश, मृत्यु से होने वाले नुकसान व व्यय।

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य की सुरक्षा, सामाजिक प्रतिभागिता, नवीन सामाजिक आयामों जैसे– एकल अभिभावकत्व आदि से संबंधित है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सामाजिक बीमा जैसे– सेवानिवृत्ति (Retirement Pensions), असमर्थता बीमा (Disability Insurance), उत्तरजीवी लाभ (Survivors Benefit) व बेरोजगारी बीमा शामिल है। इसके अतिरिक्त शासन तथा अन्य संस्थाओं द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सुविधाएँ जैसे– चिकित्सा सुविधा, बेरोजगारी भत्ता, बिमारी व सेवानिवृत्ति (Retirement) के समय दी जाने वाली वित्तीय सहायता, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि। भी इसके अंतर्गत आते हैं। सामाजिक सुरक्षा के तहत कुछ आधारभूत सुविधाएँ जैसे– शरणार्थियों को दी जाने वाली भोजन, कपड़े, घर, शिक्षा, धन, स्वास्थ्य सुविधाएँ भी शामिल है।

6.5 सामाजिक सुरक्षा हेतु शांति का प्रचार

सामाजिक सुरक्षा और शांति एक स्थिर और समृद्ध समाज के दो महवपूर्ण स्तंभ हैं। शांति सामाजिक सुरक्षा के लिए एक अपरिहार्य आधारशिला है। शांति और सामाजिक स्थिरता के बीच का जटिल संबंध यह स्पष्ट करता है कि व्यक्तियों और समुदायों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व आवश्यक है।

सामाजिक सुरक्षा अपने व्यापक अर्थ में समाज में व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा और स्थिरता, अपराध और हिंसा से सुरक्षा और बुनियादी मानवाधिकारों का आश्वासन शामिल है। सामाजिक सुरक्षा हेतु शांति की दिशा में प्रयास करने वाले संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण संगठन संयुक्त राष्ट्र है। 1945 में अपनी स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ने संघर्षों को रोकने और शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपनी शांति स्थापना मिशनों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र ने अशांत क्षेत्रों में हजारों शांति सैनिकों को तैनात किया है। युद्धग्रस्त क्षेत्रों को स्थिर करने, नागरिकों की रक्षा करने और लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थापना में सहायता की है। संयुक्त राष्ट्र (UN) के मध्यस्थता प्रयासों ने भी विवादों को सुलझाने और शांति समझौतों को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि कोलंबिया में शांति प्रक्रिया जिसने दशकों के गृह युद्ध को समाप्त किया।

कोलंबिया का गृह युद्ध एक लंबा और जटिल संघर्ष था जो 1960 के दशक में शुरू हुआ और लगभग पांच दशकों तक चला। यह संघर्ष मुख्यतः कोलंबिया की सरकार, वामपंथी विद्रोही समूहों जैसे FARC (Revellutionary Armed forces of Columbia) और ELN (National Liberation Army) समूहों के बीच था। इस युद्ध और अर्द्धसैनिक मैं हजारों लोग मारे गये और लाखों लोग विस्तापित हुये।

संयुक्त राष्ट्र ने कोलंबिया सरकार और विद्रोही समूहों के बीच शांति वार्ता की मध्यस्तता की। सन् 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने क्यूबा में आयोजित शांति वार्ताओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां कोलंबिया सरकार और FARC ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये।

एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल है। यह एक ऐसा संगठन है जिसने 1961 से मानवाधिकारों के लिए एक अडिग समर्थक के रूप में कार्य किया है। सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्य यातना, मनमानी हिरासत और गैर–न्यायिक हत्याओं के खिलाफ अभियानों में स्पष्ट है। सरकारों को जिम्मेदार ठहराकर और मानवाधिकारों के हनन पर अंतराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करके एमनेस्टी इटरनेशनल ने ऐसे वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जहाँ शांति फल–फूल सकती है। रेड क्रॉस की अंतराष्ट्रीय समिति (International Committee of the Red Cross - ICRC) एक और महत्वपूर्ण संगठन

है जो शांति और सामाजिक सुरक्षा के संवर्धन के लिए समर्पित है। 1863 में स्थापित ICRC मानवीय सहायता का एक प्रतीक बन चुका है। संधर्ष क्षेत्रो में सहायता प्रदान कर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है।

स्थानीय स्तर पर, पीस डायरेक्ट जैसे संगठन शांति और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। पीस डायरेक्ट संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय शांति निर्माताओं को सशक्त बनाता है और उन्हें प्रभावी शांति निर्माण पहलों को लागू करने के लिए संसाधन और समर्थन प्रदान करता है।

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में विश्व बैंक और इसकी पहलों का जिक्र किया जाना आवश्यक है। अपने सामाजिक सुरक्षा और श्रम रणनीति के माध्यम से विश्व बैंक का लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करना, गरीबी को कम करना और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। विकासशील देशों को वित्तिय सहायता और तकनीकी समर्थन प्रदान करके विश्व बैंक ने लाखों लोगों को सामाजिक सुरक्षा जाल, स्वस्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुँच प्राप्त करने में मदद की है। इस प्रकार विश्व बैंक ने अधिक शांति पूर्ण और न्यायसंगत समाजों के निर्माण में योगदान दिया है। भारत के सन्दर्भ में नक्सलवाद एक प्रमुख आंतरिक संघर्ष रहा है जो 1960 के दशक से चल रहा है। यह संघर्ष मुख्यतः भारतीय सरकार और माओवादी समूहों के बीच है जिन्हें नक्सलियों के रूप में जाना जाता है। नक्सली मुख्यतः ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में सक्रिय हैं और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं के खिलाफ लड़ाई का दावा करते हैं। इस संघर्ष में अब तक हजारों अर्द्धसैनिक और ग्रामीण (मुख्यतः आदिवासी) मारे जा चुके हैं। क्योंकि नक्सलवाद एक आंतरिक समस्या है, इसलिए अन्वराष्ट्रीय संगठन इस मुद्दे से दूर रखे गये हैं परन्तु भारत सरकार की ओर से शांति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। नक्सली गतिविधियों को खत्म करने के लिए 'समाधान' नामक अभियान शुरु किया गया है। जिसमें सुरक्षा बलों के समन्वय और खुफिया जानकारी के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाने पर जोर दिया गया।

'प्रयास' एक गैर– सरकार संगठन (NGO) है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम चलाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को मुख्यधारा में लाना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

इसी तरह 'वनवासी कल्याक्ष आश्रम आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए काम करता है। यह संगठन शिक्षा स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासियों को सशक्त बनाता है।

भारत में अलगाववादी मुद्दे विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में अलग–अलग कारणों से उभरते रहे हैं। ये मुद्दे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कारकों के संयोजन से उत्पन्न हुये हैं। सरकार ने इन समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं।

कुछ प्रमुख अलगाववादी मुद्दों और उनके समाधान इस प्रकार हैं–

जम्मू और कश्मीर : जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद का मुद्दा मुख्यतः 1947 के भारत–पाक विभाजन से है। यहां कई समूह स्वतंत्रता या पाकिस्तान के साथ विलय की मांग करते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया।

उत्तर–पूर्व भारत : उत्तर–पूर्व भारत में अलगाववादी आंदोलनों के पीछे मुख्यतः जातीय और सांस्कृतिक पहचान, संसाधनों का विवाद और राजनितिक अधिकार की मांग शामिल है। NSCN (IM) जैसे समूह नागालैंड की स्वतंत्रता की मांग करते रहे हैं।

वर्तमान में मनीपुर में कुकी और मैतेयी समुदाय के बीच से में हो रही हिंसा सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से काफी चिन्तनीय हो चुकी की है। भारत सरकार की ओर से किये गये अब तक सभी प्रयास सफल नहीं हो पाये हैं।

इस तरह की हिंसात्मक घटनायें जो कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हैं इन्हे रोकने के लिए सिर्फ सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। यदि इन समस्याओं को पुनः पनपने से रोकना है तो समाज को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। जिससे या तो समस्यायें जन्म ही ना ले पायें या फिर बिना बड़ा नुकसान किये समाप्त की जा सकें।

6.6 सामाजिक सुरक्षा के लिए शांति स्थापित करने के कुछ सुझाव

- विभिन्न समुदायों और समूहों के बीच संवाद स्थापित किया जाना चाहिए ताकि वे एक–दूसरे की समस्याओं और चिंताओ को समझ सकें।
- शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को शांति और आहिंसा के महत्व के बारे में शिक्षित करें।
- समाज में सभी को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की असमानता या भेदभाव न हो।
- न्याय प्रणाली को मजबूत और निष्पक्ष बनाया जाना चाहिए ताकि सभी को न्याय मिले और असंतोष की भावना कम हो ।
- स्थानीय समुदायों को शांति स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करना चाहिए।
- लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास होना चाहिए जिससे लोगों में असुरक्षा की भावना से मुक्त हो सकें और शांति में योगदान दे सकें।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. शांति की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है?

....

....

2. शांति का सामान्य तात्पर्य क्या है?

....

....

6.7 सारांश

सामाजिक सुरक्षा के विकास में शांति की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। सामान्यतया शांति से तात्पर्य मानव मन की स्थिरता व शांतचित्तता; परिवार, समाज, देश एवं विश्व में युद्ध, अस्थिरता, द्वन्द्व के अभाव को माना जाता है। संसार के समस्त धर्म एवं संस्कृतियाँ मानव अस्तित्व के संरक्षण तथा विकास के लिए शांति का पक्ष लेते है। सामाजिक सुरक्षा हेतु भी शांति महत्वपूर्ण है। वास्तव में शांति और सामाजिक सुरक्षा एक–दूसरे के पूरक है।

भारतीय संविधान में व्यक्तित्व की गरिमा, समाजवाद, भातृत्व, धर्मनिरपेक्षता (Secularism) आदि मूल्यों को स्थान देकर समाज में शांति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अधिकारों का विकेन्द्रीयरण कर केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय प्रशासन में सामान्य जनता को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान करना, सबकी राय को महत्व देना आदि भी शांति व सुरक्षा के भाव को जन–जन में विकसित करते हैं। विशेषकर स्थानीय समस्याओं के हल हेतु या स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी जनभागीदारी आवश्यक होती है। इस प्रकार की बहुआयामी प्रक्रिया के द्वारा वैश्विक, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।

6.8 अभ्यास के प्रश्न

1. शांति के आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालें।
2. सामाजिक सुरक्षा का सामान्य तात्पर्य बताएं।
3. सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों ? स्पष्ट करें?
4. सामाजिक सुरक्षा की स्थापना में शांति की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

6.9 चर्चा के बिन्दु

1. सामाजिक समन्वय एवं सामाजिक समरसता की स्थापना में शांति की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
2. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शांति स्थापना के उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए।

6.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. शांति (Peace) शब्द की उत्पत्ति एंग्लो फ्रेंच शब्द 'Pes' तथा प्राचीन फ्रेंच शब्द 'Pais' से मानी जाती है जिसका अर्थ है शांति, सुलह (Reaconsiliation) संधि
2. शांति का प्रत्यय अत्यंत व्यापक है। शांति का तात्पर्य तनाव रहित सुरक्षित व शान्त अवस्था की प्राप्ति से है तथा जिसमें युद्ध, शोषण, द्वन्द्व व अन्याय न हो एवं प्रत्येक व्यक्ति समरस व स्वतंत्र वातावरण में सह अस्तित्व बनाये रखे। शांति का अर्थ केवल युद्ध व तनाव से मुक्ति ही नहीं अपितु मन की शान्त अवस्था से भी है।

6.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. Barash, P David (2000). Approaches to peace, Oxford University Press, New York 2. Gandhi, M.K., (1944). Non violence in peace and war, navajivan publishing House, Ahmedabad
2. Hicks, David, (1988), Education for Peace New York : Routlege.
3. NCERT National curriculum Framework (2005), position paper, National Focus Group on Education for peace, NCERT, New Delhi (2006).
4. Timpson, William M. (2002) Teaching and Learning peace. Madision, Wisconsin : Atwood Publishing
5. Reardon, Betty, (1988), Comprehensive Peace education. Educations for global responsibility, New York: Teachers College Press.

खण्ड– 03 : शान्ति हेतु शिक्षा

खण्ड परिचय

खंड 03 शांति हेतु शिक्षा है जिसके अंतर्गत तीन इकाइयां हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं–

इकाई 07 : शांति हेतु शिक्षा– अर्थ एवं अंतर का संप्रत्य

इकाई 08 : शांति हेतु शिक्षा के लिए युक्तियां

इकाई 09 : शांति शिक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास

इकाई 07 में शांति की अवधारणा जिसके अंतर्गत शांति के अर्थ, द्वंद्व के प्रकार, हिंसा के अर्थ एवं प्रकार पर प्रकाश डाला गया है तथा शांति हेतु शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, विद्यालय और शिक्षक की भूमिका के विषय में विस्तार से समझाया गया है।

इकाई 08 शांति हेतु शिक्षा के लिए युक्तियां है जिसमें शांति हेतु शिक्षा के विभिन्न उपागम कौन–कौन से हैं तथा शांति हेतु शिक्षा की शिक्षण युक्तियाँ कौन–कौन सी हैं को विस्तार से समझाया गया है, जैसे– रोल प्लेईंग विधि, वाद विवाद विधि, कहानी कथन विधि, लघु समूह अधिगम, समस्या समाधान विधि, डायरी लेखन विधि तथा केस अध्ययन विधि इत्यादि का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है।

इकाई 09 जो शांति शिक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास है, जिसके अंतर्गत शांति शिक्षा में योगदान देने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन–कौन से हैं के विषय में सविस्तार वर्णन दिया गया है। जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को एवं यूनिसेफ महत्वपूर्ण रूप से वर्णित किया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पीस, एलाइंस फॉर कनफ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, एलाइंस फॉर पीस बिल्डिंग, सेंटर फॉर सिटीजन पीस बिल्डिंग, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांजिशनल जस्टिस तथा पीस डायरेक्ट के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है।

इकाई–7 : शान्ति हेतु शिक्षा - अर्थ एवं अन्तर का संप्रत्यय

इकाई की संरचना

7.1 प्रस्तावना

7.2 इकाई के उद्देश्य

7.3 शांति की अवधारणा

7.3.1 द्वंद : अर्थ

7.3.2 द्वंद के प्रकार

7.3.3 हिंसा : अर्थ एवं प्रकार

7.3.4 शांति की संस्कृति

7.4 शान्ति हेतु शिक्षा : अर्थ एवं अंतर का संप्रत्यय

7.4.1 शांति हेतु शिक्षा के उद्देश्य

7.4.2 शांति हेतु शिक्षा का पाठ्यक्रम

7.4.3 शांति हेतु शिक्षा और शिक्षण विधियाँ

7.4.4 शांति हेतु शिक्षा और विद्यालय

7.4.5 शांति हेतु शिक्षा और शिक्षक

7.5 सारांश

7.6 अभ्यास के प्रश्न

7.7 चर्चा के बिन्दु

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

7.1 प्रस्तावना

एक ओर जहां मानव ने प्रगति के नए कीर्तिमान और मानक स्थापित किए हैं वहीं दूसरी ओर व्यक्ति–व्यक्ति के बीच की वास्तविक दूरी भी बढ़ी है। आज के युग में व्यक्ति तक सूचना की पहुँच पहले की तुलना में आसान और अधिक हो गई है। भौतिक संसाधनों की छह व अमानवीय इच्छाओं के कारण आज मानव नित्य नैतिक, सामाजिक बंधनों को तोड़ने को तत्पर है। समाचार पत्रों एवं चौनलों को देखकर यह आभास होता है कि आज का मनुष्य पहले की तुलना में अधिक हिंसक और बर्बर होता जा रहा है। आतंकवादी घटनाएँ, जातीय संघर्ष, बलात्कार, सांप्रदायिकता, हत्या आदि की बहुलता ने हमारे समक्ष नई चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। व्यक्ति–व्यक्ति के बीच द्वंद, समुदाय/समूहों के बीच द्वंद, राज्यों के बीच संघर्ष हम सभी को यह सोचने को मजबूर करते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी भी युवा पीढ़ी को वह ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण को विकसित कर पाने में असमर्थ है जो समाज में शांति स्थापना हेतु अत्यंत आवश्यक है। सभी अंतर्विरोधों, आपसी द्वंदों को कम करने के लिए हमें शिक्षा के द्वारा शांति स्थापना के प्रयासों पर गंभीरता से विचार करना है। शांति हेतु शिक्षा की परिकल्पना बालक–बालिकाओं में शांति आधारित व्यवहार को बढ़ावा देने, उन्हे शांति का उपभोक्ता के साथ– साथ शांति निर्माता बनाने हेतु की गई है। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप शांति शिक्षा के संप्रत्यय को भली भांति समझ जाएंगे।

7.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. द्वंद, हिंसा एवं शान्ति में संबंध को समझ सकेंगे।
2. शान्ति की अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे।
3. शान्ति शिक्षा के अर्थ को समझ सकेंगे।
4. शान्ति हेतु शिक्षा के उद्देश्य से परिचित हो सकेंगे।
5. शान्ति हेतु शिक्षा में प्रयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकेंगे।

7.3 शान्ति की अवधारणा

शांति का अर्थ सामान्यतः युद्ध की अनुपस्थिति से लगाया जाता है। जबकि शांति की अवधारणा युद्ध और शारीरिक हिंसा की अनुपस्थिति से कहीं अधिक व्यापक है। शांति का संबंध मानव अस्तित्व के हर पहलू से है। शांति बहुमुखी एवं बहुविमीय है। यदि लोग युद्ध की स्थिति में नहीं हैं तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि वे शांति की अवस्था में हैं। ऐसी कई परिस्थितियाँ हैं जो कि अत्यंत पीड़ादायक हैं और व्यक्ति को अशांत कर देती हैं जैसे– घृणा के कारण हत्या, भूख, बीमारी, शोषण इत्यादि। शांति को सामान्यतः स्वयं के मन की शांति के अर्थ में लिया जाता है और हमारे चारों ओर के वातावरण/पर्यावरण की अवहेलना की जाती है। यह दृष्टिकोण भी बहुत ही सतही है और यह शांति की उस समझ को सीमित करता है जिसके अंतर्गत अन्य व्यक्तियों और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहना भी शांति के दायरे में समाहित माना जाता है। हालांकि यह सत्य है कि शांति की शुरुआत व्यक्ति से होती है।

शांति को समझने का एक दृष्टिकोण व्यक्ति की आंतरिक शांति (inner peace) के संप्रत्यय से संबन्धित है जिसका तात्पर्य मानसिक संतुष्टि की भावना (Feelings of Contentment) से है। यह मन की ऐसी अवस्था है जब मन किसी भी प्रकार के दबाबों से पूर्णतया मुक्त होता है अर्थात सुखी होता है । यह एक निष्क्रिय एवं स्थिर अवस्था नहीं है बल्कि एक गतिशील और शक्तिशाली अवस्था है जिसे हासिल करके बरकरार रखने के प्रयास की आवश्यकता होती है। वास्तविक रूप से शांत व्यक्ति द्वंद, विरोध एवं वंचन के बीच भी शांति की अवस्था में रह सकता है। उसकी आंतरिक शांति का मूल श्रोत द्वंद एवं विरोधों से निपटने हेतु आवश्यक मूल्य, विश्वास एवं कौशल होते हैं जो उसे आश्वस्त रखते हैं।

शांति को समझने का एक और दृष्टिकोण अन्य व्यक्तियों के साथ शांति (peace with others) स्थापित करने से संबन्धित है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर सामंजस्यपूर्ण तरीके से साथ रहने की मूलभूत आवश्यकता होती है। यदि यह किसी कारण से विफल होती है तो तनाव और द्वंद उत्पन्न होते हैं जो कि शांति को भंग करते हैं अतः आंतरिक शांति की परिकल्पना परिवार, घर एवं कार्य–क्षेत्र में शांति के बगैर नहीं की जा सकती है। आंतरिक शांति (peace within) बाह्य शांति (peace outside) पर निर्भर है। उदाहरणस्वरूप यदि देश के किसी हिस्से में आतंकवादी हमला होता है या जल संकट है या जरूरी चीजों के दाम बढ़ते हैं या दंगा होता है, ये बाह्य परिस्थितियाँ भी व्यक्ति की आंतरिक शांति को कई तरह से भंग करती हैं। आंतरिक शांति बाह्य शांति के पूर्व अनिवार्य अपेक्षा है। महत्वपूर्ण यह है कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से शांति को स्थापित करने में योगदान देना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि हमें न केवल स्वयं को संतुष्ट और सुखी होने पर केन्द्रित होना चाहिए अपितु अपने घर, परिवार, आस–पड़ोस एवं समाज में स्वस्थ संबंध विकसित करना चाहिए।

मदर टेरेसा के अनुसार "शांति एक ऐसा व्यवहार है जो व्यक्ति के बीच बातचीत , सुनने तथा अंतःक्रिया के दौरान सामंजस्य और तालमेल को प्रोत्साहित करता है और ऐसे कार्यों जो एक दूसरे को आहत करतें है, हानि पहुचातें हैं, को हतोत्साहित करता है । "

द्वंद के कारण उत्पन्न तनाव हमारी शांति को भंग करता है। शांति के संप्रत्यय को समझने के लिए द्वंद का अर्थ, द्वंद के प्रकारों एवं द्वंद के विभिन्न श्रोतों पर चर्चा करना नितांत आवश्यक है।

7.3.1 द्वंद : अर्थ

द्वंद हमारे जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है। हम सभी समय समय पर द्वंद का अनुभव करते हैं अधिकांश लोग द्वंद को नकारात्मक रूप में लेते हैं। जबकि द्वंद न तो नकारात्मक है न ही सकारात्मक है केवल द्वंद का परिणाम अच्छा या बुरा होता है। यदि हम कुशलतापूर्वक द्वंद से निपट ले तो हमें अधिक अच्छे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कभी कभी द्वंद से निपटने के अनुपयुक्त तरीके हमें वांछित परिणाम तक नही ले जाते अपितु तनाव उत्पन्न हो जाता है। द्वंद एक ऐसी समस्या नहीं है जिसको नज़रअंदाज़ किया जाए अपितु एक प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति को गति प्रदान करती है। यदि द्वंद से बुद्धिमतापूर्ण तरीके से निपटा जाए तो यह हमे दूसरों के परिप्रेक्ष को समझने में मदद करता है और स्वयं की गलतियों से भी परिचित कराता है। और इस प्रकार व्यक्ति भविष्य के द्वंद से और बेहतर तरीके से निपटने हेतु अपनी योग्यता में वृद्धि करता है। समाज में और स्वयं के अंदर शांति स्थापित करने के लिए द्वंद से निपटने की योग्यता महत्वपूर्ण है।

द्वंद हमारे दैनिक जीवन का अवहेलना न करने योग्य पक्ष है। द्वंद का सामान्य अर्थ आवश्यकताओं, इच्छाओं, दृष्टिकोणों और मूल्यों की असंगति है जिसका मतलब है कि व्यक्तियों की दो वर्तमान आवश्यकताओं अथवा लक्ष्यों की पूर्ति एक साथ नहीं की जा सकती है। जब भी हमारी धन, शक्ति और संसाधनों की आवश्यकताएं का किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकताओं के साथ संघर्ष होगा तो वहाँ पर निश्चित रूप से द्वंद होगा। जब भी किसी भी व्यक्ति के क्रियाकलाप को बाधित किया जाता है तो वहाँ पर द्वंद उत्पन्न होता है। कभी– कभी व्यक्ति यह सोचते हैं कि उनके लक्ष्य असंगत हैं किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यह मात्र उनका प्रत्यक्षीकरण होता है। यह आवश्यक नहीं है कि द्वंद हर समय कार्य अथवा शब्दों में अभिव्यक्त हो कभी दृकभी यह अव्यक्त भी हो सकता है।

द्वंद एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति को दो या दो से अधिक परस्परिक विलक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दो असंगत रास्तों के मध्य निर्णय लेना पड़ता है। विरोधाभासी विकल्पों में लगभग समान आकर्षण होता है । किसी एक के चुनाव का अर्थ होता है कि दूसरे विकल्प को अस्वीकार करना इस कारण व्यक्ति हिचकिचाता है और इस दौरान वह बहुत तनाव की स्थिति में रहता है।

7.3.2 द्वंद के प्रकार

अंतरावैयक्तिक द्वंद आंतरिक होता है। यह तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति को दो आकर्षक विकल्पों में से किसी एक ही विकल्प को चुनना होता है वह दोनों को नही चुन सकता है। यह तीन प्रकार का होता हैः

1. एप्रोच–एप्रोच द्वंद **2.** एप्रोच–अवोयडेंस द्वंद **3.** अवोयडेंस–अवोयडेंस द्वंद

1. एप्रोच–एप्रोच द्वंद

इस प्रकार के द्वंद में दो ऐसे विकल्पों में से एक को चुननें में हिचकिचाहट होती है जो की समान रूप से आकर्षक एवं वांछनीय होते है व्यक्ति दोनों को प्राप्त करने की इच्छा रखता है किन्तु दोनों समय, ऊर्जा एवं अन्य कारणों से दोनों को प्राप्त नही कर सकता है । जैसे दो खेलों , जैसे क्रिकेट या फुटबाल में से किसी एक में भाग संबन्धित द्वंद, एक ऐसी आकर्षक नौकरी का ऑफर जिसमें अधिक स्वतन्त्रता और वेतन है किन्तु बच्चे के स्कूल जाने के समय से पूर्व नौकरी हेतु घर छोड़ना पड़ेगा ।

2. एप्रोच–अवोयडेंस द्वंद

इस प्रकार के द्वंद में दो विकल्प आकर्षक– अनाकर्षक में से किसी एक को चुनने का संकट होता है । इसमें किसी एक विकल्प को चुनने पर उसके साथ कुछ अवांछनीय परिणामों का चुनाव स्वतः हो जाता है व्यक्ति को मिठास के साथ कडवेपन का स्वाद चखना पड़ता है । जैसे – अंतरजातीय विवाह

3. अवोयडेंस–अवोयडेंस द्वंद

इस प्रकार के द्वंद में व्यक्ति को दो अवांछित विकल्पों में से किसी एक को चुनना पड़ता है । जबकि दोनों विकल्प समान रूप से तनावपूर्ण और अनाकर्षक होते है लेकिन व्यक्ति को एक विकल्प को मजबूरी में चुनना पड़ता

है चाहे वह उस विकल्प को पसंद करे या न करे। जैसे आपके प्राचार्य आपको परीक्षा आयोजित करने की ज़िम्मेदारी देना चाहते हैं और इसे अस्वीकार करने पर विद्यार्थियों का सुदूर शैक्षिक भ्रमण की ज़िम्मेदारी दी जा सकती है।

3. अंतरवैयक्तिक द्वंद

इस प्रकार के द्वंद मानव अंतःक्रिया का अभिन्न अंग होते है जो कि शांति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते है ऐसे द्वंद भी लक्ष्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों, विश्वासों इत्यादि में असंगति के कारण विद्यमान होते है। आइये इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं –

"यह कहानी एक स्कूल की है घटना में एक वरिष्ठ शिक्षक और एक नव प्रवेशी शिक्षिका सम्मिलित है। रचना जो कि उच्च वर्ग से संबन्धित है, स्कूल की वरिष्ठ, योग्य और अनुभवी शिक्षिका हैं। वह अहंकारी स्वभाव की थी और स्वयं को सम्पूर्ण समझती थी सुनीता भी योग्य शिक्षिका थी किन्तु उसमें आत्मविश्वास की कमी थी और वह एक ऐसे समुदाय से थी जिसका समाज में उच्च दर्जा प्राप्त नहीं है। वह ईमानदार, सीधी किन्तु संवेदनशील थी। कुछ शुरुआती वार्तालाप के दौरान यह कनिष्ठ शिक्षिका अपने वरिष्ठ शिक्षिका के शाब्दिक एवं अशाब्दिक व्यवहार से आहत हुई। धीरे– धीरे उन दोनों के बीच आपसी अविश्वास पैदा हो गया। कुछ समय बाद दोनों के बीच बातचीत लगभग बंद हो गयी। दोनों एक दूसरे पर बहुत कठोर और आहत करने वाली टिप्पणी करने लगी दोनों अत्यंत अड़ियल रही। यह घटना स्कूल के अधिकारियों के संज्ञान में आई किन्तु उन्होने इस संबंध में कोई कार्यवाही नही की। यहाँ तक कि विद्यार्थियों को भी इस घटना की जानकारी होने लगी । स्कूल के एक शिक्षक के द्वारा अनुसूचित जाति–जनजाति प्रकोष्ठ ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और यह खबर समाचार पत्रों के माध्यम से बाहर प्रचारित हुई। सभी संबन्धित अधिकारियों और व्यक्तियों को इस मामले में शांति स्थापित करने में काफी प्रयास करने पड़े किन्तु दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन दोनों के बीच विद्वेष जारी रहा।"

उपरोक्त घटना में दोनों शिक्षिकाओं का स्वभाव असंगत था यह असंगति उनके दृष्टिकोण, मूल्यों, महत्वाकांक्षाओं में थी। वरिष्ठ शिक्षिका अपने उच्च आर्थिक स्तर और वरिष्ठता के कारण सम्मान चाहती थी जबकि कनिष्ठ शिक्षिका अपमान एवं अनादर के बारे में स्वयं को असुरक्षित और संवेदनशील महसूस करती थी। इस कारण दोनों के बीच द्वंद था।

कुछ अन्य प्रकार के अंतर वैयक्तिक द्वंद भी हैं जो अन्याय, अपमान, विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच व्याप्त असमानता, धर्म, भाषा और जाति के कारण भी उत्पन्न होते हैं। जैसे कुछ समूह और समुदाय सही या गलत रूप में यह महसूस करते हैं कि समाज, सरकार और कोई अन्य संस्था उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। वे विभिन्न स्थानों पर धरना, प्रदर्शन और सड़क जाम करते हैं जिससे कई अन्य लोगों को असुविधा होती है और वो नाराज होते हैं। इस तरह का द्वंद हर प्रकार के समाज में विद्यमान है। इस प्रकार के द्वंदों में पुनरावृत्ति होती है और बार–बार उनको संभालना पड़ता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. द्वंद का क्या अर्थ है?

....

....

2. द्वंद के प्रकारों के नाम लिखिए।

....

....

3. शांति को परिभाषित कीजिए।

....

....

द्वंद के श्रोत

द्वंद को "दूसरों पर आरोप लगाने की प्रवृति" के रूप मे समझा जा सकता है । द्वंद को समझने का एक और परिप्रेक्ष समानता और न्याय से संबन्धित है । द्वंद के विभिन्न श्रोतों के माध्यम से अंतर के संप्रत्यय को समझा जा सकता है। हमारे प्रत्यक्षीकरण में अंतर, सांस्कृतिक विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता, भौतिक संसाधाओं तक पहुँच में अंतर, सम्बन्धों में अंतर द्वंद उत्पत्ति के कारण हैं। द्वंद के कारण के रूप में अंतर का यही संप्रत्यय शांति की अवधारणा की विभिन्न विमाओं को रेखांकित करता है। द्वंद के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित हैं–

(1) व्यक्तिगत और सांस्कृतिक विभिन्नता

अक्सर विभिन्न पृष्ठभूमि के कारण द्वंद के बारे में हमारा प्रत्यक्षीकरण परिवर्तित होता रहता है । द्वंद अपरिहार्य होते हैं क्योंकि चीजों को देखने के तरीकों, राय प्रकट करने और अपना पर्यावरण समझने में अंतर होता है । परिवार, मित्र, पड़ोसियों, सहकर्मियों तथा समाज के प्रति हमारा दृष्टिकोण एक दूसरे से निश्चित रूप से अलग होता है। जैसे हम लोगों में से कुछ लोगों पर आतंकवाद, पर्यावरण असंतुलन, सामाजिक अपराधों इत्यादि का भी सार्थक प्रभाव पड़ता है । जिस कारण कुछ लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और कुछ लोग अन्य तरीकों से सक्रिय होकर प्रयास करते है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह बिलकुल नहीं सोचते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के चीजों को देखने तथा इन स्थितियों से अर्थ निकालने के तरीके भिन्न– भिन्न होते हैं। हमारा प्रत्यक्षीकरण हमारे परिवार, मित्र समूह व पड़ोसियों के साथ होने वाली अंतःक्रिया द्वारा निर्देशित होता है। जैसे–ऐसे परिवार जहां महिलाएं के प्रति घरेलू हिंसा एक स्वीकृत व्यवहार है, में रहने वाले बच्चों की ऐसे युवा के रूप में तैयार होने की संभावना रहती है जो हिंसा को साधन के रूप मे सही मानते हैं। दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जिनको अंतर सांस्कृतिक समरसता और विश्वास के वातावरण में पले– बढ़े होते हैं उनको ऐसे युवक के रूप में तैयार होने की संभावना रहती है जो द्वंद का समाधान संवाद और चर्चा की पहल के माध्यम से करने में विश्वास करते हैं। हालांकि हर परिवार भिन्न होता है और यहाँ तक कि एक परिवार में सदस्यों का पालन भी भिन्न– भिन्न होता है। कुछ परिवार स्वयं को लगातार द्वंद में संलग्न रखते हैं।

समाज में जो लोग शक्तिहीन व निरीह होते हैं वह असुरक्षित महसूस करते हैं। कभी–कभी असुरक्षा की इस भावना के कारण वे सुरक्षित रहने के लिए समूह का निर्माण करते हैं और भावनात्मक और सामाजिक शक्ति हासिल करने के साथ साथ एक दूसरे की सहायता करते हैं। यह परिवारों और राजनीति दोनों जगह समान रूप में देखा जा सकता है। परिवारों में भी छोटे बच्चे ऐसे सशक्त वयस्क के विरुद्ध एकजुट हो जाते है जो हिंसा में शामिल होते है। धर्म, जाति, वर्ग और भाषा का अंतर अक्सर हिंसा को जन्म देता है।

भौतिक संसाधन

भौतिक संसाधनों पर मालिकाना हक जैसे जमीन, धन, घर, संपति पर स्वामित्व भी व्यक्तियों, समूहों यहाँ तक कि दो राज्यों के बीच द्वंद का कारण होता है । जमीन जायदाद का परिवार में वितरण , राज्यों के बीच बिजली पानी का वितरण, जल, तेल, प्रकृतिक गैस और कीमती खनिज धातु से हमेशा से विभिन्न देशों के बीच द्वंद का प्रमुख कारण रहा है।

सूचना अथवा ज्ञान

सूचना, आंकड़े, तथ्यों और तकनीकी ज्ञान एवं कौशल पर पकड़ कुछ लोगों की स्थितियों को बेहतर तरीके से समझने में और लाभ लेने में मदद करती है। इन लोगों का उन लोगों से द्वंद होता है जिनका सूचना और ज्ञान एवं तथ्यों तथा परिस्थितियों की व्याख्या में नुकसान होता है। ऐसे समूह स्वयं की अक्षमता को स्वीकारने के बजाय दूसरों पर आरोप लगाने के बहाने खोजते है। संस्थाए अपने कर्मचारियों के बीच द्वंद को रोकने के लिए सूचना को साझा करने में पारदर्शिता बरतती है।

संबंध

संबंधो में द्वंद की उत्पत्ति को समझना और भी मुश्किल होता है। परिवार, समुदाय और व्यवसायों में बहुत से रिश्ते उभयनिष्ठ रुचियों और आवश्यकताओं की समझ पर विकसित होते हैं। संबंध की शुरुआत में व्यक्तियों का ध्यान मत भिन्नता के बजाय समान रुचियों और आवश्यकताओं पर होता है। जब संबंध प्रगाढ़ होते है तब मत भिन्नता सतह पर आने लगती है । यह भिन्नता समय के सापेक्ष धीरे– धीरे बढ़ने लगती है क्योंकि लोग या तो उसका समाधान का प्रयास नहीं करते है या अप्रभावी तरीके से समाधान की कोशिश करते हैं । धीरे – धीरे यह मतभिन्नता और असहमति एक दूसरे की संवेगिक अस्वीकृति के रूप में देखी जाने लगती है और लोग दूसरों को अपनी राय/मत को मनवाने की कोशिश करने लगते हैं और यह प्रयास सम्बन्धों को जटिल बना देता है और संबंध निर्माण के मुख्य आधार रुचियों और आवश्यकताओं पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। दूसरे व्यक्ति के मत/राय से असहमति या अस्वीकृति को व्यक्ति की अस्वीकृति मान लिया जाता है।

संरचना एवं संगठन

सामाजिक अथवा संगठनात्मक संरचनाओं/व्यवस्थाओं में द्वंद के कारण अंतर्निहित होते है। परिवार में सदस्यों पर पैसे का खर्च और परिवार में कार्यों और जिम्मेदारियों का वितरण परिवार के मुखिया द्वारा किया जाता है अधिकांशतः यह पुरुषों या माता–पिता द्वारा किया जाता है। यह व्यवस्था वर्तमान में द्वंद का कारण है क्योंकि युवाओं के सूचना और ज्ञान अधिक है इस कारण वह निर्णय में अपनी सहभागिता बढ़ाना चाहते है इस कारण घर के बड़ो से उनका द्वंद चलता रहता है। इसी तरह बड़े संगठन और संसथाओं में जहां विभिन्न व्यवसाओं, क्षेत्रों, वर्गों, जतियों, भाषाओं, के लोग एक साथ कार्य करते हैं वहाँ पर केन्द्रीय निर्णय लेने वाली व्यवस्था द्वंद उत्पन्न करती है। क्योंकि एक समूह के अधिकार और हितों में दूसरे समूह से टकराव की संभावना रहती है। इस प्रकार द्वंद अपरिहार्य हो जाता है। हालांकि इस प्रकार के द्वंद का समाधान शक्तियों और अधिकारों को साझा करके, सूचना शेयरिंग में पारदर्शिता रखकर और नीति निर्णय में समान प्रतिनिधित्व व सहभागिता के द्वारा किया जा सकता है।

आवश्यकताएँ और मूल्य

व्यक्ति की आवश्यकताएँ द्वंद का मूल कारण होती है । आवश्यकताएँ कई प्रकार की होती है, सबसे प्रमुख मूलभूत आवश्यकताएँ भोजन, जल, नींद, सुरक्षा इत्यादि होती है । आवश्यकताओं की एक और श्रेणी है जो कि महत्वपूर्ण होती है। जब भी उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई संकट या बाधा उत्पन्न होती है तब द्वंद उत्पन्न होना लाज़मी हो जाता है।

विभिन्न व्यक्तिगत मूल्य भी द्वंद को उत्पन्न कर सकते है मूल्य आधारित द्वंद सम्बन्धों में विशेषतया समस्यात्मक होते हैं। इसप्रकार का द्वंद घरों, संस्थाओं, संगठनों और समाज में बहुतायत में देखा जा सकता हैं मूल्य जैसे न्याय, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, स्वच्छता, समय का पाबंद होना, ईमानदारी, सत्य इत्यादि विभिन्न स्तरों पर द्वंद का स्रोत हैं।

शांति का सामान्य अर्थ युद्ध अथवा हिंसा की अनुपस्थिति लगाया जाता है। एक अध्यापक के रूप में हिंसा के विभिन्न रूपों की जानकारी से आप अपने विद्यालय में हिंसा को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। शांति हेतु शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य विद्यार्थियों के अंदर हिंसक प्रवृत्ति को पनपने से रोकना है। शांति के संप्रत्यय को गहराई से समझने के लिए हिंसा के अर्थ और प्रकारों पर चर्चा करना समीचीन होगा।

7.3.3 हिंसा : अर्थ एवं प्रकार

द्वंद अपरिहार्य होते हैं किन्तु हिंसा अपरिहार्य नहीं है। कभी कभी हम द्वंद की प्रतिक्रिया के रूप में हिंसा का सहारा लेते हैं। द्वंद अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। जब कोई हिंसा का जिक्र करता है तो ऐसी तस्वीर मस्तिष्क में आती है कि कोई किसी को या तो पीट रहा है या किसी को चोट पहुंचा रहा है या हत्या कर रहा है। लेकिन हिंसा केवल शारीरिक ही नहीं है। हिंसा के अंतर्गत कर्म, शब्द, दृष्टिकोण, व्यवस्था आते हैं जो कि शरीर, मन और आत्मा को हानि पहुंचाते हैं।

शांति को अक्सर हिंसा की अनुपस्थिति माना जाता है। गांधी जी के अनुसार एक व्यक्ति का राज्य के द्वारा, एक समूह के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अथवा मशीनों के द्वारा तथा महिलाओं व पुरुषों द्वारा और एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा किया गया शोषण ही हिंसा का सर्वाधिक प्रचलित एवं व्यावहारिक रूप है। शांति, प्रेम,

सत्य,न्याय, समानता,सहिष्णुता, समरसता, सहयोग, एकजुटता और आत्मनियंत्रण जैसे मूल्यों के अभ्यास से ही स्थापित की जा सकती है। गांधी जी की शांति की अवधारणा में निम्नलिखित तत्व समाहित हैं–

- तनाव, द्वंद और आतंकवाद तथा युद्ध सहित हिंसा के समस्त रूपों की अनुपस्थिति। शांति से तात्पर्य संमजस्यपूर्वक साथ–साथ रहने की योग्यता से है। इस हेतु द्वंद का अहिंसक तरीकों से समाधान करने की आवश्यकता है।
- अहिंसक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण अर्थात संरचनागत हिंसा से मुक्त समाज। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक न्याय का अभ्यास । भूख व्यवस्थित हिंसा है ।
- प्रत्येक प्रकार के शोषण और अन्याय की अनुपस्थिति ।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ। पृथ्वी के संसाधनों को साझा करने की इच्छा ।
- पर्यावरणीय संतुलन और संरक्षण।
- मन की आंतरिक शांति। शांति की मनो–आध्यात्मिक विमा।

शांति की शुरुआत व्यक्ति से होकर परिवार, समुदाय, देश तथा सम्पूर्ण विश्व तक फैलती है।

हिंसा के प्रकार

भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार हिंसा के तीन प्रकार **(1)** मानसिक (2) शाब्दिक **(3)** शारीरिक होते है।

(1) मानसिक हिंसा

दूसरों को नुकसान पहुचाने के बारे में सोचना व चिंतन करना भी हिंसा की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार की हिंसा के अंतर्गत शारीरिक नुकसान नहीं पहुचाया जाता है अपितु ऐसा करने के बारे में सोचा जाता है।

(2) शाब्दिक हिंसा

कठोर शब्दों का प्रयोग भी हिंसा का रूप है क्योंकि यह भी दूसरों को आहत करता है। गालियों का प्रयोग भी शाब्दिक हिंसा का उदाहरण है।

(3) शारीरिक हिंसा

शारीरिक बल का प्रयोग दूसरों को हानि पहुचाने हेतु करना शारीरिक हिंसा है। यह हिंसा का सर्वाधिक प्रचलित व परिचित रूप है।

उपरोक्त त्रिस्तरीय हिंसा में कार्य–कारण का स्पष्ट संबंध निहित है। गाली गलौज की भाषा अथवा शाब्दिक हिंसा का मूल मस्तिष्क में छिपा हिंसक चिंतन है। यदि व्यक्ति का चिंतन हिंसक नहीं है तो वह निश्चित रूप से हिंसक अथवा गाली गलौज के शब्द प्रयोग नहीं कर सकता है। हिंसक शारीरिक बल/कार्य भी हिंसक सोच व हिंसक बातचीत के कारण ही संभव है। ऐसी परिस्थिति आसानी से देखी जा सकती है जिसमें वास्तविक शारीरिक हिंसा के पूर्व हिंसक बातचीत और तेज बहस होती है।

इससे यह साबित होता है कि युद्ध अथवा हिंसा का जन्म मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। शांति को केवल मनुष्य के मस्तिष्कों को अहिंसक बना कर अर्थात हिंसा की सफाई कर स्थापित किया जा सकता है।

7.3.4 शांति की संस्कृति

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर (1998) के अनुसार शान्ति की संस्कृति का आधार लोकतन्त्र, सहनशीलता तथा मानवाधिकारों का सम्मान करना, मतभेदों तथा हिंसा को रोकने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के रूप में विकास, शान्ति के लिए शिक्षा, सूचनाओं का सुगम आदान–प्रदान तथा महिलाओं की विस्तृत भागीदारी को प्रोत्साहित करना और ऐसे उपाय करना है जिससे शान्ति के लिए उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न हो सके। शान्ति की संकृति का सर्वप्रथम आधार नागरिकों द्वारा लोकतंत्र का सम्मान करना है यथा लोगों में प्रजातन्त्र के प्रति जागरूकता, स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का आदान–प्रदान करना, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना है इसके अलावा शांति

की संस्कृति नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों तथा कौशलों पर बल देती है जो प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए आवश्यक है, इसमें जीने की खुशी, प्रेम, उम्मीद और साहस के आंतरिक साधनों के साथ व्यक्तित्व के विकास पर बल देती है। इसमें मानव अधिकारों के प्रति सम्मान करना, न्याय करने की शक्ति का विकास करना, अपने धर्म के अलावा, दूसरे के धर्मों को सम्मान देना व उनके सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना, सामाजिक दायित्व की पूर्ति करने हेतु प्रेरित करना शामिल है।

शांति की संस्कृति को यूनिसेफ ने इस प्रकार परिभाषित किया है– एक संस्कृति जो सांस्कृतिक विभिन्नताओं को प्रोत्साहित करती है जिसमें विश्वास, मूल्यों, व्यवहार व सहयोग की भावना आदि शामिल है, जो परस्पर सुरक्षा, समानता, पृथ्वी के श्रोतों पर इसमें रहने वाले प्राणियों के बीच समान भागीदारी और साथ–साथ रहने को प्रोत्साहित करती है। पीस एजुकेशन इन यूनिसेफ (फाउंटेन, 1999) में शांति की संस्कृति के लिए निम्नांकित तथ्यों को रेखांकित किया है–

- सभी लोगों के बीच विश्वास का वातावरण उत्पन्न करना है।
- सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं यथा भोजन, पानी तथा अर्थ की पूर्ति करना।
- पारस्परिक समझदारी को विकसित करना।
- सूचनाओं के आदान प्रदान करने हेतु लोगों के बीच एक खुला वातावरण विकसित करना।
- लोगों में सहनशीलता की भावना विकसित करना।
- विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना।
- विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों व जीवन शैली में सामंजस्य स्थापित करना।

शांति की संस्कृति की आवश्यकता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में दशक 2001 –2010 को विश्व के बच्चों के लिए शांति की संस्कृति व अहिंसा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है। इसी सभा में शांति की संस्कृति को सभी मूल्यों, दृष्टिकोणो और व्यवहार के तरीके जो मानव विभिन्नताओं और सभी तरह के मानव अधिकारों के प्रति सम्मान करना, हिंसा चाहे किसी रूप में हो अस्वीकार करना और लोगों के बीच समझदारी, स्वतन्त्रता, न्यायआ, समानता, सहनशीलता की भावना के लिए प्रेरित करना है, के रूप में परिभाषित किया गया है। अतः शांति की संस्कृति को विकसित करने के लिए शांति की शिक्षा आवश्यक है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

4. हिंसा से क्या तात्पर्य है?

....

....

5. हिंसा कितने प्रकार की होती है।

....

....

6. संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर (1998) के अनुसार शान्ति की संस्कृति के आधार क्या हैं?

....

....

7. संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में किस दशक को विश्व के बच्चों के लिए शांति की संस्कृति व अहिंसा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है?

....

....

7.4 शान्ति हेतु शिक्षा : अर्थ एवं अंतर का संप्रत्यय

शान्ति को बल द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता, इसे केवल सहयोग एवं सामंजस्य द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है (वार्ड 2001) कहने का अभिप्राय यह है कि शांति कोई वस्तु नहीं, जिसे बलपूर्वक हासिल किया जा सके। अगर सच्चे अर्थों में इसे प्राप्त करना है तो हमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच समझदारी को और अधिक विकसित करना होगा। यूनिसेफ़ ने शान्ति शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जो ज्ञान, कौशल,दृष्टिकोण, मूल्यों व व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक तत्वों को प्रोत्साहित करती है, जिससे बच्चे, किशोर व युवा इस योग्य हो सकें कि वह किसी भी प्रकार के मतभेदों व हिंसा को रोकने तथा ऐसी परिस्थितियों, जो शान्ति स्थापना की ओर ले जा सकें, को उत्पन्न करने में सक्षम हो सके। इस प्रकार शांति की उपयोगिता को बच्चों के संदर्भ में कन्वेन्शन ऑन दि राइट ऑफ चाइल्ड (1998) में कहा गया है बच्चों की शिक्षा को इस प्रकार निर्देशित करना होगा कि वे स्वतंत्र समाज में जिम्मेदारीयुक्त जीवन जीने के लिए तैयार हो सकें, जिसमें समझदारी, शांति, सहनशीलता, लैंगिक समानता और सभी के बीच मित्रता निहित हों। अतः शिक्षा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो जनतांत्रिक रीति से व्यक्ति में दीर्घकालिक परिवर्तन ला सकती है।

शान्ति हेतु शिक्षा की आवश्यकता

बालकों की कई ऐसी स्वविकास संबंधी आवश्यकताएँ होती हैं जिनकी पूर्ति विद्यालयी प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती है। बालकों में एक धनात्मक आत्मसम्मान युक्त ऐसी ही एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। शान्तिपूर्ण तरीके से रहने के लिए एक व्यक्ति के पास कई कौशलों की जरूरत होती है जैसे– सकारात्मक सोच, प्रतिज्ञान, समानुभूति पूर्वक सुनना और सम्प्रेषण करना, निश्चयात्मक व्यवहार, निर्णय लेना और आलोचनात्मक चिंतन इत्यादि। बच्चों में उपरोक्त कौशलों को विकसित करना चाहिए जिससे कि व समाज में सशक्त व्यक्ति के रूप में जीवन जिए ।

विद्यालय में शान्ति की संस्कृति की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसे वातावरण में बच्चे प्रकृतिक रूप से शांति की भावना को आत्मसात करेंगे। विद्यालय में शांति संस्कृति को निर्मित करने की पहल सर्वप्रथम विद्यालय शिक्षकों एवं कर्मचारियों से करनी चाहिए। सर्वप्रथम उनमें प्रशंसा का व्यवहार और दृष्टिकोण, सहयोग, लगाव , विश्वास, समस्याओं के अहिंसक समाधान की योग्यता विकसित करना चाहिए। मैत्रीपूर्ण और परस्परिक सम्मान से युक्त शिक्षक–शिष्य संबंधों को विकसित करने से विद्यालय में शांति संस्कृति प्राकृतिक रूप से निर्मित होने लगेगी ।

राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखा जाए तो अच्छे नागरिकों का निर्माण करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। यह राष्ट्रीय चिंता का विषय होता है शिक्षा के माध्यम से जिम्मेदार, जागरूक एवं संवेदनशील नागरिकों का सृजन हों। जिम्मेदार लोकतान्त्रिक नागरिक ही देश के अंदर शांति की संस्कृति को निर्मित करने में योगदान दे सकता है।

मूल्य शिक्षा, शांति हेतु शिक्षा में सम्मिलित है किन्तु इसके जैसी ही नहीं है। शांति संदर्भिक दृष्टिकोण से उपयुक्त है और मूल्य के लिए शैक्षणिक दृष्टि से भी तालमेल का लाभप्रद बिन्दु है । शांति मूल्यों के उद्देश्यों को मूर्त रूप देती है और उनके आत्मसातीकरण को प्रोत्साहित करती है । इस ढांचे के बिना अधिगम प्रक्रिया में मूल्यों का एकीकरण अनारब्ध कार्य की तरह रहता है।

"शान्ति हेतु शिक्षा" मूल्य शिक्षा को संदर्भ से जोड़ने तथा क्रियाशील बताने के लिए आदर्श रणनीति है। मूल्य अनुभव के द्वारा आत्मसात किए जाते हैं जो कि वर्तमान कक्षा–कक्ष केन्द्रित और संघयन एप्रोच केन्द्रित शिक्षण में नदारद है । शांति शिक्षा अधिगम को कक्षा की सीमाओं से बाहर ले जाकर इसे रूपांतरित करने पर ज़ोर देती हैं । हम अभूतपूर्व हिंसा के दौर में रहते हैं । यह हिंसा स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक व्याप्त है। विध्यालय जिन्हे शांति की नर्सरी होने चाहिए वे हिंसा अंतरण के बिन्दु हो गए हैं । एक शिक्षक ने अनुभव व्यक्त करते हुए कहा है कि "हिंसा में वृद्धि हुई है। बच्चे हिंसक शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनका स्वाद और खेल भी हिंसक हैं। उनके

संबंध हिंसक हैं। लेकिन हमें बच्चों को दोष नहीं देना चाहिए। वे हिंसक घरों में रहते हैं इस कारण यह सब है।" सांवेगिक अलगाव की भावना में वृद्धि के कारण घर में एकजुटता की भावना में कमी आ रही हैं और घरों में संवाद व सम्प्रेषण की आभासी मौत हो रही है। अलगाव की भावना ही हिंसा का बीज है। वर्तमान शिक्षा के द्वारा केवल ज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जा रहा है भावनात्मक पक्ष के विकास की अवहेलना की जा रही है।

सन 1990 से अब तक यूनिसेफ़ दस्तावेजों ने बेसिक शिक्षा के इस लक्ष्य को सुनिश्चित किया कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो परस्पर निर्भर संसार में शांतिपूर्वक रहने के लिए आवश्यक ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्यों को बढ़ावा देती है। यूनिसेफ़ अच्छी गुणवत्ता वाली बेसिक शिक्षा तक बच्चों की पहुँच को सुनिश्चित करने हेतु कटिबद्ध है जहां बच्चे अपने जीवन, अपने परिवारों की भलाई और समाज में उनके सकारात्मक सहभागिता हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण का अर्जन कर सकें। शान्ति शिक्षा न तो एक स्वतंत्र विषय है और न ही यह बेसिक शिक्षा से विलग एक पहल है।

"शान्ति हेतु शिक्षा" ऐसे ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य को विकसित करने की कोशिश करती है जो एक शान्ति की संस्कृति को समाविष्ट करती है। यह एक दीर्घकालिक रणनीति है जो ऐसे शान्तिपूर्ण व्यक्तियों को विकसित करती है जो द्वंद का अहिंसक तरीके से समाधान करने में सक्षम हों (शान्ति हेतु शिक्षा पूर्णतावादी है। यह बालकों का शारीरिक, संवेगिक, मानसिक और सामाजिक विकास मानव मूल्यों के ढांचे के अंदर रहकर करती है।) शान्ति को पूर्णतावादी मानने के शान्ति शिक्षा हेतु दो निहितार्थ है

(अ) शान्ति मानव अस्तित्व के सभी पक्षों और विमाओं को एक अंतरनिर्भर तरीके से समाहित करती है। आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक शान्ति, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय शान्ति के बिना स्थिर एवं साध्य नहीं है ।

(ब) शान्ति का तात्पर्य पारस्परिकता है । प्रेम, स्वतन्त्रता और शान्ति जैसे मूल्य दूसरों को प्रदान करके ही हासिल किए जा सकते हैं ।

शान्ति शिक्षा की कुछ प्रचलित परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं–

- आर. डी. लैंग (1978) के अनुसार शांति शिक्षा एक ऐसा प्रयास है जो वैश्विक स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक की हिंसा व द्वंद को कम करने में सहायक है। यह धारणीय भविष्य को निर्मित करने के रास्ते खोजने का प्रयास है।
- फ्रान शमिट और एलिस फ्रीडमेन (1988) के अनुसार शान्ति शिक्षा कौशल निर्माण है। यह बच्चों को सृजनात्मक और गैर विध्वंसक तरीकों से युक्त करती है जिससे कि वह द्वंद का समाधान कर सकें तथा स्वयं व दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से रह सकें। शान्ति स्थापना प्रत्येक मानव का कार्य है और मानव परिवार के लिए यह एक चुनौती है ।
- शान्ति शिक्षा एक उपचारात्मक प्रक्रिया है जो बच्चों को समाज के हिंसक रास्तों में गिरने से बचाने का कार्य करती है ।

  शान्ति शिक्षा शांतिपूर्ण तरीके से रहने तथा शान्ति निर्माण के लिए आवश्यक व्यवहार कौशलों को विकसित करने का प्रयास करती है जिससे समस्त मानवता को लाभ मिल सकें ।

शान्ति के लिए शिक्षा, शान्ति शिक्षा से भिन्न है । बाद में शान्ति शिक्षा पाठ्यक्रम में विषय के रूप मे शामिल किया गया। शांति के लिए शिक्षा आजीविका हेतु प्रशिक्षण से कहीं अधिक बढ़ कर है इसके अंतर्गत व्यक्ति को ऐसे मूल्यों, कौशलों से सुसज्जित किया जाता है जो समाज में उसे दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायक हों।

एतिहासिक रूप से देखा जाए तो मूल्य शिक्षा और नैतिक शिक्षा विषय शांति शिक्षा की भूमिका अदा कर रहे थे। वास्तव में मूल्य और दृष्टिकोण शांति की संस्कृति की धुरी हैं।

7.4.1 शान्ति हेतु शिक्षा के उद्देश्य

शान्ति हेतु शिक्षा के दोहरे उद्देश्य हैं

1. व्यक्ति को हिंसा के रास्ते के बजाय शान्ति का रास्ता चुनने में सक्षम बनाना ।
2. व्यक्तियों को शान्ति के उपभोक्ता के बजाए शान्ति निर्माता बनाना ।

शान्ति हेतु शिक्षा इस मामले में समग्र बेसिक शिक्षा का अनिवार्य घटक है जिसका उद्देश्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। बच्चों, वयस्कों तथा युवाओं में किस प्रकार शान्ति आधारित व्यवहार विकसित किया जाए यही शान्ति शिक्षा की प्रमुख चिंता है।

7.4.2 शान्ति हेतु शिक्षा का पाठयक्रम

समान्यतः किसी भी विषय को दो भागों तैयार किया जाता है। एक सैद्धांतिक भाग तथा दूसरा व्यावहारिक/प्रायोगिक भाग। शान्ति शिक्षा के सैद्धांतिक और व्यावहारिक भाग में किस प्रकार के ज्ञान और क्रियाओं को शामिल किया जाए? इसके लिए सीमा निर्धारक बिन्दुओं का होना आवश्यक है। शान्ति शिक्षा के ज्ञान व क्रियाओं के निर्धारण के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्धारित किए गए सीमा निर्धारक बिन्दु सबसे उपयुक्त होंगे।

- अहिंसा
- मानव अधिकार
- सहिष्णुता
- वैश्विक संस्थाएँ (शांति के लिए)
- परिस्थितकीय जागरूकता

यूनिसेफ द्वारा निर्धारित किए गए इन सीमा निर्धारक बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए शांति शिक्षा के सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक पक्ष में निम्न ज्ञान व क्रियाओं को सम्मिलित किया जा सकता है।

शांति शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष में निम्न विषयवस्तु को समाहित किया जा सकता है।

- शांति दूत के रूप में प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवन–चरित्र व शांति तथा मानवता के लिए किए गए कार्यो का विवरण। जैसे–जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गाँधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला आदि।
- वैश्विक शांति स्थापना हेतु प्रयासरत विभिन्न संस्थाओं के ऐतिहासिक उद्‌भवों के कारणों व कार्यों का तार्किक विवरण। जैसे– यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनिसेफ आदि।
- मानव अधिकारों एवं कर्तव्यों की समझ से संबन्धित विषय।
- सामाजिक उत्तरदायित्वों से संबन्धित विषय एवं सामाजिक समस्याओं के उद्‌भव के कारणों व उनके समाधान में मानव की भूमिका के महत्व संबन्धित विषय जैसे– नस्लवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि।
- अहिंसा, सहिष्णुता व जीवन की महत्ता से संबन्धित विषय।
- पारिस्थितकीय जागरूकता से संबन्धित विषय जैसे पर्यावरण प्रदूषण आदि।

शांति शिक्षा के व्यावहारिक/प्रायोगिक भाग के अंतर्गत निम्न क्रियाएँ समाहित की जा सकती है–

- प्रत्येक विद्यालय में शान्ति क्लब बनाया जाए। इसके अंतर्गत शान्ति डायरी, शान्ति पत्रिका का प्रकाशन, शांति जागरूकता संबंधी कार्यक्रम, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया कार्यक्रम, सामाजिक समस्याओं पर स्वस्थ वार्ताओं आदि कार्यक्रमों को करवाया जा सकता है।
- रोल प्लेईंग गेम इसके अंतर्गत महापुरुषों के जीवन–चरित्र पर आधारित अभिनय कार्यक्रम करवाए जा सकते हैं।
- ध्यान, योग व प्राणायाम संबंधी कार्यक्रम का आयोजन विषय विशेषज्ञों द्वारा करवाया जा सकता है।

- सामुदायिक सेवाओं का आयोजन करवाया जा सकता है।
- मनोवैज्ञानिक कार्यशालाओं व निर्देशन संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन।

  यह स्पष्ट है कि शांति के सैद्धांतिक पक्ष में समाहित विषयवस्तु प्रत्यक्षतः विद्यालयी विषयों से सह संबन्धित है। शांति शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष को निम्न प्रकार से विद्यालयी विषयों से संबन्धित करके अध्ययन–अध्यापन किया जा सकता है–

  - ➢ शान्ति दूत के रूप में स्थापित महापुरुषों का जीवन चरित्र व कार्यों का विवरण इतिहास में समाहित रहता है।
  - ➢ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना हेतु प्रयासरत विभिन्न संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनिसेफ, न्यायपालिका आदि प्रकरण नागरिक शास्त्र में समाहित रहते हैं। नागरिक शास्त्र में ही मानव अधिकार, कर्तव्य एवं जीवन के प्रति सम्मान की भावना आदि से संबन्धित विषय समाहित रहते हैं।
  - ➢ सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं जैसे– क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद आदि को रखा जा सकता है। इन सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति, कारणों व समाधानों का शिक्षण शान्ति स्थापना के परिप्रेक्ष्य में किया जाए।
  - ➢ विज्ञान एवं भूगोल विषय के अंतर्गत जैवकीय विविधता तथा पारिस्थितकीय जागरूकता से संबन्धित विषयों का अध्यापन किया जा सकता है। पर्यावरणीय प्रदूषण और पारिस्थितकीय असंतुलन से जुड़े मानवीय कारकों से विद्यार्थियों को अवश्य अवगत कराया जाए।
  - ➢ भाषा में समाहित कविताओं व कहानियों का शिक्षण सामाजिक वास्तविकता के धरातल पर किया जाए। कविताओं व कहानियों में समाहित शांति, भाईचारा, समरसता आदि के प्रसंगों का भावप्रधान व अर्थपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया जाए।

7.4.3 शान्ति हेतु शिक्षा और शिक्षण विधियाँ

इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि कक्षाओं में आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और विद्यार्थी समझ सके कि कक्षागत अनुभवों के द्वारा स्वयं और दूसरों के जीवन को अधिक शांतिपूर्ण कैसे बनाया जाए, यह तभी संभव है जब शिक्षण अधिगम विद्यार्थियों को स्वतन्त्रता एवं पर्याप्त समय प्रदान कर सकें । आनुभविक अधिगम अभिव्यक्ति एवं चिंतन को प्रोत्साहित करता है एवं शांति हेतु आवश्यक दृष्टिकोण विकसित करता है। शांति शिक्षा के लिए ऐसी शिक्षण विधियाँ उपयुक्त मानी जाती है जो विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक वातावरण में सीखने का अवसर प्रदान करती है। नाटक एवं अभिनय विधि शांति शिक्षा के लिए उपयुक्त है जिसमे विद्यार्थियों को द्वंद का समाधान करने के कौशलों को विकसित किया जाता है। कहानी कथन विधि के माध्यम से भी शांति शिक्षा की विषयवस्तु को पढ़ाया जा सकता है। जब सामाजिक मुद्दों पर विभिन्न बिन्दुओं पर विद्यार्थियों पर मतभेद हो और मतों को गहराई से जाँचना आवश्यक हो तो ऐसी परिस्थिति में चर्चा विधि उपयुक्त मानी जाती है। इतिहास एवं नागरिकशास्त्र के शांति संप्रत्यय को इस विधि से पढ़ाया जा सकता है। शांति शिक्षा हेतु मस्तिष्क विप्लव विधि, समस्या समाधान विधि, केश स्टडी को भी उपयुक्त माना जाता है।

7.4.4 शान्ति हेतु शिक्षा और शिक्षक

शान्ति शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शांति शिक्षक के मुख्य गुण निम्नलिखित है

- शिक्षक को सभी पूर्वाग्रहों एवं पक्षपात से रहित होना चाहिए ।
- उसे एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व बोध होना चाहिए ।
- उसे समुदाय की सेवा के लिए तत्पर व्यक्ति होना चाहिए ।
- उसमें संस्कृति का संचरण एवं रूपान्तरण करने की क्षमता होनी चाहिए ।

- उसे जेंडर सम्बन्धि पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए ।
- वह लोकतान्त्रिक एवं सिद्धांतों मे विश्वास करने वाला होना चाहिए ।
- उसमें द्वंद का अहिंसक समाधान करने का ज्ञान एवं कौशल होना चाहिए ।
- वह सहनशील, उदार एवं मानवतावादी सोच होना चाहिए।

7.4.5 शान्ति हेतु शिक्षा और विद्यालय

शान्ति शिक्षा हेतु विद्यालय में भी सकारात्मक वातावरण की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक स्तर पर नीतियों के निर्माण एवं उनकी क्रियान्वयन में प्राचार्य एवं शिक्षकों को पूर्वाग्रह से रहित होना पड़ेगा । विद्यार्थियों के बीच होने वाले द्वंद को संज्ञान में लेने एवं उसके समाधान के कौशलों से उनको सुसज्जित करने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। विद्यालय में शांति क्लब, शांति डाइरी बनवाया जाए प्रतिदिन प्रार्थना सभा हो उसमें प्रतिदिन अलग– अलग धर्मों की एक प्रार्थना होनी चाहिए। वर्ष में एक बार प्रत्येक कक्षा से शांति पत्रिका का प्रकाशन हो। सामुदायिक सेवाओं तथा जागरूकता रैलियों का आयोजन समय– समय पर विद्यालय में करवाया जाना चाहिए। विद्यालय में एक ऐसा रीडिंग रूम हो जिसमें शांति विषयों से संबन्धित समाचारों एवं घटनाओं की पुस्तिकाए एवं पत्रिकाएँ उपलब्ध हों। अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करने वाले बच्चों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था हों। शांति से संबन्धित विषयों पर भाषण प्रतियोगिता, सेमिनार का आयोजन होना चाहिए। ऐसी फिल्मों को दिखाएँ जाने की व्यवस्था हो जो न्याय, शांति एवं एकता को बढ़ावा देती हों । यदि उपरोक्त गतिविधियों को विद्यालय में ठीक प्रकार से आयोजित किया जाए तो शांति संस्कृति के निर्माण में विद्यार्थियों को प्रतिभागी बनाया जा सकता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

8. शांति शिक्षा के ज्ञान व क्रियाओं के निर्धारण के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्धारित किन सीमा निर्धारक बिन्दुओं को सुझाया गया है?

....

....

9. वैश्विक शांति स्थापना हेतु प्रयासरत किन संस्थाओं के अध्ययन को शांति शिक्षा की विषयवस्तु के अंतर्गत रखा गया है ?

....

....

7.5 सारांश

प्रस्तुत इकाई में आपने यह अध्ययन किया कि द्वंद क्या होता है? और कितने प्रकार होता है? द्वंद हमारी आवश्यकताओं, इच्छाओं, दृष्टिकोणों और मूल्यों की असंगति है जिसका मतलब है कि व्यक्तियों की दो वर्तमान आवश्यकताओं अथवा लक्ष्यों की पूर्ति एक साथ नहीं की जा सकती है। द्वंद निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। द्वंद के कारण तनाव उत्पन्न होता है। द्वंद के विभिन्न श्रोतों को भी आपने समझा। द्वंद तीन प्रकार का होता है 1: एप्रोच–एप्रोच द्वंद **2:** एप्रोच–अवोयडेंस द्वंद **3:** अवोयडेंस–अवोयडेंस द्वंद। द्वंद का समाधान न हो पाने के कारण व्यक्ति के अंदर हिंसा की प्रवृत्ति पनपने की संभावना बढ़ जाती है। हिंसा के कारण व्यक्ति की आंतरिक मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपने हिंसा के प्रकारों का अध्ययन किया। द्वंद, हिंसा और शांति के परस्पर सम्बन्धों पर भी प्रकाश डाला गया।

अगले चरण में आपने शांति के संप्रत्यय को समझा। शांति को समझने का एक दृष्टिकोण व्यक्ति की आंतरिक शांति (inner peace) के संप्रत्यय से संबन्धित है जिसका तात्पर्य मानसिक संतुष्टि की भावना (Feelings of Contentment) से है। यह मन की ऐसी अवस्था है जब मन किसी भी प्रकार के दबाबों से पूर्णतया मुक्त होता है अर्थात सुखी होता है । व्यक्ति–व्यक्ति के बीच विश्वास का वातावरण, प्रकृति–मानव के बीच सामंजस्य, न्याय करने की शक्ति का विकास व अपने व दूसरों के मानवाधिकारों के प्रति सम्मान आदि शांति संस्कृति स्थापना के महत्वपूर्ण घटक हैं। शांति शिक्षा की विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से शांति शिक्षा के संप्रत्यय को स्पष्ट किया गया। शांति हेतु शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं दृ व्यक्ति को हिंसा के रास्ते के बजाय शांति का रास्ता चुनने में सक्षम बनाना , व्यक्तियों को शांति के उपभोक्ता के बजाए शांति निर्माता बनाना । शांति शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, भाषा, विज्ञान एवं भूगोल विषय के शांति से संबन्धित प्रकरणों/विषयवस्तु का अध्ययन किया जाता है। शांति दूत के रूप में स्थापित महापुरुषों जैसे मदर टरेसा, महात्मा गाँधी, नेल्सन मंडेला इत्यादि का जीवन चरित्र व कार्यों का विवरण शांति शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाया जा सकता है । शांति शिक्षा के लिए रोल प्लेइंग एवं ड्रामा विधि, संवाद विधि, कहानी कथन विधि, केस स्टडी इत्यादि विधियाँ उपयुक्त मानी जाती हैं। शांति शिक्षक पूर्वाग्रह से रहित, संवेदनशील, अच्छा सम्प्रेषक, द्वंद समाधान की तकनीकों में दक्ष, आलोचनात्मक चिंतक, जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए।

7.6 अभ्यास के प्रश्न

1. द्वंद को परिभाषित कीजिए। द्वंद के प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
2. शांति की संस्कृति का विस्तृत वर्णन कीजिए।
3. शांति हेतु शिक्षा में अंतर के संप्रत्यय को विभिन्न संदर्भों में स्पष्ट कीजिए।
4. शांति हेतु शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए।

7.7 चर्चा के बिन्दु

1. शांति हेतु शिक्षा की वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए।
2. शांति शिक्षा के विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए।

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. द्वंद का सामान्य अर्थ आवश्यकताओं, इच्छाओं, दृष्टिकोणों और मूल्यों की असंगति है जिसका मतलब है कि व्यक्तियों की दो वर्तमान आवश्यकताओं अथवा लक्ष्यों की पूर्ति एक साथ नहीं की जा सकती है।
2. द्वंद तीन प्रकार का होता है 1. एप्रोच–एप्रोच द्वंद 2. एप्रोच–अवोयडेंस द्वंद **3.** अवोयडेंस–अवोयडेंस द्वंद।
3. शांति को समझने का एक दृष्टिकोण व्यक्ति की आंतरिक शांति (inner peace) के संप्रत्यय से संबन्धित है जिसका तात्पर्य मानसिक संतुष्टि की भावना (Feelings of Contentment) से है। यह मन की ऐसी अवस्था है जब मन किसी भी प्रकार के दबाबों से पूर्णतया मुक्त होता है अर्थात सुखी होता है ।
4. गांधी जी के अनुसार एक व्यक्ति का राज्य के द्वारा, एक समूह के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अथवा मशीनों के द्वारा तथा महिलाओं व पुरुषों द्वारा और एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा किया गया शोषण ही हिंसा का सर्वाधिक प्रचलित एवं व्यावहारिक रूप है।
5. भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार हिंसा तीन प्रकार (शारीरिक, मानसिक और शाब्दिक) की होती है। दूसरों को नुकसान पहुचाने के बारे में सोचना व चिंतन करना मानसिक हिंसा की श्रेणी में रखा गया है । कठोर शब्दों का प्रयोग भी हिंसा का रूप है क्योंकि यह भी दूसरों को आहत करता है । गालियों का प्रयोग शाब्दिक हिंसा का उदाहरण है। शारीरिक बल का प्रयोग दूसरों को हानि पहुचाने हेतु करना शारीरिक हिंसा है । यह हिंसा का सर्वाधिक प्रचलित व परिचित रूप है ।
6. संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर (1998) के अनुसार शान्ति की संस्कृति का आधार लोकतन्त्र, सहनशीलता तथा मानवाधिकारों का सम्मान करना, मतभेदों तथा हिंसा को रोकने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के रूप में

विकास, शान्ति के लिए शिक्षा, सूचनाओं का सुगम आदान–प्रदान तथा महिलाओं की विस्तृत भागीदारी को प्रोत्साहित करना और ऐसे उपाय करना है जिससे शान्ति के लिए उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न हो सके।

7. संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में दशक 2001–2010 को विश्व के बच्चों के लिए शांति की संस्कृति व अहिंसा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है।

8. शांति शिक्षा के ज्ञान व क्रियाओं के निर्धारण के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्धारित किए गए सीमा निर्धारक बिन्दु– अहिंसा, मानव अधिकार, सहिष्णुता, वैश्विक संस्थाएँ (शांति के लिए), परिस्थितकीय जागरूकता हैं।

9. वैश्विक शांति स्थापना हेतु प्रयासरत विभिन्न संस्थाओं जैसे यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनिसेफ के ऐतिहासिक उद्भभवों के कारणों व कार्यों का तार्किक विवरण का अध्ययन शांति शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है।

7.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. कृष्ण मूर्ति, जे० 1992 एजुकेशन एंड सिगनीफिकेंस आफ लाइफ, चेन्नई, कृष्णमूर्ति फ़ाउंडेशन.
2. एन.सी.ई.आर.टी. 2006. नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क 2005. पोजीशन पेपर नेशनल फोकस ग्रुप ऑफ एजुकेशन फॉर पीस, नई दिल्ली.
3. एन. सी.ई. आर. टी. 2005. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005. नई दिल्ली.
4. फ़ाउटेन, एस. 1999. एजुकेशन फॉर पीस इन यूनिसेफ, न्यूयार्क, वर्किंग पेपर एजुकेशन सेक्शन, प्रोग्राम डिविजन, यूनिसेफ.
5. हैरिस ईओन, मारिसन मैरी 2003. पीस एजुकेशन, लंदन, मैकफारलैंड.
6. गाल्टुंग जोहान 1996. 'पीस बाई पीसफुल मींस' लंदन–नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन.
7. हेंडरसन जार्ज 2006. 'एजुकेशन फॉर पीसरू फोकस आन मैनकाइंड' एसोसिएशन फार सुपरवीशन एण्ड करीकुलम डेवलेपमेंट, मीचिगन.
8. नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क 2005. नई दिल्ली, एन. सी.ई. आर. टी.
9. सोलोमन और नेवो 2002. पीस एजुकेशन, द कानसेप्ट प्रिन्सिपल एण्ड प्रेक्टिस एराउंड द वर्ल्ड, लंदन, लारिइंस ईरलबम एसोसिएटस.
10. मारिया मोंटोसरी 1972. एजुकेशन एण्ड पीस, रेजेंसी. यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिगन डिजीटैइज्ड.
11. गुप्ता, एस.पी. और अलका गुप्ता 2008. 'भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ' इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन.

इकाई– 8 : शांति हेतु शिक्षा के लिए युक्तियाँ

इकाई की संरचना

8.1 प्रस्तावना

8.2 इकाई के उद्देश्य

8.3 शांति हेतु शिक्षा के विभिन्न उपागम

8.3.1 सहभागी अधिगम

8.3.2 अनुभवजन्य अधिगम

8.3.3 सहकारी अधिगम

8.3.4 मानवतावादी अधिगम

8.4 शांति हेतु शिक्षा की शिक्षण युक्तियाँ

8.4.1 नाटक और भूमिका निभाने की विधि

8.4.2 परिचर्चा/वाद–विवाद विधि

8.4.3 कहानी कथन विधि

8.4.4 लघु समूह अधिगम

8.4.5 समस्या–समाधान विधि

8.4.6 डायरी लेखन विधि

8.4.7 केस विधि

8.5 सारांश

8.6 अभ्यास के प्रश्न

8.7 चर्चा के बिन्दु

8.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

8.1 प्रस्तावना

शांति के अंतर्गत उस स्थायी भावना के विकास का भाव निहित है जिससे प्रेरित होकर एक व्यक्ति समूह, समाज या देश दूसरों द्वारा अनुसरित विचारों के प्रति सहिष्णुता और भ्रातृत्व भाव प्रवाहित करता रहे। इस भावना से वशीभूत होकर एक व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध क्रोध और घृणा के भाव का त्याग करता है तथा अच्छी बातें जहाँ भी मिल सके उन्हें स्वीकार करता है। शांति के लिए शिक्षा वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम किसी को किसी समाज के स्वरूप और आवश्यकताओं को समझाते हैं और संबन्धित लोगों को उनके मानवाधिकारों की जानकारी देते हैं। 'शांति हेतु शिक्षा' वह शिक्षा है जो किसी ऐसे समाज का विकास करती है जो शोषण, हिंसा और अन्याय से युक्त है। यह युद्ध के विरुद्ध शिक्षा है। यह वह शिक्षा है जो स्वतन्त्रता प्रदान करती है। शांति के लिए शिक्षा एक ऐसी जीवन शैली के विकास हेतु प्रयास है जिससे शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना हो सके ।

शांति के लिए शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में शिक्षक के द्वारा उपयुक्त शिक्षण युक्तियों को अपनाना होगा और एक शांति की संस्कृति के निर्माण की आधारशिला रखनी होगी। पढ़ाने का तरीका शांति की तरफ अभिमुख होगा। ऐसी सभी विधियाँ शांति शिक्षा हेतु उपयुक्त हैं जो विद्यार्थी केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, सृजनात्मक, अनुभवजन्य, सहभागी और मानवतावादी हों। विद्यार्थी के परिपक्वता स्तर तथा विषयवस्तु के अनुरूप शांति मूल्यों

एवं कौशलों के विकास हेतु परिचर्चा, संवाद, प्रस्तुतीकरण, सामूहिक क्रियाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है। विद्यालयी विषयों में ऐसे अवसरों एवं गतिविधियों को चिन्हित किया जा सकता है जिनके माध्यम से शांति शिक्षा दी जा सकती है। यह ज़िम्मेदारी विद्यालय की है। शिक्षाविदों का मत है कि प्रश्न पूछना, कहानी, खेल, परिचर्चा, मूल्य स्पष्टीकरण, रोल प्ले, सिमुलेशन इत्यादि शिक्षण अधिगम के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त युक्तियाँ हैं। इस इकाई में शांति के लिए शिक्षा से संबन्धित कई महत्वपूर्ण शिक्षण युक्तियों का अध्ययन आप करेंगे।

8.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. शांति शिक्षा के विभिन्न उपागमों से परिचित हो सकेंगे।
2. शांति शिक्षा की विभिन्न शिक्षण युक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।
3. परिचर्चा/वाद–विवाद विधि की शांति हेतु शिक्षा में उपयोगिता को समझ सकेंगे।
4. डायरी लेखन की आदत, शांति मूल्य एवं कौशलों को विकसित करने में सहायक हैं उससे अवगत हो सकेंगे।
5. केस विधि की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे।

8.3 शांति हेतु शिक्षा के विभिन्न उपागम

शांति हेतु शिक्षा के अनेक उपागमों का विस्तृत विवरण निम्नवत् किया जा रहा है–

8.3.1 सहभागी अधिगम

सहभागी शिक्षण से तात्पर्य अधिगमकर्ता को अनवेषण करने की अनुमति देना, साझा करने तथा जुडने से है । यह विद्यार्थी को शिक्षक से वाद–विवाद हेतु जुडने का मौका देता है यह परिप्रेक्ष को व्यापक बनाने में विभिन्न दृष्टिकोणो को बोलने और सुनने का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। यह कौशल इस संसार में रहने के लिए आवश्यक क्यूंकि बहुत से द्वंद केवल इसलिए अनसुलझे रह जाते है क्योंकि लोग दूसरे को सुनने से इंकार कर देते है। सहभागी अधिगम शिक्षक नियंत्रक के बजाय सहायक के रूप में काम करता है। शिक्षक का किसी मुद्दे पर निश्चित राय होने के बावजूद भी उन्हे विद्यार्थियों को अपना–2 परिप्रेक्ष व्यक्त करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षाओं में लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं का अनुपालन लोकतान्त्रिक नागरिकता के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के विकास में योगदान कर सकता है ।

8.3.2 अनुभवजन्य अधिगम

अनुभवजन्य शिक्षा से तात्पर्य सीखना उपदेशात्मक साधना से सीखने के बजाय कक्षा में पहल की गयी गतिविधियो से अनुभवों को संसाधित करना है । इसलिए भाषण बहुत कम होता है विद्यार्थी द्वारा की जा रही गतिविधि और अनुभवों से स्वयं के संप्रत्ययों को निर्मित करते है और विचार निर्माण भी करते है । शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का भी यह मानना है कि यह उपागम संरचनावाद उपागम के नजदीक है । संरचनवादी कक्षाएँ मानव निर्माण में सहायता प्रदान करती है । यह विधि परिवर्तन हेतु स्पेस देती है । संरचनवादी शिक्षक लचीले और प्रक्रिया उन्मुख होते है । हमारे संसार को ऐसे सोचने के नए तरीके और नयी प्रक्रियाओं की आवश्यकता है जो हिंसा और द्वंद को पैदा करने वाली व्यवस्था को चुनौती दे सकें ।

8.3.3 सहकारी अधिगम

प्रतिभागियों को परस्पर प्रतिस्पर्धा के बजाय साथ–2 कार्य करने तथा साथ–2 सीखने हेतु अवसरों को प्रदान करना ही सहकारी अधिगम है । सहकारी अधिगम सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के साथ–2 विद्यार्थियों के बीच सम्बन्धों को परिष्कृत करता है। यह उपागम अलगाव को कम करता है और सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है । सहकारी कक्षा में विद्यार्थी एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते है और अधिगम क्रियाओं की सफलता प्रत्येक विद्यार्थी के योगदान पर निर्भर करता है । यदि विद्यार्थी कक्षा में सहकारी प्रक्रियाओं को अनुभव करतें है तो उनकी ये आदतें अंतःक्रिया के बड़े दायरें में उपयोग की जा सकती हैं ।

8.3.4 मानवतावादी अधिगम

मानवतावादी शिक्षा के प्रतिपादक कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो हैं । मानवतावादी कक्षा में विद्यार्थी की सामाजिक, व्यक्तिगत और भावात्मक विकास को महत्व दिया जाता है। व्यक्ति जैसे हैं उसी रूप में स्वीकार किया जाता है। यह आत्म–सम्मान की समझ को बढ़ावा देने के लिए 'आत्म' अथवा 'स्व' के संप्रत्यय को विकसित करती है। इसमें सभी विद्यार्थी महत्वपूर्ण एवं उपहार स्वरूप माने जाते हैं। मानववादी कक्षा में शिक्षक समानुभूति वाले और दृढ़–प्रतिज्ञ होते हैं। वे अपने विद्यार्थियों की भलाई में रुचि और चिंता रखते हैं। वे कक्षा में एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान की भावना को प्रदर्शित करते हैं तथा संवेदनशीलता एवं विविधता को कक्षा में प्रोत्साहन देते हैं। ऐसा वातावरण शांति संस्कृति के निर्माण हेतु आवश्यक मूल्यों– प्रेम एवं करुणा का बीजारोपन करता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सहभागी अधिगम से क्या तात्पर्य है?

....

....

2. अनुभवजन्य अधिगम से क्या तात्पर्य है?

....

....

3. सहकारी अधिगम क्या है?

....

....

4. मानवतावादी अधिगम को परिभाषित कीजिए।

....

....

8.4 शांति हेतु शिक्षा की शिक्षण युक्तिया

शांति शिक्षा के लिए विभिन्न शिक्षाविदों ने कई शिक्षण युक्तियों की चर्चा की है। यूनेस्को की गाइड में भी कई शिक्षण विधियों को सुझाया है। उनमे से कुछ प्रमुख विधियों–ड्रामा एवं रोल प्लेइंग विधि, परिचर्चा/वाद–विवाद विधि, कहानी कथन विधि, समस्या–समाधान विधि, लघु समूह शिक्षण विधि, डायरी लेखन विधि एवं केस विधि को इस इकाई के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है।

8.4.1 नाटक और भूमिका निभाने की विधि

ड्रामा एक ऐसी परिस्थिति के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है जिसमें संदर्भ लिखित और सुनियोजित होता है और कुछ बच्चों और किशोरों को ज्ञात भी रहता है। ड्रामा दूसरों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि ड्रामा देखने वाला ड्रामा के संदेश और सूचनाओं को आत्मसात कर सके अथवा उस पर चिंतन कर सके। उदाहरण के लिए इतिहास शिक्षण और भाषा शिक्षण हेतु ड्रामा का प्रयोग किया जा सकता है। मुंशी प्रेमचन्द्र की कहानियों पर ड्रामा का आयोजन परिस्थिति, मूल्यों पर विस्तृत प्रकाश डालने हेतु किया जा सकता है। रोल प्लेइंग एक ऐसी रणनीति है जो विद्यार्थियों की स्थिति को बौद्धिक रूप से समझने के बजाए अनुभव करने का अवसर प्रदान करती

है। यह संज्ञानात्मक एवं भावात्मक दोनों तरह का अधिगम प्रदान करती है। रोल प्ले आत्माभिव्यक्ति को सुदृढ़ करने, समानुभूति की भावना को विकसित करने तथा द्वंद से निपटने हेतु अधिक उपयुक्त विधि है। हूवर (1986) ने रोल प्लेइंग विधि को एक मूल्य केन्द्रित तकनीक के रूप में निम्न–लिखित गुण बताए हैं–

1. आभासी कृत्रिम परिस्थिति अनुदेशन के लिए वास्तविक परिस्थिति से बेहतर मानी जाती है।
2. भावनाएँ व आंतरिक संवेदनाएँ कभी–कभी वास्तविक जीवन में छिप जाती है, वह रोल–प्लेइंग के सत्र के दौरान स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।
3. रोल–प्लेइंग तकनीक अभिनय के आनंद को अधिगम के साथ जोड़ती है।

अभिनयीकरण की सफलता और असफलता का कक्षा–विश्लेषण के लिए उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रोल प्लेइंग तकनीक का फ्लो–चार्ट निम्नलिखित है–

समस्या की पहचान (Identification of Problem)

अभिनय कर्ताओं को स्थितियों एवं भूमिकाओं के बारे में बताना (Developing the Situation)

स्थिति की समुचित व्यवस्था करना (Briefing the role players)

विद्यार्थियों द्वारा प्रेक्षण एवं विश्लेषण

रोल प्लेइंग विधि के गुण–

- यह विद्यार्थियों के बीच सम्प्रेषण की बाधाओं को समाप्त करती है जो कि शांति की संस्कृति के निर्माण हेतु अनिवार्य है।
- यह सक्रिय शाब्दिक अधिगम वातावरण प्रदान करता है।
- यह विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करती है और विद्यार्थियों को आनंद के अवसर भी प्रदान करती है।
- यह समस्या के डायवर्जेंट समाधानों हेतु प्रोत्साहित करती है।
- यह समस्या विश्लेषण और निर्णय क्षमता विकसित करती है।

रोल प्लेइंग गेम का आयोजन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ करवाया जाए। इसके अंतर्गत महापुरुषों के जीवन चरित्रों पर आधारित अभिनय कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इससे विद्यार्थियों में शांति मूल्यों का विकास होगा। जैसे महात्मा गाँधी जी के द्वारा चलाए गए विभिन्न स्वतन्त्रता संबंधी आंदोलन पर रोल प्लेइंग हो सकता है। महात्मा बुद्ध एवं स्वामी महावीर जी के जीवन पर भी रोल प्लेइंग के माध्यम से सिखाया जा सकता है।

8.4.2 परिचर्चा / वाद–विवाद विधि

वाद विवाद विधि शिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी मिलकर किसी प्रकरण, प्रश्न या समस्या के संबंध में स्वतंत्रतापूर्वक सामूहिक वातावरण में विचारों का आदान–प्रदान करते हैं।

जेम्स एम० ली के अनुसार "वाद–विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी रूप से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं।"

योकम तथा सिम्पसन के अनुसार "वाद विवाद बातचीत का एक विशिष्ट स्वरूप है। इसमें सामान्य बातचीत की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं विवेकयुक्त विचारों का आदान–प्रदान होता है। समान्यतः वाद–विवाद में महत्वपूर्ण विचारों एवं समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है।"

वाद–विवाद विधि एक ऐसी विधि है जो विद्यार्थियों को सहभागिता का अवसर प्रदान करती है। अच्छे वाद–विवाद हेतु एक वाद–विवाद को तथ्यात्मक सूचनाओं और अच्छे विचारों पर आधारित होना चाहिए। जब शिक्षा को ऐसा प्रकरण पढाना हो जिसमें विभिन्न पहलुओं को जाँचना और विस्तारित करना हो वाद–विवाद विधि बहुत

लाभचार प्रस्तुत करने दायक होती है। अक्सर अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अन्य विषयों में विद्यार्थियों के समक्ष ऐसे सिद्धान्त, घटनाएँ और आंकड़े प्रस्तुत होते हैं जिन पर चर्चा किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। और विभिन्न दृष्टिकोणो से आलोचनात्मक विचार प्रस्तुत करने पड़ते हैं। कभी–कभी बड़ी कक्षाओं में वाद–विवाद विधि का उपयोग सभी विद्यार्थियों को सहभागिता हेतु सशक्त नहीं कर पाता है। वे विद्यार्थी जो शर्मीले स्वभाव के हैं अथवा जिंहोने प्रकरण की पूर्व तैयारी नहीं की है उनको भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। ऐसे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, बस उनकी आलोचना न करना और उनकी त्रुटियों की ओर इशारा न करना भी उन्हें प्रोत्साहित कर सकता है। त्रुटियों को नोट करके पूरे समूह को अग्रसारित किया जा सकता है या तथ्यों को पुनः व्याख्यायित किया जा सकता है। बड़ी कक्षा को छोटे–छोटे समूहों में बांटकर (यादृक्षिक विधि से) इन समूहों को पढ़ने तथा विषयवस्तु पर परिचर्चा करने की ज़िम्मेदारी दी जा सकती है। शिक्षक की भूमिका सहायक या समन्वयक की हो सकती है। यह तकनीक माध्यमिक स्कूल स्तर के विद्यार्थियों हेतु उपयोग में लायी जा सकती है। छोटे समूहों में ऐसे विद्यार्थी भी वाद–विवाद में भाग लेते हैं जो बड़े समूहों में सहभागिता नहीं करते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना एक–दूसरे की सहायता करने का कार्य करती है।

विद्यालयों में इसके अधोलिखित रूप प्रयोग में लाये जाते है

(अ) अनौपचारिक वाद–विवाद

(ब) औपचारिक वाद–विवाद

(अ) अनौपचारिक वाद–विवाद

इसके संचालन के लिए किन्हीं निर्धारित नियमों या किसी पूर्व निर्धारित पद्धति की आवश्यकता नहीं है। इसमे छात्र या भाग लेने वाले किसी प्रकरण या समस्या पर स्वतंत्रतापूर्वक विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। इस क्रिया का काफी प्रयोग किया जाता है। समान्यतः इसमें शिक्षक ही नेतृत्व करता है। नेता के रूप में उसके अधोलिखित दायित्व होते है–

(i) विचार–विमर्श के लिए प्रस्तुत की गयी समस्या या प्रकरण को सदैव सम्मुख बनाए रखना ।

(ii) छात्रों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि समस्या पर विचार–विमर्श करने के लिए अधिकाधिक छात्रों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।

(iii) वाद–विवाद को संचालित करके उसे गतिशील बनाए रखना।

(iv) वाद–विवाद में छात्रों को सीखने के लिए तत्पर बनाना।

(v) छात्रों को अर्जित ज्ञान के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना।

(ब) औपचारिक वाद–विवादः

इसमें प्रत्येक कार्य विधिवत ढंग से किया जाता है। इसका संचालन पूर्व निर्धारित नियमों या विशिष्ट पद्धति के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार के वाद–विवाद के लिए छात्र स्वयं में से सभापति, मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी चुनते हैं। विचार–विमर्श में भाग लेने वाले सभी छात्र इन पदाधिकारियों के निर्देशन में समस्त कार्यों को संचालित करते हैं। इसमें शिक्षक एक साधारण सदस्य के रूप में कार्य करता है। औपचारिक वाद–विवाद के निम्नलिखित रूप प्रचिलित हैं–

1. पैनल
2. सिंपोजियम
3. फोरम
4. वाद–विवाद प्रतियोगिता

5. साक्षात्कार

वाद–विवाद विधि की विशेषताएँ –

1. इस विधि के द्वारा विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लने वाला बन जाता है।
2. यह विधि स्व–निर्देशन पर बल देती है।
3. यह विद्यार्थियों को अपने भावों एवं विचारों को सुव्यवस्थित रूप में अभिव्यक्त करना सिखाती है।
4. इसमें गलत उपागमों (Wrong Approaches) को अनुत्साहित किया जाता है।
5. यह विधि विद्यार्थियों में आत्म–विश्वास जाग्रत करती है।
6. विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के विकास में सहायक है।
7. यह विधि विद्यार्थियों में सहिष्णुता एवं सहयोग की भावना विकसित करती है।
8. विद्यार्थियों को ध्यान–पूर्वक सुनने और उचित उत्तर देने हेतु प्रेरित करती है।
9. शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर निकट आते हैं और एक–दूसरे को भली–भांति समझते हैं।
10. सृजनात्मक विशेषताओं को बढ़ावा देती है।
11. इससे तर्क शक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है तथा अपनी बात कहने का कौशल विकसित होता है।

सामाजिक उत्तरदायित्वों से संबन्धित विषय एवं सामाजिक समस्याओं के उद्भव के कारणों व उनके समाधान में मानव की भूमिका के महत्व संबन्धित विषय जैसे– नस्लवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि पर स्वस्थ परिचर्चाओं का आयोजन किया जा सकता है। ऐसी फिल्मों की सूची तैयार की जाए जो शांति, न्याय, एकता को बढ़ावा देती हों तथा उन्हें समय–समय पर दिखाकर उन परिचर्चा का आयोजन लाभदायक साबित हो सकता है। सामुदायिक सेवाओं एवं जागरूकता रैलियों का आयोजन समय–समय पर विद्यालय में करवाया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों में समाजसेवी व प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित कर उनसे विद्यार्थियों का संवाद करवाया जा सकता है। इन कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी विद्यार्थियों के माध्यम से कारवाई जाए। इससे उनमें सामुदायिकता, सहयोग, आत्म–निर्भरता आदि गुणो का विकास होगा। शांति से संबन्धित विषयों पर विद्यालयों में समय–समय पर सेमिनार/समूह परिचर्चा का आयोजन किया जाए। विद्यालयों में शिक्षकों व अभिभावकों की संगोष्ठी का आयोजन कर अभिभावकों को शांति से संबन्धित व्यवहारों की जानकारी दी जाए।

8.4.3 कहानी कथन विधि

यह विधि मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। इसमें छात्रों के समक्ष किसी कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। कहानी विधि में पात्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को विषय–वस्तु को समझाने का प्रयास किया जाता है। बच्चों को स्वभावतः कहानी प्रिय होती है। कल्पना की उड़ान में उनकी बहुत सी नैसर्गिक प्रवृत्तियों का विकास होता है। मानव बाल्यावस्था और वृद्धावस्था दोनों में ही कहानी सुनने तथा कहने में रुचि दिखलता है। विभिन्न महापुरुषों के द्वारा शांति स्थापना हेतु किए गए प्रयासों को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहानी के माध्यम से शांति मूल्यों यथा सहयोग, नेतृत्व, प्रेम, सत्यता, सहानुभूति, दया, त्याग आदि का विकास किया जा सकता है। कहानी के अंत में कथानक पर परिचर्चा/संवाद कराया जा सकता है जिससे विद्यार्थियों में सृजनात्मकता जागृत होती है, भय, कुंठा और चिंता अथवा पूर्वग्रह की दबी हुई भावना भी अभिव्यक्त हो सकती है। विद्यार्थियों से कहानी के अंत में उनकी भावनाओं, दृष्टिकोणों और मूल्यों को प्रदर्शित करवाने हेतु प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए। उदाहरण के तौर पर चोरी की कहानी के अंत में यह पूछा जा सकता है कि चोर को क्या दंड दिया जाना चाहिए? गाली देने वाले चरित्र/व्यक्ति को किस तरह समझना चाहिए था? इस तरह के प्रश्नों से उनके अंदर का भय बाहर निकल जाता

है। इस प्रकार उनके अनुभवों को समृद्ध करके एक सांवेगिक रूप से सुरक्षित, सहिष्णु और पूर्वाग्रह से रहित दृष्टिकोण और व्यवहार निर्मित किया जाता है। इस विधि के प्रयोग के दौरान विद्यार्थियों को अपनी कहानियों को सुनने का भी अवसर दिया जा सकता है।

इस विधि की सफलता शिक्षक के निम्न गुणों पर निर्भर है–

(1) शिक्षक जिस कहानी को अपने विद्यार्थियों को सुनाना चाहता है उसकी पाठ्यवस्तु पर उसका अधिकार हो।

(2) कथावाचक को निजत्व की भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए उसको विद्यार्थियों में घुल–मिल जाना चाहिए। तभी वह कहानी कहने में सफलता प्राप्त कर सकेगा।

(3) कहानी कहने का ढंग रोचक, स्वाभाविक तथा भावपूर्ण होना चाहिए। अर्थात उसमें कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए।

(4) उसको अभिनय कल का भी ज्ञान होना चाहिए। जिससे वह भावानुसार अपने हाव–भाव प्रदर्शित कर सके।

(5) कहानी बालकों के मानसिक स्तर, रुचि, अवस्था के अनुकूल होनी चाहिए।

कहानी विधि की विशेषताएँ–

(1) इस विधि के द्वारा जो सिखाने का प्रयास किया जाता है, उसे वे शीघ्रता तथा सुगमतापूर्वक ग्रहण कर लते हैं।

(2) इसके द्वारा मूल्यों का विकास आसानी से किया जा सकता है।

(3) इसके द्वारा बच्चों की रुचि, अवधान को विषय–वस्तु में केंद्रीभूत किया जा सकता है तथा उसमें तन्मयता और एकाग्रता को विकसित किया जाता है।

(4) इस विधि द्वारा कल्पना, स्मरण तथा चिंतन शक्तियों का विकास होता है।

शांति दूत के रूप में प्रसिद्ध महापुरुषों (जैसे–गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक, महात्मा गाँधी, संत कबीर, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला इत्यादि)के जीवन–चरित्र व शांति तथा मानवता के लिए किए गए कार्यों को विद्यार्थियों के समक्ष कहानी कथन विधि के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। शांति से संबन्धित विषयों पर विद्यालयों में बच्चों के बीच भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है तथा ऐसी व्यवस्था की जाए कि बच्चों के विचारों को कम–से–कम महीने में एक बार समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा सके।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. रोल प्लेइंग विधि के गुण लिखिए।

....

....

6. शांति शिक्षा हेतु रोल प्लेइंग का कोई एक उदाहरण दीजिए।

....

....

7. वाद–विवाद विधि की मुख्य विशेषता लिखिए।

....

....

8. किस प्रकार की कहानियों को शांति शिक्षा हेतु चुना जा सकता है?

....

....

8.4.4 लघु समूह अधिगम

लघु समूह अधिगम से तात्पर्य यह है कि कक्षा को छोटी—छोटी इकाइयों में बाँट दिया जाए और फिर उनसे समस्या हल करवायी जाय। प्रत्येक समूह साथ—साथ कार्य करता है। इन समूहों पर विषयवस्तु को पढ़ने और उस पर चर्चा करने की ज़िम्मेदारी होती है। शिक्षक की भूमिका सहायक और समन्वयक की होती है। यह तकनीक माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु प्रयोग में लायी जा सकती है। छोटे समूह में ऐसे विद्यार्थियों के पास भी अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है जो बड़ी कक्षाओं में अक्सर चुप रहते हैं। इस विधि में गणित, भाषा एवं विज्ञान इत्यादि विषयों के कठिन प्रकरणों को इस तरह पढ़ाया जाता है कि समूह के अन्य साथियों का परस्पर भावात्मक सहयोग भी मिल सके। समूह के प्रखर विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की मदद करते हैं। समूह के सदस्यों के बीच एक दूसरे से बेहतर करने की और परस्पर सहयोग करने की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित होती है। यह समस्त परिस्थितियाँ विद्यार्थियों में क्षमा, सहयोग, सहनशीलता इत्यादि मूल्य सीखने का अवसर प्रदान करती हैं।

8.4.5 समस्या—समाधान विधि

समस्या समाधान विधि में किसी समस्या या प्रश्न को एक विशेष स्थिति में वैज्ञानिक ढंग से हल किया जाता है। इसमें तर्क द्वारा किसी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इस विधि की प्रमुख विशेष विशेषता मानसिक एवं आलोचनात्मक चिंतन है। इस विधि में शिक्षण करते समय शिक्षक विद्यार्थी की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने का प्रशिक्षण देता है। समस्या समाधान विधि में वैज्ञानिक विधि का अनुसरण किया जाता है।

कार्टर बी गुड के अनुसार "समस्या विधि निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों के सृजन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिनका समाधान आवश्यक है।"

वास्तव में चिंतन और समस्या समाधान में कोई विशेष अंतर नहीं है। डीवी के अनुसार चिंतन ही समस्या का हल है। तर्क के पद वही हैं जो समस्या—समाधान के पद हैं अतएव जब समस्या समाधान किया जाता है तो तर्क ही की प्रक्रिया हो रही होती है। मानव की विशेषता उसकी तर्क शक्ति ही है। प्रत्येक दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक तर्क की ही महत्ता मानता है। शिक्षण वही अच्छा समझा जाएगा जो तर्क की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाला हो। समस्या समाधान की विधि लोकतान्त्रिक है। इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने हल निकालते हैं। लोकतन्त्र भी इसी बात पर बल देता है। समस्या हल में मानव व्यक्तित्व को महत्व दिया जाता है और स्वतंत्र प्रयोगों पर बल दिया जाता है यही लोकतन्त्र की विशेषता है।

इस विधि में शिक्षक या तो स्वयं विद्यार्थियों को समस्या देता है या विद्यार्थी स्वयं प्रस्तुत कर देते हैं। समस्या एक विद्यार्थी के द्वारा भी प्रस्तुत की जा सकता है तथा कई विद्यार्थी इसको सामूहिक रूप से भी रख सकते हैं। परंतु इसके प्रयोग में यह बल दिया जाता है कि विद्यार्थी समस्या को अपनी समझ कर हल करने के लिए तत्पर रहें। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विद्यार्थियों का समस्या में अपनत्व अनुभव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त समस्या ऐसी चुनी जानी चाहिए जो विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन से संबन्धित हो। समस्या छात्रों की रुचि एवं मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए।

इसमें निम्नांकित सोपनों का अनुसरण किया जाता है—

(1) समस्या की उत्पत्ति एवं चयन,

(2) समस्या का परिभाषीकरण,

(3) समस्या संबंधी आवश्यक तथ्यों का संगठन,समस्या संबंधी परिकलपनाओं का निर्धारण करना व उनकी जांच करना,

(4) समस्या संबंधी तथ्यों की विवेचना एवं विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना,

(5) निष्कर्षों की सत्यता का मूल्यांकन करना।

समस्या समाधान विधि में विद्यार्थी उत्साह व रुचि के साथ सक्रिय रहते हुए जनतांत्रिक ढंग से समस्या के समाधानों पर तर्क, चिंतन व मनन करके समस्या का समाधान करते हैं।

विशेषताएँ–

(1) यह विधि लोकतान्त्रिक है।

(2) यह विधि जीवन की वास्तविक व व्यावहारिक परिस्थितियों से संबन्धित है।

(3) यह पद्धति विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करती है जो कि शिक्षण प्रक्रिया में सहायक है।

(4) इससे छात्रों में निर्णय शक्ति का विकास होता है।

(5) इससे विद्यार्थियों में गहन अंतर्दृष्टि व बौद्धिक चिंतन शक्ति का विकास होता है।

(6) इसमें विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं।

(7) इसके द्वारा उदारता, सहनशीलता जैसे गुणों का विकास होता है।

(8) विद्यार्थियों में स्वयं कार्य करने की भावना आती है जिससे उनके अंदर आत्मनिर्भरता का विकास होता है।

(9) विद्यार्थियों में ज्ञानार्जन संबंधी जिज्ञासा की प्रवृत्ति को उत्साहित किया जाता है।

(10) विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है।

(11) यह विधि विद्यार्थी को पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने से बचाती है।

(12) इस विधि के माध्यम से विद्यार्थी पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं आदि मुद्रित सामग्री का सही उपयोग करने का प्रशिक्षण पाते हैं।

8.4.6 डायरी लेखन विधि

विद्यार्थियों को दैनिक डायरी में घटनाओं को रिकॉर्ड करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऐसा करने से वह अपने कक्षा कार्य, गृह–कार्य एवं दिनचर्या के प्रति गंभीर एवं नियमित हो जाते हैं। डायरी लेखन उन्हें नवीन ज्ञान और अनुभवों की समीक्षा और चिंतन हेतु अवसर प्रदान करता है। यह उन्हें अपने दिनभर के अवांछनीय व्यवहारों पर नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। डायरी लेखन से वे अपने व्यवहार और दृष्टिकोण के पीछे की वास्तविकता से परिचित हो जाते हैं। अपने व्यवहार के पीछे की सकारात्मकता और नकारात्मकता की जानकारी से वे अधिक अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित होते हैं।

प्रत्येक विद्यालय में एक शांति डायरी बनवाई जाय जिसमें विभिन्न धर्मों के पवित्र कथनों, शांति स्थापना से जुड़े किसी एक विषय का विवरण, सम–सामयिक घटनाओं पर उनके विचार तथा शांति के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास आदि का विवरण समय और दिनाँक के साथ नोट करवाया जाए। इससे विद्यार्थियों में शांति के प्रति जागरूकता, समभाव व कर्तव्यनिष्ठा के गुणों का विकास होगा।

शिक्षक विद्यार्थियों के सहयोग से वर्ष में एक बार प्रत्येक कक्षा से शांति पत्रिका का भी प्रकाशन करवाया जा सकता है। शिक्षक शांति स्थापना से जुड़े सम–सामयिक विषयों का निर्धारण कर विद्यार्थियों को लेख व कहानी लिखकर लाने को कहें। यह प्रत्येक विद्यार्थी के अनिवार्य हो। पत्रिका के मार्गदर्शन मण्डल में विद्यार्थियों की सभागिता रखी जाए। इसके द्वारा विद्यार्थियों में आत्म–निर्भरता, सहयोग, जागरूकता (शांति के संदर्भ में) आदि गुणों का विकास होगा।

8.4.7 केस विधि

केस स्टडी विद्यार्थियों को हिंसा अथवा अन्याय की वास्तविक जीवन परिस्थिति को समझने का अवसर प्रदान करती है। केस स्टडी एक प्रकार से कहानियाँ या परिदृश्य होते हैं जिसके विश्लेषण की आवश्यकता होती है।

विद्यार्थियों को समस्या–समाधान कर्ता के रूप में अंतर्निहित मुद्दों, प्रस्थितियों और रुचियों की खोज करता है। केस एक व्यक्ति या समूह द्वारा अनुभव की गयी परिस्थिति या वास्तविक समस्या होती है। केस अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें किसी सामाजिक ईकाई के जीवन की घटनाओं का अन्वेषण एवं विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक इकाई के रूप में किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक समुदाय, घटना, नीति, संगठन आदि को लिया जा सकता है।

केस विधि की विशेषताएँ–

- केस वास्तविकता के एक हिस्से का विश्लेषण करना, वास्तविकता के समीप पहुँचने का प्रयास होता है।
- मानव संवेगों और भावनाओं के द्वारा केस विधि सीखने वाले की रुचि और कल्पना को पकड़ती है।
- केस विधि अन्य सिमुलेटेड तकनीकों की तुलना में अधिक उपयोगी है क्योंकि इसमें वास्तविकता को समझने का अनुभव मिलता है।
- केस विश्लेषण भावनाओं को तथ्यों के रूप में स्वीकार करता है।
- वास्तविक समस्याओं के विश्लेषण द्वारा विद्यार्थी विद्यालय और वास्तविक जीवन के अनुभव के बीच की दूरी को समाप्त करने में सक्षम हो जाता है।
- यह एक ऐसी विधि है जिसके सहारे किसी भी सामाजिक इकाई का अध्ययन पूर्ण–रूपेण किया जाता है।

  केस विधि द्वारा शांति मूल्यों के विकास हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जा सकती है–

- Presentation of Case Material
- Students Interaction with Case Material
- Cogitation by Students on issues involved
- Rereading of Material for events and relationship
- Eliciting issues and problems from students
- Discussions on Why Behaviors and Relations
- Analysis of Case in terms of Discussion Argument

  वैश्विक शांति स्थापना हेतु प्रयासरत विभिन्न संस्थाओं के ऐतिहासिक उदभवों के कारणों व कार्यों का तार्किक विवरण प्रस्तुत करने हेतु केस विधि का उपयोग सबसे उपयुक्त होगा। केस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनिसेफ अथवा यूनेस्को को लिया जा सकता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

9. लघु समूह अधिगम से क्या तात्पर्य है?

....

....

10. शांति डायरी में मुख्य रूप से क्या बातें शामिल की जा सकती हैं?

....

....

11. केस विधि में केस से क्या तात्पर्य है?

....

....

12. केस विधि की मुख्य विशेषताएँ लिखिए।

....

....

13. समस्या समाधान विधि के चरणों/सोपानों को लिखिए।

....

....

कुछ अन्य युक्तियाँ/ गतिविधियां—

- विद्यालय में द्वंद नियोजन पर कार्यशाला का आयोजन मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को द्वंद से निपटने के तरीकों/कौशलों से युक्त किया जा सके।
- विद्यालय में समय—समय पर सांस्कृतिक विभिन्नताओं में समन्वय प्रदर्शित करने वाले तथा धार्मिक उत्सवों से संबन्धित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- शांति के व्यवहार को बच्चों में प्रोत्साहित करने के लिए कुछ बच्चों को अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए पुरस्कृत करने की व्यवस्था करके शांति को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- ऐसी कविता और गीत का पाठ विद्यालय/कक्षा में अवश्य होना चाहिए जो राष्ट्रीय एकता, जिसमें शांति को बढ़ावा देने वाला संदेश निहित हो।
- विद्यार्थियों को अन्याय के शिकार व्यक्तियों से रूबरू करने हेतु क्षेत्र भ्रमण का आयोजन भी किया जा सकता है। हिंसा के शिकार व्यक्ति की व्यथा सुनकर, देखकर उनमें समानुभूति की भावना का विकास किया जा सकता है।
- शांति से संबन्धित विषयों पर कोलाज मेकिंग, पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया जाना अच्छा कदम हो सकता है।
- शांति के क्षेत्र में कार्यरत समाजसेवियों, नेताओं और विचारकों के कथनों, विचारों और भाषणों को एकत्रित करवाकर उन पर संवाद/परिचर्चा का आयोजन भी करवाया जाना चाहिए।
- विद्यार्थियों के समक्ष समाज में व्याप्त हिंसा, अन्याय और असमान वितरण की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे— ह्यूमन डेवेलपमेंट रिपोर्ट (यूएनडीपी का वार्षिक प्रतिवेदन)
- शांति शिक्षा के सफल क्रियान्वयन हेतु शिक्षकों, विद्यार्थियों व अभिभावकों के लिए निर्देशन पुस्तिका तैयार कारवाई जानी चाहिए।

8.5 सारांश

प्रस्तुत इकाई में आपने यह अध्ययन किया कि शांति के लिए शिक्षा हेतु वर्तमान में कौस—कौन से उपागम प्रचिलित हैं। सहभागी अधिगम, अनुभवजन्य, सहकारी तथा मानवतावादी उपागम की विशेषताओं को स्पष्ट किया गया। यह उपागम शिक्षण—अधिगम को किस रूप में स्वीकार करते हैं यह चर्चा भी की गयी। इसके उपरांत शांति शिक्षा की विभिन्न शिक्षण युक्तियों पर विस्तार से चर्चा की गयी।

आपने शांति शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त शिक्षण युक्तियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। ड्रामा एवं रोल प्लेइंग विधि के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि ड्रामा एक ऐसी परिस्थिति के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है जिसमें संदर्भ लिखित और सुनियोजित होता है और कुछ बच्चों और किशोरों को ज्ञात भी रहता है। ड्रामा दूसरों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि ड्रामा देखने वाला ड्रामा के संदेश और सूचनाओं को

आत्मसात कर सके अथवा उस पर चिंतन कर सके। रोल प्लेइंग एक ऐसी रणनीति है जो विद्यार्थियों की स्थिति को बौद्धिक रूप से समझने के बजाए अनुभव करने का अवसर प्रदान करती है। यह संज्ञानात्मक एवं भावात्मक दोनो तरह का अधिगम प्रदान करती है। रोल प्ले आत्माभिव्यक्ति को सुदृढ़ करने, सहानुभूति की भावना को विकसित करने तथा द्वंद से निपटने हेतु अधिक उपयुक्त विधि है। महापुरुषों जैसे महात्मा गाँधी के जीवन चरित्रों पर आधारित रोल प्ले/अभिनय कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। वाद–विवाद विधि के अंतर्गत सामाजिक उत्तरदायित्वों से संबन्धित विषय एवं सामाजिक समस्याओं के उद्भव के कारणों व उनके समाधान में मानव की भूमिका के महत्व संबन्धित विषय जैसे– नस्लवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि पर स्वस्थ परिचर्चाओं का आयोजन किया जा सकता है। ऐसी फिल्मों की सूची तैयार की जाए जो शांति, न्याय, एकता को बढ़ावा देती हों तथा उन्हें समय–समय पर दिखाकर उन परिचर्चा का आयोजन लाभदायक साबित हो सकता है। कहानी के माध्यम से भी शांति मूल्यों यथा सहयोग, नेतृत्व, प्रेम, सत्यता, सहानुभूति, दया, त्याग आदि का विकास किया जा सकता है। यह भी समझा कि समस्या समाधान विधि के माध्यम से भी शांति शिक्षा प्रदान की जा सकती है यह निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों के सृजन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिनका समाधान आवश्यक है। वैश्विक शांति स्थापना हेतु प्रयासरत विभिन्न संस्थाओं के ऐतिहासिक उदभवों के कारणों व कार्यों का तार्किक विवरण प्रस्तुत करने हेतु केस विधि का उपयोग सबसे उपयुक्त होगा। केस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनिसेफ अथवा युनेस्को को लिया जा सकता है।

8.6 अभ्यास के प्रश्न

1. रोल प्लेइंग तकनीक का फ्लो–चार्ट बनाइए।
2. वाद–विवाद विधि के माध्यम से शांति संबंधी कौन से प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं? लिखिए।
3. कहानी कथन विधि के माध्यम से किन शांति संबंधी मूल्यों का विकास किया जा सकता है? लिखिए।
4. समस्या–समाधान विधि के माध्यम से शांति शिक्षा का शिक्षण किस प्रकार करेंगे?
5. डायरी लेखन शांति की शिक्षा हेतु आवश्यक कौन से मूल्यों का विकास करने में सहायक है।

8.7 चर्चा के बिन्दु

1. शांति शिक्षा हेतु सुझायी गयी शिक्षण विधियों को विद्यालय/कक्षा में प्रयोग में लाने के दौरान किन–किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? चर्चा कीजिए।
2. छात्राध्यापक शांति शिक्षा हेतु सुझायी गयी शिक्षण विधियों को विद्यालय में किस प्रकार प्रयोग में लाएँगे? यह चर्चा कीजिए।

8.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. सहभागी शिक्षण से तात्पर्य अधिगमकर्ता को अन्वेषण करने की अनुमति देना, साझा करने तथा जुडने से है। यह विद्यार्थी को शिक्षक से वाद–विवाद हेतु जुडने का मौका देता है यह परिप्रेक्ष को व्यापक बनाने में विभिन्न दृष्टिकोणो को बोलने और सुनने का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है ।
2. अनुभवजन्य शिक्षा से तात्पर्य सीखना उपदेशात्मक साधना से सीखने के बजाय कक्षा में पहल की गयी गतिविधियो से अनुभवों को संसाधित करना है । इसलिए भाषण बहुत कम होता है विद्यार्थी द्वारा की जा रही गतिविधि और अनुभवों से स्वयं के संप्रत्ययों को निर्मित करते है और विचार निर्माण भी करते है ।
3. प्रतिभागियों को परस्पर प्रतिस्पर्धा के बजाय साथ–2 कार्य करने तथा साथ–2 सीखने हेतु अवसरों को प्रदान करना ही सहकारी अधिगम है । सहकारी अधिगम सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के साथ–2 विद्यार्थियों के बीच सम्बन्धों को परिष्कृत करता है
4. मानवतावादी कक्षा में विद्यार्थी की सामाजिक, व्यक्तिगत और भावात्मक विकास को महत्व दिया जाता है। व्यक्ति जैसे हैं उसी रूप में स्वीकार किया जाता है। यह आत्म–सम्मान की समझ को बढ़ावा देने के लिए 'आत्म' अथवा 'स्व' के संप्रत्यय को विकसित करती है।

5. रोल प्लेइंग विद्यार्थियों के बीच सम्प्रेषण की बाधाओं को समाप्त करती है जो कि शांति की संस्कृति के निर्माण हेतु अनिवार्य है। यह सक्रिय शाब्दिक अधिगम वातावरण प्रदान करता है। यह विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करती है और विद्यार्थियों को आनंद के अवसर भी प्रदान करती है। यह समस्या के डायवर्जेंट समाधानों हेतु प्रोत्साहित करती है। यह समस्या विश्लेषण और निर्णय क्षमता विकसित करती है।

6. महात्मा गाँधी जी के द्वारा चलाए गए विभिन्न स्वतन्त्रता संबंधी आंदोलन पर रोल प्लेइंग हो सकता है। महात्मा बुद्ध एवं स्वामी महावीर जी के जीवन पर भी रोल प्लेइंग के माध्यम से सिखाया जा सकता है।

7. वाद–विवाद विधि के द्वारा विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लने वाला बन जाता है। यह विधि स्व–निर्देशन पर बल देती है। यह विद्यार्थियों को अपने भावों एवं विचारों को सुव्यवस्थित रूप में अभिव्यक्त करना सिखाती है। यह विधि विद्यार्थियों में आत्म–विश्वास जाग्रत करती है। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति के विकास में सहायक है। यह विधि विद्यार्थियों में सहिष्णुता एवं सहयोग की भावना विकसित करती है।

8. शांति दूत के रूप में प्रसिद्ध महापुरुषों (जैसे– गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक, महात्मा गाँधी, संत कबीर, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला इत्यादि)के जीवन–चरित्र व शांति तथा मानवता के लिए किए गए कार्यों को विद्यार्थियों के समक्ष कहानी कथन विधि के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है।

9. लघु समूह अधिगम से तात्पर्य यह है कि कक्षा को छोटी–छोटी इकाइयों में बाँट दिया जाए और फिर उनसे समस्या हल करवायी जाय। प्रत्येक समूह साथ–साथ कार्य करता है। इन समूहों पर विषयवस्तु को पढ़ने और उस पर चर्चा करने की ज़िम्मेदारी होती है। शिक्षक की भूमिका सहायक और समन्वयक की होती है।

10. शांति डायरी में विभिन्न धर्मों के पवित्र कथनों, शांति स्थापना से जुड़े किसी एक विषय का विवरण, सम–सामयिक घटनाओं पर उनके विचार तथा शांति के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास आदि का विवरण समय और दिनाँक के साथ नोट करवाया जाए। इससे विद्यार्थियों में शांति के प्रति जागरूकता, समभाव व कर्तव्यनिष्ठा के गुणों का विकास होगा।

11. केस एक व्यक्ति या समूह द्वारा अनुभव की गयी परिस्थिति या वास्तविक समस्या होती है। केस अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें किसी सामाजिक ईकाई के जीवन की घटनाओं का अन्वेषण एवं विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक इकाई के रूप में किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक समुदाय, घटना, नीति, संगठन आदि को लिया जा सकता है।

12. केस विधि की विशेषताओं के अंतर्गत वास्तविकता के एक हिस्से का विश्लेषण करना, वास्तविकता के समीप पहुँचने का प्रयास होता है।मानव संवेगों और भावनाओं के द्वारा केस विधि सीखने वाले की रुचि और कल्पना को पकड़ती है। केस विधि अन्य सिमुलेटेड तकनीकों की तुलना में अधिक उपयोगी है क्योंकि इसमें वास्तविकता को समझने का अनुभव मिलता है। केस विश्लेषण भावनाओं को तथ्यों के रूप में स्वीकार करता है। वास्तविक समस्याओं के विश्लेषण द्वारा विद्यार्थी विद्यालय और वास्तविक जीवन के अनुभव के बीच की दूरी को समाप्त करने में सक्षम हो जाता है।

13. समस्या समाधान विधि के सोपान निम्नलिखित हैं–
    - समस्या की उत्पत्ति एवं चयन
    - समस्या का परिभाषीकरण
    - समस्या संबंधी आवश्यक तथ्यों का संगठन,समस्या संबंधी परिकलपनाओं का निर्धारण करना व उनकी जांच करना
    - समस्या संबंधी तथ्यों की विवेचना एवं विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना
    - निष्कर्षों की सत्यता का मूल्यांकन करना

8.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. कृष्ण मूर्ति, जे० 1992 एजुकेशन एंड सिगनीफिकेंस आफ लाइफ, चेन्नई, कृष्णमूर्ति फ़ाउंडेशन.

2. एन.सी.ई.आर.टी. 2006. नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क 2005. पोजीशन पेपर नेशनल फोकस ग्रुप ऑफ एजुकेशन फॉर पीस, नई दिल्ली.

3. एन. सी.ई. आर. टी. 2005. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005. नई दिल्ली.

4. वेस टू पीसः ए रिसोर्स बुक फॉर टीचर्स.2010 नई दिल्ली, एन. सी.ई. आर. टी.

5. फ़ाउटेन, एस. 1999. एजुकेशन फॉर पीस इन यूनिसेफ, न्यूयार्क, वर्किंग पेपर एजुकेशन सेक्शन, प्रोग्राम डिविजन, यूनिसेफ.

6. हैरिस ईओन, मारिसन मैरी 2003. पीस एजुकेशन, लंदन, मैकफारलैंड.

7. गाल्टुंग जोहान 1996. 'पीस बाई पीसफुल मींस' लंदन—नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन.

8. हेंडरसन जार्ज 2006. 'एजुकेशन फॉर पीसरू फोकस आन मैनकाइंड' एसोसिएशन फार सुपरवीशन एण्ड करीकुलम डेवलेपमेंट, मीचिगन.

9. नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क 2005. नई दिल्ली, एन. सी.ई. आर. टी.

10. सोलोमन और नेवो 2002. पीस एजुकेशन, द कानसेप्ट प्रिन्सिपल एण्ड प्रेक्टिस एराउंड द वर्ल्ड, लंदन, लारिइंस ईरलबम एसोसिएटस.

11. मारिया मोंटोसरी 1982. एजुकेशन एण्ड पीस, रेजेंसी. यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिगन डिजीटैइज्ड.

12. गुप्ता, एस.पी. और अलका गुप्ता 2008. 'भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ' इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन.

इकाई–9 : शांति शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

इकाई की संरचना

9.1 प्रस्तावना

9.2 इकाई के उद्देश्य

9.3 शांति शिक्षा से अभिप्राय

9.4 शांति शिक्षा में योगदान देनेवाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन

9.4.1 संयुक्त राष्ट्र संघ एवं शांति शिक्षा

9.5 सारांश

9.6 अभ्यास के प्रश्न

9.7 चर्चा के बिन्दु

9.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

9.1 प्रस्तावना

इकाई 8 में आपने 'शान्ति के लिए शिक्षा' या 'शान्ति शिक्षा' के व्यूरों एवं नीतियों के विषय में जाना। प्रस्तुत इकाई शांति शिक्षा के अभिप्राय का वर्णन करते हुए शांति शिक्षा के लिए किए जाने वाले विश्वस्तरीय प्रयासों पर रोशनी डालती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत इकाई में शांति शिक्षा के लिए विश्वस्तरीय संस्थाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की गई है। प्रयासों की चर्चा के साथ–साथ इस इकाई में समस्त विश्व में शांति शिक्षा एवं शांति स्थापना के क्षेत्र में कार्य कर रहे कुछ प्रमुख संस्थानों के नाम का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत इकाई शांति शिक्षा के लिए कार्य कर रही संस्थाओं एवं उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की गहन जानकारी प्रस्तुत करता है जो शिक्षाशास्त्र के विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं शान्ति शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए उपयोगी है।

9.2 इकाई के उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. शान्ति शिक्षा को परिभाषित कर सकेंगे।
2. 'शान्ति के लिए शिक्षा' में शामिल तत्वों की विवेचना कर सकेंगे।
3. शान्ति शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे संस्थाओं से अवगत हो सकेंगे।
4. शान्ति स्थापना के लिए कार्य कर रहे संस्थाओं की भूमिका को समझ सकेंगे।
5. शान्ति शिक्षा के लिए युनेस्को द्वारा किए जा रहे प्रयासों का वर्णन कर सकेंगे।
6. शान्ति शिक्षा के लिए युनिसेफ द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कर सकेंगे।

9.3 शान्ति शिक्षा से अभिप्राय

शान्ति शिक्षा जैसा कि सुनने मात्र से ही प्रतीत होता है, 'शान्ति के लिए शिक्षा' अर्थात वैसी शिक्षा जो शांति के वृद्धि में सहायक हो। दूसरे शब्दों में कहे तो शांति की प्रवृति/संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया। लेकिन यह शांति शिक्षा का सामान्य अर्थ है। 'शांति शिक्षा' अपने व्यापक अर्थ में उस प्रक्रिया का नाम है जो मनुष्यों को वैश्विक शांति को प्रोत्साहित करने के लिए न सिर्फ ज्ञान प्रदान करती है बल्कि सशक्त द्वंदों/विवादों को पहचानने, समझने या उसका निवारण करने के लिए तथा वैश्विक संस्कृति को सक्रिय रुप से

प्रोत्साहित एवं स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशलों एवं अभिवृतियों को भी विकसित करती है। इस प्रकार शांति शिक्षा में प्रशिक्षण कौशल तथा मानवाधिकारों पर आधारित शांति की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए आवश्यक सूचनाएँ शामिल होती हैं। युनिसेफ ने 'शांति शिक्षा' को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है।

"शान्ति शिक्षा अपने सामन्य अर्थ में बालकों, युवाओं एवं वयस्कों को द्वंद, विवाद एवं प्रत्यक्ष तथा संरचनात्मक दोनों प्रकार के हिंसा को रोकने, शांतिपूर्ण ढंग से विवादों का समाधान करने तथा अंतर्वैयक्तिक, अंतर्समूह, राष्ट्रीय या अंतराष्ट्रीय किसी भी स्तर पर शांति के अनुकूल दशाओं का निर्माण करने में सक्षम बनाने हेतु व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, और मूल्य को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है"।

इस प्रकास व्यापक अर्थ में 'शांति शिक्षा से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो बालक युवा, वृद्ध सबको शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक दशाओं के निर्माण में सक्षम बनाता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. युनिसेफ द्वारा 'शांति शिक्षा' की दी गई परिभाषा को लिखें।

....

....

9.4 शान्ति शिक्षा में योगदान देने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन

1. युनेस्को;
2. युनिसेफ;
3. इंटरनेशनल इंस्टीट्युट फॉर पीस;
4. पीस डाइरेक्ट;
5. एलायंस फॉर कंफ्लिक्ट ट्रांसफॉरमेशन;
6. अलायंस फॉर पीस बिल्डिंग;
7. बर्ग ऑफ कंफ्लिक्ट रिसर्च;
8. कम्पैन अगेन्सट आर्म्स ट्रेड;
9. सेंटर फॉर सिटिज़न पीस बिल्डिंग;
10. सेंटर फॉर ग्लोबल पीस एंड कनफ्लिक्ट स्ट्डीस;
11. सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस बिल्डिंग;
12. कंकर्डिस इंटरनेशनल;
13. फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल कोलबोरेशन एंड पीस;
14. ग्लोबल नेटवर्क ऑफ विमेंस पीसबिल्डर्स;
15. इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांजिसनल जस्टिस;
16. नॉनवायलेंट पीस फोर्स; तथा

17. पाथवेज्स टु पीस;

उपरोक्त संस्थाओं की भूमिका शांति शिक्षा एवं शांति स्थापना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। अब हम कुछ शांति शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों का वर्णन निम्नवत किया जा रहा है–

9.4.1 संयुक्त राष्ट्र संघ एवं शान्ति शिक्षा

संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक संगठन है जिसकी स्थापना अक्टूबर, 1945 को वैश्विक शांति स्थापित करने एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के सामान्य उद्देश्य से हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर (अधिनियम) में मुख्य रुप से भविष्य में युद्ध को रोकने को दर्शाया गया है जिसको पूर्ण करने के लिए शांति शिक्षा एक सशक्त माध्यम है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न घटकों में से कुछ घटक इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इन घटकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का वर्णन निम्न है।

(i) शान्ति शिक्षा में युनेस्को की भूमिका

संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण घटक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ का यह घटक मुख्य रुप से शिक्षा एवं शैक्षिक नीतियों के लिए उत्तरदायी है इसलिए इससे यह आशा की जाती है कि यह शांति शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करेगा। युनेस्को के प्रस्तावना के प्रारंभ में ही यह बात लिखी हुई है कि चूँकि युद्ध की शुरुआत व्यक्ति के मस्तिष्क में होती है इसलिए उससे रक्षा की शुरुआत भी व्यक्ति के मस्तिष्क में ही होनी चाहिए। हालाँकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य घटक भी शांति के लिए कार्य करते हैं लेकिन युनेस्को उनसे इस बात में भिन्न है कि यह शिक्षा के माध्यम से शांति स्थापित करने की बात करता है। 'शांति शिक्षा की दिशा में युनेस्को ने हाल ही में 'कल्चर एण्ड पीस' नामक परियोजना की घोषणा की । इस दिशा में उसने सन 1953 में एसोसिएटेड स्कूल्स प्रोजेक्टस नेटवर्क (एस्नेट) स्थापित किया जिनमें वर्तमान में 176 देशों के 7900 शैक्षिक संस्थान इसमें शामिल हैं। इस संगठन का मुख्य कार्य शिक्षा की गुणवत्ता तथा भिन्न–भिन्न संस्कृतियों एवं परंपराओं के प्रति सम्मान में वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न देशों के विद्यालयों को जोड़ना, विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट्स देना, स्थानीय एवं क्षेत्रीय अंतर्जालीकरण करना, अंतराष्ट्रीय कैम्पस निर्माण, तथा सभा, परिचर्चा एवं अभियान आदि का आयोजन करना है। इसी क्रम में वर्ष 2000 को 'अंतर्राष्ट्रीय शान्ति वर्ष' तथा दशक 2001–2010 को 'शांति एवं अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक' के रुप में उदघोषित किया गया। युनेस्को 'शांति की संस्कृति' को 5 खंडों में बाँटकर प्रोत्साहित करता है। ये पाँच खंड हैरू शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति तथा संप्रेषण एवं सूचना। शांति शिक्षा के लिए युनेस्को निम्नलिखित कार्य करता है।

- सदस्य राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग स्थापित करता है;
- इस क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों एवं संस्थाओं के अंतर्जाल का निर्माण करता है;
- नीतियों एवं सूचनाओं का विनिमय करता है;
- पाठयपुस्तक, पाठयसामग्री एवं पाठ्यक्रम का विकास करता है;
- शांति एवं मानवाधिकार के प्रति सम्मान स्थापित करने वाले मूल्यों की ओर शैक्षिक नीतियों को उन्मुख करने में सदस्य राष्ट्र के सरकारों की सहायता करता है;
- राष्ट्रों की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों को सशक्त करने तथा शैक्षिक नीतियों के निर्माण में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है;
- पाठयक्रम को उन्नत करने का प्रयास करता है;
- पाठयपुस्तकों एवं पाठ्य सामग्रियों का पुनरीक्षण करता है आदि।

शांति शिक्षा के लिए युनेस्को द्वारा संचालित किए गए कुछ परियोजनाओं को उदाहरणस्वरूप नीचे वर्णित किया गया है–

1. "प्रमोटिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल ह्युमैन राइट्स एण्ड डेमोक्रेसी इन अलबानिया"

   इस योजना में मानवाधिकार शिक्षा पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने तथा अलबानिया के सभी जिलों में मानवाधिकार शिक्षा पर युनेस्को द्वारा प्रकाशित सामग्रियों के संग्रह को वितरित करने हेतु पाठयक्रम का पुनरीक्षण करने पर बल दिया गया।

2. युनेस्को का काठमांडू स्थित कार्यालय नेपाल में 2005 से शांति एवं मानवाधिकार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। सन 2008 में कार्यालय ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या (विशेषतः पहली कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक के सामाजिक अध्ययन के पाठयक्रम) में शांति एवं मानवाधिकार शिक्षा को समाहित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय को सहयोग प्रदान करने हेतु नीति का निर्माण करने एवं कार्यशाला का आयोजन करने हेतु युनिसेफ के साथ साझेदारी की।

3. युनेस्को लाइबेरिया के शिक्षा मंत्रालय को "शांति, मानवाधिकार तथा नागरिक शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए व्यूह योजना के निर्माण हेतु तकनीकि सहायता प्रदान करता है।

4. युनेस्को के नई दिल्ली स्थित कार्यालय ने नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के साथ मिलकर शांति के लिए शिक्षा के लिए विकसित एक मैनुअल के फील्ड टेस्टिंग के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है। ये श्रीलंका के साथ मिलकर भी इस दिशा में काम कर रहे हैं।

5. 'शांति शिक्षा' की ओर व्यक्तियों को आकर्षित करने तथा इस क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए युनेस्को ने वर्ष 1980 में शांति शिक्षा हेतु 'युनेस्को पुरस्कार' की घोषणा की।

6. उपरोक्त परियोजनाओं के इतर शांति शिक्षा को ध्यान में रखते हुए पाठयपुस्तकों, पाठयसामग्रियों, शोधपत्रों आदि के प्रकाशन संबंधी परियोजनाओं का भी समय–समय पर युनेस्को द्वारा संचालन किया जाता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

2. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

   ....

   ....

3. युनेस्को ने एसोसिएटेड स्कूल्स प्रोजेक्टस नेटवर्क (एस्पनेट) की स्थापना किस वर्ष की?

   ....

   ....

4. युनेस्को ने वर्ष 1980 में शांति शिक्षा हेतु किस पुरस्कारकी घोषणा की?

   ....

   ....

5. युनेस्को का नई दिल्ली स्थित कार्यालय किसके साथ मिलकर ''शांति के लिए शिक्षा' के लिए विकसित एक मैनुअल के फील्ड टेस्टिंग के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है?

   ....

....

(ii) युनिसेफ एवं शान्ति शिक्षा

युनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 11 दिसंबर, 1946 को की गई। इसका मुख्यालय न्यूयार्क में है। युनिसेफ शांति शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रयास कर रहा है।

1. बाल अधिकार या मानवाधिकार की शिक्षा

बाल अधिकार और मानवाधिकार की शिक्षा तथा शांति शिक्षा दोनों एक–दूसरे से घनिष्ठ रुप से जुड़े हुए हैं। शांति अधिकारों के निर्गमन के लिए आवश्यक शर्त है तो वहीं दूसरी ओर शांति की स्थापना के लिए मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसको ध्यान में रखते हुए युनिसेफ के लिए गठित कनाडियन नेशनल कमिटि कनाडा में बाल अधिकार के शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है ।

2. विकास के लिए शिक्षा

युनिसेफ में विकास के लिए शिक्षा का आशय शिक्षण एवं अधिगम के उस उपागम का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो वैश्विक भ्रातृत्व, शांति, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत अंतरों को स्वीकार करने एवं युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए समर्पित है। युनिसेफ ने 1995 में मॉरसिस में 'विकास के लिए शिक्षा' के एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में, विद्यालय के शिक्षक 'विकास के लिए शिक्षा' विषय पर अपने खुद के क्रिया–कलाप पाठ्यक्रम में विकसित करते हैं । इसके लिए युनिसेफ की सहायता से मॉरसिस इंस्टीटयुट ऑफ एजुकेशन में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

3.जेंडर प्रशिक्षण

जेंडर विवाद विश्व के सभी समुदायों में पाया जाता है तथा जेंडर भेद एवं विवाद हिंसा का एक प्रमुख कारण है (युनिसेफ आर. ओ. एण्ड ए, 1995)। इसलिए भारत में साक्षी नामक एक एनजीओ द्वारा युवाओं के साथ मिलकर इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। साक्षी बच्चों एवं युवाओं को जेंडर की भूमिका, संबध, जेंडर हिंसा आदि मुद्दों पर खुद के विचारों को अभिव्यक्त करने तथा चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

4. वैश्विक शिक्षा लेबनान में पाठ्यक्रम परिवर्तन

वैश्विक शिक्षा में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, शांति, सहनशीलता, विवाद को नज़रअंदाज करना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, बहुसंस्कृतिवाद, मानव मूल्यों पर तुलनात्मक दृष्टिकोण तथा मानव एवं बाल अधिकार जैसे विषय शामिल हैं। युनिसेफ ने लेबनान में वैश्विक शिक्षा परियोजना की शुरुआत की जिसने क्रिया–कलाप आधारित शिक्षण इकाइयों के निर्माण की शुरुआत की तथा शिक्षण के शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की शुरुआत की। युनिसेफ द्वारा 1995 में एक कोर समूह को वैश्विक शिक्षा के मुख्य सिद्धांतों में प्रशिक्षित किया गया। इस समूह में शिक्षा मंत्रालय के पाठ्यक्रम निर्माण इकाई के प्रतिनिधि, शिक्षण व्यवसाय में शामिल गैर सरकारी संस्थान, निजी विद्यालय तथा उच्च शिक्षा के संस्थान सम्मिलित थे। इस समूह ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए एवं पाठ्यक्रम का निर्माण किया।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

6. युनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

....

....

7. कनाडा में बाल अधिकार की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए युनिसेफ की कौन सी समिति कार्यरत है?

....

(iii) इंटरनेशनल इंस्टीटयूट फॉर पीस

इंटरनेशनल इंस्टीट्युट फॉर पीस एक अंतराष्ट्रींय गैर सरकारी संस्थान है। इसका उद्देश्य शोध कार्यों द्वारा शांति स्थापित करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि इन शोध कार्यों के परिणाम अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक समुदाय, राजनीतिज्ञ तथा नीति निर्माताओं को उपलब्ध हो जाए। यह संस्थान मध्य तथा पूर्वी युरोप के देशों में हो रहे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सुधारों तथा शांति स्थापित करने की एक नीति के रुप में पारस्परिक निर्भरता का अध्ययन करता है। इस संस्थान ने संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्निर्माण एवं शांति स्थापित करने तथा विवादों के समाधान में संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य संस्थानों की भूमिका के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। यह संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहे नृजातियों विवादों के कारण शांति स्थापना के लिए उत्पन्न संकट का भी अध्ययन करती है। इस प्रकार यह संस्थान अपने शोध कार्यों द्वारा वैश्विक शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

(iv) एलायंस फॉर कंफ्लिक्ट ट्रांसफॉरमेशन

यह शिक्षा में नवाचार, प्रशिक्षण तथा शोध के द्वारा शांति स्थापित करने के लिए समर्पित एक संस्था है । यह शिक्षाविदों, युवाओं, समुदायों एवं धार्मिक नेताओं, गैरसरकारी संगठनों तथा सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर सामाजिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए कार्य करता है । इसकी स्थापना 1999 में अमेरिका में हुई। यह संस्था मुख्यतः तीन क्षेत्रों में कार्य करती है

1. शिक्षा एवं युवा;
2. नागरिक समाज एवं समुदाय निर्माण; तथा
3. अंतर्समूह शांति स्थापना

इस संस्था ने मध्य एशिया में 'विवाद समाधान संबंधी शिक्षा' नामक एक परियोजना का संचालन किया जिसके तहत संस्था ने मध्य एशिया में स्थित विश्वविद्यालयों के बीस प्रोफेसरों एवं उच्च स्नातक स्तरीय विद्यार्थियों के लिए दो महीने का एक लंबा सेमिनार विकसित किया। इस सेमिनार का विषय 'पीस सेंट्रल' कार्यक्रम के तहत संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय में विवादों का समाधान' था ।

इस संस्था ने कोरियन शिक्षाविदों के लिए विवाद समाधान संबंधी पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए। यह कोरिया की एक संस्था कोरिया एनबाप्टिस्ट सेंटर के साथ मिलकर सौ से भी ज्यादा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों के शिक्षाविदों को विवाद समाधान संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। संस्था ने रुस के शिक्षाविदों के लिए विवाद समाधान संबंधी प्रारंभिक स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन किया।

(v) एलायंस फॉर पीस बिल्डिंग

यह विवादों के समाधान एवं शांति स्थापित करने के लिए कार्यरत 153 देशों के 100 से भी अधिक संगठनों का एक अंतर्जाल है।इस संस्था का उद्देश्य स्थायित्व के साथ विश्वव्यापी शांति एवं सुरक्षा को उन्नत करना है। यह संस्था शांति स्थापना के लिए कार्य कर रहे विभिन्न स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य कर करती है। यह संगठन शांति स्थापित करने के लिए सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से जागरुकता लाने का प्रयास करती है।

(vi) सेंटर फॉर सिटिज़न पीस बिल्डिंग

1999 से यह संस्था पूरे विश्व में आम नागरिकों के साथ मिलकर शांति स्थापित करने के उपाय ढूंढ रही है। यह संस्था कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के माध्यम से विवादों के समाधान एवं अहिंसा का शिक्षा एवं प्रशिक्षण देती

है। शांति स्थापित करने के क्षेत्र में यह संस्था शोध कार्यों को प्रोत्साहन भी देती है। इस संस्था द्वारा समय–समय पर शांति स्थापना के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार धारकों के व्याख्यान एवं सेमिनार का आयोजन करती है इस संस्था के द्वारा किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्य निम्नालिखित हैं–

1. शान्ति सप्ताह (पीस विक) का आयोजन– इस संस्था के विद्यार्थियों द्वारा प्रति वर्ष शांति सप्ताह (पीस वीक) का आयोजन किया जाता है इस कार्यक्रम का उद्देश्य ज्ञान के विस्तार तथा विविध परिस्थितियों, चाहे वो शैक्षिक हो या सक्रियतावादी, में अहिंसा के अभ्यास द्वारा अधिक विवेकशील एवं उदार समाज का निर्माण करना है। इस कार्यक्रम का आयोजन वर्ष 2013 से किया जा रहा है इस कार्यक्रम के द्वारा शांति स्थापना के लिए प्रयोग में लाए जा रहे नित नवीन नीतियों को सीखने का अवसर मिलता है।

2. वैश्विक शान्ति के लिए शिक्षा–यह एक अभियान है जिसका उद्देश्य शांति की संस्कृति' पर आधारित विश्व का निर्माण करना है इस अभियान के पीछे यह मान्यता है कि शांति की बुनियाद शिक्षा है और विश्व की बुनियाद शांति अतः,शांति शिक्षा को शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाने के लिए इस अभियान का संचालन किया जाता है।

3. अहिंसा संबंधी शोध कार्य– वर्ष 1999 से यहाँ संस्था कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे अहिंसा संबंधी शोध कार्यों को प्रोत्साहित एवं प्रकाशित करता हैद्य

4. ओलिव ट्री इनिशिएटिव– मार्च 2007 में, विभिन्न धर्मो एवं दृष्टिकोणों वाले विद्यार्थियों ने मिलकर इजरायल–फिलिस्तीन विवाद पर चर्चा हेतु सेंटर फॉर पीस बिल्डिंग के 'स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज' की सहायता से 'ओलिव ट्री इनिशिएटिव' नामक एक समूह की स्थापना की इनका उद्देश्य आनुभविक अधिगम द्वारा इजरायल–फिलिस्तीन विवाद के संदर्भ में तथ्य आधारित ज्ञान प्राप्त करना है विद्यार्थी एवं शिक्षक प्रतिवर्ष विवादित स्थान की यात्रा कर सकते हैं ताकि वो विवादग्रस्त क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, धर्मगुरुओं, राजनेताओं एवं समाज के प्रमुख लोगों के साथ बात–चीत कर तथ्यों की सही जानकारी ले सके वापस लौट के आने के बाद ये विद्यार्थी विभिन्न मंचों पर एवं धार्मिक स्थानों में अपने अनुभवों को साझा करते हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

8. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पीस किस प्रकार का संस्थान है?

....

....

9. एलायंस फॉर कंफ्लिक्ट ट्रांसफॉरमेशन की स्थापना कहां एवं किस वर्ष हुई थी?

....

....

(vii) इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांजिसनल जस्टिस

इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांजिसनल जस्टिस की स्थापना वर्ष 2001 में की गयी यह एक अंतराष्ट्रीय गैर लाभ संगठन है जो मानवाधिकारों के उल्लंघन को कम कर राज्य संस्थानों को मानवाधिकार के रक्षक के रुप में लोगों के मन में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करती है। इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की कुछ झलक निम्नलिखित हैं

1. यह संस्था, टयूनीशिया में, पूर्व में हुए मानवाधिकारारों के उल्लंघन की जांच के कार्य में लगे सरकारी निकायों और न्यायपालिका को अन्यत्र कहीं भी लागू प्रासंगिक संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था के विषय में सूचना देने के लिए अपने साझेदारों के साथ कार्य कर रहे हैं।

2. इस संस्था ने बर्मा में स्थानीय लोगो को, जो मानवाधिकार के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे, को मानवाधिकारों के हनन के दस्तावेज निर्माण के लिए प्रशिक्षित किया इस प्रकार यह संस्था मुख्य रूप से मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करती है।

(viii) पीस डाइरेक्ट

पीस डाइरेक्ट एक गैर सरकारी संगठन है जो पूरे विश्व के विवादग्रस्त क्षेत्रों में स्थानीय लोगों द्वारा शांति स्थापना को प्रोत्साहित करता हैद्य यह संस्था मुख्य रूप से 9 देशों में कार्य कर रही है इसके कुछ कार्यों का विवरण निम्नलिखित है

1. बुरंडी में यह संस्था 'ऐक्शन फॉर पीस एण्ड डेवलपमेंट' नामक एक परियोजना संचालित कर रही है जिसमें यह युवाओं को हिंसा को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है

2. इजरायल एवं फिलिस्तीन के विवादग्रस्त क्षेत्रों में यह 'हार्टबिट' जैसी परियोजना चला रही है जिसमें इजरायल और फिलिस्तीन के युवाओं को एक–दूसरे के पास लाने और उनमें एक–दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है इसमें संगीत आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें दोनों देशों के युवा संगीतकार एक–दूसरे के साथ मिलकर कार्यक्रम करते हैं एवं शान्ति को बढ़ावा देते हैं

3. फिलिपिन्स के विवादग्रस्त क्षेत्र में यहाँ संस्था कामागागोगोपा इनकॉरपोरेटिव नाम से एक परियोजना चला रही है इसका उद्देश्य विवाद में फंसे दो समुदायों को एक–दूसरे के करीब लाना है ताकि दोनों विवाद से बाहर निकालकर एक–दूसरे से समरसता के साथ रहा सके यहाँ संस्था मुसलमानों को पूरे विवादग्रस्त क्षेत्र के सामुदायिक संस्थाओं में शामिल कर मुसलमानों एवं ईसाईयों की पूर्वधारना को गलत सिद्ध करती है कामागागोगोपा मुसलमान स्वयंसेवकों को अपनी प्रतिभा का दूसरे समुदाय के लिए प्रयोग करने के लिए सशक्त कर मुसलमानों के अंदर घर किए हुए धार्मिक भेद–भाव को समाप्त करती है।

4. **टुमॉरो पीसबिल्डर्स** – टुमॉरो पीसबिल्डर्स पुरस्कार पीस डाइरेक्ट द्वारा 2013 में शुरू किया गया यह अपने प्रकार का अकेला पुरस्कार है इसके विजेता को वैश्विक प्रसिद्धि एवं नकद धनराशि प्राप्त होती है यहाँ विशेषज्ञों के एक अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा जिसमें शांति स्थापना के क्षेत्र में कार्य करा रहे ख्यातिलब्ध व्यक्ति राजनितिक एवं मीडिया के लोग शामिल होते हैं इस पुरस्कार के द्वारा युवा लोगों को इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

10. इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांजिसनल जस्टिस की स्थापना किस वर्ष हुई?

....

....

11. टुमॉरो पीस बिल्डर्स पुरस्कार की शुरुआत किस संस्था द्वारा किस वर्ष की गयी?

....

....

9.5. सारांश

प्रस्तुत इकाई शांति शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित है इस इकाई में शान्ति शिक्षा के आशय को स्पष्ट करते हुए इस क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यों की चर्चा की गयी है प्रमुख संस्थानों के कार्यों के वर्णन के अलावा शांति शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे कुछ अन्य संस्थानों के नामों का भी उल्लेख किया गया है इन प्रमुख संस्थानों में सर्वाधिक महत्व की संस्था यूनेस्को एवं युनिसेफ है संयुक्त राष्ट्र संघ के ये दोनों घटक शान्ति शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं इन दोनों घटकों द्वारा शान्ति शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विशद व्याख्या की गयी है ताकि शान्ति शिक्षा के विद्यार्थियों को इन घटकों की कार्यपद्धतियों का ज्ञान हो सके इन दोनों के अलावा 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस' जैसी महत्त्वपूर्ण संस्था के कार्यों का भी वर्णन किया गया है पाठकों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए पूरे इकाई को बोध प्रश्नों से सजाया गया है जिसके माध्यम से पाठक स्वयं अपने प्रगति का मूल्यांकन करा सकेद्य इस प्रकार यहाँ इकाई शांति शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों, शान्ति शिक्षा के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिए निश्चित ही उपयोगी है।

9.6 अभ्यास के प्रश्न

1. शान्ति शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है?
2. शान्ति शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे पांच ऐसे संस्थानों के नामों का उल्लेख करें जिनके नामों का उल्लेख इस इकाई में नहीं किया गया है?
3. यूनेस्को के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी देते हुए वर्तमान में शान्ति शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्त्तमान में यूनेस्को द्वारा चलायी जा रही किसी एक परियोजना का वर्णन करें?
4. 'शान्ति की संस्कृति' से आपका क्या आशय है?
5. शान्ति शिक्षा के क्षेत्र में युनिसेफ की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा करें?
6. 'सेंटर फॉर सिटिज़न पीस बिल्डिंग एवं शान्ति शिक्षा' पर एक निबंध लिखें?
7. पीस डाइरेक्ट संस्था द्वारा चलायी जा रही किन्हीं पांच परियोजनाओं का वर्णन करें?

9.7 चर्चा के बिन्दु

1. शान्ति शिक्षा पर चर्चा कीजिए।
2. शान्ति शिक्षा हेतु कार्य कर रहे कुछ संगठनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

9.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. "शांति शिक्षा अपने सामन्य अर्थ में बालकों, युवाओं एवं वयस्कों को द्वंद, विवाद एवं प्रत्यक्ष तथा संरचनात्मक दोनों प्रकार के हिंसा को रोकने, शांतिपूर्ण ढंग से विवादों का समाधान करने तथा अंतर्वैयक्तिक, अंतर्समूह, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय किसी भी स्तर पर शांति के अनुकूल दशाओं का निर्माण करने में सक्षम बनाने हेतु व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, और मूल्य को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है"।
2. अक्टूबर, 1945
3. 1953
4. यूनेस्को पुरस्कार
5. नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन
6. 11 दिसम्बर, 1945
7. कनाडीयन नेशनल कमिटी

8. अंतराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थान
9. अमेरिका, 1999
10. 2001
11. 2013

9.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

इस पूरी इकाई की रचना विभिन्न वेबसाइट्स की सहायता से की गयी है अतः विस्तृत अध्ययन के लिए आप निम्नलिखित संस्थाओं की वेबसाइट्स सर्फ करें

1. युनेस्को;
2. युनिसेफ;
3. इंटरनेशनल इंस्टीटयुट फॉर पीस;
4. पीस डाइरेक्ट;
5. एलायंस फॉर कंफ्लिक्ट ट्रांसफॉरमेशन;
6. अलायंस फॉर पीस बिल्डिंग;
7. बर्ग ऑफ कंफ्लिक्ट रिसर्च;
8. कम्पैन अगेन्सट आर्म्स ट्रेड;
9. सेंटर फॉर सिटिज़न पीस बिल्डिंग;
10. सेंटर फॉर ग्लोबल पीस एंड कनफ्लिक्ट स्ट्डीस;
11. सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस बिल्डिंग;
12. कंकर्डिस इंटरनेशनल;
13. फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल कोलबोरेशन एंड पीस ;
14. ग्लोबल नेटवर्क ऑफ विमेंस पीस बिल्डर्स;
15. इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांजिसनल जस्टिस;
16. ननवायलेंट पीस फोर्स; तथा पाथवेज्स टु पीस;

खण्ड 04 : शांति के लिए शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

खण्ड परिचय

शिक्षक कक्षा के भीतर रहते हुए भी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिक्षक ही भावी नागरिकों का निर्माण करता है। वैश्विक शांति की प्राप्ति तब होगी जबकि प्रत्येक देश के भीतर शांति हो। देश के भीतर तब शांति हो सकती है जबकि समाज में शांति हो। समाज तब शांत होगा जब हर व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर शांत होगा। इसके लिए बालक को प्रारंभिक अवस्था से ही शांति के लिए शिक्षित करना आवश्यक हैं। प्रस्तुत खंड में शांति के लिए शिक्षा में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करेंगे। शांति के लिए शिक्षा में शिक्षक का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि मीडिया की शांति के लिए शिक्षा में भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। इस खंड में यह चर्चा भी की जाएगी की किस प्रकार छात्रों को शांति के लिए संवेदनशील बनाया जा सकता है। प्रस्तुत खंड को तीन इकाइयों में बांटा गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है–

इकाई 10– प्रस्तुत ईकाई में शांति के लिए शिक्षा के सन्दर्भ में अध्यापक की भूमिका पर बताया गया है शिक्षक की व्यक्तिगत् विशेषताओं के बारे में बताया गया है। शिक्षक किस प्रकार की शिक्षण विधियों व् अन्य विद्यालयी गतिविधियों द्वारा शांति के लिए शिक्षा में योगदान दे सकता है उनकी विस्तार से चर्चा की गयी है।

इकाई 11–इस ईकाई में शांति के लिए शिक्षा में बालक अथवा छात्र को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता व् उन गतिविधियों के विषय में बताया गया है जिनसे उनमे संवेदनशीलता उत्पन्न की जा सकती हैं।

इकाई 12–इस इकाई में शांति शिक्षा में मीडिया की भूमिका व मीडिया किस प्रकार शांति शिक्षा में योगदान दे सकता है की चर्चा की गयी है।

इकाई 10 : शांति के लिए शिक्षा के सन्दर्भ में अध्यापक की भूमिका

इकाई की संरचना

10.1 प्रस्तावना

10.2 इकाई के उद्देश्य

10.3 शांति के लिए शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

10.4 शिक्षक की व्यक्तिगत् विशेषता

10.5 शिक्षक की मूल्यगत विशेषता

10.6 शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक

10.7 शैक्षिक युक्तियाँ

10.8 अन्य शैक्षिक गतिविधियाँ

10.9 शिक्षक की समस्या

10.10 अध्यापक शिक्षा में शांति के लिए शिक्षा

10.11 सारांश

10.12 अभ्यास के प्रश्न

10.13 चर्चा के बिंदु

10.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

10.15 कुछ उपयोगी पुस्तकें

10.1 प्रस्तावना

जैसा की हम पिछले खंड में देख चुके हैं शांति शिक्षा व् शांति के लिए शिक्षा में मूलभूत अंतर यह है की शांति शिक्षा शांति के सैद्धांतिक पक्ष का ज्ञान प्रदान करती है वहीँ शांति के लिए शिक्षा बालक को शांति से सम्बंधित प्रत्ययों का सैद्धांतिक ज्ञान न दे कर बालक को शांति के साथ जीने के प्रति उन्मुख करती है। शांति के लिए शिक्षा मूल्य , कौशल व् अभिवृति का विकास करती है जिससे बालक सबके साथ उचित व्यवहार कर सके. शिक्षक शांति के लिए शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शांति के लिए शिक्षा शांति के व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है और किस प्रकार शांतिपूर्ण तरीक से विद्यालय की गतिविधियों का क्रियान्वयन होता है इस पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करतीहै, क्योकि शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षक एवं छात्र अन्तःक्रिया पर आधारित होती है, शांति के लिए शिक्षा के सन्दर्भ में अध्यापक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है. अध्यापक का स्वयं शांति उन्मुख होना अत्यंत आवश्यक है, साथ ही उसको शांति के लिए शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न शिक्षण युक्तियों का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है।

शिक्षक को यह जानकारी होना आवश्यक है की किस प्रकार सीखने की प्रक्रिया को आनंद से अनुप्राणित करे। अखबारों में विद्यालय के अन्दर होने वाली हिंसा की खबरे अत्यंत दुखदायी हैं। जिन विद्यालयों को शांति की पौधशाला बनाना था वह हिंसक गतिविधिया कर रहे हैं। विद्यालयों में होने वाली हिंसा को कम करने में अध्यापक को एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो हमें ऐसे अनेक अध्यापक नजर आते हैं जिन्होंने अपने विद्यार्थियों के सामने एक मिसाल प्रस्तुत की और समाज को दिशा दिखाई जैसे पाश्चात्य सन्दर्भ में सुकरात, प्लेटो और अरस्तू भारतीय सन्दर्भ में वैदिक काल के अनेक गुरु और आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद,टैगोर,महामना मदन मोहन मालवीय, अरबिंदो, सर सैयद अहमद खान, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, कृष्णमूर्ति आदि।

इस इकाई में हम यह समझेंगे किस प्रकार शिक्षक शांति के लिए शिक्षा में अपना योगदान दे सकता हैं।

किस प्रकार वह हिंसक प्रवृतियों को दूर कर सकता है। इस प्रक्रिया में उसमे किन विशेषताओं का होना आवश्यक है इनकी चर्चा की जाएगी।

10.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. शांति के लिए शिक्षक की व्यक्तिगत विशेषताओ को समझ सकेंगे।
2. शांति के लिए शिक्षक में किन मूल्यों का होना आवश्यक है इसके विषय में जान पायेंगे।
3. शांति के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए उसे बता सकेंगे।
4. शांति शिक्षक को किन शैक्षिक युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए उनके विषय में जान सकेंगे।
5. शांति के लिए शिक्षक को किन गतिविधियों को करवाना चाहिए उनको समझ सकेंगे।
6. शांति के लिए शिक्षक को छात्रों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए
7. शिक्षक द्वारा महसूस की जाने वाली समस्याए समझ सकेंगे।
8. अध्यापक शिक्षा में शांति के लिए शिक्षा का समावेश करना क्यों आवश्यक है यह समझ सकेंगे।

10.3 शांति के लिए शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

जैसा कि हम पिछले खंड में समझ चुके हैं कि शांति के लिए शिक्षा शांति शिक्षा से वृहद् प्रत्यय है और शांति के लिए शिक्षक को स्वयं शांति से परिपूर्ण होना चाहिए तभी वह शांति का वाहक बन सकता है। बालक शिक्षक को देख कर उन गुणों को अचेतन रूप से आत्मसात करता है। अतः शिक्षक को स्वयं शांति उन्मुख होना अत्यंत आवश्यक है. यदि शिक्षक स्वयं व्यक्तिगत् स्तर पर शांति उन्मुख नहीं है, तो वह सामजिक स्तर पर शांति का वातावरण बनाने व् सिखाने में पूर्णतः असमर्थ होगा।

शांति के लिए शिक्षा बालक को शांति से सम्बंधित प्रत्ययो का सैद्धांतिक ज्ञान ना दे कर बालक को शांति के साथ जीने का प्रति उन्मुख करती है। शांति के साथ रहने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि व्यवस्था का हर अंग–उपांग भी शांति कि तरफ प्रेरित हो। शांति को विद्यालयी व्यवस्था में स्थापित करने के लिए सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। अध्यापक शांति निर्माता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्यापक का यह पहला उत्तरदायित्व है की वह बालक को एक अच्छा व्यक्ति बनने में सहायता करे। एक अच्छा व्यक्ति ही अच्छे समाज की नीव होता है।

शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श होता है। शिक्षक को स्वयं शांति वाहक का दायित्व निभाना चाहिए। शांति के व्यवहारिक पक्ष में शांति को अपने परिवेश में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। अध्यापक की शांति पूर्ण कक्षा का वातावरण बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यूंकि शांति का प्रथम स्तर व्यक्तिगत स्तर ही होता है।

10.4 शिक्षक की व्यक्तिगत विशेषताए

एक शिक्षक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है की वह स्वयं शांति को समझता व महसूस करता हो। व्यक्तिगत स्तर पर शांति प्राप्त करने के लिए शिक्षक को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। शिक्षक को स्वयं की दैनिक दिनचर्या में ध्यान एवं योग को समाहित करना चाहिये। ध्यान व् योग के द्वारा शिक्षक स्वयं को शांति के प्रति अग्रसर करता है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना भी सीखता है। इसीलिए अध्यापक शिक्षा में योग शिक्षा को समाहित किया जा रहा है। इससे सम्बन्धित कुछ बिन्दु निम्नवत् हैं–

- अध्यापक के लिए शांति को अपने जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। उसे अपने परिवार में प्रेम व् सामंजस्य पूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा इसी प्रेम व् सौहार्द का विस्तार अपने कक्षा के विद्यार्थियों तक करना चाहिए।

- शिक्षक को स्वयं को अभिव्यक्त करने के साथ साथ अन्य को सुनने की कला का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रभावी सम्प्रेषण तभी संभव है जब हम श्रोता की भावनाओ को भी समझ सके। परम्परागत रूप से शिक्षक कक्षा में स्वयं बोलता है और अध्यापक की उपस्थिति में छात्र की आवाज कम ही सुनाई देती है। यह आवश्यक है कि अध्यापक छात्रों को भी स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करे।
- प्रत्येक छात्र को स्वयं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। कक्षा एवं विद्यालय में किसी छात्र के प्रति भेदभाव व् असमानता का व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रकार का भेदभाव अशांति का कारण बनता है।
- शिक्षक को प्रत्येक बालक पर समान ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व व् व्यैक्तिक भिन्नता का सम्मान करना चाहिए।
- कक्षा में किसी समस्या के उत्पन्न होने पर सहयोगात्मक रवैये द्वारा समाधान करना चाहिए। शिक्षक को प्रतिरोध समाप्त करने की कला का ज्ञान होना चाहिए। हर पक्ष की बात सुन कर ही निर्णय करना चाहिए। निर्णय द्वारा ज्यादातर लोगो को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए।
- शिक्षक में गलती पहचानने और उसे सही करने की विनम्रता होनी चाहिए।
- आदर्श शिक्षक को अपने द्वारा किये गए काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए शिक्षक को कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हिंसा शारीरिक व् मानसिक दोनों संदर्भो में प्रयुक्त की जा रही है। अर्थात हिंसा केवल बालक को मारना ही नहीं है बल्कि तीखे शब्दों का प्रयोग, डरा कर अपनी बात मनवाना यह सभी शांतिपूर्ण वातावरण को बाधित करता है।
- शिक्षक को स्वयं भी सीखना आवश्यक है और छात्रों को सिखाना आवश्यक है कि किस प्रकार स्वयं को शांत रखे और शांतिपूर्ण तरीके से समस्या व् परिस्थिति को हल करे।
- शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी किसी गतिविधि में न शामिल हो जो कि विद्यालय के अन्य लोगो के हित में न हो।
- कक्षा में सकारात्मक माहौल रखना चाहिए .समस्या का हल सहयोग व् सामूहिक हितो का ध्यान रखते हुए निकालने का प्रयास करना चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. शिक्षक के लिए व्यक्तिगत स्तर पर शांत होना क्यों आवश्यक है ?

   ....

   ....

2. व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षक किस प्रकार शांति प्राप्त कर सकता है

   ....

   ....

10.5 शिक्षक में मूल्यगत विशेषता

शांति स्वयं अपने अन्दर अनेक मूल्य समाहित रखती है। शिक्षक के व्यवहार में निम्न मूल्यों का समावेश होना चाहिए. शांति के लिए यह पूर्व अपेक्षाए हैं। मूल्यगत विशेषताएं निम्न हैं–

- सामजिक न्याय
- मानव अधिकार
- गैर भेदभाव पूर्ण आचरण, पूर्वाग्रह से मुक्ति
- न्याय
- करुणा
- सामजिक दायित्व
- सहकारिता
- सांस्कृतिक विभिन्नता का सम्मान
- सबके लिए सामान अवसर
- सुरक्षा
- सामंजस्य
- खुलापन

यह अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षक किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। अन्यथा वह अपने छात्रों में भी अनेक धारणाओं को स्थानांतरित कर देता है। अध्यापक के भीतर यदि करुणा, सहिष्णुता, दूसरे के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना होगी तब ही छात्र भी उनका अनुकरण कर के सीख पायेंगे। कहा जाता है कि बच्चे सुन कर कम परन्तु देख कर ज्यादा सीखते है। बच्चे शांति के संस्कारो को तभी सीख पायेंगे जब उनके अध्यापक व्यावहारिक रूप में इसका उदहारण प्रस्तुत करेंगे। यदि अध्यापक स्वयं असमानता एवं गैर भेदभाव पूर्ण व्यवहार का पोषण करेगा तब वह शांति निर्माता की भूमिका निभाने में समर्थ नहीं होगा और न ही वह अपने व्यवहार द्वारा बालको को शिक्षित कर पायेगा। शिक्षक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह सहकारिता मानवाधिकार एवं सभी संस्कृतियों का सम्मान करने वाला हो वह छात्रों को सुरक्षा, सामंजस्य व् सौहार्द के वातावरण में पल्लवित होने का अवसर प्रदान करे।

यदि छात्र को सुरक्षित वातावरण नहीं प्राप्त होगा तो वह स्वयं को अभिव्यक्त करने में भी असमर्थ होगा। शांति पूर्ण वातावरण के लिए उचित संवाद अत्यंत आवश्यक है। संवाद हीनता की स्थिति कुंठा व असुरक्षा का पोषण करती है। शांति के लिए शिक्षा की यह विशेषता होनी चाहिए कि हर बालक स्वयं को सुरक्षित महसूस करे व स्वयं को सयंमित ढंग से अभिव्यक्त कर सके।

शांति के लिए शिक्षा का अर्थ है शांति को शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था, प्रक्रिया व् नियोजन से सम्बद्ध करना। अर्थात शांति मूल्यों को शिक्षा के उददेश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि,तथा मूल्यांकन के साथ समन्वित करना। इनको समन्वित करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है। शांति के लिए शिक्षा के सन्दर्भ में शिक्षक शांति निर्माता की भूमिका निभाता है। शिक्षक ही अधिगम अनुभवों को आनंदपूर्ण बनाता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. शांति के लिए शिक्षा में किन मूल्यों का होना आवश्यक है?

....

....

4. शांति के लिए शिक्षा व् सुरक्षा किस प्रकार सम्बंधित है?

....

....

10.6 अध्यापक व पाठय पुस्तक

अध्यापक को पाठय पुस्तक लिखते समय एवं उनका प्रयोग करते समय मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि वह शांति के लिए शिक्षा के प्रति संवेदनशील हो.पुस्तकों की भाषा उपयुक्त हो उसमे समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिदित्व हो। सभी से सम्बंधित उदाहरण दिए गए हो। बालको के परिवेश से सम्बंधित उदाहरण हो। अध्यापक को विषय के साथ सामजिक आर्थिक असमानताओं, नकारात्मक व्यवहारों, भेदभावपूर्ण व्यवहारों, जाति एवं लिंग आधारित पूर्वाग्रह, बढती हिंसा आदि की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि वह बालको में इनके प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न कर सके। उनमे इनकी उचित समझ विकसित कर सके।

पाठयपुस्तक अध्यापक के हाथ में जाकर ही सफल होती है। अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि जिस पृष्ठभूमि के बालक को पढ़ा रहा है, उसी के अनुरूप उदहारण का प्रयोग करे। हमारी पाठ्य पुस्तकों में ग्रामीण व् जनजातीय वास्तविकता को बहुत कम चित्रित किया जाता है। यह अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करे।

10.7 शैक्षिक युक्तियाँ

यह सत्य है कि शांति के लिए शिक्षा परंपरागत कक्षा शिक्षण द्वारा नहीं प्रदान की जा सकती है। शांति के लिए छात्रों में कुछ विशेष कौशल व् क्षमताओं का विकास करना होगा तभी इसके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।

- जैसे छात्र अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाए
- दूसरों की समस्याओ से समानुभूति कर पायें
- दूसरों का ध्यान रख सकने की भावना उत्पन्न हो
- सहयोग की भावना उत्पन्न हो

इनका समावेश पारंपरिक युक्तियों से संभव नहीं इसके लिए रचनात्मक, छात्र केन्द्रित, अनुभवात्मक तथा सहयोगात्मक शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करना होगा।

कुछ प्रमुख शिक्षण युक्तियाँ इस प्रकार हैं–

1. **खोज विधि**– इस विधि को समस्या समाधान विधि अथवा प्रत्यात्मक विधि भी कहते हैं। इस विधि में रटने व् याद करने को महत्त्व नहीं दिया जाता बल्कि समस्या का समाधान तथा अर्थपूर्ण प्रत्ययों की खोज की जाती है। इस विधि में विद्यार्थी शिक्षक की कम से कम सहायता लेते हुए किसी विशिष्ट समस्या का समाधान या प्रत्यय का उत्तर खोजता है। उसके पश्चात ही अर्थपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचता है। यह विधि तभी प्रभावशाली हो सकती है जबकि कक्षा और विद्यालय का वातावरण सहयोगी हो।
2. **मूल्य स्पष्टीकरण विधि**– इस विधि का प्रयोग विवादास्पद मुद्दों पर परिचर्चा के लिए किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थी एक सक्रिय अंतर्क्रिया द्वारा मूल्यों की जांच करते हैं और मूल्यों का निर्माण करते हैं। इस विधि द्वारा किसी विशेष मूल्य का शिक्षण नहीं होता बल्कि विद्यार्थियों को उनके व्यवहारिक अनुभवों, उनकी अनुभूतियों, भावों, विचारों, दृष्टिकोणों एवं विश्वासों के प्रति जागरूक बनाया जाता है जिससे वह जीवन में जो कुछ चुनते हैं या निर्णय लेते हैं वह अपने मूल्यों के स्पष्टीकरण के पश्चात् ही लेते हैं। मूल्य स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग निम्न विषयों के लिए किया जा सकता है। सामजिक व्यवहार, जातिगत हत्या,युद्ध एवं मानव अस्तित्व, आरक्षण नीति इत्यादि।
3. **न्यायोचित निर्णय की विधि**– इस विधि का प्रयोग नैतिक संकट एवं असमंजस की स्थिति को दूर करने में किया जाता है। इस विधि में शिक्षक छात्रों को फिल्म कहानी अथवा लेख सुना कर उनको एक

परिस्थिति प्रदान करता है। उसके पश्चात वह विद्यार्थियों को स्वतंत्रता देता है कि वह अपने अनुसार कहानी , फिल्म अथवा लेख में छिपे सन्देश का वर्णन करें।

4. **संघर्ष समाधान विधि**– यह विधि यह मान कर चलती है कि संघर्ष की अनुपस्थिति शांति की तरफ ले जाती है। इस विधि में अध्यापक परामर्श द्वारा व् अनेक युक्तियो का प्रयोग करते हुए विद्यार्थी के मस्तिष्क में उत्पन्न वैचारिक दुविधा व् संघर्ष को दूर करने का प्रयत्न करता है।
5. **रोल प्लेयिंग**– इस विधि में अस्थायी रूप से समस्या को उत्पन्न कर विद्यार्थियों को कार्य भार संभालने के लिए कहा जाता है। रोल को निभाते हुए विद्यार्थी अपने स्वनुभव द्वारा मानव संबंधो की अनेक समस्याओं को समझने लगता है। यह विधि व्यक्ति को अपने सामजिक परिवेश में अपने समुदाय के लोगों की सहायता से अपने आपको समझने व् अपनी व्यक्तिगत दुविधाओ व् समस्याओं को दूर करने में मदद करती है।
6. **अंतर्दर्शन विधि**– यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरुप को जानने में मदद करती है। इसके द्वारा भी शिक्षक बालको को अपने विचारों को और स्वयं को समझने की दिशा में प्रेरित कर सकता है।

10.8 शैक्षिक गतिविधियाँ

शांति के लिए शिक्षा में विद्यालयी जीवन को आनंददायी बनाने का प्रयास किया जाता है। इसका दायित्व अध्यापक पर है कि किस प्रकार वह विद्यालय की हर गतिविधि में शांति के मूल्यों का रोपण कर सके। शांति के लिए शिक्षा में कोई अलग से पाठयक्रम नहीं होता बल्कि छात्र अध्यापक एवं विद्यालयी अंतःक्रिया से अनेक व्यवहारिक कौशल सीखते है। उदाहरण स्वरुप यदि शिक्षक अपने सहकर्मियों के सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाता है उनकी पीठ पीछे निंदा करता है और छात्रों के साथ भी उनकी निंदा में आनंद लेता है वह किसी भी प्रकार से अपने व्यवहार के द्वारा शांति के लिए कार्य करने वाला नहीं कहा जाएगा।

विद्यालय में हर व्यक्ति के साथ आदर व् सम्मान का व्यवहार होना चाहिए। यदि छात्र अध्यापक को अपने सहयोगियों व् कर्मचारियों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करते देखेंगे तो वह उसी प्रकार का व्यवहार करना सीखेंगे। यदि शिक्षक आपस में सौहार्द पूर्वक नहीं रहते होंगे तो छात्रों में भी वही सन्देश जायेगा। अतः यह आवश्यक है कि विद्यालय की संस्कृति ही प्रेम सहयोग व् सौहार्द पर आधारित हो। विद्यालय की हर गतिविधि, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शांति की ओर उन्मुख हो। बालकों को सामूहिक गतिविधियों की तरफ प्रेरित किया जाये। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सामूहिक रूप से कार्य करने के अवसर प्रदान किये जाए जिनमें अध्यापक भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहे।

यह समझाना अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षा के द्वारा और शिक्षा के अन्दर किये गए प्रयास शांति उन्मुख समाज की स्थापना कर सकते है। क्योंकि आज के बालक ही कल के नागरिक होंगे। इस लिए शिक्षक के कंधो पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वह मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे व विद्यालय व् कक्षा में उन मूल्यों को स्थापित करे जो कि शांति स्थापना में सहयोग दे। हिंसा का उत्तर हिंसा से देना किसी भी समस्या का हल नहीं है। यह शांति के लिए शिक्षा के मूलभूत दर्शन का भी विरोधी है। अतः दया, मित्रता, समानता आदि मूल्यों को दैनिक जीवन में बढ़ावा दे कर ही शांति के लिए शिक्षा के प्रति अग्रसर हुआ जा सकता है। शिक्षक को स्वयं को शांतिदूत के रूप में स्थापित करना होगा। विद्यालयी गतिविधियों को इस प्रकार संचालित करना होगा। जिसमे सभी को स्वयं को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो। उदहारण स्वरुप सांस्कृतिक गतिविधियों में केवल कुछ छात्र छात्राओं का चुनाव करना अन्य बालको में यह भावना उत्पन्न करता है कि वह इस लायक नहीं है कि उनका चुनाव किया जाये। यह बालको में अलगाव की भावना उत्पन्न करता है, और उसके मन में अन्य साथियों के प्रति दुर्भावना भी पैदा कर सकता है। इसलिए छोटी कक्षा में शिक्षक को सभी छात्रों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

अध्यापक को किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। वैचारिक मतभेद होने पर संघर्ष अथवा विरोध की स्थिति में किस प्रकार परिस्थिति को संभाला जाये अध्यापक को इस विषय पर समय समय पर परिचर्चा करते रहने चाहिए साथ ही स्वयं भी छात्रों के मध्य होने वाले संघर्षो को उपयुक्त विधि द्वारा दूर कर उदहारण प्रस्तुत करना चाहिए।

शांति के लिए शिक्षक को छात्र केन्द्रित होना चाहिए। व्याख्यान के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों द्वारा अधिगम

को मनोरंजक बनाने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा को वृहद् परिपेक्ष्य में देखने का प्रयास करते हुए केवल विषय ज्ञान के आदान प्रदान तक सीमित न रहते हुए बालक में सामजिक कौशल, जीवन कौशल एवं भावात्मक स्थिरता का समावेश भी करना चाहिए।

कक्षा में अनुशासन, चरित्र निर्माण ,विरोध एवं संघर्ष प्रबंधन की जानकारी भी अवश्य देनी चाहिए। छात्रों को विद्यालय एवं कक्षा में सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए। छात्र शिक्षक तक अपनी समस्या को बिना किसी संकोच के पूछ सके यह शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए। यदि शिक्षक छात्र के प्रश्न पूछने पर क्रोधित होगा तब छात्र प्रश्न पूछने से डरने लगेगे। यह शांति के लिए शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करता है। अतः यह शिक्षक की जिम्मेदारी है की बालक को प्रेम व् सौहार्द के माहौल में विकसित होने का अवसर प्रदान करे।

समय समय पर छात्रों में अनेक गतिविधियों द्वारा सेवा एवं सहानुभूति की भावना का विकास करना चाहिए।

छात्रों को उचित प्रकार से संवाद कौशल भी सिखाना अत्यंत आवश्यक है क्योकि अनेक संघर्ष पूर्ण स्थितियाँ संवाद हीनता अथवा गलत संवाद के कारण उत्पन्न होती है।

(अ) अन्य सुझाव–

- शांति के लिए शिक्षा को विद्यालय के सह पाठयक्रम के साथ भी व्यवस्थित किया जा सकता है। शांति से सम्बंधित गतिविधियाँ करायी जा सकती है। शांति से सम्बंधित प्रोजेक्ट दिए जा सकते है।
- वाद विवाद, संगोष्ठी और दृश्य श्रव्य आयोजन द्वारा छात्रों में शांति निर्माण कौशल विकसित करने का प्रयास किया जा सकता है।
- भूमिका निभाने (रोल प्लेयिंग) नाटको, शांति कविताओं के सृजन, शांति गीत इत्यादि में बच्चो की भागेदारी।
- अन्तराष्ट्रीय दिवसों जैसे मानवाधिकार दिवस, बल दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, दिव्यांग दिवस, पर्यावरण दिवस इत्यादि में सहभागिता।
- दूसरो के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना।
- छात्रों को वृद्ध आश्रम अथवा आपदा ग्रस्त स्थानों पर ले जाना चाहिए जिससे उनमे उनके कल्याण की भावना का विकास हो सके।
- विद्यालय एवं पास पड़ोस में राष्ट्रीय दिवस एवं विभिन्न धार्मिक उत्सवों को मानना चाहिए और हर धर्म के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- शिविर का आयोजन करना चाहिए जिसमे विभिन्न रुचियों के बच्चो को साथ साथ अपने मन की रचनात्मक गतिविधि को करने को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- चरित्र निर्माण, टीम वर्क की भावना सहयोग एवं खिलाडी भावना को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियाँ आयोजित करनी चाहिए जिसमें दूसरे विद्यालय के छात्रों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।
- मीडिया में दिखाई जाने वाली हिंसा को सही अर्थों में समझाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है, और परिचर्चा के माध्यम से बालको में मीडिया साक्षरता उत्पन्न की जा सकती है।
- विद्यालय में शांति विषयो पर केन्द्रित पत्रिका निकली जा सकती है।
- नाटक, कठपुतली एवं गीतों के प्रयोग द्वारा निष्पक्षता,अहिंसा और सामजिक सौहार्द की भावना को प्रबल किया जा सकता है।

बोध प्रश्न
टिप्पणी :
क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. शिक्षक को बालक में किन गुणों का विकास करने का प्रयास करना चाहिए ?

   ....

   ....

6. बालक में की विषय ज्ञान के अतरिक्त किन कौशलो का होना आवश्यक है?

   ....

   ....

(ब) शिक्षक को निम्न गतिविधियों से दूर रहना चाहिए

- दमनात्मक अनुशासन से बचना चाहिए .शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए।
- छात्रों का अपमान नहीं करना चाहिए।
- छात्रों की समस्या के प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिए।
- पक्षपात नहीं करना चाहिए।
- छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए।
- सहकर्मियों से अनुचित आचरण नहीं करना चाहिए।
- भावात्मक रूप से संतुलित व्यवहार करना चाहिए।
- विद्यार्थियों को दबाव व् आतंक में नहीं रखना चाहिए।

शिक्षक को स्वयं भी व् अपने छात्रों में भी योग, ध्यान, समाज सेवा, प्रार्थना आदि की आदत का विकास करना चाहिए क्यूंकि शांति की खोज वाह्य वस्तु नहीं है बल्कि आंतरिक संतुष्टि से ही शांति प्राप्त की जा सकती है।

अध्यापक को अपने छात्रों को संघर्ष समाधान की युक्तिया सिखानी चाहिए व् उनका अभ्यास भी करना चाहिए।

समस्यात्मक परिस्थिति को उत्पन्न कर के बालक को उसका समाधान ढूँढने की तरफ प्रेरित करना चाहिए, इससे बालक के भीतर ऐसी परिस्थतिया उत्पन्न होने पर समस्या सुलझाने की प्रवृति का विकास होगा।

(स) अध्यापक को छात्रों के साथ निम्न प्रकार का व्यवहार करना चाहिए–

- अध्यापक को सभी छात्रों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए।
- छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- छात्रों की गलती पर क्रोधित नहीं होना चाहिए।
- हर व्यक्ति के साथ धैर्य पूर्वक व्यवहार करना चाहिए।
- सहज होना चाहिए।
- उसे लचीला होना चाहिए।
- गुस्से वाले स्वभाव का नहीं होना चाहिए।
- छात्रों को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए।
- सम्प्रेषण में कुशल होना चाहिए और छात्रों की समस्याओं को सुलझा सकने की सामर्थ् रखने वाला होना चाहिए।

- कक्षा में परस्पर आदर ,सम्मान एवं प्रेम से परिपूर्ण वातावरण रखना चाहिए.
- छात्र का हितैषी होना चाहिए
- छात्रों का सहयोग करने वाला होना चाहिए
- छात्रों की पहुँच में होना चाहिए। अर्थात छात्र बिना किसी डर व् संकोच के अपनी बात कह सके।

(द) अध्यापक के लिए सुझाव–

- अध्यापक को विद्यालय में शांति स्थापित करने हेतु सकारात्मक विचारधारा का होना चाहिए साथ ही दूसरों को भी प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए।
- यदि अध्यापक कुछ खास गुण जैसे कि किसी को कोई नुकसान न पहुंचाना, दूसरो की अच्छी बातो की तारीफ करना, प्यार करना, दया भाव रखना, दूसरो से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना आदि को अपना लेता है तब उसके संपर्क में आने वाले विद्यार्थी भी परोक्ष रूप से इन व्यवहारों को सीख कर शांति निर्माण प्रक्रिया में योगदान देते है।
- अध्यापक को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और उसपर विजय प्राप्त करने की शक्ति का विकास करना चाहिए। यह समझना आवश्यक है कि क्रोध निर्बल का हथियार है और अध्यापक को अपनी निर्बलता नहीं दिखानी चाहिए।
- अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह छात्रों के मन मस्तिष्क में अपने लिए विश्वास जाग्रत करने का प्रयास करे। अध्यापक को सदैव छात्रों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए।
- अध्यापक को संघर्ष को सही प्रकार से समझना और उसके मूल में जा कर उसे सुलझाने का कौशल विकसित करना चाहिए। जिससे छात्र भी संघर्ष की स्थिति में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए इसे समझ सके। संघर्ष को सुलझाते समय सभी विकल्पों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।
- पृथ्वी पर सभी जीवों के महत्त्व को बताना व् वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को छात्रों को समझाने से भी शांति की प्रक्रिया में सहायक हुआ जा सकता है.
- यह अध्यापक का कर्त्व्य है कि वह छात्रों को एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करे और उनमें आत्मशक्ति पैदा करे जिससे उसे ही नहीं बल्कि पूरे समाज व् देश को लाभ पहुचे।
- अध्यापक एक माली की तरह छात्रों में अच्छे संस्कार व् कौशल का बीज रोपित करता है और समय–समय पर बुरे की खर पतवार को दूर करता रहता है। इस प्रकार वह शांति निर्माता की भूमिका निभाता है।
- कक्षा में सदैव सकारात्मक माहौल रखता है और छात्रों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। कक्षा में किसी भी प्रकार का भय व्याप्त नहीं होने देता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

7. शिक्षक को किन गतिविधियों से दूर रहना चाहिए?

....

....

....

8. शिक्षक को दमनात्मक अनुशासन से क्यों बचना चाहिए?

....

....

10.9 शिक्षक की समस्या

शिक्षक व्यक्तिगत स्तर पर अनेक समस्याओं का सामना कर रहा होता है जब तक वह पेशे व पेशे से सम्बंधित समस्याओं से ग्रसित रहेगा तब तक वह सच्चे अर्थों में शांति निर्माता व शांति दूत नहीं बन सकता है। शिक्षक की समस्यायों का निवारण कर के ही हम उससे शांति दूत होने की अपेक्षा रख सकते है। जब तक शिक्षक की समस्याएँ नहीं दूर की जाएगी वह सच्चे अर्थों में शांति निर्माता नहीं बन सकता।

अनेक राज्यों में शिक्षक उचित तनख्वाह भी नहीं पा रहे होते हैं। व्यवसाय में उनको अनेक अनियमितता का सामना भी करना पड़ता है।

- अध्यापको की व्यावसायिक समस्या दूर करने के लिए किसी प्रकार का कोई न्यायाधिकरण नहीं है.अध्यापको की समस्या पर ध्यान देने के लिए एक सक्षम और प्रभावी तंत्र की जरूरत है.प्रत्येक राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में अध्यापकों के लिए ट्रिब्यूनल स्थापित किये जाने चाहिए, और बड़े राज्यों में उनकी अनेक शाखायें खोलनी चाहिए जिससे शिक्षक अपनी समस्या के समाधान के लिए आसानी से पहुँच सके।
- अध्यापक एवं अभिभावकों को एक मंच पर आ कर अपने विचारों को साझा करना चाहिए। उनके मजबूत सम्बन्ध एक मजबूत समाज की नीव तैयार करते हैं और शांति पूर्ण व्यवस्था स्थापित करते है। अध्यापक एवं अभिभावक दोनों ही छात्र का हित चाहते है इसलिए दोनों का परस्पर सहयोग अपेक्षित है। अभिभावकों द्वारा उचित सहयोग का अभाव भी अध्यापक के लिए समस्या उत्पन्न करता है।
- शांति के लिए शिक्षा के लिए अध्यापक के साथ साथ विद्यालय के हर अंग को सुधार की आवश्यकता को समझ कर उस दिशा में कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। विद्यालय के शांति के पथ पर अग्रसर होने के लिए पूरी संस्था का सहयोग अपेक्षित होता है। उसके अभाव में शिक्षक अपने ध्येय में पूर्णतः सफल नहीं हो सकता।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

9. शिक्षक की समस्या व् शांति के लिए शिक्षा किस प्रकार सम्बंधित है

....

....

10. शिक्षक की व्यावसायिक समस्या किस प्रकार दूर कर सकते है.?

....

....

10.10 अध्यापक शिक्षा में शांति के लिए शिक्षा

शांति के लिए शिक्षा की सफलता अध्यापक के दर्शन, कौशल, जागरूकता और प्रोत्साहन पर निर्भर करती है। क्योकि शांति के लिए शिक्षा का कोई अलग से पाठ्यक्रम नहीं होता बल्कि उसे शिक्षक अपने व्यवहारगत विशेषताओ के द्वारा बालको तक संप्रेषित करने का प्रयास करता है। अतः अध्यापक शिक्षा में भी शांति के लिए शिक्षा का समावेश अत्यंत आवश्यक है। अध्यापक इस प्रकार से तैयार करने चाहिए कि वह विद्यालयों में जा कर शांति निर्माता की भूमिका का उचित निर्वहन कर सके। अध्यापक शिक्षा में निम्न बातो का ध्यान रखना चाहिए।

- भावी अध्यापको को अपनी व् दूसरो की संस्कृति की समझ होनी चाहिये।
- भावी शिक्षको को अपनी व् दूसरौं की संस्कृतियों और राजनीतिक व्यवस्थाओं की जानकारी होनी चाहिए।
- उन्हें जाति, वर्ग, धर्म, अन्य संस्कृतियों और राष्ट्रीय समूहों पर अपना दृष्टिकोण संवैधानिक मूल्यों और अनुभवजन्य तत्वों पर आधारित करना चाहिए।
- उन्हें किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए।
- कक्षा एवं समाज में मिल जुल कर रहने की कला को प्रोत्साहन देना चाहिए।
- भावी अध्यापको को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहिए की वह विद्यार्थियों के विवादों, तनावों, हिंसा व् आक्रामकता से निबटने के लिए तैयार हो सके और उनको शांति के लिए प्रोत्साहित कर सके।
- छात्रों एवं साथियों से सहयोग पूर्ण सम्बन्ध विकसित करने का प्रयास करना चाहिए।
- भावी अध्यापकों को देश की शांति को अस्थिर करने वाले कारकों जैसे लैंगिक असमानता, संघर्ष की विचारधारा, मानवाधिकारों का उल्लंघन, हिंसा एवं उत्पीड़न के प्रति जागरूक करने की भी आवश्यकता है।
- भावी अध्यापकों को यह अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है कि उनकी व्यवसाय के प्रति नैतिक प्रतिबद्धता है और उन्हें राष्ट्र एवं विश्व के भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेनी है।
- अध्यापक शिक्षा में शांति के लिए शिक्षा पर एक पेपर अवश्य होना चाहिए।
- अध्यापक शिक्षण संस्थान में भी शांति के लिए शिक्षा के बुनियादी तत्वों का समावेश करना चाहिए।
- विभिन्न परिस्थितियों में शांति स्थापित करने हेतु व्यावहारिक अनुभव प्रदान किये जाने चाहिए।
- पाठय पुस्तक विश्लेषण करा कर प्रशिक्षु भावी शिक्षकों में संवेदनशीलता उत्पन्न की जा सकती है।
- संघर्षो से निपटने की कला पर समय समय पर कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए।

अध्यापक शिक्षा में "शांति के लिए शिक्षा" को पूरे कार्यक्रम का केंद्रबिन्दु बना कर हर गतिविधि की योजना बनानी चाहिए। शांति सम्बंधित शिक्षण विधियों, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, सहयोगात्मक अधिगम आदि का समावेश करना चाहिए। जो भी योजना विद्यालय के लिए बनायीं जा रही है अध्यापक शिक्षण संस्थान को स्वयं उसका प्रतिरूप बनाना होगा तभी भावी अध्यापक उन गुणों का समावेश कर के शांति निर्माता की भूमिका निभा पायेंगे। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है क्योकि यह ही देश के लिए शिक्षक समुदाय का निर्माण करते हैं।

10.11 सारांश

प्रस्तुत इकाई में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि शिक्षक की "शांति के लिए शिक्षा में" महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक ही विद्यालय में शांति का प्रणेता होता है। वह ही सही समय पर बालको में उचित संस्कार डाल कर उनके भावी नागरिक बनने की नीव तैयार करता है। अतः शिक्षक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह व्यक्तिगत स्तर पर भी शांति पूर्ण हो। स्वयं संघर्ष व मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक नहीं बन

सकता। शिक्षक को स्वयं को शांति पूर्ण करने के लिए प्रयास रत रहना चाहिए। इसके अतरिक्त शिक्षक को बालको में उन मूल्यों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जो की शांति पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है जैसे कि सहयोग ,दया, सौहार्द, मानवाधिकार व कर्तव्य बोध। शैक्षिक गतिविधियों में भी शांति के मूल्यों का पोषण करना चाहिए. किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। बालक को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे वह स्वयं को अभिव्यक्त कर सके।

10.12 अभ्यास के प्रश्न

1. शिक्षक की व्यक्तिगत विशेषताएं क्या हैं?
2. शान्ति के लिए शिक्षा में शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए।
3. शिक्षक की मूल्यगत विशेषताओं को लिखिए।

10.13 चर्चा के बिंदु

1. शिक्षक शांति पूर्ण समाज के निर्माण में महती भूमिका अदा करता है चर्चा कीजिये।
2. शान्ति शिक्षा हेतु शिक्षक की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

10.14 बोध प्रश्न के उत्तर

1. शिक्षक का व्यक्तिगत स्तर पर शांत होना इसलिए आवश्यक है क्यूंकि एक शांत व्यक्ति ही शांति दूत एवं शांति निर्माता की भूमिका निभा सकता है। बिना स्वयं शांति के मूल्यों का अपने जीवन में समावेश किये हुए शिक्षक शांति निर्माता नहीं हो सकता। शांति व्यक्तिगत स्तर से प्रारंभ हो कर सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक स्थापित होती है। व्यक्ति समाज की पहली इकाई है। शिक्षक का पहला उत्तरदायित्व है कि वह बालक को एक अच्छा व्यक्ति बनने में सहायता करे।

2. व्यक्तिगत स्तर पर शांति प्राप्त करने के लिए शिक्षक को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। शिक्षक को स्वयं की दैनिक दिनचर्या में ध्यान एवं योग को समाहित करना चाहिये। ध्यान व् योग के द्वारा शिक्षक स्वयं को शांति के प्रति अग्रसर करता है। ध्यान के द्वारा वह स्व को बेहतर तरीक से समझाने लगता है और अपनी भावनाओ पर नियंत्रण करना भी सीखता है।

3 शांति के लिए शिक्षा में निम्न मूल्यों का होना आवश्यक है– सामजिक न्याय, मानव अधिकार, गैर भेदभाव पूर्ण आचरण, पूर्वाग्रह से मुक्ति, न्याय, करुणा, सामाजिक दायित्व, सहकारिता, सांस्कृतिक विभिन्नता का सम्मान, सबके लिए समान अवसर, सुरक्षा, सामंजस्य, खुलापन।

4. यदि छात्र को सुरक्षित वातावरण नहीं प्राप्त होगा तो वह स्वयं को अभिव्यक्त करने में भी असमर्थ होगा। शांति पूर्ण वातावरण के लिए उचित संवाद अत्यंत आवश्यक है। संवाद हीनता की स्थिति कुंठा व असुरक्षा का पोषण करती है शांति के लिए शिक्षा की यह विशेषता होनी चाहिए कि हर बालक स्वयं को सुरक्षित महसूस करे व स्वयं को सयंमित ढंग से अभिव्यक्त कर सके।

5. दया, मित्रता, समानता आदि मूल्यों को दैनिक जीवन में बढ़ावा दे कर ही शांति के लिए शिक्षा के प्रति अग्रसर हुआ जा सकता है। कक्षा में अनुशासन, चरित्र निर्माण, विरोध एवं संघर्ष प्रबंधन की जानकारी भी अवश्य देनी चाहिए। विद्यालय की संस्कृति ही प्रेम सहयोग व् सौहार्द पर आधारित हो।

6. शिक्षा को वृहद् परिपेक्ष्य में देखने का प्रयास करते हुए केवल विषय ज्ञान के आदान प्रदान तक सीमित न रहते हुए बालक में सामजिक कौशल, जीवन कौशल एवं भावात्मक स्थिरता का समावेश भी करना चाहिए। छात्रों को उचित प्रकार से संवाद कौशल भी सिखाना अत्यंत आवश्यक है क्योकि अनेक संघर्ष पूर्ण स्थितियाँ संवाद हीनता अथवा गलत संवाद के कारण उत्पन्न होती है।

7. अध्यापक को दमनात्मक अनुशासन से बचना चाहिए, शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, छात्रों का अपमान नहीं करना चाहिए, छात्रों की समस्या के प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, सहकर्मियों से अनुचित आचरण नहीं करना चाहिए, भावात्मक

रूप से संतुलित व्यवहार करना चाहिए।

8. अध्यापक को दमनात्मक अनुशासन से बचना चाहिए क्योकि हिंसा के द्वारा किसी भी समस्या का हल नहीं किया जा सकता है। शांति के लिए उन्मुख शिक्षक अपने व्यवहार में हिंसा का प्रयोग कर के छात्रों को अनुचित आचरण सिखाता है।

9. शिक्षक व्यक्तिगत स्तर पर अनेक समस्याओ का सामना कर रहा होता है जब तक वह पेशे व पेशे से सम्बंधित समस्याओ से ग्रसित रहेगा तब तक वह सच्चे अर्थों में शांति निर्माता व शांति दूत नहीं बन सकता है। शिक्षक की समस्यायों का निवारण कर के ही हम उससे शांति दूत होने की अपेक्षा रख सकते है। जब तक शिक्षक की समस्याए नहीं दूर की जाएगी वह सच्चे अर्थों में शांति निर्माता नहीं बन सकता।

10. अध्यापकों की व्यावसायिक समस्या दूर करने के लिए किसी प्रकार का कोई न्यायाधिकरण नहीं है। अध्यापकों की समस्या पर ध्यान देने के लिए एक सक्षम और प्रभावी तंत्र की जरूरत है। प्रत्येक राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में अध्यापकों के लिए ट्रिब्यूनल स्थापित किये जाने चाहिए और बड़े राज्यों में उनकी अनेक शाखाये खोलनी चाहिए। जिससे शिक्षक अपनी समस्या के समाधान के लिए आसानी से पहुँच सके।

10.15 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. यूनेस्को(2001) लर्निंग द वे ऑफ पीस–ए टीचर्स गाइड टू एजुकेशन फॉर पीस ,नई दिल्ली यूनेस्को
2. डेलर्स,जे (1996)लर्निंग द ट्रेजर विथ इन रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कमीशन
3. आफ एजुकेशन फॉर द 21 सेंचुरी,पेरिस यूनेस्को
4. एन.सी.ई.आर.टी. (2000) नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन,नई दिल्ली एन.सी.ई.आर.टी.
5. एन.सी.ई.आर.टी. (2010) शांति के लिए शिक्षा राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र, नई दिल्ली एन.सी.ई. आर.टी.

इकाई 11 : शांति के लिए छात्रों में संवेदनशीलता उत्पन्न करने की आवश्यकता

इकाई की संरचना

11.1 प्रस्तावना

11.2 इकाई के उद्देश्य

11.3 छात्रों को संवेदनशील करने की आवश्यकता

11.4 छात्रों में आवश्यक जीवन कौशल

11.5 आध्यात्मिक व् लोकतान्त्रिक मूल्य

11.6 शांति कौशल व अभिवृत्तियाँ

11.7 सहयोगात्मक शांतिपूर्ण वातावरण प्राप्त करने की युक्तियाँ

11.8 अन्य शैक्षणिक युक्तियाँ

11.9 शांति के प्रति संवेदनशील छात्रों की विशेषताएँ

11.0 सारांश

11.11 अभ्यास के प्रश्न

11.12 चर्चा के बिंदु

11.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

11.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें

11.1 प्रस्तावना

शांति का अर्थ है सहयोग से रहना और शांति शांतिपूर्ण तरीको से ही प्राप्त की जा सकती है। हम शांति को किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान पर बाहार से आरोपित नहीं कर सकते है। शांति स्थापित करने के लिए सभी सम्बंधित व्यक्तियों का पूर्ण सहयोग अपेक्षित होता है। जिस प्रकार एक छोटा सा कंकर पानी में बहुत सारी लहरे उठा देता है। उसी प्रकार अवांछित छोटी से छोटी गतिविधि शांतिपूर्ण व्यवस्था एवं माहौल को खराब कर देती है।

शांतिपूर्ण विद्यालय वह होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहते हो। कोई भी अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए हिंसा व डर का सहारा न लेता हो। आवश्यकता है कि छात्रों में ऐसे मूल्यों, कौशलों व् अभिवृतियों का विकास किया जाए जिससे वह सौहार्दपूर्वक व्यवहार करने वाले ,पूर्ण व्यक्ति व उत्तरदायी नागरिक बनें।

मूल्यों का आन्तरीकरण अनुभव के जरिये होता है। जिसको कक्षा केन्द्रित शिक्षण द्वारा छात्रों में उतनी आसानी से नहीं पहुंचाया जा सकता। इसके लिए सीखने की प्रक्रिया को कक्षा से बाहर ले कर जाना होगा। इसे आनदं से भरपूर करना होगा। उनसे शांति की बात नहीं करनी बल्कि उन्हें शांति के लिए प्रशिक्षित करना होगा। आज मनुष्य अत्यंत भौतिकतावादी समय में जी रहा है पर यह समझने की आवश्यकता है कि एक व्यक्ति जितना अपनी उपलब्धियों के पीछे दौड़ता है, उतना ही अपने प्रिय लोगों तक के साथ संवेदनशील, अन्योन्याश्रित और उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से जुड़ पाने में अक्षम भी होता जाता है। कल के नागरिकों को शांति का रास्ता चुनने के लिए संवेदनशील बनाने का दायित्व विद्यालय व् समाज का ही है।

11.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि—

1. शांति के लिए शिक्षा के लिए छात्रों को संवेदनशील करने की आवश्यकता को समझ पायेंगे।

2. छात्रों में किन जीवन कौशल की आवश्यकता है इनके विषय में जान पायेंगे।
3. छात्रों को शांति के लिए तैयार करने के लिए उनमे आध्यात्मिक मूल्य,लोकतान्त्रिक मूल्य व् शांति मूल्य का समावेश करने का औचित्य समझ पायेंगे।
4. शांति कौशल के अंतर्गत आने वाले मूल्यों को समझ पायेंगे।
5. सम्प्रेषण कौशल, चिंतन कौशल व वैयक्तिक कौशल का विकास किस प्रकार किया जाए इसे जान सकेंगे।
6. शांतिपूर्ण वातवरण प्राप्त करने के अन्य तरीके को समझ सकेंगे।
7. शांति के प्रति संवेदनशील छात्रों की विशेषतायें जान सकेंगे।

11.3 छात्रों को संवेदनशील करने की आवश्यकता

शांति के प्रति संवेदनशील होना शांतिपूर्ण वातावरण की ओर अग्रसर होने का प्रथम चरण है क्योकि यदि हमें यह ही नहीं पता होगा की साध्य क्या है हम सही साधनों का प्रयोग नहीं कर पायेंगे।

छात्रों में संवेदनशीलता का होना अत्यंत आवश्यक है। संवेदनशीलता का अर्थ है बालक अपने जीवन में शांति के प्रति संवेदनशील हो.वह शांत होने के प्रत्यय को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्नशील हो। बालक स्वानुशासित हो, वह अपने स्व को समझता हो। वह सबके साथ सहयोगात्मक व्यवहार करे और मानवाधिकारों के प्रति जागरूक हो। मानवाधिकारों के प्रति जागरूक होने से बालक न सिर्फ अपने बल्कि दूसरे के अधिकारों व अपने कर्तव्यो के विषय में भी समझने लगता है। वह हर समय सचेत रहता है कि दूसरे के अधिकारों का भी हनन न हो। इसके प्रति भी वह सचेत रहे।

संस्था का वातावरण ऐसा होना चाहिए जो कि हिंसा व् प्रतिरोध को दूर करे। लोग अपने मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाये। यह आवश्यक है कि सभी लोग व्यक्तिगत व् सामूहिक स्तर पर शांति व् सौहार्द का वातावरण बनाये रखे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि शांति के लिए शिक्षा सम्पूर्ण विद्यालय के हर अंग में दिखनी चाहिए। पाठ्यचर्या, कक्षा का वातावरण, स्कूल प्रबंधन, शिक्षक विद्यार्थी सम्बन्ध और स्कूल से जुडी तमाम गतिविधियाँ है। यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं यह पाठ्यचर्या विद्यार्थियों में निराशा एवं असुरक्षा तो नहीं भर रही है। साथ ही आवश्यकता है कि विद्यार्थी शांति निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े, शांति निर्माता बनें न कि केवल शांति के उपभोक्ता बनें रहे।

हर बालक सामान रूप से विद्यालयी गतिविधियों में भाग ले सके। उनमे ऐसे संस्कार हो कि वह दूसरे के मत का भी सम्मान करे। हर व्यक्ति शांति के प्रति संवेदनशील हो और शांति के प्रति कटिबद्ध होगा तभी शांतिपूर्ण विद्यालय व् समाज की तरफ अग्रसर हो सकता है।

11.4 छात्रों में आवश्यक जीवन कौशल

सत्य, न्याय, समानता, सहनशीलता, सौहार्द, विनम्रता, एकजुटता और आत्मसंयम– शांति इन सारे मूल्यों को व्यवहार में लाने की बात करती है।

यहाँ निम्न दो बातों को समझना अत्यंत आवश्यक है कि शांति के लिए शिक्षा के दोहरे उद्देश्य है–

1. छात्रों को हिंसा का मार्ग चुनने की जगह शांति का मार्ग चुनने के लिए सशक्त बनाना।
2. छात्रों को शांति का उपभोक्ता बनाने के स्थान पर शांति का सृजक बनाना।

   छात्रों के व्यक्तित्व में निम्न कौशलों को शामिल करना चाहिए जो कि किसी भी व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करते हैं–

- सहयोग,
- संवाद,
- निर्णयन क्षमता,

- समस्या समाधान क्षमता,
- भावात्मक स्थिरता,
- दूसरे के कष्ट को अनुभूति करने की क्षमता,
- सहानुभूति,
- प्रेम
- सत्यता
- शारीरिक एवं मानसिक शुद्धता अर्थात जो सही है वही सोचो बोलो और करो
- आभार की भावना, दूसरे की देखभाल करने की भावना
- उत्तरदायित्व की भावना
- अंहिंसा
- विनम्रता
- सेवा भाव
- शांति स्थापित करने के लिए पहल
- सकारात्मक सोच और आशावाद
- अनुशासन, आत्म नियंत्रण, एकाग्रता, परिश्रम
- दूसरे के प्रति संवेदनशीलता और उनकी मदद करने की योग्यता

शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण, और कौशल के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए आवश्यक है.इसमें जीने की खुशी, प्रेम आशा एवं साहस के आतंरिक संसाधनों के साथ व्यक्तित्व का विकास शामिल है। इसमें मानवाधिकार, न्याय, सहिष्णुता, सहकारिता, सामजिक दायित्व, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान शामिल है। सामजिक न्याय शांति शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण घातक है.समानता और सामजिक न्याय जिसमे गरीबों और वंचितों शोषितों के उत्पीडन न किये जाने सम्बन्धी दृष्टिकोणों पर जोर हो और जिसमे अहिंसा मूलक समाज व्यवस्था के विकास पर जोर हो,उसे शांति शिक्षा का आधार होना चाहिए। मानवाधिकार शांति की अवधारणा का केन्द्रीय आधार है। अगर लोगों के अधिकारों का हनन हो तो शांति का वातावरण नहीं बना रह सकता। मानव अधिकार की बुनियाद गैर भेदभाव पूर्ण आचरण और समता है जो समाज में शांति की व्यवस्था कायम करने की दिशा में काम करते हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. शांति के प्रति संवेदनशीलता से क्या समझते है?

....

....

2. छात्रों में किन जीवन कौशलो का होना आवश्यक है?

....

....

11.5 आध्यात्मिक व लोकतान्त्रिक मूल्य

(1) बालक के व्यक्तित्व के आध्यात्मिक पक्ष का विकास

यह पक्ष विद्यालयों में ठीक प्रकार से नहीं शामिल किया जाता है। क्योकि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। क्योकि बहुत लोग धर्म एवं आध्यात्मिकता को समानार्थी समझ लेते है। बल्कि ऐसा नहीं है.विद्यार्थियों में धर्म के विषय में तार्किक एवं आलोचनात्मक नजरिया विकसित करने की आवश्यकता है। इससे लोगो में अपने धर्म को उच्च कहने की प्रवृति समाप्त होगी और वह सभी धर्मो की अच्छी बाते समझ सकेंगे। यह समझने की भी आवश्यकता है की सभी धर्म साझी आध्यात्मिकता की बात करते है। बालको को सिखाना चाहिए कि एक दूसरे धर्म की भावनाओ व् रीति रिवाजों का आपसी आदर सम्मान करना चाहिए। आन्तरिक शांति के प्रयास करने चाहिए। धार्मिक व्यवहार की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए।

बालकों को बताना चाहिए की किस प्रकार आतंरिक संसाधनों के विकास के द्वारा वह आतंरिक शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। उनमे सोच आस्था और विवेक की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ व्यवहार में समानता विद्यार्थियों में धर्म के बारे में तार्किक एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। ऐसा तभी संभव है जबकि विद्यार्थी इतने कुशल हों कि वह धार्मिक अंधविश्वासों पर जिम्मेदारीपूर्ण तर्कवितर्क करने की योग्यता रखते हों।

(2) लोकतान्त्रिक मूल्य

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि–यह समझाना अत्यंत आवश्यक है कि सभी भारतीय आपस में जो साझा करते हैं वह धर्म नहीं नागरिकता है। नागरिकता राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का ढांचा है। सामूहिक शांति के लिए उत्तरदायी नागरिकता का होना अत्यंत आवश्यक है। बालक की चेतना को एक उत्तरदायी नागरिक बनने की तरफ दिशा देनी चाहिये। नागरिकता लोकतंत्र का सार है। अतः लोकतंत्र की सही जानकारी संविधान की जानकारी होना छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षित व्यक्ति ही अगर नागरिकता सम्बन्धी कर्तव्यों से विमुख रहेगा अथवा अपरिचित रहेगा तो वह शांति पूर्ण समाज की कल्पना से कोसों दूर होगा।

बालको को लोकतान्त्रिक मूल्यों से परिचित कराना चाहिए। उन्हें भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ अंश अवश्य बताने चाहिए जैसे कि प्रस्तावना, अधिकार एवं कर्तव्य, विशेष प्रावधान, नीति निर्देशक सिद्धांत आदि।

भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की जानकारी, विविधता एवं सह अस्तित्व की परंपरा, शांति सम्बन्धी गाँधी जी के विचार आदि की चर्चा कर के भी बालको में शांति के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न की जा सकती है। इसके साथ निम्न को भी सिखाना चाहिए।

- गरिमा
- समानता
- न्याय
- सभी लोगो के अधिकारों की रक्षा
- सहभागिता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- आस्था की स्वतंत्रता

(3) शांति मूल्य व जीवन शैली

बालक को "जियो और जीने दो" की भावना के साथ रहना सिखाना चाहिए। सादगी के साथ रहना, जीवन के सभी रूपों का सम्मान करना, लालच एवं उपभोग से दूर रहना सिखाना चाहिए। जैसा कि गाँधी जी का विचार है कि पृथ्वी के संसाधन सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं न कि कुछ के लालच को पूरा करने के लिए बालको में उत्तरदायित्व की भावना, समुदाय में रहने की भावना का विकास करना चाहिए साथ ही उनको प्रकृति के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए।

(4) शांति मूल्य व राष्ट्रीय एकता

स्मानता, सामजिक न्याय, सहभागिता, सभी के अधिकारों की रक्षा, भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी इन सबको व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने पर बल दे कर छात्रों में इन मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न की जा सकती है। मतभेद प्रत्येक समाज का हिस्सा होते हैं। मतभेद उत्पन्न होने के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे– कि विचारों, विश्वास, विचारधारा, संस्कृति आदि में मतभेद परन्तु एक व्यवस्थित लोकतंत्र में ही बिना हिंसा का सहारा लिए संघर्षो को निपटाने का प्रयास किया जाता है। शांतिपूर्ण हल निकालना, विविधिता के लिए सम्मान विकसित करना और मतभेदों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाना है। इन सब के लिए छात्रों में संवेदनशीलता उत्पन्न करना शिक्षा की प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षा ही लोकतंत्र को मजबूत बनती है। यदि हमारे भावी नागरिक लोकतान्त्रिक मूल्यों को सच्चे अर्थों में अपने अन्दर समाहित नहीं कर पायेंगे उस समाज का लोकतंत्र कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकता। सही अर्थों में लोकतंत्र वही है जहाँ लोगों की सहभागिता हो और लोकतान्त्रिक भागीदारी हो।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. आध्यत्मिक मूल्य के अंतर्गत क्या सिखाया जाता है?

....

....

4. लोकतान्त्रिक मूल्य से क्या समझते है?

....

....

11.6 शांति कौशल व अभिवृतियाँ

राष्ट्रीय फोकस ग्रुप के आधार पत्र के अनुसार बालकों में निम्न कौशल व अभिवृतियाँ विकसित करने पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है –

(1) कौशल

- सक्रिय श्रवण, सम्प्रेषण और चिंतन
- सहयोग और सहनुभूति
- आलोचनात्मक सोच और समस्यात्मक चिंतन
- संघर्ष समाधान
- पाठ्यपुस्तक की सकारात्मक व्याख्या
- सहभागी अध्ययन अध्यापन प्रणाली का उपयोग
- नेतृत्व व निर्णय लेना

(2) अभिवृतियाँ

- सहनशीलता
- मानव प्रतिष्ठा और मतभेद के लिए आदर

- लिंग और जाति संवेदनशीलता
- पर्यावरणीय जागरूकता
- देखभाल और सहानुभूति
- निष्पक्ष निर्णय लेना
- सामजिक जिम्मेदारी और जवाबदेही
- आत्सम्मान
- सकारात्मक बदलाव की ओर तत्परता

सुविधा पूर्वक समझने के लिए और विद्यार्थियों में इन कौशलो को व्यवहारिक रूप से विकसित करने के लिए निम्न तीन भागो में रख सकते हैं जिससे कि वह शांति निर्माता बन सके उनमे व्यवहारतः निम्न तीन कौशल विकसित करने चाहिए–

चिंतन कौशल, सम्प्रेषण कौशल ,वैयक्तिक कौशल

अब हम इन कौशलो के विषय में जानेगे.

11.6.1 चिंतन कौशल

चिंतन कौशल के अंतर्गत् बालक को **आलोचनात्मक चिंतन** सिखाना चाहिए। जिससे कि वह तथ्य विचार और आस्था में भेद करने की योग्यता विकसित कर सकें। भेदभाव और पूर्वाग्रह को पहचान सकें। तर्क में निहित समस्या को पहचान सकें और सही ढंग से तर्क करने की योग्यता विकसित करें न कि कुतर्क में अपनी ऊर्जा बर्बाद करें। बालकों में पूर्वाग्रह रहित चिंतन की योग्यता का विकास करना आवश्यक है। इसके लिए अध्यापक किसी भी विषय पर चर्चा आयोजित कर सकता है। सभी छात्रों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना चाहिए और जहाँ भी लगता है कि उनका कोई भी वक्तव्य पूर्वाग्रहों से प्रभावित है उसे इंगित करना चाहिए। इस गतिविधि से छात्र स्वयं अपने चिंतन के प्रति संवेदनशील होते हैं और अगली बार स्वयं के विचारों को प्रकट करते हुए वह पूर्वाग्रहों से हटने का प्रयास करते हैं।

सूचना प्रबंध– इसके अंतर्गत बालक के भीतर किसी भी परिकल्पना को आकार देने की क्षमता और उसे हल करने की योग्यता को विकसित करना चाहिए। बालकों को यह सिखाना भी आवश्यक है कि किसी भी सूचना को कैसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करे उसे साक्ष्यों के आधार पर आंके। किसी भी बात पर आँख मूँद कर विश्वास न कर ले। आजकल सोशल मीडिया पर भी अनेक सूचनायें चलती रहती हैं ऐसे में बालक को यह सिखाना जरूरी है कि अफवाहों को फैलाने में सहयोग न करे और सूचना की विश्वसनीयता जांच कर ही उस पर विश्वास करे। बालक के अन्दर यह योग्यता भी होनी चाहिए कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व वह सर्वाधिक उचित कार्यवाही के लिए सक्षम होने हेतु संभावित परिणामो को आंक सके।

रचनात्मक चिंतन -बालक को नूतन समाधान और हल तलाशना सिखाना चाहिए। बालक को अनेक दृष्टिकोण से चिंतन करना सिखाना चाहिए। घटना के अनेक पक्षों पर सोचने की कला का विकास करना चाहिए। कक्षा में ऐसी परिचर्चा में बालको को शामिल करना चाहिए जिससे उनमे ऐसी चिंतन शैली विकसित हो सके।

प्रतिबिम्बन– समस्या से अलग रहना और उसके मुख्य हिस्सों को समझना, चिंतन प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखना और किसी भी समस्या से निपटने के लिए रणनीति तैयार करना।

11.6.2 सम्प्रेषण कौशल

अध्यापक को बालको में निम्न कौशलो का विकास करना चाहिए–

- प्रस्तुतीकरण

  विचारों को सुस्पष्ट और संगतिपूर्ण ढंग से व्याख्यायित करने में सक्षम होना अर्थात उन्हें अपने विचारों को मौखिक व लिखित दोनों ही तरह से सुस्पष्ट एवं संगतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करना आना चाहिए।

- सक्रिय श्रवणता

  दूसरे के विचारो को ध्यानपूर्वक सुनना ,समझना एवं पहचानना भी आना आवश्यक है.

- समझौता वार्ता

  विवाद, प्रतिरोध अथवा संघर्ष की स्थिति से निबटने की योग्यता का भी विकास करना चाहिए। बालक को यह कौशल होना चाहिए कि विवाद हल करने की दिशा में सार्थक संवाद किस प्रकार सहायता कर सकता है।

- शरीर संचालन द्वारा जो सम्प्रेषण होता है बालक के लिए उसे भी समझना आवश्यक है। अध्यापक को उसके विषय में भी बालको को अवगत करना चाहिए।

11.6.3 वैयक्तिक कौशल

- सहयोग

  बालको में यह योग्यता विकसित करने की आवश्यकता है कि वह सहयोग के साथ कार्य कर सके। साझे उददेश्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ मिल कर प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।

- आत्म अनुशासन

  आत्म अनुशासन एवं समय प्रबंधन के गुण भी अत्यंत आवश्यक है बालकों को अपने आचरण को उचित बनाये रखना चाहिए और प्रभावकारी ढंग से समय का प्रबंधन करना आना चाहिए।

- उत्तरदायित्व

  बालकों को छोटे छोटे कार्य दे कर उनमे किसी भी कार्य का बीड़ा उठाने और उसे ठीक तरीके से पूरा करने की योग्यता का विकास करना चाहिए .इससे उनमे उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है।

- बालकों को यह भी सिखाना चाहिए कि वह दूसरे की बातो को ध्यान से सुने और किसी भी प्रकार की हिंसक भाषा का प्रयोग न करे। चिढाने के लिए अथवा सामान्य रूप से भी अनुचित शब्दों का प्रयोग न करे।

- कोई भी निर्णय निष्पक्षता और समानता के आधार पर ले, और इस बात को समझे कि दूसरों के विचार आप से अलग भी हो सकते है। अतः उनका भी सम्मान करे।

- बालको में अनुकूलनशीलता होनी चाहिए। यदि कोई विचार तार्किक रूप से सही है और साक्ष्य भी उसे सही प्रमाणित करते हों तो उसे स्वीकार करना चाहिए और उसके प्रति अनुकूल व्यवहार करना चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. चिंतन कौशल के अंतर्गत कौन से कौशल आते हैं ?

....

....

6. सम्प्रेषण कौशल के अंतर्गत कौन सी योग्यता होनी चाहिए?

....

....

7. व्यैक्तिक कौशल के अंतर्गत कौन से कौशल आते हैं ?

....

....

11.7 सहयोगात्मक शांतिपूर्ण वातावरण प्राप्त करने की युक्तियाँ

भौतिक संसाधन व मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता होना शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि सभी संसाधन सभी को उपलब्ध होंगे तो किसी को भी यह नहीं महसूस होगा की वह उन सुविधाओं से वंचित है जो कि अन्य को प्राप्त है। सभी की सुविधाओ का ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति के हित का ध्यान रखना चाहिए। उदहारण स्वरुप यदि कक्षा में स्थान की कमी है और छात्रों की संख्या ज्यादा है। इस परिस्थिति में सभी को असुविधा का सामना करना पड़ेगा और छात्रों का ध्यान शैक्षिक गतिविधि में कम और स्थान प्राप्त करने में ज्यादा रहेगा। भौतिक संसाधनों का सबकी आवश्यकता के अनुरूप होना शांति की और एक मूलभूत कदम होता है। यदि सभी को संसाधन उपलब्ध होंगे तो किसी को भी यह महसूस नहीं होगा की वह उन सुविधाओं से वंचित है जो कि अन्य को प्राप्त है.सभी को संसाधनों की उपलब्धता समानता की तरफ ले जाती है। क्योकि विषमता दूरी उत्पन्न करती है और दूरियाँ वैमनस्यता उत्पन्न करती हैं। विद्यालय में संसाधनों की सामान उपलब्धता विद्यार्थियों में समानता की भावना उत्पन्न करती है।

छात्रों के साथ यदि शिक्षक सहानुभुतिपूर्वक व्यवहार करेंगे तो छात्र भी उनका अनुकरण कर उचित व्यवहार करना सीखेंगे.

विद्यालय में प्रतियोगिता का वातावरण कम व् सहयोगात्मक अधिगम का वातावरण ज्यादा होना चाहिए.इससे टीम भावना को बढावा मिलता है.कक्षा में भी सामूहिक गतिविधियों द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए.

अनुशासन के लिए दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छात्रों को प्रारंभ से ही स्वानुशासन के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए न कि वह वाह्य दबाव में अनुशासित रहे। स्वानुशासन बालक को जीवन के लिए तैयार करता करता है।

पाठ्य सहगामी क्रियाओ द्वारा भी छात्रों को शांति के प्रति उन्मुख करने का प्रयास किया जा सकता है एवं उनमे संवेदनशीलता उत्पन्न की जा सकती है।

शांति के लिए संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिए पुस्तकीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती बल्कि छात्रों को छोटे छोटे खेल द्वारा भी सिखाया जा सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में शांति की जानकारी के किये कुछ गतिविधियाँ बताई गयी हैं।

जैसे पांच वर्ष के ऊपर के विद्यार्थियों को एक पंक्ति में खड़ा करे फिर सबसे आगे खड़े बालक को एक पत्ती दे दे। फिर बच्चो को यह निर्देश दे कि वह पत्ती को अपने पीछे वाले को देते जाये। जब पत्ती सबसे पीछे खड़े

बालक के पास पहुच जाये तो पुनः उसी प्रक्रिया को दोहराए जब तक पत्ती सबसे आगे खड़े बालक तक न आ जाये। इस क्रिया के पश्चात छात्रों से पत्ती के आकार पर होने वाले परिवर्तन की चर्चा करे। इससे बालको में अपने वातावरण के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न होगी भावनाए बांटना।

सात वर्ष के बच्चो के साथ भावनाए बांटने का खेल खेला जा सकता है। बच्चों को एक गोल घेरे में बैठाएं और पूछें "उनके जीवन का सबसे खुशी का दिन कौन सा था? क्यों वह दिन बहुत खुशी का था? प्रत्येक बच्चे को प्रशन का उत्तर देने दें। कुछ बच्चे अगर एक से अधिक अनुभव बांटना चाहें तो उनको बताने दें.धीरे धीरे बच्चे अपनी भावनाएं व्यक्त करने में सक्षम हो जायेंगे तब उनसे कुछ कठिन प्रश्न पूछें जैसे कि आपको किस चीज से डर लगता है? आप ऐसा क्यूँ महसूस करते है?जब आप किसी को लड़ते हुए देखतें हैं तो आप को कैसा लगता है?आपको ऐसा क्यूँ लगता है? आपको सबसे ज्यादा दुःख किस चीज से पहुँचता है और क्यों?

दस वर्ष वर्ष के बच्चों को अन्याय व् न्याय का अंतर इस गतिविधि द्वारा समझाया जा सकता है। समझाए कि विश्व में अन्याय के बहुत से कारण हैं। यह भी बताना चाहिए कि न्याय ही विश्व में शांति स्थापित करने का मूल माध्यम है। अन्याय के कुछ उदहारण दें और बच्चों से अन्य उदाहरण देने को कहें। उन्ही उदाहरणों में से पूछें कि अन्याय का क्या कारण था? वह इन परिस्थितियो में कैसा महसूस करेंगे? बच्चो को उत्तर पूरी कक्षा में बतानें दें।

बारह वर्ष तक के बच्चो को शांति अधिवक्ता बना कर उनसे कहें कि वह देश के लिए शांति के नियम बनाएं। उनके द्वारा बनाये गए पांच महत्वपूर्ण नियमों की सूची बनाएं। फिर यह चर्चा करें कि कौन सा नियम आप मानना चाहते हैं और कौन सा नहीं मानना चाहते हैं, और इसका क्या कारण है।

छात्रों को भ्रमण पर ले जा कर स्थान विशेष के महत्त्व को इंगित करते हुए भी उनको शांति के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है।

छात्रों को ध्यान व योग के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। दिनचर्या में इनके लिए भी समय होना चाहिए। इनके द्वारा बालक के व्यक्तित्व में सकारात्मक रुप से अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा सकता है।

विद्यालयी गतिविधियों में छात्रों को भी साफ सफाई में शामिल करना चाहिए। इन गतिविधियों द्वारा छात्रों के अन्दर सहयोग की भावना का विकास होता है और वह अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील भी होते हैं।

छात्रों को उनकी रूचि के अनुसार स्वयं को सृजनात्मक रूप से अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना चाहिए। इससे उनकी उर्जा धनात्मक कार्यो में लगाती है और वह किसी भी अशांत विचार से दूर रहते हैं।

सभी छात्रों को कक्षा में आगे बैठने का अवसर प्रदान करना चाहिए.यदि संभव हो तो उनको इस प्रकार बैठना चाहिए जिससे सभी एक दूसरे को देख सके। इससे कक्षा में जनतांत्रिक वातावरण का निर्माण होता है।

विद्यालय में समय समय पर विशेष व्याख्यान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। छात्रों को शैक्षिक भ्रमण पर भी ले जाना चाहिए इससे वह अपने देश की सांस्कृतिक विविधता से परिचित होते है परिचर्चा का आयोजन करना चाहिए।

अध्यापक एवं अभिभावकों के अच्छे सम्बन्ध, अध्यापक के अन्य अध्यापको से सम्बन्ध भी छात्रों को प्रभावित करते हैं। अतः अध्यापको को अपने सहयोगियों के साथ प्रेम एवं सहयोग पूर्ण व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

स्थानीय गैरसरकारी संगठनो द्वारा चलाई जाने वाली शांति परियोजनाओ में स्वयंसेवक की भूमिका निभाने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके लिए अवसर भी उपलब्ध कराने चाहिए। विद्यालय व गैर

सरकारी संगठन की भागेदारी शांति के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने की तरफ एक प्रभावी कदम होगा।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

8. भौतिक साधनों की उपलब्धता व् शांति से सम्बंधित उदाहरण दीजिये ?

....

....

9. किस प्रकार कक्षा में शांति को बढ़ावा दिया जा सकता है?

....

....

11.8 अन्य शैक्षणिक युक्तियाँ

पिछली इकाई में जिन शैक्षणिक युक्तियों का वर्णन किया गया है उनके द्वारा छात्रों में संवेदनशीलता विकसित की जा सकती है। उसके अलावा शिक्षक व परामर्शदाता को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए जिससे वह अपनी अच्छाई व कमी को जान सकें। अपनी मजबूती व कमजोरी को समझ सकें। यह जानकारी व्यक्ति को अनेक प्रकार के आतंरिक संघर्षों से बचाती है।

स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फील्ड सर्वेक्षण, प्रदर्शन, विशेषज्ञों के पैनल डिस्कशन, सेमिनार, वाद–विवाद, खेल, सामूहिक परिचर्चा, सहमत असहमत कथन आदि युक्तियों द्वारा भी छात्रों में संवेदनशीलता उत्पन्न की जा सकती है।

शिक्षकों एवं छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए स्व अधिगम पैकेज का विकास किया जा सकता है। इनका प्रयोग कर छात्र शांति के लिए संवेदनशील बन सकते है।

छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए अनेक माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे पुस्तक, अखबार, पोस्टर शोधपत्र, कॉमिक्स, रेडियो, टेलीविजन फिल्म, टेप रिकॉर्डर, नुक्कड़ नाटक, नौटंकी, कठपुतली, ड्रामा।

बालको को ध्यान, योग निःस्वार्थ भाव से सेवा एवं प्रार्थना की आदत डालनी चाहिए। प्रतिदिन विद्यालय एवं कक्षा में आज का विचार लिखवाना चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियाँ बालक की सोच एवं चिंतन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।

यह सत्य है कि शांति के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने का अर्थ है हर समय शिक्षक, विद्यालय, अभिभावक हर एक को कल्पनाशील एवं लचीला होना होगा, जिससे आवश्यकतानुसार उनको शांति के लिए संवेदनशील बनाया जा सके। सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए।

छात्रों को सामूहिक प्रोजेक्ट देने चाहिए। इससे छात्र प्रारंभ से ही समूह में रहना, अपनी बात को समूह के हर सदस्य को समझाना और समूह का एक हिस्सा बन कर कार्य करना सीखते हैं। छात्र सामूहिक गतिविधियों में दूसरे के विचारों का सम्मान करना भी सीखते हैं। वह संघर्ष पूर्ण स्थिति उत्पन्न होने पर आपस में उसे सुलझाना भी सीखते हैं, यह सब उनको शांति उन्मुख बनता है और उन्हें शांति के प्रति संवेदनशील भी बनाता है।

अध्यापक का व्यक्तित्व व कक्षा प्रबंधन भी शांति के मूल्यों से प्रेरित होना चाहिए। छात्रों को तनाव रहित रखते हुए अधिगम को आनंदपूर्ण खोज की प्रक्रिया बनाना चाहिए। प्रतिदिन विद्यालय एवं कक्षा की सफाई के प्रति छात्रों को जागरूक करना चाहिए। छात्रों को प्रतिदिन अध्यापक अथवा प्रिंसिपल द्वारा समसामयिक घटना के पक्ष विपक्ष में विचार रखते हुए संबोधित करना चाहिए।

छात्रों को हफ्ते भर में होने वाली घटनाओं का कोलाज बनाने को प्रेरित करना चाहिए। साप्ताहिक गतिविधि

के रूप में छात्रों को अखबार से शांति सहयोग एवं सौहार्द सम्बंधित खबरों का कोलाज बनवाना चाहिए। इसे टीम प्रोजेक्ट के रूप में देना चाहिए।इसमें सभी छात्रों का सहयोग होना चाहिए।

कक्षा में शांति सम्बंधित मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। संघर्ष समाधान की युक्तियों पर भी चर्चा की जानी चाहिए। विद्यालय में मानवाधिकार दिवस, पर्यावरण दिवस, महिला दिवस, बालिका दिवस, युवा दिवस आदि का आयोजन करना चाहिए। महिलाओं के प्रति सम्मान जनक व्यवहार करना चाहिए व बालको को उनकी महिलाओं के प्रति सम्मान व जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साही स्कूल में विशेष क्लब और रीडिंग रूम की स्थापना की जानी चाहिए जो शांति सम्बन्धित समाचारों पर केन्द्रित हो।

ऐसी फिल्म स्कूल में समय समय पर दिखानी चाहिए जो कि शांति के मूल्यों को बढ़ावा देती हो।

स्कूल में सांस्कृतिक विविधता के उत्सवों का आयोजन किया जाना चाहिए।

ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे महिलाओं के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना का विकास हत करना चाहिए।

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कुछ उदहारण

- बच्चो को आदर सूचक शब्दों का प्रयोग सिखाना चाहिए।
- बच्चो से निम्न विषयों पर विचार आमंत्रित करने चाहिए और परियोजना देनी चाहिए। जैसे –

  हर कोई शांतिपूर्ण संसार चाहता है पर संसार ऐसा क्यों नहीं है ? अगर हम शांतिपूर्ण संसार चाहते हैं तो उन बदलावों को पहचानिए जिन्हें लाने की जरूरत है।
- किसी को नीचा दिखाए बगैर समस्या का समाधान करने का उदाहरण देना।
- ऐसे व्यक्ति के काम का उल्लेख कीजिये जिसने लोगों के कल्याण के लिए काम किया हो हालाँकि उसे ज्यादा पहचान न मिल पायी हो।
- सड़क पर रहने वाले बच्चो की मदद के लिए विभिन्न उपायों की लिस्ट बनाना।
- असंगठित क्षेत्र के कामगारों की समस्या।
- स्थानीय वृद्ध आश्रम में ले जा कर उन लोगों के दर्द, अकेलेपन और मजबूरी को महसूस करना।

11.9 शांति के प्रति संवेदनशील छात्रों की विशेषताएं

अच्छे विद्यार्थी की निशानियाँ–सुनने की क्षमता, ऊँचे उद्देश्यों का बोध, धैर्य और सहिष्णुता, एकाग्रता बढ़ने वाली मानसिक शुद्धता, सहकारिता एवं टीम वर्क की प्रवृति, जिज्ञासा, अनुशासन के प्रति स्वीकार्यता और अध्ययन के लिए सकारात्मक रुख आदि हैं।

शांति के प्रति सवेंदनशील छात्र सामूहिक गतिविधियों में आनंदित होते है और उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। छात्रों की आपस में बहुत कम लड़ाई होती है। वह कक्षा में भोजन एवं अन्य पुस्तकीय सामग्रियों का आदान प्रदान भी करते हैं। विद्यालय में करायी जाने वाली शारीरिक गतिविधियों में उत्साह से हिस्सा लेते हैं। शांति के प्रति संवेदनशील बालक शारीरिक रूप से कमजोर साथी की सहायता करते हैं। किसी को भी शारीरिक चोट नहीं पहुचाते हैं। विद्यालय की सम्पति की सुरक्षा करते है और उसे क्षति नहीं पहुचाते हैं। अध्यापक का सम्मान करते हैं। विद्यालय के स्टाफ से भी आदर पूर्वक बात करते हैं। वह विद्यालय में स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं और अपनी समस्या के बारे में खुल कर शिक्षक एवं प्रिंसिपल से बात कर सकते है। वह अपने आस पड़ोस में भी सहायता के लिए तत्पर रहते है। शांति के प्रति संवेदनशील व्यक्ति सदा सकारात्मक होता है वह गलत राह पर नहीं चलता है और दूसरो को भी गलत राह पर जाने से रोकता है। वह सदा सहयता के लिए प्रस्तुत रहता है। लड़ाई से दूर रहता है और संघर्ष की स्थिति में समस्या सुलझाने के लिए प्रयास रत भी रहता है।

यदि शिक्षक द्वारा छात्र को शांति के लिए संवेदनशील बनाने का प्रयास सफल होता है तो वह समाज एवं

राष्ट्र की शांति के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। अध्यापक को यह समझने की आवश्यकता है कि केवल पाठ्यक्रम पर सारी गतिविधियाँ न केन्द्रित करें बल्कि व्यक्ति को सामजिक सन्दर्भ में सौहार्दपूर्वक और आनंदपूर्वक जीने का सामर्थ् प्रदान करें।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

10. शांति के प्रति संवेदनशील छात्र की क्या विशेषता होती है?

....

....

11.10 सारांश

प्रस्तुत इकाई में यह चर्चा की गयी है कि छात्रों को शांति के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उनमे अनेक मूल्यों का विकास करना चाहिए। उन्हें जीवन कौशल सिखाना चाहिए। लोकतान्त्रिक मूल्य एवं आध्यात्मिक मूल्योंके प्रति भी संवेदनशील बनाना चाहिए। अनेक विद्यालयी गतिविधियों द्वारा उनमे यह संवेदनशीलता विकसित की जा सकती है। शांति के लिए संवेदनशील छात्र में सम्प्रेषण कौशल, चिंतन कौशल एवं व्यैक्तिक कौशल का होना भी आवश्यक है। शांति के प्रति सवेंदनशील छात्र सामूहिक गतिविधियों में आनंदित होते है और उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। छात्रों की आपस में बहुत कम लड़ाई होती है। वह कक्षा में भोजन एवं अन्य पुस्तकीय सामग्रियों का आदान प्रदान भी करते हैं। विद्यालय में करायी जाने वाली शारीरिक गतिविधियों में उत्साह से हिस्सा लेते हैं। शांति के प्रति संवेदनशील बालक शारीरिक रूप से कमजोर साथी की सहायता करते हैं। किसी को भी शारीरिक चोट नहीं पहुचाते हैं।

11.12 अभ्यास के प्रश्न

1. शान्ति के लिए संवेदनशील छात्रों की विशेषताओं को लिखिए।
2. छात्रों में पाये जाने वाले आवश्यक जीवन कौशलों को लिखिए।
3. शान्ति कौशल का वर्णन कीजिए।
4. शान्ति को प्राप्त करने वाली युक्तियों की विवेचना कीजिए।

11.11 चर्चा के बिंदु

1. शान्ति हेतु कौशलों की चर्चा कीजिए।
2. शान्ति हेतु उपयोगी युक्तियों की चर्चा कीजिए।

11.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. छात्रों में संवेदनशीलता का अर्थ है अर्थात बालक शांति को अपने जीवन में महसूस कर सके। वह स्वानुशासित हो, वह सबके साथ सह्योगात्मक व्यवहार करे और मानवाधिकारों के प्रति जागरूक हो। मानवाधिकारों के प्रति जागरूक होने से बालक न सिर्फ अपने बल्कि दूसरे के अधिकारों व अपने कर्तव्यो के विषय में भी समझने लगता है। वह हर समय सचेत रहता है कि दूसरे के अधिकारों का भी हनन न हो। इसके प्रति भी वह सचेत रहे।
2. छात्रों में अनेक जीवन कौशल का होना आवश्यक है उनमे से कुछ इस प्रकार हैं.– सहयोग, संवाद, निर्णयन क्षमता, समस्या समाधान क्षमता, भावात्मक स्थिरता आदि।

3. बालको को सिखाना चाहिए कि एक दूसरे धर्म की भावनाओ व रीति रिवाजो का आपसी आदर सम्मान करना चाहिए। आन्तरिक शांति के प्रयास करने चाहिए। धार्मिक व्यवहार की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए।

4. लोकतान्त्रिक मूल्य के अंतर्गत गरिमा, समानता, न्याय, सभी लोगो के अधिकारों की रक्षा, सहभागिता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं आस्था की स्वतंत्रता के विषय में चर्चा की जाती है।

5. बालको मे पूर्वाग्रह रहित चिंतन की योग्यता का विकास करना आवश्यक है। बालको को यह सिखाना भी आवश्यक है कि किसी भी सूचना को कैसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करे उसे साक्ष्यो के आधार पर आंके, घटना के अनेक पक्षों पर सोचने की कला का विकास करना चाहिए।

6. सम्प्रेषण कौशल का अर्थ है की छात्रों को अपने विचारो को मौखिक व लिखित दोने ही तरह से सुस्पष्ट एवं संगतिपूर्ण तरीक से व्यक्त करना आना चाहिए। दूसरे के विचारो को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना एवं पहचानना भी आना आवश्यक है।

7. व्यैक्तिक कौशल के अंतर्गत बालको में यह योग्यता विकसित करने की आवश्यकता है कि वह सहयोग के साथ कार्य कर सके। आत्म अनुशासन एवं समय प्रबंधन के गुण भी अत्यंत आवश्यक है।

8. उदहारण स्वरुप यदि कक्षा में स्थान की कमी है और छात्रों की संख्या ज्यादा है .इस परिस्थिति में सभी को असुविधा का सामना करना पड़ेगा और छात्रों का ध्यान शैक्षिक गतिविधि में कम और स्थान प्राप्त करने में ज्यादा रहेगा.भौतिक संसाधनों का सबकी आवश्यकता के अनुरूप होना शांति की और एक मूलभूत कदम होता है.

9. विद्यालय में प्रतियोगिता का वातावरण कम व सहयोगात्मक अधिगम का वातावरण ज्यादा होना चाहिए। इससे टीम भावना को बढावा मिलता है। कक्षा में भी सामूहिक गतिविधियों द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए।

10. शांति के प्रति सवेंदनशील छात्र सामूहिक गतिविधियों में आनंदित होते है और उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। छात्रों की आपस में बहुत कम लड़ाई होती है। वह कक्षा में भोजन एवं अन्य पुस्तकीय सामग्रियों का आदान–प्रदान भी करते हैं। विद्यालय में करायी जाने वाली शारीरिक गतिविधियों में उत्साह से हिस्सा लेते हैं।

11.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. यूनेस्को (2001) लर्निंग द वे ऑफ पीस–ए टीचर्स गाइड टू एजुकेशन फॉर पीस, नई दिल्ली यूनेस्को
2. डेलर्स,जे (1996) लर्निंग द ट्रेजर विथ इन रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कमीशन आफ एजुकेशन फॉर द 21 सेंचुरी, पेरिस यूनेस्को
3. एन. सी. ई. आर. टी. (2000) नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नई दिल्ली एन. सी. ई. आर. टी.
4. एन. सी. ई. आर. टी. (2010) शांति के लिए शिक्षा राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र , नई दिल्ली एन. सी. ई. आर. टी.

ईकाई– 12 : शांति शिक्षा में मीडिया की भूमिका

इकाई की संरचना

12.1 प्रस्तावना

12.2 इकाई के उद्देश्य

12.3 मीडिया का परिचय

12.4 मीडिया की भूमिका

12.5 बच्चों पर मीडिया के घातक प्रभाव

12.6 मीडिया साक्षरता के लिए विद्यालयी गतिविधियाँ

12.6.1 अध्यापक की भूमिका

12.6.2 अभिभावक की भूमिका

12.7 मीडिया के लिए सुझाव

12.8 शांति का एकीकृत दृष्टिकोण

12.9 सारांश

12.10 अभ्यास के प्रश्न

12.11 चर्चा के बिंदु

12.12 बोध प्रश्न के उत्तर

12.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

12.1 प्रस्तावना

शांति के लिए शिक्षा केवल किसी पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं होती बल्कि यह प्रयास करती है की विद्यालय अथवा शैक्षिक संस्था का सम्पूर्ण वातावरण ही शांतिप्रद हो। सभी प्रेम व सौहार्द के साथ उन्नति के पथ पर अग्रसर हों। शिक्षक अपने छात्रों में सभी जीवन मूल्यों व कौशलो का विकास करे जिससे वह एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सके। बालक अपनी दिनचर्या का आठ घंटा विद्यालय में व्यतीत करता है। विद्यालय के पश्चात् वह अपना अधिकांश समय घर, पास पड़ोस व खेल कूद में व्यतीत करता है। आज के समय में बहुत सारे बच्चे अपना अधिकांश समय टेलीविजन के आगे व्यतीत करते है। टेलीविजन अपरोक्ष रूप से उनको बहुत जानकारी प्रदान करता है। आज के समय में संचार माध्यमो की उपस्थिति से बचना अत्यंत कठिन है। संचार माध्यम जहाँ एक तरफ प्रचुर मात्र में सूचनाए प्रदान करते हैं वही दूसरी तरफ अनेक अवांछनीय तत्वों की जानकारी भी बालको तक पहुंचा देते है। आज के समय में मीडिया का भी शांति शिक्षा एवं शांति के लिए शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शांति के लिए शिक्षा में अपना योगदान देना आवश्यक है। प्रस्तुत इकाई में मीडिया की शांति शिक्षा में भूमिका पर चर्चा की गयी है।

12.2 इकाई के उददेश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. मीडिया शब्द की अवधारणा को समझ पायेंगे।
2. मीडिया के प्रकार के विषय में जान पायेंगे।
3. आज के समय में मीडिया की भूमिका को समझ पायेंगे।
4. बच्चो पर मीडिया के घातक प्रभाव को जान पायेंगे।

5. मीडिया साक्षरता के लिए क्या विद्यालयी गतिविधियाँ कराएं इसके विषय में जान पाएंगे।
6. मीडिया के लिए सुझाव जिससे वह अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा सके इसका अध्ययन करेंगे।
7. शांति के एकीकृत दृष्टिकोण के विषय में समझ पायेंगे।

12.3 मीडिया का परिचय

आज का युग सूचना क्रांति का युग है। ऐसे समय में समाज में मीडिया के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि "मीडिया" शब्द का क्या तात्पर्य है। मीडिया शब्द "मीडियम" से लिया गया है जिसका अर्थ है माध्यम अर्थात् वह माध्यम जिसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचने में किया जाता है। इसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सूचनाओं को साझा किया जा सकता है। मीडिया के द्वारा सामूहिक रूप से सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है। मीडिया एक अत्यंत विस्तृत शब्द है जिसके अंतर्गत वह सभी विधाएँ आ जाती हैं जिनके द्वारा समाज में सूचनाओं एवं भावनाओं का सम्प्रेषण किया जाता है। मीडिया का प्रयोग सूचना के आदान प्रदान के अलावा मनोरंजन के लिए भी किया जाता है।

मनुष्य एक सामजिक प्राणी है। वह अपनी बात एवं भावना को समुदाय के अन्य सदस्यों से साझा करने के लिए अपनी पसंद के माध्यम का चुनाव करता है। ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में ड्रामा, नौटंकी आदि को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है।

मानव ने सर्वप्रथम सम्प्रेषण के लिए भाषा को माध्यम बनाया। भाषा एवं तकनीकी के प्रयोग से अनेक आविष्कार हुए जिनके द्वारा आज संचार क्षेत्र की क्रांति संभव हुई। आज विश्व के किसी भी कोने भी में हुई घटना की जानकारी कुछ ही समय में सभी को प्राप्त हो जाती है। यह सूचना क्रांति के कारण ही संभव हो पाया है।

यहाँ यह समझना आवश्यक है कि मीडिया एक वृहत सन्दर्भ में प्रयोग किया जाता है। सभी संचार माध्यम मीडिया के अंतर्गत आ जाते हैं। पत्रकारिता मीडिया का एक अंग है। कई बार लोग मीडिया को केवल पत्रकारिता ही समझते हैं परन्तु मीडिया के अनेक प्रकार होते हैं। **मीडिया के प्रकार**

मीडिया को मुख्यतः निम्न तीन प्रकार से विभाजित किया जा सकता है–

- प्रिंट मीडिया
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
- सोशल मीडिया

प्रिंट मीडिया

प्रिंट मीडिया के अंतर्गत अखबार, पत्रिका, किताब, साप्ताहिक पत्र एवं बच्चो की कॉमिक्स किताबे आदि आती हैं।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत सिनेमा, रेडियो टेलीविजन आदि आते है। इसमें टेलीविजन पर आने वाले विभिन्न चैनल जिनमे न्यूज चैनल व मनोरंजन चैनल दोनों ही शामिल हैं।

सोशल मीडिया

आजकल सोशल मीडिया भी एक सशक्त माध्यम के रूप में उभर रहा है। सोशल मीडिया का अर्थ है वह माध्यम जिसमे कि लोग इन्टरनेट की सहायता से एक दूसरे से जुड़े रहते है और सूचनाओ का आदान प्रदान करते रहते है। इस माध्यम की विशेष बात यह है कि मोबाइल के साथ इस तक पहुंचना अत्यंत सहज है।

आज के समय में पत्रकारिता अखबार, रेडियो टेलीविजन से भी आगे निकल कर इन्टरनेट व मोबाइल तक पहुँच गयी है। जो लोग पढ़ सकते हैं उनके लिए पत्र पत्रिका व अखबार हैं पर जो पढ़ नहीं सकते उनके लिए टेलीविजन व रेडियो की भूमिका अहम् है। वैश्वीकरण व सूचना क्रांति के इस दौर में मीडिया भी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। सोशल मीडिया छोटी सी बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तूल प्रदान करने की सामर्थ् रखता

है।

सर्वप्रथम जन जागरूकता व जन मानस तक पहुँचने के लिए व अपनी बात को लोगों तक पहुचानें के लिए अखबार का प्रयोग प्रचलित रहा। आज भी अखबार एक प्रचलित माध्यम है जिसके द्वारा प्रतिदिन समाज में होने वाली राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं सामजिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि मीडिया में हिंसा व हिंसक घटनाओं की बहुत ज्यादा मात्र होती है। जो कि समाज को प्रभावित करती है। इसमें यह समझना आवश्यक है कि समाचार का कोई भी माध्यम अखबार अथवा न्यूज चैनल वही दिखा रहे होते हैं जो की समाज में हो रहा है परन्तु फिल्म सीरियल आदि में हिंसा का अत्यधिक नाटय रूपांतरण समाज के बच्चों पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव डालता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. मीडिया शब्द से क्या तात्पर्य है?

....

....

2. मीडिया के मुख्यतः कौन–कौन से प्रकार होते है?

....

....

12.4 मीडिया की भूमिका

मीडिया आज के समय में हर जगह मौजूद है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में हर जगह सुरक्षित पेयजल व शौचालय न हो पर टेलीविजन आसानी से उपलब्ध है। मीडिया समाज में प्रभावी भूमिका अदा करता है। यह दो प्रकार से समाज को प्रभावित करता है। सकारात्मक सन्दर्भ में यह अत्यंत प्रभावी है। लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति का सम्मान किया जाता है। इसीलिए लोकतंत्र में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ भी कहा जाता है। मीडिया लोकतंत्र की आशाओं व अपेक्षाओं को पूरा करने का कार्य करता है। स्वतंत्र मीडिया और अधिक से अधिक सूचना एक लोकतान्त्रिक समाज का मूल तत्व है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति मीडिया के प्रभाव से अछूता नहीं है।

मीडिया समाज को समाज में होने वाली गतिविधियों से परिचित करता है। मीडिया समाज के लिए आवाज उठता है। समाज की अनेक समस्याओं को स्वस्थ तरीके से दूर करने में मीडिया के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। मीडिया समाज में अनेक मूल्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। शिक्षित समाज, लड़की लड़के में भेदभाव, परिवार नियोजन, दहेज विरोध आदि से सम्बंधित विज्ञापनों ने समाज के एक बड़े वर्ग को शिक्षित किया है। समाज मीडिया से उम्मीद करता है कि वह सांस्कृतिक व नैतिक निर्माण में योगदान दे। मीडिया शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी बहुत योगदान देता है। यह लोगों को शिक्षित व जागरूक भी करता है। समाज के विभिन्न वर्गों को साझा मंच प्रदान करता है जहाँ वह सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं।

समाज में मीडिया की एक प्रभावी भूमिका है। लोकतंत्र की सफलता के लिए मीडिया की स्वतंत्रता होना भी अत्यंत आवश्यक है।

मीडिया व शांति–

पत्रकार अपनी लेखनी से शांतिदूत की भूमिका निभा सकते हैं। उनको अपनी कलम का उपयोग शांति व अहिंसा की स्थापना के लिए करना चाहिए। शांति के सन्दर्भ में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

आज के समय में जबकि विश्व में अनेक अशान्तिपूर्ण परिस्थितियाँ बिखरी पड़ी हैं ऐसे में पत्रकारिता व मीडिया को अपनी जिम्मेदारी को नए सिरे से समझने की आवश्यकता है। संकटग्रस्त क्षेत्रों में पत्रकारिता का महत्त्व और बढ़ जाता है। उत्तरदायी पत्रकारिता न केवल संघर्ष को कम करने के लिए व शांति के प्रचार के लिए आवश्यक है बल्कि नागरिक, समाज, मानवाधिकारों, नैतिक मूल्यों के प्रचार व शिक्षा एवं विकास के लिए भी जरूरी है।

मीडिया द्वारा किये गए उपाय–

पारंपरिक मीडिया सदा ही जन मानस के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है। पत्रकारिता में हमेशा सिखाया जाता है कि हर सूचना अथवा खबर की प्रमाणिकता एवं विश्वसनीयता की जांच कर लेनी चाहिए। खबर की गुणवत्ता, वस्तुनिष्ठता और प्रमाणिकता की जांच कर के ही उसे आगे बढ़ाना चाहिए। शब्दों का अत्यंत संतुलित प्रयोग करना चाहिए। खबर लिखने वाले को भाषा व अभिव्यक्ति की कला का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।

मीडिया की जरा सी असावधानी समाज में संघर्ष उत्पन्न कर सकती है। छोटी सी खबर बम का कार्य कर सकती है। गलत ढंग से लिखी गयी खबर का विभिन्न समुदायों पर क्या प्रभाव हो सकता है इनका ध्यान रखते हुए ही खबर को छपने के लिए भेजना चाहिए। यह ध्यान भी रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की अभद्रता व अश्लीलता न प्रदर्शित हो।

संवेदनशील मुद्दों अथवा स्थानों जैसे कश्मीर अथवा उत्तरपूर्वी राज्यों से सम्बंधित किसी भी खबर में किसी भी समुदाय की भावना आहत न हो इनका विशेष ध्यान रखा जाता है।

व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत प्रायः अखबार से ही करता है यदि उसको अखबार में हिंसा व तनाव से भरी खबरें मिलेंगी तो वह व्यथित हो सकता है। इसीलिये मीडिया यह भी ध्यान रखने का प्रयास करता है की ऐसी खबरे या फोटो न छापीं जाएँ जिन्हें देख कर लोग व्यथित हो जाए। यह भी ध्यान रखा जाता है कि अखबार देखने के बाद रीडर को तनाव न हो जाए इसलिए गंभीर एवं सरल सभी प्रकार की खबरों का संयोजन किया जाता है।

परन्तु नकारात्मक संदर्भ में आज के समय में मीडिया से कुछ खतरे भी उत्पन्न हो रहे हैं। जो स्वयं में विवाद का विषय है। औसतन बच्चा साल में 2400 से अधिक घंटे टेलीविजन देखता है। बच्चे अपना अधिकतर समय टेलीविजन पर आने वाले कार्यक्रम देखने में बिताते हैं। अभिभावकों के लिए अपने बालकों को इससे दूर रखना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। मीडिया हमारे घर के अन्दर तक प्रवेश कर चुका है। बच्चा प्रतिदिन टेलीविजन पर हिंसा, लड़ाई से सम्बंधित अनेक कार्यक्रम देखता है। वह प्रतिदिन हत्या, दुष्कर्म व दंगा से सम्बंधित चित्र देखता है। बालक का कोमल मन इन सबसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इस प्रकार मीडिया अनजाने में हिंसा की संस्कृति को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है।

बच्चों के अनेक सीरियल यह दिखाते हैं कि किस प्रकार एक शक्तिशाली व्यक्ति जो कि विभिन्न हथियारों का प्रयोग करता है, वह सबको हरा सकता है और वह सुपर हीरो कहलाता है। बच्चों को लगता है कि वह शक्तियों का प्रयोग कर के ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। इसका प्रभाव विद्यालय में दिखता है जब कि वह कक्षा के कमजोर बालक का मजाक उड़ाते हैं। समाज में अनेक अपराधी यह स्वीकार करते हैं कि अमुक अपराध करने का विचार उन्हें किसी विशेष फिल्म या सीरियल से मिला था। इसके अलावा हर समय हिंसक चित्रों को देखने से बच्चे संवेदन हीन हो जाते हैं।

12.5 बच्चों पर मीडिया के घातक परिणाम

टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली हिंसा बालको को बहुत आकर्षित करती है। ज्यादातर सीरियल में हिंसा को अत्यंत आकर्षक रूप में दिखाया जाता है। प्रायः उसमे यह भी दिखाने का प्रयास किया जाता है कि हिंसा के द्वारा समस्या का अंत किया जा सकता है। हिंसा के द्वारा समस्या का अंत नहीं होता। हिंसा के घातक परिणाम तो बच्चे समझ नहीं पाते क्योकि उनको मीडिया छिपा के रखता है। इस प्रकार की अधकचरी जानकारी बालकों को परोसी जाती है। स्क्रीन पर बालक को वही हिंसा बड़ी ही मनोरंजक लगती है। जबकि असल जिंदगी में यह अत्यंत ही भयावह है। बालक उन कार्यक्रमों के द्वारा हिंसा को सही समझने लगते है। उनको लगता है यदि फिल्म या सीरियल का हीरो यही कर के प्रशंसा पा रहा है तो हमे भी यही करना चाहिए।अपने आस पास प्रतिदिन हिंसा से भरे कार्यक्रम व फिल्म देखते हुए बच्चे सहानुभूति व विरोध की योग्यता खो देते हैं और वास्तविक जीवन में तनाव में रहते है। वह वास्तविक सांसारिक हिंसा के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं।

बालक इन कार्यक्रमों के द्वारा आक्रामक अभिवृति एवं व्यवहार को सीखता है। बालक को अंहिंसा वाले विकल्प आकर्षित नहीं करते। फिल्मों में अक्सर हिंसा को अत्यंत महिमामंडित कर के दिखाते हैं। इसी लिए बहुत सारे बच्चे हिंसक, क्रोधी और असामाजिक तरीकों का समस्या समाधान के लिए पक्ष लेते हैं। किशोरों में अपराध की तरफ जाने का आकर्षण भी मीडिया जनित ही है। उनको लगता है कि अपराधी को कोई डर नहीं होता बल्कि सब अपराधी से डरते हैं।

सोशल मीडिया व बच्चे

आज के समय में सोशल मीडिया भी एक नए मीडिया के रूप में उभर रहा है। सोशल मीडिया दुनिया में बैठे लोगों से एक प्रकार का संवाद है जिनके पास इन्टरनेट की सुविधा है। केवल एक क्लिक के द्वारा दुनिया भर के लोगों के साथ सूचनाओं का एवं चित्रों का आदान प्रदान किया जा सकता है। सोशल मीडिया का प्रयोग सूचनाओं के आदान–प्रदान से लेकर नौकरी ढूँढने व प्रचार प्रसार तक के लिए किया जा रहा है।

पिछली कुछ दशकों में इन्टरनेट व सोशल मीडिया ने समाज के लोगों का मिलना जुलना एवं संवाद को अत्यधिक प्रभावित किया है। सामाजिक संबंधो के ताने बाने रचने में आज सोशल मीडिया एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। लोग अपने परिवेश से तो कटे हुए हैं पर सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज किये रहते हैं। आभासी दुनिया की दोस्ती मनुष्य को एक असामाजिक व्यक्ति बना रही है। यही प्रवृत्ति आज के बालकों में भी हो रही है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव बच्चों और किशोरों पर पद रहा है। बच्चे और किशोर जिनकी इन्टरनेट तक पहुँच है वह अपना ज्यादातर समय इन्टरनेट व सोशल मीडिया के साथ बिता रहे हैं। एकल परिवारों के बच्चे अपना ज्यादातर समय इन्टरनेट के साथ बिताते हैं। कंप्यूटर पर कभी–कभी वह अवान्छनीय सामग्री भी देखने लग जाते हैं। कई बार इन्टरनेट एडिक्शन भी हो जाता है। हर समय सोशल मीडिया पर जाने की व्यग्रता होने लगती है। बालक सामजिक गतिविधियों से दूर आभासी दुनिया में आनंदित होने लगता है।

इसके अलावा इन्टरनेट से जुड़े अनेक अपराध भी बच्चे की असुरक्षा का कारण बनते हैं। हैकिंग, अवांछित क्रियाकलाप, अश्लीलता आदि की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इन्टरनेट व् सोशल मीडिया का प्रयोग विवेक व विचारशीलता की मांग करता है। यह अध्यापक व अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है की बच्चों को सही समय पर सोशल मीडिया से जुड़े सभी तथ्यों से अवगत कराएँ और उनको किसी भी गलत रास्ते पर जाने से बचाए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. मीडिया की सकारात्मक भूमिका से क्या समझते हैं?

....

....

4. मीडिया की नकारात्मक भूमिका से क्या समझते हैं?

....

....

12.6 मीडिया साक्षरता के लिए विद्यालयी गतिविधियाँ

बच्चो को मीडिया द्वारा परोसी जाने वाली हिंसा से बचाने के लिए अध्यापक एवं अभिभावकों दोनों की सहभागिता आवश्यक है।

12.6.1. अध्यापक की भूमिका

यह अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि वह बच्चो को मीडिया की वास्तविकता और सम्पूर्ण रूप से बच्चो

को परिचित कराए। जिससे बालक का हित होगा और मीडिया के घातक परिणाम कुछ कम होंगे।

एनसीईआरटी के अनुसार अध्यापक को टेलीविजन द्वारा मिल रहे संदेशो की पुनर्रचना करनी चाहिए उदाहरण स्वरुप कुछ प्रसिद्ध टेलीविजन कार्यक्रमों की चर्चा निम्नलिखित प्रश्नों का प्रयोग कर कक्षा में कर सकते हैं।

- असली जिंदगी से किसी ऐसे पात्र की भूमिका निभाने के लिए कहें जो उन्हें याद हो।
- कहानी में समस्या अथवा द्वन्द क्या था?
- समस्या का हल कैसे हुआ?
- क्या यह हल असली जिंदगी में भी काम करेगा ?
- कहानी के पीड़ित पात्र जो महसूस करते हैं विद्यार्थी उसके बारे में कैसे सोचते हैं?
- क्या हिंसा के कार्यक्रम से उनको कुछ सीखने को मिलता है ?
- अगर लोग असली जिंदगी में ऐसा करने लगे तो क्या होगा?
- किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर समस्या को हल करने का क्या मार्ग होगा?
- क्या चरित्रों ने हिंसक होने से पहले अन्य विकल्पों पर विचार किया ?

इस प्रकार के प्रश्न बालक को सोचने पर विवश करेंगे की वह जो कुछ भी देख रहे हैं वह कितना सार हीन है।

बच्चों को यह भी बताना चाहिए की फिल्म अथवा टेलीविजन में दिखाए जाने वाले हिंसक कार्यक्रम को केवल कहानी की तरह देखना चाहिए। उनको अपने जीवन में शामिल नहीं करना चाहिए क्योकि हिंसा का प्रतिफल बुरा ही होता है।

12.6.2 अभिभावक की भूमिका

बालक अपने घर में काफी समय व्यतीत करता है। अभिभावक को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा की उनका बच्चा किन कार्यक्रमों को देख रहा है। अगर टेलीविजन और सिनेमा द्वारा बच्चों पर डाले जा रहे घातक परिणामों से अभिभावक जागरूक हो जाये तो आधी लड़ाई ऐसे ही जीती जा सकती है। बच्चों को मीडिया के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए माता पिता द्वारा अच्छा पालन पोषण कवच की तरह कार्य करता है।

आजकल बालकों पर पाठ्यचर्या परीक्षा मूल्यांकन एवं गृहकार्य की तैयारी से सम्बंधित अनेक कार्य रहते हैं ऐसे में बालक विद्यालय के बाद घर में अपने कार्य में व्यस्त रहता है अथवा टेलीविजन इन्टरनेट के साथ अपना समय व्यतीत करता है। यह बच्चों व अभिभावकों के मध्य दूरी बढ़ा रहा है। प्राम्भिक कक्षाओं तक तो अभिभावक अपने बालको की विद्यालयी कार्यों में सहायता भी कर पाते हैं पर बड़ी कक्षाओ में बालकों के लिए विद्यालय अथवा कोचिंग का विकल्प होता है जो कि उनका अभिभावकों के साथ बीतने वाला समय और कम कर देता है। अभिभावक और बच्चों के मध्य संवाद एक औपचारिकता मात्र रह गए हैं।

बहुत सारी फिल्मों को सेंसर बोर्ड वयस्कों के लिए ही का प्रमाण पत्र देता है उसके बाद भी अभिभावक अपने बच्चों को लेकर वह फिल्म देखने चले जाते हैं। यह अभिभावक के अत्यंत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है। अभिभावक को अत्यंत सावधानीपूर्वक अपने बच्चों को फिल्म व कार्यक्रम दिखाने ले जाना चाहिए। जो उचित कार्यक्रम नहीं दिखाते उनको हटा देना चाहिए। इसी तरह चाइल्ड लॉक का इस्तेमाल कर के गलत वेबसाइट पर जाने से बच्चो को रोक सकते हैं। इन परिस्थितियो में शांति के लिए शिक्षा बालको को पुनः अपने परिवेश से जोड़ने का कार्य करेगी। अध्यापकों को यह समझना होगा की उनकी यात्रा में अभिभावकों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। यदि अध्यापक द्वारा सिखाई गयी बातों की सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक पुष्टि होते हुए बालक घर में देखेगा तो वह अवश्य उन मूल्यों को अपने जीवन में शामिल करेगा। विद्यालय व घर में यदि बालक को विरोधी विचार सुनाने को मिलते हैं तब उनमे तनाव व द्वंद उत्पन्न होता है। आजकल उच्च एवं मध्यवर्गीय परिवारों में बच्चों से बढ़ते अलगाव को लेकर अत्यधिक चिंता व्याप्त है। ऐसे में अभिभावक शिक्षक के मिल कर किये गए प्रयास समाज के भावनात्मक रिश्तों में भी सुधार कर सकते हैं। विद्यालय व अभिभावक के लिए यह भी आवश्यक है कि

वह बच्चों को सोशल मीडिया के खतरों के प्रति जागरूक बनाये। उनको यह समझाएं की किस प्रकार अनजाने में वह एक दलदल में फंस जाते हैं। अनजान लोगों से दोस्ती न करें सोशल मीडिया का संतुलित प्रयोग करें। इन्टरनेट का प्रयोग संभल कर करें। अच्छी वेबसाइट पर ही जाएँ और उन जानकारियों को आपस में साझा करें। छात्रों के लिए समय–समय पर ऐसी वर्कशॉप का आयोजन करवाना चाहिए जिससे वह इन्टरनेट सिक्योरिटी को समझ सकें और किसी भी समस्या से दूर रहे।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. मीडिया साक्षरता के लिए अध्यापक क्या कर सकता है ?

....

....

6. मीडिया साक्षरता के लिए अभिभावकों द्वारा क्या प्रयास किये जा सकते हैं ?

....

....

12.7 मीडिया के लिए सुझाव

आज के समय में मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी को समझने की आवश्यकता है–

- अखबार व न्यूज चैनल को किसी भी आपराधिक घटना को सनसनी बना कर व अत्यंत ही मसालेदार फिल्मी अंदाज के साथ नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। इससे समाज का कोमल मस्तिष्क अर्थात छोटा बालक यह नहीं समझ पाता है कि इस प्रकार का व्यवहार वांछनीय है या अवांछनीय और वह उत्सुकता वश अपराध की दुनिया की तरफ आकर्षित हो जाता है। अतः यह मीडिया की जिम्मेदारी बनती है की किसी भी खबर को संतुलित तरीके से प्रस्तुत करे जिससे बालक सही गलत का भेद समझ सके।
- किसी भी घटना के सभी पक्षों को दिखाना चाहिए इससे बालक निष्पक्ष रूप से घटना को समझने का प्रयास करता है और समाज में भी कोई पूर्वाग्रह जन्म नहीं लेते।
- हालाँकि सोशल मीडिया पर किसी का नियंत्रण नहीं है। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर पर समाज का कोई भी व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है। ऐसे में हर नागरिक की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वह कोई भी बात बिना पुष्टि किये न पोस्ट करे जिससे किसी भी अफवाह को प्रश्रय मिले।
- फिल्म बनाने वाले, सीरियल बनाने वाले निर्माताओं को भी अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी समझते हुए अत्यधिक हिंसक सामग्री को नहीं परोसना चाहिए।
- पत्रकारिता एक जिम्मेदारी वाला काम है। मीडिया द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर लोग अपनी राय बनाते हैं अतः मीडिया को कभी भी तथ्यों को गलत रूप में नहीं प्रस्तुत करना चाहिए।
- मीडिया को सामाजिक सहानुभूति बनाये रखने में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।
- पत्रकारिता को निष्पक्ष होना चाहिए। मीडिया को किसी का पक्ष न लेते हुए सूचनाओं व घटनाओं का चित्रण करना चाहिए। वयस्कों के साथ साथ बालक भी मीडिया व अखबार की खबरें पढ़ते हैं इसलिए यह मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि संयमित भाषा का प्रयोग करे।
- पर्याप्त सूचना का अभाव भी संघर्ष का कारण बनता है। इसलिए उत्तरदायी पत्रकारिता किसी भी सूचना की

पर्याप्त छानबीन कर के ही छपने के लिए अथवा प्रसारण के लिए भेजती है।

- मीडिया को संवेदनशील मुददों से बचना नहीं चाहिए बल्कि संघर्ष पूर्ण स्थिति में समाज के सहायक के रूप में खड़े होना चाहिए।
- मीडिया शांति निर्माता के रूप में प्रमुख भूमिका निभा सकता है क्योंकि इसमें लोगो तक अपनी बात को पहुँचाने की सामर्थ् होती है।
- स्थानीय मीडिया को स्थानीय संदर्भो की ज्यादा जानकारी होती है अतः यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी किसी भाषा का प्रयोग न करें जो की समुदाय की भावनाओं को आहत करे। किसी भी घटना का कवरेज अत्यंत संतुलित ढंग से करना चाहिए।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कोई भी तस्वीर या वीडियो बिना जांच पड़ताल के नहीं प्रसारित करना चाहिए। उसकी सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। जिस प्रकार अध्यापक की छोटी सी गलती बहुत से बालकों को प्रभावित कर सकती है उसी प्रकार मीडिया से हुई गलती का खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड सकता है।
- मीडिया में शांति को बढ़ावा देने वाला मनोरंजन दिखाया जाना चाहिए।
- हिंसक गतिविधियों का चित्रण कम करना चाहिए। सत्य की जीत दिखाना ज्यादा उचित प्रभाव बालमन पर डालता है न कि शक्तिशाली की जीत.बालक अचेतन रूप से अनेक मूल्य सीख सकता है यदि मीडिया का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

7. मीडिया किस प्रकार शांति के प्रयास कर सकता है?

....

....

8. पत्रकारिता को कैसा होना चाहिए?

....

....

12.8 शांति के लिए एकीकृत दृष्टिकोण

शांति के लिए शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक व सार्थक बनती है। शांति के लिए आज के समय में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यह सत्य है कि अभिभावक, अध्यापक, समाज, राज्य, मीडिया सभी बालक का हित चाहते हैं। ऐसे में सभी एकीकृत रूप से अगर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और शांति की दिशा में कार्य करेंगे तो अवश्य ही पूरी शिक्षा व्यवस्था शांति से परिपूर्ण होगी। पूरी पाठ्यचर्या में शांति का परिदृश्य अन्तर्निहित होना चाहिए। विद्यालयों में अनेक प्रकार की हिंसा देखने को मिलती है। मीडिया भी हिंसा को बढ़ावा देता है। अतः यह आवश्यक है की मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझे साथ ही अभिभावकों एवं अध्यापको द्वारा बालको को मीडिया साक्षरता प्रदान करनी चाहिए।

इन्टरनेट पर अनेक ऐसी वेबसाइट हैं जो बच्चों के अधिकार, बच्चे व युद्ध, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बाल श्रम पर अत्यंत अच्छी, स्तरीय व संवेदनशील जानकारी फोटो वीडीओ व लेख के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अध्यापक एवं अभिभावकों की यह जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को उन सामग्री से परिचित कराएँ। बच्चों को वैश्विक स्तर पर

इन मुद्दों पर आपस में "चैट" का अवसर भी प्रदान करना चाहिए इससे मीडिया के प्रयोग द्वारा वैश्विक सद्भावना व संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

इन्टरनेट पर ऐसे पैकेज भी उपलब्ध हैं जिसमे ऐसी परिस्थितियां दी जाती हैं जिसमे कोई समस्या या संघर्ष होता है और बच्चों को सामूहिक अथवा अकेले उन समस्याओं का हल निकालना होता है। वह समस्या पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था अथवा सामाजिक सांस्कृतिक किसी भी विषय से सम्बंधित हो सकती है। इनके द्वारा बच्चे शांति उत्पन्न करने के तरीके सीखते हैं।

लोक कथाये भी शांति शिक्षा के लिए प्रभावशाली माध्यम है। बच्चों को शांति सम्बंधित कहानी सुना कर उनको स्वयं की कॉमिक्स बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जिसमें बच्चे स्वयं ही चित्र बनाएं व स्वयं ही संवाद लिखे। यह स्वनिर्मित कॉमिक्स शांति शिक्षा के लिए स्वयं एक प्रभावशाली माध्यम बन सकता है।

शिक्षा में शांति के प्रयास में मीडिया को सहयोगी बनाया जा सकता है। प्रमुख पत्रकारों को बच्चों को संबोधित करने के लिए बुलाया जाये। बच्चों के विचार कम से कम एक महीने में एक बार अखबारों में भी छपने चाहिए। मीडिया द्वारा प्रचारित हिंसा का बच्चों पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसे प्रयास सहित दूर करना चाहिए।

इस प्रकार यदि सभी शांति से सम्बंधित एकीकृत दृष्टिकोण ले कर चलेंगें तो हम अपने समाज, देश व वैश्विक शांति की बात कर सकते हैं।

12.9 सारांश

प्रस्तुत इकाई में मीडिया किस प्रकार शांति शिक्षा में योगदान दे सकता है इस पर चर्चा की गयी है। मीडिया का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचने में किया जाता है। इसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सूचनाओं को साझा किया जा सकता है। मीडिया के द्वारा सामूहिक रूप से सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है। मीडिया एक अत्यंत विस्तृत शब्द है जिसके अंतर्गत वह सभी विधाएँ आ जाती हैं जिनके द्वारा समाज में सूचनाओं एवं भावनाओं का सम्प्रेषण किया जाता है। मीडिया का प्रयोग सूचना के आदान–प्रदान के अलावा मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। आजकल मीडिया द्वारा अनेक ऐसी सामग्री को परोसा जा रहा है जो की बल मन को हिंसा की तरफ अग्रसर कर रही है। अतः मीडिया के विषय में बालक को जागरूक करना चाहिए। मीडिया को भी संतुलित चित्रण करना चाहिए। यदि बालक को यह पता होगा कि फिल्म में दिखाई गयी घटना सत्यता में संभव नहीं है तो वह गलत मूल्यों को नहीं स्वीकार करेगा। इसके लिए अभिभावकों और अध्यापकों की यह जिम्मेदारी बनती है बच्चो को समय समय पर मीडिया साक्षरता प्रदान करते रहना चाहिए और अपने निर्देशन में फिल्म व सीरियल देखने देने चाहिए।

12.10 अभ्यास के प्रश्न

1. मीडिया शांति के लिए किस प्रकार योगदान दे सकता है?
2. मीडिया की नकारात्मक भूमिका का वर्णन कीजिए।
3. मीडिया की सकारात्मक भूमिका का वर्णन कीजिए।
4. प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को लिखिए।

12.11 चर्चा के बिंदु

1. मीडिया को किस प्रकार से अपने सामजिक उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए इसकी चर्चा कीजिये।
2. शान्ति स्थापना के लिए मीडिया के भूमिका की चर्चा कीजिए।

12.12 बोध प्रश्न के उत्तर

1. मीडिया शब्द "मीडियम" से लिया गया है जिसका अर्थ है माध्यम। अर्थात् वह माध्यम जिसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचने में किया जाता है। इसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सूचनाओं को साझा किया

जा सकता है। मीडिया के द्वारा सामूहिक रूप से सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है। मीडिया एक अत्यंत विस्तृत शब्द है जिसके अंतर्गत वह सभी विधाएँ आ जाती हैं जिनके द्वारा समाज में सूचनाओं एवं भावनाओं का सम्प्रेषण किया जाता है। मीडिया का प्रयोग सूचना के आदान प्रदान के अलावा मनोरंजन के लिए भी किया जाता है।

2. मीडिया को मुख्यतः निम्न तीन में विभाजित किया जा सकता है–

- प्रिंट मीडिया
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
- सोशल मीडिया

3. सकारात्मक सन्दर्भ में यह अत्यंत प्रभावी है। लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति का सम्मान किया जाता है। इसीलिए लोकतंत्र में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ भी कहा जाता है। मीडिया लोकतंत्र की आशाओं व अपेक्षाओं को पूरा करने का कार्य करता है।

4. नकारात्मक संदर्भ में आज के समय में मीडिया से कुछ खतरे भी उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे बच्चे अपना अधिकतर समय टेलीविजन पर आने वाले कार्यक्रम देखने में बिताते हैं। बच्चा प्रतिदिन टेलीविजन पर हिंसा, लड़ाई से सम्बंधित अनेक कार्यक्रम देखता है। वह प्रतिदिन हत्या, दुष्कर्म व दंगा से सम्बंधित चित्र देखता है। बालक का कोमल मन इन सबसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इस प्रकार मीडिया अनजाने में हिंसा की संस्कृति को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है।

5. यह अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि वह बच्चो को मीडिया की वास्तविकता और सम्पूर्ण रूप से बच्चो को परिचित कराए। जिससे बालक का हित होगा और मीडिया के घातक परिणाम कुछ कम होंगे।

6. अभिभावक को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा की उनका बच्चा किन कार्यक्रमों को देख रहा है। अगर टेलीविजन और सिनेमा द्वारा बच्चो पर डाले जा रहे घातक परिणामों से अभिभावक जागरूक हो जाये तो आधी लड़ाई ऐसे ही जीती जा सकती है। बच्चों को मीडिया के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए माता पिता द्वारा अच्छा पालन पोषण कवच की तरह कार्य करता है।

7. किसी भी घटना के सभी पक्षों को दिखाना चाहिए इससे बालक निष्पक्ष रूप से घटना को समझने का प्रयास करता है और समाज में भी कोई पूर्वाग्रह जन्म नहीं लेते।

8. पत्रकारिता को निष्पक्ष, संवेदनशील एवं समाज के पार्टी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए होना चाहिए। अखबार व न्यूज चौनल को किसी भी आपराधिक घटना को सनसनी बना कर व अत्यंत ही मसालेदार फिल्मी अंदाज के साथ नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। इससे समाज का कोमल मस्तिष्क अर्थात छोटा बालक यह नहीं समझ पाता है कि इस प्रकार का व्यवहार वांछनीय है या अवांछनीय और वह उत्सुकता वश अपराध की दुनिया की तरफ आकर्षित हो जाता है। अतः यह मीडिया की जिम्मेदारी बनती है की किसी भी खबर को संतुलित तरीके से प्रस्तुत करे जिससे बालक सही गलत का भेद समझ सके।

12.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. यूनेस्को(2001) लर्निंग द वे ऑफ पीस–ए टीचर्स गाइड टू एजुकेशन फॉर पीस, नई दिल्ली यूनेस्को
2. डेलर्स,जे (1996)लर्निंग द ट्रेजर विथ इन रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कमीशन आफ एजुकेशन फॉर द 21 सेंचुरी, पेरिस यूनेस्को
3. एन. सी. ई. आर. टी. (2000) नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नई दिल्ली एन. सी. ई. आर. टी.
4. एन. सी. ई. आर. टी. (2010) शांति के लिए शिक्षा राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र, नई दिल्ली एन. सी. ई. आर. टी.

खण्ड– 05 : शांति के लिए शिक्षा में मुख्य मुद्दे

खण्ड परिचय

खंड 05 शांति के लिए शिक्षा में मुद्दे मुख्य मुद्दे है। जिसके अंतर्गत तीन इकाइयां हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं–

इकाई 13 : शांति शिक्षा के विधिक पहलू

इकाई 14 : शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक

इकाई 15 : शांति के लिए शिक्षा हेतु शिक्षक प्रशिक्षण

इकाई 13 शांति शिक्षा के विधिक पहलू के अंतर्गत शांति शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय विधि पहलू, शांति शिक्षा के राष्ट्रीय संवैधानिक विधिक पहलू, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्वों के विषय में विस्तार से चर्चा किया गया है। शांति शिक्षा के मानवाधिकार संबंधी विधिक पहलू पर भी सविस्तार वर्णन दिया गया है।

इकाई 14 शांति शिक्षा के लिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में वर्णन दिया गया है, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं। जिसमें व्यक्तिगत कारक, पारिवारिक कारक, शैक्षिक कारक एवं सामाजिक कारक इत्यादि होते हैं जिनका विस्तार से वर्णन किया गया है।

इकाई 15 शांति के लिए शिक्षा हेतु शिक्षक प्रशिक्षण जिसके अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण क्या है? शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता शांति शिक्षा के लिए क्यों है? तथा शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में गतिविधियों का समावेशन किस प्रकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा शांति के लिए शिक्षा हेतु संभावित शिक्षक प्रशिक्षण का मॉडल क्या होना चाहिए? इसकी रूपरेखा के विषय में भी बताया गया है। शिक्षक प्रशिक्षण मॉडल के अनेक स्तर होते हैं इसके विषय में इसमें बताते हुए वर्णन किया गया है कि यह सेवा पूर्व प्रशिक्षण तथा सेवारत प्रशिक्षण दो भागों में बांटा जा सकता है।

इकाई– 13 : शांति शिक्षा के विधिक पहलू

इकाई की संरचना

13.1 प्रस्तावना

13.2 इकाई के उद्देश्य

13.3 विधिक पहलू

13.4 शांति शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय विधिक पहलू

13.5 शांति शिक्षा के राष्ट्रीय संवैधानिक विधिक पहलू

13.5.1 मौलिक अधिकार

13.5.2 मौलिक कर्त्तव्य

13.5.3 नीति निर्देशक तत्व

13.6 शांति शिक्षा के मानवाधिकार सम्बन्धी विधिक पहलू

13.7 सारांश

13.8 अभ्यास के प्रश्न

13.9 चर्चा के बिन्दु

13.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

13.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ सूची

13.1 प्रस्तावना

हम जानते हैं कि समाज के निर्माण में जहाँ एक ओर शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक उपागम अपनी भूमिका निभाते हैं वहीं सामाजिक ताने–बाने के अनुरक्षण के लिए समाज स्वयं कुछ नियम बनाता है, अर्थात् शिक्षा समाज निर्माण करती है तत्पश्चात् निर्मित समाज अपने संरक्षण एवं हितपोषण के लिए कुछ ऐसे नियमों का विधान करता है, जिसका पालन समाज के हर सदस्य को करना होता है, जिससे कि समाज का संचालन किया जा सके। असंगठित समाजों के नियम भी प्रायः अलिखित, मौखिक एवं परम्परा चलित होते है। परन्तु संगठित समाजों में ये नियम लिखित रूप से उपलब्ध होते हैं। समाजों को जब एक राष्ट्र या विश्व के आइने में देखा जाय तो इनका स्वरूप और औपचारिक हो जाता है तथा समूचा विश्व विभिन्न राष्ट्रों का समूह दिखता है तथा राष्ट्र एक निश्चित भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक इकाई के रूप में अपना स्वरूप बनाते हैं। प्रत्येक राष्ट्र वास्तव में समाजों का एक औपचारिक एवं संगठित स्वरूप होता है एवं अपने अनुरक्षण हेतु प्रत्येक राष्ट्र कुछ नियम बनाता है। जब नियम और उसके उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का भी जिक्र होता है तो उसे आम भाषा में कानून या विधि कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र के अपने विधियात्मक नियम होते हैं जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निर्देशित होते हैं तथा विश्व स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के आपसी हितों के अनुरक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय प्रावधान होते हैं। इन सबसे परे मानव मात्र की हित चिन्ता करने के लिए मानवाधिकार जैसी भी संकल्पना हमारे सामने आती है।

प्रस्तुत इकाई के माध्यम से हम विमर्श करने की कोशिश करेंगे कि शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ के विधिक पहलू क्या हैं। वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अथवा मानवाधिकार के रूप में इसकी भूमिका क्या है? हम चर्चा करेंगे कि शांति शिक्षा के पोषण में इनकी भूमिका क्या है एवं कौन–कौन से प्रावधान शांति शिक्षा के पोषण का कार्य कर रहे हैं। अन्ततः हम जान पायेंगे कि शांति शिक्षा के विधिक प्रावधानों का क्या स्वरूप है एवं उनकी आच्छादन क्षमता कहाँ तक है।

13.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. शांति शिक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गये प्रयासों को जान सकेंगे।
2. शांति शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय विधिक प्रावधानों की समीक्षा कर सकेंगे।
3. शांति शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विधिक प्रावधानों का मूल्यांकन कर सकेंगे।
4. शांति शिक्षा में मानवाधिकार की भूमिका स्पष्ट कर सकेंगे।
5. शांति शिक्षा के लिए विभिन्न विधिक प्रावधानों की समीक्षा कर सकेंगे।
6. शांति शिक्षा के लिए विभिन्न विधिक प्रावधानों की तुलना कर सकेंगे।

13.3 विधिक पहलू

समाज एक ऐसी संकल्पना है जिसमें सभी सदस्यों के सामूहिक हितों के रक्षार्थ कुछ नियम एवं परिनियम बनाए जाते हैं। अत्यन्त प्राचीन काल से ही विभिन्न समाजों के विधिवत् संचालन हेतु अनेक नियमों (लिखित या अलिखित) का सहारा लिया जाता रहा है। परन्तु मात्र समाज विशेष के स्तर पर ये नियमों की संरचना अनौपचारिक ही हुआ करती है, जिसको उपयोग में लाने की परिस्थितियाँ उसके सामर्थ्य का निर्धारण करती हैं। परन्तु जब समाजों से ऊपर उठकर एक राज्य या राष्ट्र की संकल्पना की जाती है तो इसमें काफी कुछ औपचारिक हो जाता है, जैसे भौगोलिक सीमा, कार्य वितरण, जवाबदेही, सुरक्षा की जिम्मेदारी, लोक कल्याण आदि। यहीं कारण है कि एक राज्य अथवा राष्ट्र के स्तर पर जनता के हितलाभ के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए एवं सामाजिक विशेषताओं के अनुरक्षण के लिए नियमों का स्वरूप औपचारिक कर दिया जाता है। जिसमें नियम उल्लंघन की परिस्थिति में दण्ड का प्रावधान भी होता है। लोकतंत्र के उदय के आस–पास इन नियमावलियों को संग्रहित स्वरूप का निर्माण शुरू हुआ, जो बाद में संविधान के रूप में जाना गया। संविधान, अनेक संदर्भों में उपयुक्त एवं करणीय, विधानों का संग्रहित स्वरूप होता है, जिसका उद्देश्य जनकल्याण होता है एवं उसके लिए अनेक कानूनी प्रावधान किये जाते हैं, जिन्हें विधिक प्रावधान भी कहते हैं। ये विधिक प्रावधान करणीय व्यवहारों को पोषित करने एवं अकरणीय व्यवहारों को हतोत्साहित करने के लिए परिस्थितिगत दण्ड का भी विधान करते हैं।

प्रस्तुत इकाई में हम उन विधिक पहलुओं का क्रमवार अध्ययन करेंगे जिनका सीधा सम्बन्ध शांति शिक्षा से अर्थात् समाज में स्थायी रूप से शांति की स्थापना से है। मूलतः विधिक पहलुओं का एक उच्चतम उद्देश्य शांति स्थापना भी होता है। प्रस्तुत इकाई के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि शांति शिक्षा के लिए कौन–कौन से विधिक पहलू हैं। शांति शिक्षा के लिए विधिक पहलुओं को हम तीन स्तरों पर देखने का प्रयास करेंगे–

- शांति शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय विधिक पहलू
- शांति शिक्षा के राष्ट्रीय संवैधानिक विधिक पहलू
- शांति शिक्षा के मानवाधिकार सम्बन्धी विधिक पहलू।

13.4 शांति शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय विधिक पहलू

हम जानते हैं कि द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका देखने के बाद पूरी दुनिया की मानवता में भय व्याप्त हो गया। ऐसा लगने लगा कि इस प्रकार के अगले युद्ध में दुनिया से मानव प्रजाति ही समाप्त हो जायेगी। तत्पश्चात् विश्व के देशों ने आपसी सामंजस्य एवं शांति बनाने के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न राष्ट्रों के मध्य द्वन्द्व की परिस्थितियों का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध एक संस्था है, जिसने अपने निर्माण से लेकर आज तक विश्व में अनेक समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विधिक प्रावधानों को समझे बिना शांति शिक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर शांति स्थापना के लिए किये गये प्रावधानों को समझ पाना दुरूह होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त अन्य कई संस्थागत प्रयास शांति स्थापना एवं शांति के अनुरक्षण हेतु किये गये हैं। हम क्रमशः इनको जानने का

प्रयास करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे विवादों या स्थितियों का शांतिपूर्ण तरीकों से, न्याय और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्त के अनुरूप समाधान निकालना, जो कि शांति भंग का कारण हो सकती है। विधि का शासन यह कहता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून और विधि के सिद्धान्त सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू हों और उनका समान रूप से पालन किया जाय। विधि के शासन का सम्मान चार्टर के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक सक्षम वातावरण उत्पन्न करता है। यह चार्टर राष्ट्रों के बीच संप्रभुता को समान रूप देखता है एवं एक बहुपक्षीय प्रणाली के भीतर उनके कार्यों को वैधता प्रदान करता है।

संघर्षों की रोकथाम और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चार्टर का अनुच्छेद 33 महत्वपूर्ण है जिसमें राष्ट्रों के अपने विवादों के लिए बातचीत, पूछताछ, मध्यस्थता, सुलह, न्यायिक समाधान और क्षेत्रीय एजेन्सियों या व्यवस्थाओं का सहारा लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ कानून के एक मजबूत शासन के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा करता है तथा हिंसक घटनाओं को यथासंभव रोकने के लिए अहिंसक तरीकों पर जोर देता है। संयुंक्त राष्ट्र संघ के विश्व शिखर सम्मेलन (2005) में महासभा संरक्षण की जिम्मेदारी का सिद्धान्त अपनाया गया। यह मानवाधिकारों का समर्थन करता है एवं यह सुनिश्चित करता है कि सरकारों के पास अपनी आबादी को नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराधों, युद्ध अपराधों और जातीय हिंसा से बचाने के लिए सभी आवश्यक उपकरण हो। सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O.) की पहली प्राथमिकता है। UNO का मौलिक सिद्धान्त है कि नागरिकों की बेहतर सुरक्षा के लिए सदस्य राष्ट्रों को प्रारम्भिक अन्तर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करना चाहिए। जवाबदेह पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेन्सियों के साथ मजबूत न्याय और सुधार संस्थान, संघर्ष की तुरन्त बाद की अवधि में शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

UNO के अनुसार आतंक के कारण हिंसा और अस्थिरता आती है, नागरिकों के रोजगार एवं शैक्षिक अवसरों तक पहुँच सीमित हो जाती है, जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है और जीवन एवं अन्य बुनियादी अधिकार खतरे में पड़ जाते हैं। UNO द्वारा विशिष्ट आतंकवादी गतिविधियों से सम्बन्धित सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों सहित 18 सार्वभौमिक उपकरणों (14 सम्मेलनों एवं 4 प्रोटोकॉल) को विस्तृत किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ, आतंकवाद का मुकाबला करके मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। इसी तरह अन्तर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी तय जिम्मेदारियों के माध्यम से एवं विधिक आधारों पर शांति स्थापना करने का प्रयास करता रहा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाए गये कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विधिक प्रावधान निम्नवत् हैं–

- संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय के तहत सुरक्षा परिषद की क्षमताएँ : सुरक्षा परिषद् को खुद को दुनियां के कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में बदलना चाहिए।
- चार्टर के अनुच्छेद 99 के तहत संयुक्त राष्ट्र महासचिव की क्षमताएँ : महासचिव को चार्टर के अनुच्छेद 99 के तहत सुरक्षा परिषद् को कानूनी सबमिशन तेजी से करना चाहिए।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश क्षमताएँ : अन्तर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून के गठन की प्रक्रिया के साथ संयुक्त है। महासचिव को मानव सुरक्षा के लिए खतरों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। वह व्यापक सहमति के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का उपयोग कर सकता है।
- समकालीन समाज की जरूरतों को पूरा करने में कानून की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की व्यापक भूमिका का उपयोग करना चाहिए। मानवता एवं उसके आवास की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राष्ट्रों का सहयोग भी लेना चाहिए।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आने के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास और सम्मान, UNO के काम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह काम कई तरीकों से किया जाता है– अदालतों, न्यायाधिकरणों बहुपक्षीय संधियों और सुरक्षा परिषद् द्वारा जो शांति मिशनों को मंजूरी दे सकता है। ये शक्तियाँ इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा दी गयी है, जिसे एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धान्तों को संहिताबद्ध करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय –

संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विधिक एवं न्यायिक अंग अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) है। संयुक्त राष्ट्र का यह मुख्य निकाय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का कानूनी का निपटारा करता है। यह अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेन्सियों से संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर राय भी देता है। न्यायालय 15 न्यायाधीशों से बना है, जिसे महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के लिए चुना जाता है।

इस प्रकार हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सद्भाव, समानता, सम्प्रभुता की स्थापना एवं रक्षा हेतु अत्यन्त प्रभावी विधिक, पहल के रूप में कार्य कर रहा है। विश्व स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् निर्मित संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण या कहा जा सकता है कि एक मात्र उद्देश्य वैश्विक शांति की स्थापना करना है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किन परिस्थितियों में की गयी?

....

....

2. संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद–1 क्या कहता है?

....

....

3. संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का मुख्य कार्य क्या है?

....

....

4. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं?

....

....

13.5 शांति शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संवैधानिक पहलू

सामान्यता संविधान का तात्पर्य नियमों कानूनों के उन दस्तावेजों से है जिसके आधार पर किसी देश की शासन प्रणाली चलाई जाती है। हम जानते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है हम यह भी जानते हैं कि लोकतांत्रिक देश में सरकार जनता की जनता के द्वारा और जनता के लिए होती है इस प्रकार हमारे भारतवर्ष में आम जनता की सरकार सन 1947 लगातार संचालित है। भारत का संविधान इसी जनता के हित लाभ को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। एक लोकतांत्रिक संविधान जनता की भावनाओं और इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करता है इसके अंतर्गत नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए जाते हैं साथ ही साथ नागरिकों के लिए कुछ मूलभूत कर्तव्यों का भी समावेशन किया जाता है। भारत की ही तरह विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी कार्यपालिका और विधायिका के मनमानी से आम जनता को बचाने के लिए एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। वस्तुतः यह मौलिक अधिकार आम जनता को अनावश्यक दबाव एवं अनपेक्षित दशाओं से बचाने के लिए बनाए गए हैं। यह मौलिक अधिकार न सिर्फ अधिकार हैं वरन पूरे राष्ट्र में और साथ–साथ समाज के विभिन्न प्रकारों में शांति स्थापना के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में विद्यमान है।

मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों के समय से ही मांग की जाती रही है। इस मांग के पीछे निहित 3 सबसे बड़े कारण थे।

- पहला कार्यपालिका को स्वेच्छाचारिता से बचाना,
- दूसरा सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करना एवं

- तीसरा विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना। एक लंबी बहस एवं अनेक विवादों एवं संवादों के बाद अंत में सर्वसम्मति से भारत का संविधान निर्मित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया।

हमारे संविधान में निहित अन्य विधिक पहलुओं से पूर्व संविधान की प्रस्तावना को समझना आवश्यक है। आइए देखते हैं प्रस्तावना किस प्रकार से हमारे राष्ट्र को और हमारे जनमानस को उद्‌बोधन करती है।

''हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''

प्रस्तावना से हमारे संविधान की गंभीरता एवं जनता के प्रति जवाबदेही का बोध होता है। अब हम संविधान में अन्तर्निहित उपबंधों की बात करें तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के अतिरिक्त मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं और भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व है यह मिलकर भारतीय संविधान को अनेक प्रकार के संघर्षों से बचाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करते हैं। संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के साथ ही साथ मूल कर्त्तव्य देश में शांति स्थापना के लिए एक विशेष प्रयास के रूप में दिखाई देते हैं। अगर हम शांति शिक्षा के भारतीय विधिक पहलुओं पर विचार कर रहे हैं तो हमें हमें इन बिंदुओं पर अपना विचार केंद्रित करना होगा।

आइए सबसे पहले संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हैं।

13.5.1 मौलिक अधिकार

हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। इन अधिकारों का स्वरूप इस प्रकार का है कि किसी भी भारतीय नागरिक से इन्हें छीना नहीं जा सकता है जब तक कि विशेष परिस्थितियों लागू ना हो। यह मौलिक अधिकार नागरिक हितों की रक्षा करते हैं और भारत में न्याय और शांति के लिए प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है इस अनुच्छेद के अनुसार वे सभी विधियां जो किसी मूल अधिकार से असंगत या उसके प्रतिकूल हैं उस सीमा तक अभी विधि मान्य होंगी जहां तक वे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। अतः न्यायपालिका को अधिकार है कि वह ऐसे विधि को जो संविधान के उपबंधों से असंगत है असंवैधानिक घोषित करें। संविधान में वर्णित 6 मूल अधिकार निम्नवत् हैं–

- समता का अधिकार (अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24)
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28)
- शिक्षा और संस्कृति का अधिकार (अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

आइए, इन मौलिक अधिकारों को संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं

- **समानता का अधिकार**– मौलिक अधिकारों में सर्वप्रथम समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 18 तक वर्णित है जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा समाज अनेक धर्म जातियों पर जातियों में बटा हुआ है और इन सभी कि अपनी विशिष्ट पहचान, परंपराएँ, प्रथाएं एवं मूल्य हैं। भारतीय समाज भारत के प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म जाति या संप्रदाय से संबंध रखता हो

को एक समान मानता है अर्थात भारत में रहने वाले भारत के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य समानता के अधिकारों की बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण के बाद की गई है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार से भेदभाव का प्रश्न प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 जाति धर्म आदि आधारों पर राज्य की सेवा में बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समान अवसर प्रदान किया गया है

- **स्वतंत्रता का अधिकार**– हम जानते हैं कि सृजनशीलता केवल स्वतंत्रता जैसी परिस्थितियों में ही संभव है इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान ने अपने नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। यह स्वतंत्रता का अधिकार भारत के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इनमें से अनुच्छेद 19 में छह प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक विरोध सम्मेलन के स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता और देश के किसी भाग में निवास करने, बस जाने एवं आजीविका एवं व्यापार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके साथ ही देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता देश की सुरक्षा लोक व्यवस्था न्यायालय की अवमानना और अनुसूचित जनजातियों के हितों के आधार पर इन अधिकारों पर तार्किक प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 के अनुसार भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में किसी अपराध में बंदी व्यक्ति के लिए भी मूल अधिकारों का प्रावधान है। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण देता है इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को मनमानी रूप से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

- **शोषण के विरुद्ध अधिकार**– अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य के द्वारा शोषण का शिकार ना होना पड़े इसलिए संविधान ने सभी नागरिकों को समान रूप से शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए हैं। जिन का विस्तृत वर्णन अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 के बीच में किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव देह व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बाल श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है।

- **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार**– भारत में अनेक धर्म मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं इसलिए प्रत्येक धर्मावलंबियों को अपने धर्म का अनुपालन स्वतंत्रता पूर्वक करना सुनिश्चित हो सके इसके लिए हमारा संविधान अत्यधिक संवेदनशील दिखता है। हमारे संविधान ने सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक अनुष्ठान करने धार्मिक परंपराओं का पालन करने धार्मिक रीति–रिवाजों का अनुपालन करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। ऐतिहासिक तथ्य इस बात को पुष्ट करते हैं कि धर्म के आधार पर हमारे समाज में अनेक प्रकार से विभेद उत्पन्न हुए हैं और संघर्ष की स्थितियां पैदा हुए जिसके मूल में धार्मिक भावनाओं के साथ अपचार रहा है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान सभी धर्मों के लिए एक समान अधिकार की घोषणा करता है ताकि सभी धर्म समान रूप से फले फूले एवं उसको मानने वाले लोगों में समरसता बनी रहे। एक धर्म दूसरे धर्म के विरुद्ध न खड़ा हो और किसी भी प्रकार की धार्मिक विषम परिस्थितियों से बचा जा सके।

- **शिक्षा और संस्कृति का अधिकार**– शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं इसी प्रकार संस्कृति मनुष्य के व्यवहार व प्रकृति को बढ़ाने का कार्य करती हैं। शिक्षा और संस्कृति दोनों एक साथ चलने वाली संकल्पनाएँ हैं। संस्कृति शिक्षा को और शिक्षा संस्कृति को पोषण प्रदान करती हैं और इन दोनों को एक साथ भारतीय संविधान पोषण प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 यह घोषित करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को जिस की अपनी अलग बोली भाषा लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थानों या उससे सहायता प्राप्त संस्थानों में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 30 में स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनके प्रबंधन का अधिकार देता है। यहाँ यह भी वर्णन किया गया है कि राज्य द्वारा संस्थाओं को दिए गए अनुदान में धर्म अथवा संस्कृति

के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

- **संवैधानिक उपचारों का अधिकार**– सभी मौलिक अधिकारों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके बगैर सभी अन्य मौलिक अधिकारों की उपादेयता कम हो जाती है क्योंकि यह मौलिक अधिकार ही नागरिकों को अन्य मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में विधिक कार्यवाही करने अर्थात न्यायालय की शरण में जा कर के अपने मौलिक अधिकारों को वापस प्राप्त करने की स्वतंत्रता देता है। इस मौलिक अधिकार का प्रयोग करके भारत का नागरिक विधायिका का अथवा कार्यपालिका द्वारा किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अपने आप को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उनके पुनर्स्थापना की मांग कर सकता है और राज्य के खिलाफ न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। यह मौलिक अधिकार भारत में न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस मौलिक अधिकार को डॉ0 अम्बेडकर ने ''संविधान की आत्मा'' कहा था।

13.5.2 मौलिक कर्तव्य

जब शांति शिक्षण के विधिक पहलुओं की चर्चा करते हैं तो मात्र मौलिक अधिकार ही भारत जैसे देश में शांति की संस्कृति बनाने में अपना योगदान नहीं देते हैं, वरन भारतीय संविधान में कुछ ऐसे अन्य प्रावधान भी किए गए हैं जिससे शांति शिक्षा के लिए शोभनीय परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती है। सन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42 वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। यह मौलिक कर्तव्य मूल अधिकारों से अलग हटकर सामान्य व्यक्ति को निर्देशित करते हैं कि उन्हें राष्ट्र के अंदर किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। संविधान में वर्णित कर्तव्यों को सिलसिलेवार देखा जाए तो इन कर्तव्यों के माध्यम से शांति शिक्षा की पुनर्स्थापना एवं अनुरक्षण का भाव साफ दिखाई देता है।

वर्तमान संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इनके माध्यम से भारत के नागरिकों से अपेक्षा की गई है वह संविधान उन्मुख एवं संविधान के मूल भावनाओं के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन और अनुपालन करेंगे। आइए, मौलिक कर्तव्यों को क्रमबद्ध तरीके से देखने की कोशिश करते हैं।

1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को ह्रदय में संजोए रखें एवं उनका पालन करें।
3. भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्य रखें।
4. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत सभी नदी और वन्यजीव आते हैं कि रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।
11. 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करायें।

देखा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों के साथ–साथ मौलिक कर्तव्य भी भारतीय परिवेश में शांति स्थापना के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में कार्य करते हैं। वस्तुतः अगर विस्तृत फलक में देखा जाए तो मौलिक अधिकार बिना मौलिक कर्तव्यों के पूर्ण नहीं माने जा सकते हैं। इस प्रकार मौलिक अधिकारों एवं मौलिक

कर्तव्यों के द्वारा प्रत्येक नागरिक को भारतीय परिक्षेत्र में राष्ट्र की सीमा के अंदर शांति, सद्भाव, प्रेम, सहयोग एवं सहअस्तित्व के साथ रहने की बात कही गई है।

13.5.3 नीति निर्देशक तत्व

संविधान में वर्णित मूल अधिकारों एवं मूल कर्तव्यों को जानने के बाद संविधान की एक और विशिष्ट विशेषता की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हमारा संविधान कुछ नीति निर्देशक तत्वों की भी व्याख्या करता है। इन नीति निर्देशक तत्वों में भी राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत शांति व्यवस्था, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा आदि को कायम रखने एवं संवर्धन करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। यद्यपि नीति निर्देशक तत्व पूरी तरह से शांति शिक्षा के लिए उत्तरदाई नहीं है परंतु नीति निर्देशक तत्वों की अधिकांश बातें शांति शिक्षा के लिए अत्यंत प्रभावशाली है इस बात का परीक्षण करने के लिए आइए नीति निर्देशक तत्वों को क्रमशः देखते हैं–

- **अनुच्छेद 39** – राज्य नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा।
- **अनुच्छेद 40** – राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियां प्रदान करेगा।
- **अनुच्छेद 41** – राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा।
- **अनुच्छेद 42** – कार्य के लिए न्यायोचित दशाएं बनाएगा तथा महिलाओं को निशुल्क प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा।
- **अनुच्छेद 46** – उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों या श्रमिकों के भाग लेने का अधिकार देगा।
- **अनुच्छेद 44** – राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 45** – राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा।
- **अनुच्छेद 46** – राज्य एसटी और एससी तथा दुर्बल वर्गों के हितों का ध्यान रखेगा
- **अनुच्छेद 48** – राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा।
- **अनुच्छेद 50** – राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रथक्करण करेगा।
- **अनुच्छेद 51** – भारत की विदेश नीति का वर्णन जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा अंतरराष्ट्रीय पंच निर्णयों पर आधारित है।

भारत की विशालता, विविधता और फैली सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक असमानता को ध्यान में रखते हुए संविधान में लोकतांत्रिक और कल्याणकारी दृष्टिकोण अपनाते हुए स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा में विश्वास किया गया है। नागरिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक अधिकारों की मांग उठाई गई है। संविधान सभा ने तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप दोनों प्रकार के मांगों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया और कुछ प्रमुख सामाजिक आर्थिक अधिकारों को भी नीति निर्देशक तत्व के रूप में संविधान का भाग बनाया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व वैधानिक ना होकर के राजनीतिक स्वरूप रखते हैं तथा मात्र नैतिक अधिकार रखते हैं।

इस प्रकार शांति शिक्षा के लिए भारतीय विधिक पहलुओं पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान में भारतीय परिक्षेत्र के अंतर्गत शांति, सौहार्द, प्रेम जैसी उदात्त भावनाओं के पोषण के लिए पर्याप्त संवैधानिक विधिक प्रावधान किए गए हैं। पूरे देश में एक शांति का वातावरण हो जहां आपस में लोग आपस में वैमनस्य ना हो, आपस में संघर्ष ना हो इसके स्थान पर आपस में भाईचारा हो, सद्भाव हो, सहयोग हो, प्रेम हो और इस प्रकार से भारतीय संविधान में निहित विधिक पहलू शांति शिक्षा के पोषक दिखाई देते हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. मौलिक अधिकार आम जनता को कैसे फायदा पहुँचाते हैं?

....

....

6. मौलिक अधिकारों को लागू करने के पीछे की माँग क्या–क्या थी?

....

....

7. हमारे संविधान में कौन–सा मूल–अधिकार ''संविधान की आत्मा'' कहलाता है?

....

....

8. हमारे संविधान में मौलिक कर्त्तव्य कब जोड़े गये?

....

....

9. नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण का क्या उद्देश्य है?

....

....

13.6 शांति शिक्षा के लिए मानवाधिकार संबंधी विधिक पहलू

अधिकार एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बिना सामान्यता कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता – **हेराल्ड लास्की**

संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है परंतु मानव अधिकार नागरिक अपने जन्म से प्राप्त करता है – **डॉक्टर सुभाष कश्यप**

मानव अधिकार को मूल अधिकारों के रूप में सर्वोच्चता प्राप्त है क्योंकि इन अधिकारों का राज्य द्वारा भी अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। अतः इस दृष्टि से इन अधिकारों को मानव के अंतरराष्ट्रीय अधिकार भी कहा जा सकता है। मानव अधिकारों की जड़े अतीत में हजारों वर्ष पूर्व भी दिखाई देती वैदिक काल में धर्म मानव अधिकारों का संरक्षण करते थे। ऋग्वेद की ऋचा में ''सर्वे भवन्तु सुखिनः'' इस बात का प्रतिपादन करता है। महात्मा तुलसीदास अपने श्री रामचरितमानस में लिखते हुए कहते हैं कि ''हित अनहित पशु पछिहउ जाना मानुष तन गुण ज्ञान निधाना।''

मानव अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय पहलू की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई। मानव अधिकार के महत्व का आकलन इसी बात से किया जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो मानवाधिकार के संवर्धन एवं संरक्षण को इसने अपना प्रमुख उद्देश्य माना। मानव अधिकार पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 15 जनवरी, 1941 में किया था। मानवाधिकारों में मानव गरिमा को विशेष महत्व दिया जाता है। मानवाधिकार का विचार मानव की गरिमा से सीधे जुड़ा हुआ है अर्थात जो अधिकार मानव होने के नाते मानव गरिमा सहित प्राप्त करने का अधिकारी है वह सारे अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं।

मानवाधिकार निम्न के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ है–

- धर्म
- जाति
- लिंग

- जन्म स्थान
- एवम राष्ट्रीयता

➢ **अमानवीय कृत्य एवम मानवाधिकार**

संयुक्त राष्ट्र ने अनेक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में निम्न कृत्यों को मानवाधिकारों के विरुद्ध मानते हुए अमानवीय कृत्य माना है

- जनवध
- दासता और दास व्यापार
- बलातश्रम
- शरीरिक यातना
- मानसिक प्रतड़ना
- क्रूर व्यवहार
- अपमानजनक व्यवहार
- मानव दुर्व्यवहार

➢ **मानवाधिकार का सर्वभौम घोषणा–पत्र**

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संबंधी सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं जिनमें मानवाधिकारों संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का समावेश किया गया है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में समाजवाद का अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया गया है। इसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ–साथ आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का भी समावेश किया गया है। इनको हम निम्नवत् देख सकते हैं–

- प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता
- दासता या गुलामी के विरुद्ध स्वतंत्रता अमानवीय व्यवहार और मंत्रणा से विमुक्ति।
- विधि के समक्ष समता का अधिकार विधियों के सम्मुख संरक्षण का अधिकार।
- राष्ट्रीय अभिकरण एवं प्रभावी उपचार अवैध गिरफ्तारी एवं निरोध।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई।
- निर्दोषिता का अधिकार।
- कार्योत्तर विधि से विमुक्त।
- एकांतता तथा एवं गृह पर पत्र आदि भेजने का अधिकार।
- संरक्षण और निवास की स्वतंत्रता अपने देश से दूसरे देश जाने का अधिकार।
- उत्पीड़न के कारण अन्य देश में शरण मांगने का अधिकार।
- राष्ट्रीयता का अधिकार।
- वैवाहिक जीवन का अधिकार संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार।
- विचार अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार।
- अपने यहां की सरकार में सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा संबंधी अधिकार कार्य करने और रोजगार चुनने का अधिकार।
- विश्राम एवं अवकाश का अधिकार जीवन स्तर का अधिकार।
- शिक्षा का अधिकार।
- सांस्कृतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार।
- सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संबंधी अधिकार।
- व्यक्ति के पूर्ण विकास में स्वतंत्रता के अधिकारों का राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण।
- किसी भी राज्य, समूह अथवा व्यक्ति के प्रभाव से स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना।

इस प्रकार जब हम मानवाधिकारों का अध्ययन करते हैं तो यह पाया गया कि मानवाधिकारों के माध्यम से संपूर्ण विश्व के मानव मात्र को मानव होने के कारण प्राप्त होने योग्य सभी अधिकार दिए गए हैं। वस्तुतः यह मात्र अधिकार नहीं है यह मानव मन की संतुष्टि के प्रपत्र है। इनके आधार पर पूरे विश्व में कोई भी मानव अपने अधिकारों की घोषणा कर सकता एवं अपने शांति भंग की स्थिति में इन अधिकारों के वापसी की मांग कर सकता है। विश्व स्तर पर अथवा हमारे देश के स्तर पर मानवाधिकारों का संरक्षण एवं सभी मानव को मानवाधिकारों की व्यथा सुनिश्चित करने का महत्तम प्रयास निश्चित ही व्यापक दृष्टिकोण से शांति की स्थापना करने में सहायक है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

10. मानवाधिकारों की उत्पत्ति कब हुयी?

....

....

11. मानवाधिकार किन आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है?

....

....

12. मानव होने की वजह से नैसर्गिक रूप से मानव को प्राप्त अधिकार क्या कहलाते हैं?

....

....

13.7 सारांश

प्रस्तुत इकाई में हमने सर्वप्रथम विधिक पहलुओं के सम्प्रत्यय पर चर्चा की और जाना कि शांति शिक्षा में कौन–कौन से विधिक पहलू हो सकते हैं। हमने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना के लिए वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्यों को जाना साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों से परिचित भी हुए। इस इकाई के माध्यम से हम जान पाये कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति में किस प्रकार विधिक कार्य करता है एवं किस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की रचना होती है एवं इस प्रकार 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय विवादित मुद्दों पर अपना निर्णय देते हैं। हम यह भी जान पाये कि हमारे संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35) तक व्याप्त है एवं इनकी संख्या 6 है। इसी प्रकार शांति शिक्षा हेतु मौलिक कर्त्तव्यों की महती भूमिका से भी हम परिचित हुए। हम यह भी समझ सके कि वर्णित

नीति निर्देशक तत्व भी शांति स्थापना एवं अनुरक्षण में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। इस इकाई के अन्त में हमने मानवाधिकारों को जाना। हम जान पाये कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अपने स्वरूप में आये मानवाधिकारों की रक्षा करना UNO का प्रमुख उद्देश्य है। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर मानवों विभेद का मानवाधिकार प्रतिषेध करता है। हम मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणापत्र से भी परिचित हुए एवं इस प्रकार हमने शांति शिक्षा के तीन विधिक पहलुओं की चर्चा प्रस्तुत इकाई के माध्यम से की।

13.8 अभ्यास के प्रश्न

1. शांति शिक्षा के संदर्भ में मौलिक अधिकारों की भूमिका का वर्णन कीजिए।
2. शांति शिक्षा के लिए मानवाधिकारों की विवेचना कीजिए।
3. संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति शिक्षा के संदर्भ में आपके अनुसार कौन–कौन आवश्यक सुधार किये जाने चाहिए? विवेचना कीजिए।

13.9 चर्चा के बिन्दु

1. शांति शिक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर और कौन से प्रयास किये जाने चाहिए? चर्चा कीजिए।
2. भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार किस प्रकार शांति शिक्षा में योगदान देते हैं? चर्चा कीजिए।
3. संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक शांति स्थापना में कैसे मदद कर रहा है? चर्चा कीजिए।

13.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के पश्चात्।
2. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे विवादों या स्थितियों का शांतिपूर्ण तरीके से न्याय और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार समाधान निकालना जो कि शांति भंग का कारण हो सकती है।
3. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धान्तों को संहिताबद्ध करता है।
4. 15
5. कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की मनमानी से बचाते हैं एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हैं।
6. (1) कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता से बचाना

   (2) सामाजिक–आर्थिक न्याय

   (3) अल्पसंख्यक समूहों को संरक्षण
7. संवैधानिक उपचारों का अधिकार
8. 1976
9. सामूहिक रूप से भारत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की रचना करना एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
10. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
11. धर्म, जाति, निवास, स्थान एवं राष्ट्रीयता
12. मानवाधिकार

14.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ सूची

1. Austin, G. (2003). Working a democratic constitution : a history of the Indian experience, USA : Oxford University Press.

2. Dhand, H. (2000). Teaching human rights : a handbook for teacher education. Bhopal : Asian Institutes of Human Rights Education.
3. Devi, J. (1916). Democracy and education, London : the fra press
4. NCERT (2010). Shanti Ke liya shiksha : Rastriya focus samuh ka adharpatra, New Delhi : NCERT.
5. Sharma, B.K. (2007). Introduction to the Constitution of India. New Delhi : PHI Learning Pvt. Ltd.
6. https://www.un.org/ruleoflaw/rule-of-law-and-peace-and security.
7. http://www.researchgate.net/publication/225207624.about_the_meaning_of_the_legal_aspect_of_practical_semantics_in-Estomain_legal_order
8. Wikipedia, (n.d.). Social Justice. Retrived from https://en.wikipedia.org/wiki/ social justic.

इकाई—14 : शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक

इकाई की संरचना

14.1 प्रस्तावना

14.2 इकाई के उद्देश्य

14.3 शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक

14.4 व्यक्तिगत कारक

- 14.4.1 मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन क्षमता
- 14.4.2 शारीरिक स्वास्थ्य
- 14.4.3 सामूहिक खेल एवं खेल भावना
- 14.4.4 मानसिक प्रस्थिति
- 14.4.5 संवेगात्मक बुद्धि
- 14.4.6 दुश्चिंता

14.5 पारिवारिक कारक

- 14.5.1 परिवार का आकार
- 14.5.2 परिवार की शैक्षिक स्थिति
- 14.5.3 परिवार की आर्थिक स्थिति
- 14.5.4 परिवार की मान्यताएँ
- 14.5.5 परिवार की सहायता प्रणाली
- 14.5.6 परिवार के आस—पास का वातावरण

14.6 शैक्षिक कारक

- 14.6.1 शिक्षक—छात्र सम्बन्ध
- 14.6.2 विद्यालय का वातावरण
- 14.6.3 पाठ्य सहगामी क्रियाएँ
- 14.6.4 शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं व्यवहार
- 14.6.5 शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता

14.7 सामाजिक कारक

- 14.7.1 समाज का स्वरूप
- 14.7.2 सामाजिक मान्यताएँ एवं प्रथाएँ
- 14.7.3 जनमानस में दायित्वबोध
- 14.7.4 राजनीतिक प्रभाव
- 14.7.5 रोजगार की स्थिति

14.8 सारांश

14.9 अभ्यास के प्रश्न

14.10 चर्चा के बिन्दु

14.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

14.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ सूची

14.1 प्रस्तावना

जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। मानव निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षा हमारे उदात्त भावनाओं का पोषण करती है और व्यवहार में परिवर्तन लाने का सार्थक प्रयास करती है। इसी क्रम में शिक्षा जब शांति के लिए दी जाती है तो वह मानव मन, विचार एवं व्यवहार में शांति के प्रति एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। हम ये भी जानते हैं कि मानवीय विकास में कई कारकों का प्रभाव पड़ता है। कुछ कारक विकास की दिशा एवं दशा को धनात्मक रूप से तो कुछ नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार अनेक कारकों का प्रभाव कम या अधिक मात्रा में शांति के लिए शिक्षा के प्रयासों पर भी पड़ता है। इन कारकों को पहचान कर एवं इनका अधिकाधिक परिमार्जन करके शांति की संस्कृति का निर्माण करके शांति के लिए शैक्षिक प्रयासों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शांति के लिए शिक्षा पर विभिन्न कारकों को समझने के लिए इस यूनिट के माध्यम से एक विमर्श करने की कोशिश की गयी है।

14.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों को समझ सकेंगे।
2. शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले पारिवारिक कारकों को समझ सकेंगे।
3. शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले शैक्षिक कारकों को समझ सकेंगे।
4. शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों को समझ सकेंगे।
5. शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन कर सकेंगे।
6. शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कर सकेंगे।

14.3 शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक

शिक्षा, मानव मन को इस प्रकार प्रशिक्षित कर सकती है कि हम विभिन्न परिस्थिति में शांत बने रहे सके। ये शांति न केवल व्यवहार में दिखाई दे वरन् हम इसे अन्दर से महसूस भी कर सकें। शांति के लिए शिक्षा एक ऐसे ही प्रयास के रूप में संकल्पित की गयी है। परन्तु व्यवहार में यह पाया जाता है कि जब हम औपचारिक या अनौपचारिक विधियों से शांति के लिए शैक्षिक प्रयास करते हैं तो कुछ कारक इस प्रयास को प्रभावित करते हैं। कुछ कारकों को विधिवत परिमार्जित एवं संतुलित करके इनके प्रभावों को धनात्मक बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ कारकों की प्रकृति ऐसी होती है जिनको परिमार्जित नहीं किया जा सकता इसलिए शैक्षिक प्रयासों के दौरान इन्हें पहचान कर इनको पूर्णतया हटाने का प्रयास करना चाहिए। यहीं कारण है कि हमें यह विधिवत विदित होना चाहिए कि शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन–कौन से है। आइये इन पर क्रम से चर्चा करते हैं।

14.4 व्यक्तिगत कारक

व्यक्तिगत कारक के अन्तर्गत हम व्यक्ति के व्यक्तिगत विशेषताओं पर ध्यान केन्द्रित करेंगे और चर्चा करेंगे कि कौन–कौन सी व्यक्तिगत विशेषताएँ शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करती है। व्यक्ति में अन्तर्निहित गुण या विशेषताएँ उसके विचार एवं व्यवहार दोनों को प्रभावित करती है और इस प्रकार उसके स्वभाव का निर्माण होता है।

आइये विन्दुवार कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कारकों की चर्चा करते हैं–

14.4.1 मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन क्षमता

मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के विचार एवं व्यवहार संतुलित होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का सीधा सम्बन्ध व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता से भी है। एक मानसिक स्वस्थ व्यक्ति का समायोजन अवश्य ही उत्तम होता है और जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो एवं विभिन्न परिस्थितियों में खुद को सरलता से समायोजित कर पाता हो तो स्वभावतः उसका मन शांत होता है एवं व्यवहार संतुलित होता है। इसके विपरीत अगर मानव मन अस्वस्थ है तो वह स्वभावतः चिड़चिड़ा होगा एवं उसके स्वभाव में उग्रता होगी। ऐसी स्थिति में शांति के किए जा रहे शैक्षिक प्रयास निष्फल हो जायेंगे। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों के बदलने पर खुद को सामान्य रूप से समायोजित भी नहीं कर पाता है। अतः यह आवश्यक है कि मानवीय मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाये रखने का प्रयास किया जाय। शांति एक मानसिक अवस्था है और अगर मानसिक स्वास्थ्य ही उत्तम नहीं होगा तो वह अवश्य ही शांति के लिए शिक्षा के प्रयासों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा एवं यह प्रक्रिया अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पायेगी।

14.4.2 शारीरिक स्वास्थ्य

''स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है।'' अर्थात् अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा। जब मन स्वस्थ होगा तो हमारा चिंतन एवं व्यवहार संतुलित होंगे और हम प्रसन्नचित महसूस करेंगे। एक प्रसन्न व्यक्ति का मन शांत एवं प्रतिक्रियायें संतुलित होती है। इसके ठीक विपरीत अस्वस्थ शरीर में मन भी अस्वस्थ होता है, इस कारण व्यक्ति का चिंतन एवं प्रतिक्रियायें असंतुलित, विचलित एवं उद्विग्न होती हैं। अर्थात् ऐसे व्यक्ति अशांत होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव शांति के लिए शिक्षा के प्रयासों पर पड़ता है। एक अस्वस्थ व्यक्ति को शांति के लिए मानसिक रूप से तैयार करना लगभग असंभव है। इसलिए शांति के लिए शिक्षा प्रभावशाली हो और व्यक्ति को आचार व्यवहार से शांतिप्रिय बना सके इसके लिए आवश्यक शर्त है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।

14.4.3 सामूहिक खेल एवं खेल भावना

यह एक स्थापित सत्य है कि खेल मानवीय स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त प्रभावकारी कारक है। खेल से मनुष्य न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है वरन् मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है। आज–कल की प्रतिस्पर्धी शिक्षा पद्धति के कारण छात्र खेल के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं। पुस्तकों एवं विभिन्न विषय सामग्रियों के साथ इतना व्यस्त हो गये हैं कि मित्र समूह के साथ पर्याप्त समय भी नहीं दे पा रहे हैं। खेल केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं होता वरन् जब खेल समूह के साथ खेला जाता है तो खेल भावना का विकास होता है। खेल भावना से आशय है, प्रेम, विश्वास, सद्भाव, सहयोग, एकता, दृढ़–इच्छाशक्ति, लक्ष्य प्राप्त करने का जज्बा आदि। सामूहिक खेलों में भाग लेने वाले छात्र ऐसा न कर पाने वाले छात्रों की तुलना में अधिक प्रसन्नचित और आनन्दित महसूस करते हैं। इस कारण उनका मन शांत होता है और वे शांतप्रिय एवं मित्रताभाव रखने वाले होते हैं। सामूहिक खेल शांति के लिए शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करते हैं। अगर हम शांति के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं तो बालक एवं बालिकाओं को सामूहिक खेलों की तरफ मोड़ना ही होगा।

14.4.4 मानसिक प्रस्थिति

हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि शांति एक मानसिक अवस्था है। शांति के लिए शिक्षा का उद्देश्य भी मानव मन में शांति स्थापित करना है। इसके लिए मानव का मन साम्य स्थिति रहना आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु मानसिक प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। योग, प्राणायाम, ध्यान आदि अनेक ऐसी विधियाँ है जिनके प्रयोग से मानसिक चंचलता को स्थिर किया जा सकता है। अनेक प्रयोगों ने भी यह सत्य स्वीकार किया है कि योग, ध्यान, प्राणायाम आदि विधियों से मानव मन स्थिर होता है और मानसिक शांति महसूस करता है। इन विभिन्न विधियों का प्रयोग करके मानव मन में शांति की स्थापना की जा सकती है। इस प्रकार शांति के लिए शिक्षा की सफलता के लिए मानसिक प्रस्थिति भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर हम सुनियोजित विधि से

विद्यालयों एवं अन्य अनौपचारिक शैक्षिक केन्द्रों में मानसिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित कर पाये तो अवश्य ही समाज में शान्ति स्थापना में हम सफल हो सकेंगे। कभी–कभी यह भी महसूस किया जाता है कि क्रोध या तनाव जैसी अवस्था को भी मानसिक प्रशिक्षण द्वारा सामान्य स्थिति में लाया जा सकता है। यही नहीं मानसिक प्रशिक्षण से बालक की दृष्टि व्यापक बनती है और नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है। परिणामतः सकारात्मक सोच जो कि शांति के लिए आवश्यक है विकसित होती है। अतः कहा जा सकता है कि मानसिक प्रस्थिति शांति के लिए शिक्षा को प्रभावी रूप से प्रभावित करने वाला कारक है।

14.4.5 संवेगात्मक बुद्धि

शांति शिक्षा तभी प्रभावकारी हो सकती है जब बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर हो एवं वह संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान हो। संवेगात्मक बुद्धि का सीधा सम्बन्ध संवेगों के नियंत्रण एवं अभिव्यक्त करने के तरीकों से है। उच्च संवेगात्मक बुद्धि वाला बालक परिस्थितियों के अनुसार अपने संवेगों को संतुलित रूप से व्यक्त कर पाता है एवं अनावश्यक क्रोध, घृणा, जलन, वैमनस्य आदि से अपना बचाव कर लेता है। जबकि निम्न संवेगात्मक बुद्धि का बालक तीव्र और तात्कालिक प्रतिक्रिया देता है जिसमें क्रोध, घृणा, वैमनस्य आदि का समावेश हो जाता है। ऐसा बालक मन से न तो स्वयं शांत रह पाता है और न ही अपने आस–पास शांति रहने देता है। अतः संवेगात्मक बुद्धि शांति के लिए शिक्षा पर प्रामाणिक रूप से प्रभाव डालती है। संवेगात्मक बुद्धि एक ऐसा कारक है जिसका सीधा सम्बन्ध शांति के लिए शिक्षा से है। शांति के लिए शिक्षा के प्रयासों में यह तय करना भी आवश्यक है कि बालक के संवेगात्मक बुद्धि का विकास कैसे किया जाय। अतः उन परिस्थितियों का पोषण किया जाना चाहिए जिससे की बालक के संवेगों का प्रशिक्षण हो सके एवं हम बड़ी संख्या में संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान बालकों का निर्माण कर सकें जिससे की प्रकारान्तर में शांति के लिए शिक्षा के महत्तम उद्देश्य पूर्ण हो सके।

14.4.6 दुश्चिंता

दुश्चिंता की स्थिति में बालक की प्रवृत्ति नकारात्मक हो जाती है और उसमें नैराश्य भाव उत्पन्न हो जाता है। अपने क्रूरतम स्थिति में दुश्चिन्ता के कारण बालक आत्महत्या तक की कोशिशें करते पाये गये हैं। ऐसी विषम मानसिक दुश्चिंता के प्रभाव से बालकों को बचाना होगा। इस प्रकार शांति के लिए शिक्षा के प्रयासों में इस कारक को प्रमुखता से देखना चाहिए क्योंकि दुश्चिंता शांति के लिए शिक्षा को लक्ष्य से भटका सकती है। चिन्ता का एक आवश्यक स्तर बालक को लक्ष्य की ओर केन्द्रित करने के लिए एवं लक्ष्य से भटकाव को रोकने के लिए आवश्यक है। परन्तु जब यही चिन्ता एक स्तर से अधिक हो जाती है तो बालक के मानसिक एवं शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। दुश्चिंता की स्थिति में बालक प्रायः अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और उनका व्यवहार अस्थिर हो जाता है। कभी–कभी उनके व्यवहार में आक्रामकता भी आ जाती है। यह दुश्चिंता की स्थिति अगर लगातार बनी रहती है तो बालक के व्यवहार में आक्रामकता, चिड़चिड़ापन, तीव्र प्रतिक्रिया आदि स्थायी रूप से विद्यमान हो जाते हैं। इस प्रकार दुश्चिंता शांतिपूर्ण व्यवहार एवं चिंतन प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. व्यक्ति के विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता का सीधा सम्बन्ध किससे है?

   ....

   ....

2. अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो उसका व्यवहार कैसा होगा?

   ....

   ....

3. खेल भावना का सम्बन्ध किन गुणों से है?

   ....

....

14.5 पारिवारिक कारक

व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं को कारकों के रूप में पहचानने एवं समझने के पश्चात् आइये जाँच करते है कि परिवार के स्तर पर ऐसे कौन–कौन से कारक होते हैं जो शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करते हैं। हम जानते हैं कि व्यक्ति का अधिकांश समय अपने परिवार के साथ व्यतीत हैं एवं वह अपने परिवार की सुख शांति का कारक भी होता है और स्वयं उसके ऊपर परिवार की विभिन्न गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है। आइये विभिन्न पारिवारिक कारकों को बिन्दुवार समझने की कोशिश करते हैं–

14.5.1 परिवार का आकार

हम जानते हैं कि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े परिवार पाये जाते हैं जिन्हें संयुक्त परिवार कहते हैं, जिसमें दादा–दादी, चाचा–चाची, माता–पिता आदि एक साथ रहते हैं। धीरे–धीरे इन परिवारों का विघटन होने लगा और एकल परिवार बनने लगे जिसमें माता–पिता और उनकी संताने ही रह गयी। वर्तमान युग आर्थिक युग कहा जा सकता है। अपनी आय और व्यय के चारों तरफ व्यक्ति की जिन्दगी गुजर जाती है। ऐसे में बड़े परिवारों में व्यय अधिक होता है क्योंकि वहाँ महिलाएँ एवं बच्चे अधिक होते हैं, इसलिए संसाधनों के बँटवारे को लेकर कलह, विवाद, विखण्डन आदि परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है और शांति का वातावरण छिन्न–भिन्न हो जाता है। इसलिए अब आकार में बड़े परिवार विखण्डित होते जा रहे हैं और एकल परिवार में बदलते जा रहे हैं। परिवार में विखण्डन के पूर्व आपस में द्वेष, ईर्ष्या, कलह, प्रतिद्वन्द्विता आदि पैदा हो जाती है जिससे लम्बे समय तक परिवार में शांति नहीं रह पाती। एकल अथवा छोटे परिवारों में संसाधनों के बँटवारे पर विवाद अपेक्षाकृत कम होते हैं इसलिए विवाद एवं अशांति जैसी स्थितियाँ भी कम बनती है।

14.5.2 परिवार की शैक्षिक स्थिति

हम जानते हैं कि शिक्षा जीवन जीने की कला सिखाती है। एक शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति के जीवन के प्रति नजरिये में एवं उसके व्यवहार प्रणाली में मौलिक अन्तर पाया जाता है। इसी प्रकार परिवार के सदस्यों की शैक्षिक स्थिति उनके आपसी व्यवहार एवं एक–दूसरे के प्रति सोच को प्रभावित करती है। शिक्षित परिवारों में छोटे–मोटे व्यवधानों का शांतिपूर्ण हल निकाल लिया जाता है, आपसी समझ उत्तम प्रकृति की पायी जाती है, रिश्तों के प्रति एक स्वस्थ नजरिया देखा जा सकता है एवं आपसी सहयोग, सद्भाव, प्रेम, समर्पण जैसे भाव के साथ परिवार शांति से जीवन यापन करते हैं। इसके विपरीत अशिक्षित परिवारों में एक–दूसरे को समझने का नजरिया अलग होता है। शिक्षा के अभाव में परस्पर सहयोग, सद्भाव आदि की कमी पायी जाती है और आपसी कलह के कारण आये दिन विवाद जैसी स्थितियाँ बनती हैं। ऐसे परिवारों में लड़ाई–झगड़े भी देखे जा सकते हैं और इस प्रकार परिवार की शांति और शांति का वातावरण दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि शिक्षा पर पर्याप्त जोर दिया जाता है और हर कोई चाहता है कि परिवार के सदस्य सुशिक्षित हो जिससे परिवार में एक स्वस्थ, संतोषप्रद और शांतिप्रिय वातावरण का निर्माण हो सके।

14.5.3 परिवार की आर्थिक स्थिति

आर्थिक जगत में जी रहे वर्तमान समाज का ध्येय अधिकाधिक धनार्जन हो गया है। हम जानते हैं कि जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता होती ही है। अगर जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में धन के कारण बाधा उत्पन्न होती है तो व्यक्ति के अन्दर रोष, क्रोध, वैमनस्य, घृणा, नफरत जैसी अनेक मनोवैज्ञानिक अवस्थायें उत्पन्न हो जाती है। परिणामतः उसके स्वयं के जीवन में सुख–शांति नहीं रह जाती और प्रकारान्तर में पूरे परिवार की मनोदशा में नकारात्मक बदलाव आ जाता है। कभी–कभी तो देखा गया है कि लोग अपराध की प्रवृत्ति की ओर मुड़ जाते हैं जैसे चोरी करना, लूट करना, छिनैती करना आदि। और इस प्रकार पूरे परिवार की शांति समाप्त हो जाती है, परिवार का हर सदस्य हमेशा दबाव में और अभाव में रहता है। इन बातों का यही अर्थ नहीं है कि अधिक धनवान परिवारों में शांति का वातावरण रहता है परन्तु जीवन यापन

हेतु आवश्यक संसाधनों को जुटा पाने लायक आर्थिक स्थिति से परिवार में शांति स्थापित करने में मदद मिलती है। देखा जाय तो धन के प्रति अत्यधिक लोभ भी अशांति का कारण बन जाता है।

14.5.4 परिवार की मान्यताएँ

प्रायः देखा गया है कि कुछ परिवार रूढ़ प्रकृति के होते हैं तो कुछ स्वतंत्र प्रकृति के। परम्परावादी एवं रूढ़ प्रकृति के परिवारों में परिवार के युवा सदस्य जैसे बच्चे, महिलाएँ अत्यधिक दबाव में जीवन जीते हैं, उनके लिए अनेक बाध्यताएँ थोप दी जाती है। जैसे महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा, घर की दहलीज के अन्दर ही रह जाना, शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना, बहुविवाह, तलाक आदि। इस प्रकार के परिवारों में मान्यताओं, प्रथाओं, परम्पराओं के रूप में आरोपित ये दबाव सदस्यों के विकास में भी बाधा पैदा करते हैं एवं स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र व्यवहार के अभाव में जो दबाव पैदा होता है वो व्यक्ति की स्वयं की एवं परिवार की शांति को प्रभावित करता है। स्वतंत्र परिवेश वाले, विकासवादी मान्यताओं वाले परिवारों में हर किसी को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, स्वयं के लिए निर्णय करने का एवं उसका अनुपालन करने की छूट होती है तो व्यक्ति अपने सोच को क्रियान्यवित कर पाता है और संतुष्टि, संतोष एवं आन्तरिक खुशी महसूस कर पाता है, जिससे पूरे परिवार का वातावरण शांतिमय एवं द्वन्द्व रहित बन पाता है।

14.5.5 परिवार की सहायता प्रणाली

सहायता प्रणाली से आशय है कि परिवार के सक्षम लोग अन्य संघर्षशील सदस्यों को किस प्रकार सहायता करते हैं। जिन परिवारों में एक–दूसरे की मदद की जाती है वहाँ प्रेम विकसित होता है, सभी सदस्य अपने–अपने योग्यता एवं क्षमता के अनुसार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं एवं अपनी प्रस्थिति के सुधार करके जीवन यापन करते हैं, जिसके कारक परिवार में शांति, सद्भाव, भाईचारा, सहयोग, प्रेम का वातावरण बनता है और शांति की संस्कृति एवं वातावरण बनाने में मदद मिलती है। इसके विपरीत कुछ परिवारों की सहायता प्रणाली ऐसी होती है जहाँ परिवार के सदस्य एक–दूसरे से वैमनस्य रखते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते, प्रतिस्पर्धा एवं ईर्ष्या रखते हैं एक दूसरे को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, ऐसे परिवारों में शांति का वातावरण बना पाना असंभव सा हो जाता है। इसलिए शांति के लिए शिक्षा अपने उद्देश्यों में उन्हीं परिवारों में सफल हो सकती है जहाँ पर आपस की सहायता प्रणाली उत्तम हो।

14.5.6 परिवार के आस–पास का वातावरण

आस–पास के वातावरण से आशय उस स्थान से है जिस स्थान पर परिवार रहता है। निवास के आस–पास का वातावरण भी शांति शिक्षा के प्रभाव को सीमित या विस्तारिक करने की क्षमता रखता है। अगर निवास स्थान के आस–पास स्वच्छता नहीं है, लोग आपस में लड़ाई–झगड़ा करते हैं, एक–दूसरे से बिना वजह बहस करते हैं या नशा करते है तो उन घरों में शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती जो उस वातावरण में बने हैं। वहीं दूसरी तरफ साफ–सफाई एवं शिक्षित परिवेश के परिवारों में शांति, सौहार्द एवं सहयोग दिखता है, जिसके कारण परिवारों में शांति का वातावरण स्वयमेव तैयार हो जाता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

4. परिवार की सहायता प्रणाली से क्या आशय है?

....

....

5. परिवार की कौन–कौन सी प्रथाएँ शांति के लिए शिक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है?

....

....

14.6 शैक्षिक कारक

शैक्षिक कारक के अन्तर्गत हम शिक्षा और उसकी प्रक्रिया से जुड़े उन कारकों का अध्ययन करेंगे जो शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करते हैं। आइये ऐसे कुछ कारकों एवं उनके शांति के लिए शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करते हैं।

14.6.1 शिक्षक–छात्र सम्बन्ध

किसी भी शैक्षणिक संस्था में शिक्षक छात्र सम्बन्ध एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जो छात्र संतोष या असंतोष के लिए उत्तरदायी होता है। एक ऐसी संस्था जहाँ शिक्षक–छात्र सम्बन्ध मधुर एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अनुकूल होते हैं वहाँ प्रायः छात्रों में संतोष का भाव पाया जाता है। छात्र अपनी बात सरलता से एवं लोकतांत्रिक वातावरण में रख पाते हैं तो उनके मन में शांति और संतुष्टि का भाव पैदा होता है। ऐसा प्रायः पाया जाता है कि यदि शिक्षक अपने छात्रों को बातचीत करने का अवसर देता है तो छात्र अपनी समस्यायें बता पाते हैं या कभी–कभी अपना रोष व्यक्त कर पाते हैं। शिक्षकों द्वारा छात्रों के साथ निभाये जाने वाले सम्बन्ध की प्रकृति मात्र से अनेक अशांतिजनक परिस्थितियों से जा सकता है। शिक्षक–छात्र सम्बन्ध शैक्षिक जगत का बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है, हमेशा से यह शैक्षिक चिन्तकों के विचार का विषय रहा है। प्रायः देखा गया है कि जहाँ शिक्षक–छात्र सम्बन्ध अपने अपेक्षित स्वरूप में होते हैं, वहाँ छात्रों के स्वभाव में स्थिरता एवं संवेगों पर नियंत्रण देखा जाता है। छात्र अपनी अनेक परेशान करने वाली समस्याओं की चर्चा शिक्षकों से कर पाते हैं। इस प्रकार शिक्षक–छात्र सम्बन्ध छात्रों में शांति की प्रवृत्ति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

14.6.2 विद्यालय का वातावरण

किसी भी शैक्षणिक संस्था का वातावरण वहाँ अध्ययनरत् विद्यार्थियों के मन–मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। संस्था का वातावरण का अर्थ है छात्र के लिए उपलब्ध सुविधाएँ, अध्ययन–अध्यापन का परिवेश, छात्रों के अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध, शिक्षक–छात्र सम्बन्ध आदि। ये देखा गया है कि जिन संस्थाओं का वातावरण लोकतांत्रिक और खुला होता है वहाँ विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर मिलता है। जिसके कारण छात्र अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर पाते हैं एवं किसी भी प्रकार की कुण्ठा से दूर रहते हैं। जिन संस्थाओं में अध्ययन–अध्यापन की पर्याप्त सुविधाएँ होती है एवं जहाँ छात्रों के ऊपर कम से कम पाबन्दियाँ अथवा दबाव होता है वहाँ छात्र अपनी मौलिक शक्तियों का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं एवं शैक्षिक चिन्ता से मुक्त हो पाते हैं। ऐसे संस्थागत वातावरण में शांति स्थापना कर पाना सहज होता है। छात्रों में भी संतोषभाव होता है। इस कारण उनका मन शान्त, चित्त स्थिर और व्यवहार संतोषजनक होता है। ऐसी संस्थाओं में विवाद के अवसर भी कम ही आते हैं जो कि छात्र संतोष एवं शांति के लिए शिक्षा के महान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक है।

14.6.3 पाठ्य सहगामी क्रियाएँ

पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आशय है 'कक्षा–कक्ष अध्ययन के साथ ही साथ की जाने वाली अन्य शैक्षिक क्रियायें जैसे, खेल–कूद, सामाजिक कार्य, प्रदर्शनी, विभिन्न शैक्षिक प्रतियोगिताएँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एन.एस.एस., एन.सी.सी., स्काउट एण्ड गाइड आदि। इन क्रियाओं का उद्देश्य छात्र का सर्वोन्मुखी विकास करना है। इन

क्रियाओं का एक लक्ष्य यह भी होता है कि छात्र सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए तैयार हो जाय और ज्ञानार्जन के साथ–साथ एक अच्छा नागरिक भी बने। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से छात्रों को अपने रुचि के कार्य करने का अवसर मिल जाता है जिसे वो पूरी लगन से करते हैं। अन्य छात्रों के साथ सहयोग एवं समर्पण भाव से कार्य करते हुए वे सीखते हैं कि शांत मन से कार्य करने से सफलता आसानी से मिलती है एवं मन अशांत करने से, झगड़ा–लड़ाई या आक्रोश युक्त व्यवहार करने से आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है। परिणामतः उसका व्यवहार संयमित, संतुलित एवं मर्यादित होने की चित्त शांत होने की उम्मीद बढ़ जाती है। यह शांत स्वभाव धीरे–धीरे उसके जीवन का अंग बन जाता है एवं एक शांति की संस्कृति बनाने में उसकी भूमिका धनात्मक हो जाती है।

14.6.4 शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं व्यवहार

शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की छात्रों के प्रति अभिवृत्ति एवं छात्रों के साथ व्यवहार, छात्र के जीवन में शांति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। आज शिक्षक की भूमिका का विस्तार हो रहा है। शिक्षक को छात्र का मित्र होना चाहिए, छात्र का पथ प्रदर्शक होना चाहिए, छात्र की शिक्षणेत्तर समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए, छात्र के लिए एक उचित एवं उपयोगी वातावरण का सृजनकर्ता होना चाहिए। वास्तव में शिक्षक माता–पिता के बाद छात्र के लिए सबसे विश्वसनीय व्यक्ति होता है। छात्र, शिक्षक की सकारात्मक अथवा नकारात्मक अभिवृत्ति एवं उनके व्यवहार से प्रभावित होते हैं। प्रायः देखा जाता है कि शांतप्रिय एवं सकारात्मक अभिवृत्ति वाला शिक्षक छात्रों में लोकप्रिय होता है। ऐसे शिक्षक जो छात्रों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, छात्रों की मदद करते हैं, संस्था में एवं संस्था के बाहर भी उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार रहते हैं एवं छात्रों के साथ मित्रवत और सरल व्यवहार करते हैं, ऐसे शिक्षक छात्रों में ज्ञान के साथ–साथ एक उचित एवं सकारात्मक अभिवृत्ति भी पैदा करने में सफल होते हैं। इस प्रकार के शिक्षक के सानिध्य में छात्र अपनी क्षमता का सदुपयोग करना सीखता है। शिक्षक के उचित व्यवहार के कारण छात्र संवाद कर पाता है, विमर्श कर पाता है एवं शिक्षक के अनुभवों का लाभ लेकर अपनी समस्याओं का सरलता से समाधान प्राप्त कर पाता है। इस तरह से एक शिक्षक अपने अभिवृत्ति एवं व्यवहार से छात्रों को चिंता मुक्त कर सकता है। छात्रों के जीवन को शांति युक्त बनाने में एक अध्यापक की अभिवृत्ति एवं व्यवहार को बहुत महत्वपूर्ण कारक के रूप में समझना होगा।

14.6.5 शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता

समाज के हर सदस्य को अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। जब छात्र किन्हीं कारणों से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता या इच्छा होते हुए भी शिक्षा से वंचित हो जाता है तो उसका मन व्यथित हो जाता है। उसका जीवन कुंठाग्रस्त हो जाता है। वह स्वयं को अपने मित्रों के बीच असहज महसूस करता है। इस प्रकार उसके जीवन में शांति नहीं रहती। वह निरंतर स्वयं से लड़ता है और धीरे–धीरे उसके व्यवहार में उग्रता आ जाती है वह अस्थिर व्यवहार करता है एवं तनावग्रस्त हो जाता है। इन परिस्थितियों में शांति की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। हम जानते हैं कि शिक्षा बालक के विकास के लिए कितनी आवश्यक है, और यह आसानी से समझा जा सकता है कि शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त करना बालक का अधिकार होता है। शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता भी बालक के जीवन को सही रास्ते पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रायः देखा गया है कि जिन समाजों में सभी सदस्यों को शैक्षिक अवसर सरलता से उपलब्ध होते हैं उनका विकास होता है। उन समाजों में सद्भाव एवं भाईचारा भी बढ़ता है और ये सब अन्ततः शांति स्थापना के लिए किये जा रहे शैक्षिक प्रयासों में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

6. विद्यालय में शिक्षक–छात्र सम्बन्ध कैसा होना चाहिए?

....

....

7. विद्यालय के वातावरण से क्या अर्थ है?

....

....

8. पाठ्य सहगामी क्रियाओं से क्या अभिप्राय है?

....

....

14.7 सामाजिक कारक

मानवीय जीवन में शांति स्थापना करने में समकालीन समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अनेक ऐसे सामाजिक कारक होते हैं जो शांति के लिए शैक्षिक प्रयासों पर प्रभाव डालते हैं। अनेक सामाजिक परिस्थितियाँ शांति के लिए शिक्षा के अनुकूल होती है तो अनेक प्रतिकूल भी होती है। इस शीर्षक के अन्तर्गत कुछ ऐसे ही सामाजिक कारकों की चर्चा की जायेगी जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करते हैं।

14.7.1 समाज का स्वरूप

प्रायः देखा जाता है कि समाज जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार की उसकी गतिविधियाँ या कार्यविधियाँ होती है। हम सब को पता है कि बालक समाज से सीखता है, समाजीकरण करता है और इस दौरान समाज की रीति–रिवाजों, परम्पराओं, गतिविधियों और अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों का भी अनुसरण करता है। अगर समाज सुशिक्षित है तो उसमें प्रायः शान्ति देखी जा सकती है। अनेक समस्याओं या विपरीत परिस्थितियों का सामना वह समाज बड़े ही शांति भाव से एवं भाई चारे के साथ कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ प्रायः देखा जाता है कि अशिक्षित समाज में लोगों में आक्रोश ज्यादा पाया जाता है। लोग छोटी–छोटी बात पर लड़ाई–झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। अतः यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज अपने सदस्यों को भी वही विरासत सौपेंगा जो उसमें व्याप्त है। इस प्रकार समाज के प्रकार का प्रभाव बालक के मनः मस्तिष्क पर गहरा पड़ता है और समाज की अन्तर्निहित विशेषताओं के कारण बाल मन पर पड़ा हुआ यह प्रभाव बालक के सोचने, समझने, चिंतन करने या व्यवहार करने की प्रक्रिया का निर्माण करता है। समाज का स्वरूप बालक के मन, वाणी और कर्म में शांति की अवस्थापन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

14.7.2 सामाजिक मान्यताएँ, परम्पराएँ एवं प्रथाएँ

हर समाज की कुछ मान्यताएँ, परम्पराएँ एवं प्रथाएँ होती है। उदाहरण के लिए कई समाजों में अभी भी अनेक रूढ़ियों और अवैज्ञानिक परम्पराओं को माना जाता है। जैसे कई समाजों में बलि प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, तलाक जैसी प्रथाएँ व्याप्त है। जिन समाजों में इन प्रथाओं का प्रचलन होगा वहाँ के सदस्य विशेषकर बच्चों में इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार तंत्र–मंत्र में विश्वास रखने वाला समाज हमेशा भय में रहता है, वहाँ लोगों में आत्मविश्वास की कमी पायी जाती है और वे मानसिक शांति खो देते हैं। ऐसे समाजों में बालकों के मनः मस्तिष्क पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। बालक भी अन्धविश्वासों में जकड़े रहते हैं और अशांत जीवन जीने को मजबूर होते हैं। इसी प्रकार समाजों में अनेक मान्यताएँ परम्पराएँ एवं प्रथाएँ होती है जिनके प्रभाव में आकर बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कई बार ये मान्यताएँ, प्रथाएँ समाज की उन्नति में भी योगदान करती है। यही कारण है कि विकासवादी सोच वाले समाजों में अपेक्षाकृत अधिक शांति और सद्भाव पाया जाता है।

14.7.3 जनमानस में दायित्वबोध–

समाज के सदस्यों का दायित्व से तात्पर्य है कि वे अपनी आने वाली पीढ़ी और नौजवान पीढ़ी को जीवन जीने की उचित रीतियों एवं विधियों से परिचित कराये। बुराइयों एवं अनाचार से दूर रखें। विशेषकर बच्चों के सामने ऐसा व्यवहार करें जिनका अनुसरण किया जा सके और ऐसे व्यवहार से बचे जिनका दुष्प्रभाव बालक के शांत और स्थिर जीवन पर पड़ने की सम्भावना हो। उदाहरण के लिए छोटे बच्चों के सामने झगड़ा न करें, दूसरों की निंदा न करें, मार–पीट न करें, अपशब्द न कहें, हिंसात्मक घटनाओं का वर्णन न करें, आदि। ऐसा देखा भी गया है कि

विकसित समाजों में लोग बच्चों के प्रति अधिक उत्तरदायी होते हैं। जबकि अविकसित और पिछड़े समाजों में दायित्वबोध की कमी होती है। अगर समाज के लोग ऐसी छोटी–छोटी बातों को गम्भीरता से ले और बालक के व्यवहार परिमार्जन के लिए दायित्वबोध महसूस करें तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ियों के विचारों में शांति स्थापना एवं व्यवहारों में स्थायित्व, भाईचारा, सहयोग आदि गुणों का आरोपण किया जा सकता है।

14.7.4 राजनीतिक प्रभाव

राजनीति और समाज दोनों ही एक–दूसरे को प्रभावित करते हैं। राजनीति जब शुचिता को त्याग कर स्वार्थसिद्धि में लग जाती हैं तो समाज में विभाजन पैदा करने से भी पीछे नहीं हटती। राजनीतिक प्रयासों का समाज के लोगों की भावनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब राजनीतिक प्रयास एकता की सिद्धि की ओर लक्षित होते हैं तो समाज में शांति और भाईचारा की स्थापना होती है; इसके विपरीत जब राजनीति का लक्ष्य अपने स्वार्थपूर्ति के लिए समाज को खण्डित करके भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद जैसी नकारात्मक सोच पैदा करना होता है तो उस समाज में, अशांति, द्वन्द्व, भय, आक्रोश आदि नकारात्मक प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगती है। समाज की एक महती जिम्मेदारी यह भी है कि राजनीतिक कुप्रयासों का प्रभाव आपसी सम्बन्धों पर न पड़ने दे जिससे शांति की स्थिति बनी रहे।

14.7.5 रोजगार की स्थिति

ऐसे समाज जिनमें लोगों के पास रोजगार होते हैं, लोग परिवार के भरण– पोषण के लिए पर्याप्त आय अर्जित कर लेते हैं, अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की अभिपूर्ति कर पाते है। वहाँ लोग संतुष्ट, शांत और अहिंसक प्रवृत्ति वाले होते हैं। इसके विपरीत रोजगार से वंचित समाज में द्वन्द्व, आक्रोश, अशांति और अविश्वास पाया जाता है। न सिर्फ समाज के रोजगार युक्त होने का ही वरन् रोजगार के प्रकार का भी समाज की शांति पर प्रभाव पड़ता है। जिन समाजों में रोजगार की प्रकृति अहिंसात्मक होती है, निर्माणात्मक होती है, कलात्मक होती है, कौशल पर आधारित होती है वह समाज शांत प्रकृति का होता है और विकासवादी होता है। इस प्रकार समाज द्वारा अपनाये जाने वाले रोजगार के साधन भी सामाजिक चेतना और संस्कृति के निर्माण में शांति स्थापना में अपना योग देते हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

9. कौन–कौन से सामाजिक कारक शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करते हैं?

....

....

10. रोजगार की स्थिति का शांति के लिए शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है?

....

....

14.8 सारांश

इस इकाई में हमने शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा की। प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्यतः चार विभागों में विभक्त करके इनके उप कारकों को समझने का प्रयास किया गया। ये चार विभाग क्रमशः व्यक्तिगत कारक, पारिवारिक कारक, शैक्षिक कारक और सामाजिक कारक है। इन कारकों पर चर्चा के दौरान हमने सीखा कि किस प्रकार व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताएँ, पारिवारिक वातावरण, शिक्षा व्यवस्था की कार्य प्रणालियाँ और समाजों की गतिविधियाँ शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करती है। हम यह भी समझ पाये कि शांति के लिए शिक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार कुछ कारकों को नियंत्रित या विस्तारित किया जा सकता है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि किन कारकों का सकारात्मक और किन कारकों का

नकारात्मक प्रभाव शांति के लिए शिक्षा पर पड़ता है।

14.9 अभ्यास के प्रश्न

1. शांति के लिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों की विवेचना कीजिए।
2. शान्ति के लिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले शैक्षिक कारकों का वर्णन कीजिए।
3. शान्ति के लिए शिक्षा को प्रभावित करने वाले पारिवारिक एवं सामाजिक कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

14.10 चर्चा के बिन्दु

1. शांति के लिए शिक्षा को कौन–कौन से कारक नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? चर्चा कीजिए।
2. किस प्रकार के विद्यालयी वातावरण में शांति के लिए शिक्षा प्रभावी होगी? चर्चा कीजिए।
3. समाज में रोजगार की स्थिति को शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ में कैसा होना चाहिए? चर्चा कीजिए।

14.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. मानसिक स्वास्थ्य
2. चिंतन एवं प्रतिक्रियायें असंतुलित होती है साथ ही विचलित और उद्विग्न होती है।
3. प्रेम, विश्वास, सद्भाव, सहयोग, एकता, दृढ़, इच्छाशक्ति लक्ष्य प्राप्त करने की जज्बा आदि।
4. परिवार के सदस्यों का एक–दूसरे की सहायता करने की प्रवृत्ति।
5. पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बहुविवाह प्रथा, तलाक प्रथा आदि।
6. विद्यालय में शिक्षक–छात्र सम्बन्ध मधुर एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अनुकूल होने चाहिए।
7. छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ, अध्ययन–अध्यापन का परिवेश, छात्रों के अन्तर्वैक्तिक सम्बन्ध, शिक्षक–छात्र सम्बन्ध आदि।
8. खेल–कूद, सामाजिक कार्य, प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एन.एस.एस., एन.सी.सी., स्काउट एण्ड गाइड आदि।
9. समाज का स्वरूप, उसकी मान्यताएँ एवं प्रथाएँ, जनमानस में दायित्वबोध, राजनीतिक स्थिति, रोजगार की स्थिति आदि।
10. यदि समाज में सभी को रोजगार उपलब्ध हैं तो उस समाज में शांति रहती है और यदि लोग रोजगार नहीं पाते तो अशांति की अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है।

14.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ सूची

1. प्रो. पचौरी (2016). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य, मेरठ : आर. लाल बुक डिपो।
2. शर्मा, गिरिधारी लाल (2015). शांति शिक्षा एवं सतत् विकास, आगरा : अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
3. https://ch.m.wikipedia.org/wiki
4. http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%educationmirror.org /2016/02/शिक्षा–विमर्श : बेहतर मंच
5. http://www.linkedin.com/pulse जनसम्पर्क में संवाद का महत्व

इकाई– 15 : शांति के लिए शिक्षा हेतु शिक्षक प्रशिक्षण

इकाई की संरचना

15.1 प्रस्तावना

15.2 इकाई के उद्देश्य

15.3 शिक्षक–प्रशिक्षण

15.4 शांति के लिए शिक्षा हेतु शिक्षक–प्रशिक्षण की आवश्यकता

15.5 शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शांति परक गतिविधियों का समावेशन

15.6 शांति के लिए शिक्षा हेतु संभावित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉडल की रूपरेखा

15.7 शिक्षक–प्रशिक्षण मॉडल के विभिन्न स्तर

15.8 शांति के लिए शिक्षा हेतु सेवापूर्व प्रशिक्षण

15.9 शांति के लिए शिक्षा हेतु सेवारत प्रशिक्षण

15.10 सारांश

15.11 अभ्यास के प्रश्न

15.12 चर्चा के बिन्दु

15.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

15.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ सूची

15.1 प्रस्तावना

''राष्ट्रों का एक मात्र संगठन जो दुनियाँ को स्थाई शांति का आश्वासन दे सकता है वह उन शिक्षकों का संगठन है जो बच्चों के मस्तिष्क और हृदय में शांति स्थापित करते हैं।''

एजुकेशन एण्ड द पीपुल्स पीस (1943), वाशिंगटन डी.सी.

हम जानते है कि मात्र शिक्षक ही समाज का वह जिम्मेदार व्यक्ति है जो शांति के मूल्य को कक्षा कक्ष से विस्तारित करते हुए वैश्विक पटल पर ला सकता है।

इस महती जिम्मेदारी के लिए हमें शिक्षकों को तैयार करना होगा। हमें बड़ी मात्रा में ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो मात्र ज्ञान के आधार पर नहीं वरन् भावनात्मक एवं सृजनात्मक आधारों पर भी शांति शिक्षा के अग्रदूत बन सके।

हम जानते हैं कि शांति एक मानसिक प्रस्थिति है और इसको प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमें शिक्षकों को शांति के लिए शिक्षा हेतु प्रशिक्षित करना होगा, जिससे की शांति के लिए शिक्षा के महान उद्देश्यों तक पहुँचना सम्भव हो।

प्रस्तुत अध्याय में हम जानने की कोशिश करेंगे कि शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता करते हैं एवं यह किन–किन स्तरों पर दी जा सकती है साथ ही इसके अलग–अलग स्तर कौन–कौन से हो सकते हैं। हम शिक्षक–प्रशिक्षण मॉडल को भी समझने का प्रयास करेंगे।

15.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. शांति के लिए शिक्षा में शिक्षक–प्रशिक्षण प्रारूप को समझ सकेंगे।
2. शांति के लिए शिक्षा हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता को समझ सकेंगे।
3. शांति के लिए शिक्षा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किये जा सकने वाले कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे।
4. शांति शिक्षा हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधनों का विश्लेषण कर सकेंगे।
5. शांति के लिए शिक्षा के मॉडल को जान सकेंगे।
6. सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण की विवेचना कर सकेंगे।
7. शांति के लिए शिक्षा हेतु शिक्षक–प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं महत्त्व को समझ सकेंगे।
8. शांति के लिए शिक्षा हेतु शिक्षक–प्रशिक्षण की विभिन्न भूमिकाओं की समीक्षा कर सकेंगे।

15.3 शिक्षक–प्रशिक्षण

एक शिक्षण संस्था से उम्मीद की जाती है कि वह अपनी भूमिका इस प्रकार निभाएगी कि छात्र अपनी सभी योग्यताओं का अधिकतम विकास कर सकेंगे। जो इन भूमिकाओं का कार्यात्मक प्रतिनिधित्व कर सकता है, वह व्यक्ति शिक्षक ही है। जैसा कि NCTE (1998) ने कहा कि 'एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण तत्व होता है, यह शिक्षक ही है जो प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक प्रक्रियाओं का सम्पादन करता है।'' अर्थात् शिक्षक से अपेक्षाएँ बहुत होती है, इसलिए शिक्षक को इन भूमिकाओं के लिए तैयार करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। यह महत्वपूर्ण कार्य शिक्षक–प्रशिक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। इसी प्रकार के विचार कोठारी कमीशन (1964–66) एवं शिक्षा नीति (1986) में भी कही गयी है। शिक्षक अपनी रचनात्मक एवं निर्माणात्मक भूमिका निभा सके इसके लिए आवश्यक है कि वह प्रशिक्षित हो। टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क (1978–1988) में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर पर्याप्त जोर दिया गया है। इसी प्रकार के सुझाव करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन ने भी दिये हैं।

शिक्षक–प्रशिक्षण शिक्षक की व्यावसायिक क्षमता एवं उसकी सामर्थ्य को उच्चीकृत करने का एक कार्यक्रम होता है, जिससे वह अपने व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने के लिए एवं शैक्षिक आवश्यकताओं की अभिपूर्ति करने के लिए आवश्यक कौशल सीखता है। 1906–1956 तक शिक्षकों को तैयार करने में विभिन्न कौशलों के विकास का भाव निहित था जो कि औपचारिक अथवा अनौपचारिक विधियों से किया जाना होता था। इस प्रकार शिक्षक–प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षण कौशलों एवं अन्य सम्बन्धित व्यावसायिक कौशलों को शिक्षकीय व्यवहार में शामिल किया जाता रहा है। यद्यपि शिक्षक प्रशिक्षण कुछ विशेष स्तरों पर दिया जाता है फिर भी यह एक अनवरत् प्रक्रिया है, जो शिक्षक बनने के पहले से शुरू होती है और शिक्षक के औपचारिक शिक्षण के अन्त तक चलती रहती है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक सिद्धान्त काम करता है कि ''शिक्षक बनते हैं, पैदा नहीं होते।'' राष्ट्र निर्माण जैसी महती भूमिका के संदर्भ में शिक्षक– प्रशिक्षण एक अति संवेदनशील प्रक्रिया मानी जा सकती है।

जब शांति के लिए शिक्षा में शिक्षक–प्रशिक्षण पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि अनेक स्तरों पर पूरे विश्व में इस पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है एवं कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर अनेक संस्थाएँ इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। जैसे UNESCO (यूनाईटेड नेशन्स एजूकेशनल साइन्सटिफिक एण्ड कल्चरल आर्गेनाइजेशन), UNICEF (यूनाईटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स इमरजेन्सी फण्ड), UNDDA (यूनाइटेड नेशन्स डिपार्टमेण्ट ऑफ डिसारममामेण्ट अफेयर्स), HAP (हेग अपील फॉर पीस), CERPE (सेन्टर फॉर रिसर्च ऑन एजूकेशन्स फॉर पीस) एवं EPE (द अर्थ एण्ड पीस एजूकेशन्स एशोसिएशन इण्टरनेशनल) आदि। UNDDA जैसी अनेक संस्थाएँ शांति के लिए शिक्षा हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रही हैं एवं सभी देशों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रही है। हमारे देश में भी इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। NCERT (नेशनल काउसिंल ऑफ एजूकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग), NUEPA (नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन), NCTE (नेशनल काउसिंल ऑफ टीचर एजुकेशन) आदि के साथ ही साथ अनेक स्वयंसेवी संस्थाएँ जैसे गाँधी पीस फाउण्डेशन एवं शिक्षक शिक्षा के अनेक कॉलेज भी इस दिशा में प्रभावी प्रयास कर रहे हैं। गाँधी पीस फाउण्डेशन, शांति के लिए शिक्षा को औपचारिक शिक्षा में समावेशन के लिए पूरे देश में कार्य कर रहा है। हमें आशा करनी चाहिए कि शीघ्र ही हम अपने सभी प्रकार के सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षक– प्रशिक्षण कार्यक्रमों

में शांति के लिए शिक्षा से सम्बन्धित प्रभावी परिवर्तन कर पायेंगे एवं देश में ऐसे प्रशिक्षित शिक्षकों की बड़ी संख्या तैयार कर सकेंगे जो शांति के लिए शिक्षा के पथ–प्रदर्शक बनेगें।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. NCTE का पूरा नाम क्या है?

....

....

2. भारत की कौन सी संस्थाएँ शांति के लिए शिक्षा में प्रयासरत है?

....

....

15.4 शांति के लिए शिक्षा हेतु शिक्षक–प्रशिक्षण की आवश्यकता

हम जानते है कि शिक्षा के द्वारा शांति का वातावरण बने और हमारे छात्र शांति को एक आवश्यक जीवन मूल्य की तरह व्यावहारिक जीवन में अपनाए इसके लिए यह आवश्यक है कि उनको पढ़ाने वाले शिक्षक प्रशिक्षित हों। शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अभी तक शिक्षा के माध्यम से विश्व में शांति कैसे लायी जा सकती है एवं इस कार्य में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है इस पर बहुत कम विचार किया गया है। अब आवश्यकता है कि हमारे विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ज्ञान एवं कौशलों के विकास के साथ–साथ शांति के प्रति भी संवेदनशील किया जाय। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शांति शिक्षण सम्बन्धी विधियों, सम्प्रत्ययों आदि का समावेशन करना ही पड़ेगा। अब समय की माँग है कि मानव जाति अपने विकास का आधार शांति को बनाए एवं विकास का लक्ष्य भी शांति हो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार हमारे ऋषि–मुनियों ने अपने शिक्षकीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज में एवं छात्रों के जीवन में सद्‌भाव, प्रेम, सहयोग, करुणा, दया जैसे उच्च आदर्शों को मूल्य रूप में स्थापित करके एक शांतिमय समाज के निर्माण में अपना योगदान दिया है। महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य, शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि दयानन्द, महर्षि पतंजलि, राधाकृष्णन् आदि अनगिनत गुरुओं ने अपने–अपने समकालीन समाजों के निर्माण में योगदान दिया। महात्मा गाँधी के विचारों को समझे तो शांति शिक्षा में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट हो जाती हैं गाँधी जी का मानना था कि शिक्षक अध्ययन–अध्यापन के मात्र केन्द्र में नहीं होता वरन् वह इस तंत्र की रीड़ की हड्डी होती है, साथ ही शिक्षा तंत्र की सफलता अथवा असफलता शिक्षकों के समुदाय के प्रयासों पर निर्भर करती है। अगर एक शिक्षक अपनी जिम्मेदारी संवेदनशीलता से पूरा करता है तो वह समाज एवं राष्ट्र में शांति और सामंजस्य स्थापित करने में सफल होगा।

शिक्षक–प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्‌देश्य यह होता है कि शिक्षक स्वयं मानवीय गुणों को धारण करें पुनः उन गुणों को अपने छात्रों में स्थापित करें। इस प्रकार शिक्षक प्रशिक्षण के द्वारा बड़ी मात्रा में ऐसे शिक्षकों को तैयार किया जा सकता है जिनका स्वयं का व्यक्तित्व अनुकरणीय हो एवं जो मानवीय गुणों को अपने छात्रों के जीवन का हिस्सा बना सकते हो। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्‌यक्रमों में जीवन जीने के सही तरीके, आपसी सम्मान एवं विश्वास, सहयोग, सामाजिक न्याय, खुले मस्तिष्क के साथ मानवीयता को स्वीकार करने जैसे मानवीय एवं शांतिपरक के तत्वों का समावेश करना होगा। इस प्रकार वर्तमान समाज की माँग है कि शिक्षक–प्रशिक्षण को पुनःरचित किया जाय।

प्रशिक्षण के प्रत्येक स्तर पर एवं प्रत्येक वर्ग के लिए जैसे शिक्षक नीति निर्धारक, प्रबन्धंक अथवा शिक्षक–प्रशिक्षक के लिए मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं अन्य उच्च सामाजिक मूल्यों का समावेशन किया जाना चाहिए। शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थानों को ये एक वातावरण बनाना होगा जिससे कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों में स्वभावतः शांति का निवेश किया जा सके; साथ ही साथ प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों के व्यवहार का पर्यवेक्षण भी करना होगा जिससे कि शांति एक क्षणिक उपादान मात्र न रहे बल्कि उनके जीवन का स्थाई भाव बन सके। इसके लिए सेवापूर्व एवं सेवारत दोनों ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ–साथ व्यावहारिक पहलुओं

को अधिक महत्व देना चाहिए। कक्षा–कक्ष में शांति का प्रशिक्षण एक चुनौती है, इसके लिए परम्परागत विधियों से अलग आत्म–विश्लेषणात्मक विधियों जैसे मेडिटेशन, साइको सिन्थेसिस एवं सकारात्मक सामाजिक अन्तर्क्रियाओं का प्रयोग करना होगा।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. आधुनिक भारत के उन गुरुओं का नाम लिखिए जिन्होंने शांति के लिए प्रयास किये।

....

....

4. मानवीयता के गुणों को छात्रों तक कौन संप्रेषित कर सकता है?

....

....

15.5 शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शांतिपरक गतिविधियों का समावेशन

पाठ्यक्रम वह आधार होता है जिस पर शिक्षा व्यवस्था अपने दायरे तय करती है। इस प्रकार शिक्षक प्रशिक्षण में भी कुछ आवश्यक क्रियाओं का समावेशन करके उसे शांति के लिए शिक्षा हेतु अनुकूल बनाया जा सकता है–

कुछ गतिविधियों निम्नवत् हैं जो पाठ्यक्रम में समावेशित की जा सकती है–

- शांति पर निबंध लेखन।
- शांति आधारित अन्तर सांस्कृतिक कार्य/प्रोजेक्ट कार्य।
- न्यूजलेटर अथवा ब्रोसर के माध्यम से शांति संबंधी सूचनाओं का आदान–प्रदान करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं में शांति संबंधी फैसलों का विवेचन।
- वैज्ञानिकों एवं तकनीकि प्रयोगकर्ताओं की जिम्मेदारियों एवं नैतिकता पर चर्चा–परिचर्या करना।
- वाद–विवाद, प्रश्नोत्तरी, जिसके केन्द्र में शांति के तत्व हो।
- शांति एवं अशांति पर आधारित कलात्मक कार्य।
- पोस्टर्स, स्लाइड्स, मॉडल, चित्र आदि का सहायक सामग्री के रूप में निर्माण करने की कला का प्रशिक्षण।
- छात्रों के व्यवहारों के पर्यवेक्षण की तकनीकियों का प्रशिक्षण।
- द्वन्दात्मक परिस्थितियों का समाधान करने की रणनीतियों पर चर्चा।
- तनाव को कम करने के तरीके पर वर्कशाप का आयोजन।
- समायोजन करने एवं सिखाने की विधियों का अभ्यास।
- सामुदायिक कार्यों के आयोजन में कुशलता एवं छात्रों को अभिप्रेरित करने की कला का अभ्यास।
- विद्यालय में अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों के प्रति सजगता एवं संवेदनशीलता का अनवरत अभ्यास एवं पर्यवेक्षण।

- प्रशिक्षण संस्थानों में शांति विषयक व्याख्यान, प्रदर्शन, निर्देशन, परामर्श, समूह शिक्षण, ब्लाक प्रेक्टिस टीचिंग, सेमिनार आदि का आयोजन।
- सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, धार्मिक कट्टरता आदि पर सार्थक परिचर्चा एवं समाधान प्राप्ति की विधियाँ एवं आवश्यक कौशलों का प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षणार्थियों के लिए समाजोत्पादक (SUPW) कार्यों का नियोजन एवं क्रियान्वयन।
- प्रतिदिन प्रातः सर्वधर्म समभाव आधारित प्रार्थना का आयोजन।
- प्रत्येक शिक्षक को शांति की आवश्यकता, महत्व एवं उसके लाभ के विषय में बताया जाय।
- सम्पूर्ण प्रशिक्षण के दौरान शांति का वातावरण बना रहे इस बात का ध्यान दिया जाय तथा प्रयास किया जाय कि प्रशिक्षुओं में शांति के लिए सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण हो सके।
- अशांति से होने वाली परेशानियों की भी चर्चा की जाय।
- शांत एवं अशांत समुदायों, समाजों एवं राष्ट्रों का तुलनात्मक अध्ययन भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाय।
- प्रत्येक विषय के अध्यापन में अभ्यास कराया जाय कि अध्यापन के दौरान शांति की तरफ संकेत किया जा सके।
- सभी विषयों में उन तत्वों की पहचान कराई जाय जिनमें शांति स्थापना के बीज तत्व मौजूद है।
- विद्यालयी प्रशिक्षण के दौरान अध्यापक के व्यवहार का एवं बात–चीत की शैली का लगातार पर्यवेक्षण किया जाय एवं आवश्यक टिप्पणियाँ दी जाय।
- प्रशिक्षुओं को अपने छात्रों के साथ व्यवहार या संवाद करते समय ध्यान रखने योग्य बातों का प्रशिक्षण दिया जाय।
- शिक्षा, शांति के लिए होनी चाहिए ऐसा एक स्थायी भाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का होना चाहिए।

इस प्रकार प्रशिक्षित शिक्षक के प्रमाण–पत्र में शांति सम्बन्धी ग्रेडिंग की व्यवस्था हो सके तो उत्तम होगा।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. धार्मिक कट्टरता से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है?

....

....

6. तीन विधियों की चर्चा करिये जिन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित करना चाहिए।

....

....

15.6 शांति के लिए शिक्षा हेतु शिक्षक–प्रशिक्षण मॉडल की रूपरेखा

वस्तुतः जब हम शिक्षक प्रशिक्षण की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ खड़ा होता है कि इसका मॉडल कैसा होगा। इसी मॉडल को समझने के लिए शांति के लिए शिक्षा हेतु एक संभावित

शिक्षक–प्रशिक्षण मॉडल के बारें में प्रो0 प्रतिभा उपाध्याय ने अपनी पुस्तक 'एजुकेशन फॉर पीस' में अपने विचार व्यक्त किया है। यद्यपि यह मॉडल एक संभावना है जिसके आधार पर शांति के लिए शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने की एक रूपरेखा देखी जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में हम जानते हैं कि ज्ञान का संचार ऊपर (शिक्षक) से नीचे (छात्र) की ओर अर्थात् उल्टा होता है। प्रकारान्तर में कहा जा सकता है कि शिक्षक–प्रशिक्षण का मॉडल भी ऐसा होना चाहिए जिसमें ज्ञान एवं अनुभव की दिशा ऊपर से नीचे की ओर आती हो। इसके लिए डॉ0 उपाध्याय एक उदाहरण ''महाभारत'' से देती हैं। महाभारत में एक पेड़ का जिक्र आता है जिसका नाम ''अश्वस्था वृक्ष'' है। यह पेड़ उल्टा खड़ा है, इसकी जड़ आकाश की तरफ है तो पत्तियाँ जमीन की तरफ है जो पृथ्वी में प्रवेश करती है। इसी प्रकार शांति के व्यवहार के संदर्भ में शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम उच्च शिक्षा से शुरू होना चाहिए। अर्थात् इस महती जिम्मेदारी की शुरूआत NCERT, नई दिल्ली, NUEPA आदि द्वारा विश्वविद्यालयों एवं अन्य महाविद्यालयों में शुरू किया जाना चाहिए, जो कि सभी विभागों एवं संकायों के लिए अनिवार्य हो। इस प्रकार यह कार्यक्रम उच्च शिक्षा में लगे शिक्षकों को शांति के लिए शिक्षा में प्रशिक्षित करते हुए अगले स्तरों तक क्रमशः आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधार भी आवश्यक है और यह सुधार अगले स्तरों पर भी करने होंगे। इस प्रकार उच्च शिक्षा से शुरू यह कार्यक्रम स्कूली बच्चों तक पहुँचाया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक न सिर्फ स्वयं की कार्य प्रणाली में बदलाव लायें, वरन् उनका स्वयं का व्यवहार भी शांति के प्रहरी की तरह हो एवं वे अगले स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी तैयार हो। इस मॉडल में प्रत्येक प्रशिक्षित शिक्षक अगले स्तर के लिए एक प्रशिक्षक होता है।

इस प्रस्तावित मॉडल में प्रो0 उपाध्याय इस बात का विशेष जोर देती है कि शांति के लिए प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक स्तर पर वातावरण शांति प्रिय हो एवं एक शांति की संस्कृति बनाने की कोशिश की जाय। इसके साथ ही साथ शिक्षकों की सहायता से यह प्रशिक्षण तेजी से और प्रभावी रूप से अगले स्तर तक ले जाया जाय। प्रशिक्षण के दौरान सबसे पहले शांति के लिए इच्छा जाग्रत करनी होगी, प्रशिक्षुओं को यह समझाना होगा कि मानव जाति के कल्याण के लिए एवं सकारात्मक विकास के लिए शांति क्यों आवश्यक है, साथ ही शांति प्राप्त कैसे की जा सकती है एवं शांति की रक्षा कैसे करनी है। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम मात्र कक्षाओं में संचालित नहीं होने चाहिए वरन् कक्षाओं के बाहर वास्तविक परिस्थितियों में जहाँ प्रकृति स्वयं शांति का संदेश देती हो, वहाँ भी जाना होगा। इसके अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को इस बात का अभ्यास लगातार करना होगा कि शांति के प्रति प्रेम बना रह सके।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

7. भारत में शांति शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण का कौन सा मॉडल उपयुक्त हो सकता है?

   ....

   ....

8. प्रस्तुत मॉडल के अनुसार प्रशिक्षण की दिशा क्या होनी चाहिए?

   ....

   ....

15.7 शिक्षक–प्रशिक्षण मॉडल के विभिन्न स्तर

वर्णित मॉडल को विभिन्न स्तरों में बाँटकर समझा जा सकता है–

- **प्रथम स्तर**–

  प्रथम स्तर पर विश्वविद्यालय एवं विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रशासकों, शिक्षकों एवं संस्थाध्यक्षों के लिए शांति शिक्षा से सम्बन्धित उन्मुखीकरण (Orientation) एवं पुश्चर्या (Refresher) कार्यक्रम आयोजित किये जाय। यदि सम्भव हो तो उक्त कार्यक्रमों में सहभाग करने को सम्बन्धित व्यक्ति के पदोन्नति से भी जोड़ा जाय। संस्थानों के प्रमुखों को शांति उन्मुखीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किये बिना

संस्थाओं के वातावरण को शांतिमय नहीं बनाया जा सकता। उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को यह समझाया जाय कि वे शांति शिक्षा के रोल मॉडल है; और इस प्रकार उनकी भूमिका तय करते हुए दो स्तरों पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाय–

i. कुछ होने के लिए सीखना

ii. कुछ करने के लिए सीखना

शांति एक मूल्य है एवं मूल्य शिक्षण की लगभग सभी प्रविधियों का प्रयोग इस स्तर पर प्रशिक्षण में किया जा सकता है जैसे आत्मनिरीक्षण, ब्रेन स्टार्मिंग, विचार संप्रेषण, संवाद, को–ऑपरेटिव लर्निंग, सहभागिता आधारित उपागम, वैल्यू क्लीरीफिकेशन, द्वन्द्व निराकरण, मेडिटेशन एवं ज्यूरिशप्रूडेन्शियल मॉडल आदि। इस स्तर पर इस बात का भी ध्यान देना होगा कि सभी प्रशिक्षक उच्च स्तर के विद्वत समाज से है और इनको शांति के लिए शिक्षा का अग्रदूत बनना है।

- **द्वितीय स्तर**–

इस स्तर पर प्रथम स्तर पर प्रशिक्षित लोगों को आगे की कड़ी में अन्य लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। परास्नातक एवं शोध स्तर के विद्यार्थियों के पहले से संचालित पाठ्यक्रमों के साथ ही या तो एक अलग पाठ्य सामग्री तैयार करके शांति शिक्षा से संबंधित आवश्यक ज्ञान एवं बोध दिया जाना चाहिए साथ ही इनके चरित्र निर्माण पर पर्याप्त प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए सैद्धान्तिक ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा। व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव आधारित प्रविधियों का भी प्रयोग करना होगा। जैसे– प्रोजेक्ट वर्क, लघु शोध, शोध, शोध–पत्र लेखन, पत्रिकाओं का सम्पादन, फोटोग्राफी आदि अनेक तरीके हैं जिनसे अपेक्षित लक्ष्य पाया जा सकता है।

- **तृतीय स्तर**–

तीसरे स्तर का लक्ष्य समूह शिक्षक–प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षणार्थियों होगे। इस स्तर पर यह आशा की जा सकती है कि शिक्षक–प्रशिक्षक पहले से ही शांति सम्बन्धित ज्ञान, समझ एवं कौशल से युक्त हैं। लेकिन उन्हें शांति शिक्षा में अभिविन्यास एवं पुनश्चर्या की आवश्यकता है। सभी शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थानों, यथा– बी.एड., बी.एल.एड., डी.एल.एड. आदि में प्रशिक्षणरत शिक्षकों को अभिविन्यास एवं पुनश्चर्या कार्यक्रमों की मदद से शांति शिक्षा हेतु तैयार करना होगा। इस प्रकार के कार्यक्रम विश्वविद्यालयों के विभागों के साथ–साथ NCTE, NCERT, NUEPA आदि को करना होगा। यहाँ पर भी प्रथम एवं द्वितीय स्तर पर प्रयुक्त पाठ्यक्रम एवं विधियाँ अपनाई जा सकती है। परन्तु इस बात का ध्यान देना होगा कि प्रशिक्षण के बाद ये शिक्षक किस स्तर (प्राथमिक, माध्यमिक अथवा अन्य) पर अध्यापन करने जा रहे हैं।

- **चतुर्थ स्तर**–

यह शांति के लिए शिक्षा को लागू करने का अंतिम एवं वास्तविक स्तर है जहाँ शांति से अभिप्रेरित एवं शांतिप्रिय शिक्षक अपने छात्रों के साथ मिलकर एक शांति के वातावरण का निर्माण करते हैं। अपने सकारात्मक अभिवृत्ति के साथ इस स्तर पर शिक्षक अपनी कक्षाओं में एवं विद्यालय परिसर में शांति की संस्कृति का निर्माण कर सकता है। इस स्तर पर शिक्षक मात्र शिक्षक की भूमिका में नहीं होता वह शांति के लिए शिक्षा हेतु प्रशिक्षक का कार्य करता है और अपने विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण जीवन यापन की विधियों में प्रशिक्षित भी करता है। एक प्रशिक्षित शिक्षक को पता होता है कि वह संसार को कैसे देखें और उसके साथ कैसी अन्तर्क्रिया करें। इसी प्रकार वह अपनी सकारात्मक अभिवृत्ति को अपने बच्चों में स्थान्तरित करता रहता है।

इस प्रकार शांति के लिए शिक्षा का प्रस्तुत शिक्षक–प्रशिक्षण मॉडल समाज के मूलभूत इकाई (बच्चे) तक शांति को पहुँचाने में सफल हो सकता है और समाज में शांति की एक अपेक्षित संस्कृति में निर्माण में योग दे सकता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

9. प्रशिक्षण के प्रथम स्तर पर किनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए?

....

....

10. शिक्षक–प्रशिक्षण का अन्तिम लक्ष्य कौन होता है?

....

....

15.8 शांति के लिए शिक्षा हेतु सेवापूर्व प्रशिक्षण

सेवापूर्व शिक्षक–प्रशिक्षण एक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों को आवश्यक व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए सम्पन्न कराया जाता है। इस कार्यक्रम में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक (व्यावहारिक) ज्ञान का समावेशन होता है। प्रायः इसमें प्रशिक्षुओं को वास्तविक विद्यालयों में जाना होता है एवं सैद्धान्तिक रूप से सीखे गये ज्ञान का वास्तविक परिस्थितियों में बच्चों के साथ शिक्षण के दौरान प्रयोग करना होता है। वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों एवं शैक्षिक उद्देश्यों के आलोक में ये कार्यक्रम चलाये जाते हैं, जिनमें उन परिस्थितियों के प्रति शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है जो कि अभी विद्यालयी धरातल पर मौजूद है साथ ही साथ उन विषयों में ये प्रशिक्षण आयोजित होते हैं जो विषय वास्तव में विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं। अर्थात् ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्व नियोजित पाठ्यक्रम के साथ पहले से ज्ञात शैक्षिक परिस्थितियों के लिए भावी शिक्षकों के शिक्षण कौशलों एवं अन्य व्यावसायिक कौशलों को उन्नत करने का कार्यक्रम होते हैं।

शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ में भी सेवा पूर्व प्रशिक्षण के बारे में विचार होना चाहिए। हम जानते हैं कि शांति एक मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति है, जो महसूस की जाती है। इसी प्रकार हर छात्र शांति महसूस करें, अध्ययन के दौरान शांति के प्रति उसके मन में समादर का भाव जाग्रत हो, कक्षा–कक्ष के साथ ही साथ सम्पूर्ण विद्यालयी परिवेश में शांति की सुस्थापना को सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए आवश्यक है कि भावी शिक्षकों शांति प्रस्थापना के लिए प्रशिक्षित किया जाय। शिक्षक विभिन्न विषयों के अध्यापन के साथ ही उन उपचारों का भी प्रयोग करें जिससे शांति स्थापित भी हो एवं छात्रों में शांति के प्रति अनुराग पैदा हो। ऐसा करने के लिए अलग से विषय जोड़कर अध्यापन करने से ज्यादा प्रभावशाली शिक्षक का स्वयं का व्यवहार एवं अध्यापन शैली हो सकती है। पहले से संचालित सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यक फेर–बदल करके (देखें 15.7) उन्हें शांति के लिए शिक्षा हेतु तैयार किया जा सकता है। शिक्षक को यह भलीभाँति बोध हो जाना चाहिए कि शांति एक अत्यन्त मूल्यवान् तत्व है, जो न सिर्फ समेकित विकास के लिए आवश्यक है वरन् मानव की मानवीयता की रक्षा के लिए भी आवश्यक है।

सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में (15.7 के अनुसार) समावेशन करके प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शांति के लिए शिक्षा के मूल भावों के अनुरूप बनाया जा सकता है।

15.9 शांति के लिए शिक्षा हेतु सेवारत प्रशिक्षण

सेवापूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी सेवारत परिस्थितियों के परिवर्तनशील होने के कारण शिक्षकों को समय–समय पर उन बदलावों के प्रति तैयार करना होता है। शिक्षण संस्थाएँ एवं शिक्षण कार्यक्रम अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं जैसे–वित्तीय कारक, सामाजिक कारक, बाजार की माँग, सरकारी बदलाव, तकनीकि, पाठ्यक्रम में बदलाव, समकालीन प्रभावशाली सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दे आदि। सभी संभव कारक अपने–अपने तरीके से शिक्षा व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालते हैं और शिक्षण संस्थाओं को इन बदलावों के प्रति अपने शिक्षकों को तैयार करना होता है। ध्यातव्य हो कि सेवा पूर्व प्रशिक्षण, शिक्षण प्रक्रिया में मौलिक एवं सारभूत कौशलों के प्रति एक सामान्य प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है जिसमें उन कौशलों के प्रशिक्षण पर ध्यान होता है जो एक शिक्षक के लिए आवश्यक होते हैं। परन्तु सेवारत प्रशिक्षण का स्वरूप विशिष्ट होता है, यह सभी के लिए एक समान नहीं होता और

परिवर्तित परिस्थितियों के अधीन होता है। एक शिक्षक अपने पूरे सेवाकाल के दौरान प्रभावशाली बना रहे तथा समय के साथ स्वयं को परिष्कृत करता रहे, इसके लिए सेवारत प्रशिक्षण आवश्यक होता है।

शांति के लिए शिक्षा के सम्बन्ध में विचार करने पर सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस होती है। हम जानते हैं कि शांति को प्रभावित करने में अनेक आन्तरिक एवं वाह्य कारक होते हैं, जो काल एवं परिस्थिति के अनुरूप अपना प्रभाव डालते हैं। सेवारत शिक्षकों को इन परिस्थितियों का सामना करना होता है और साथ ही साथ संस्था के लक्ष्यों का भी प्राप्त करना होता है, इसलिए उसे सेवाकाल में भी अनवरत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सेवारत शिक्षकों के लिए भी अनेक प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम नियोजित किये जाते हैं जैसे ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर, कार्यशाला, सेमिनार आदि। सेवारत शिक्षकों को शांति के लिए शिक्षा हेतु दो स्तरों पर प्रशिक्षित किया जा सकता है–

i. पहले से संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यक संशोधन करके,

ii. अलग से शांति के लिए शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्माण करके।

सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ही तरह सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग वही बदलाव करके उन्हें शांति उन्मुख बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शांति की संस्कृति का निर्माण भी हो सके और अनुरक्षण भी इसके लिए शांति के लिए शिक्षा से सम्बन्धित अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी नियोजित किये जाने चाहिए। सेवारत शिक्षकों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम होने के कारण एवं शिक्षा सम्बन्धी परिस्थितियों के परिवर्तनशील होने के कारण तथा प्रतिवर्ष नये छात्रों के आगमन के कारण शांति के लिए शिक्षा सम्बन्धी सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक भी हो जाता है और व्यावहारिक भी।

सेवारत प्रशिक्षण में जो बात सबसे ज्यादा ध्यातव्य है वो है प्रशिक्षण की वास्तविक परिस्थितियों में अनुप्रयोग। प्रशिक्षण के पश्चात् शिक्षक स्वयं शांति के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति बनाए रखे एवं नये तथा पुराने छात्रों में इस अभिवृत्ति का बीजारोपण कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक शांति के प्रति अधिक सजग एवं संवेदनशील हो। इस प्रकार सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शांति के लिए शिक्षा में, इस भाव का अनुरक्षण किया जा सकता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

11. सेवापूर्व प्रशिक्षण किन के लिए आयोजित होता है?

....

....

12. शांति के लिए शिक्षा हेतु सेवारत प्रशिक्षण क्यों अनिवार्य है?

....

....

15.10 सारांश

इस इकाई में हमने जाना कि वैश्विक स्तर पर शांति के लिए शिक्षा को कितनी गम्भीरता से लिया जा रहा है। विश्व में UNICEF, UNESCO, UNDDA जैसी अनेक संस्थाएँ एवं भारत में NCERT, NCTE, NEUPA आदि शांति के लिए शिक्षा हेतु प्रयासरत भी हैं एवं अनेक स्तरों पर शिक्षक–प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी शुरू किये जा रहे हैं। हमने इस बात पर विमर्श किया कि शांति के लिए शिक्षा हेतु शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है तथा प्रशिक्षण

कार्यक्रमों की रूपरेखा में किस प्रकार बदलाव करके उन्हें शांति के लिए शिक्षा के अनुरूप बनाया जा सकता है। शांति के लिए शिक्षा का एक संभावित प्रशिक्षण मॉडल ये हो सकता है कि यह प्रशिक्षण ऊपर से नीचे की तरफ बढ़े। हमने यह भी जाना कि शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दोनों स्तरों पर (सेवापूर्व एवं सेवारत), अभी आवश्यक काम करना शेष है जिससे की शांति के लिए शिक्षा के महत्तम उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।

15.11 अभ्यास के प्रश्न

1. शिक्षक–प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं?
2. शांति के लिए शिक्षा को किस प्रकार शिक्षक–प्रशिक्षण में समायोजित किया जा सकता है?
3. शान्ति हेतु शिक्षा के लिए सेवापूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण की विवेचना कीजिए।

15.12 चर्चा के बिन्दु

1. शान्ति शिक्षा हेतु सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
2. शान्ति शिक्षा के लिए सम्भावित शिक्षण–प्रशिक्षण मॉडल पर चर्चा कीजिए।

15.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. राष्ट्रीय शिक्षक–शिक्षा परिषद
2. NCERT, NCTE, NUEPA, गाँधी पीस फाउण्डेशन
3. महात्मा गाँधी, गुरुदेव टैगोर, महर्षि अरविन्द, स्वामी विवेकानन्द आदि।
4. शिक्षक
5. समाज में अशांति पैदा होती है।
6. (1) तनाव को कम करने के तरीके
   (2) द्वन्दात्मक परिस्थितियों का समाधान करने की विधि
   (3) शांति एवं अशांति पर आधारित कलात्मक कार्य
7. प्रशिक्षण का ऊपर से नीचे की ओर मॉडल
8. ऊपर से नीचे की ओर
9. विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स, डीन, विभागाध्यक्ष एवं अन्य प्रशासक
10. छात्र
11. भावी शिक्षकों के लिए
12. जिससे कि भावी शिक्षकों में शांति के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो सके, उनके शिक्षण से भी शांति का संदेश जाय, प्रत्येक विषय में शांति के तत्वों को पहचान सके और छात्रों में शांति के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न कर सकें।

15.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ सूची

1. Mitra, Veda (1964). Education in Ancient India, Delhi, Arya Book Depo., pp. 40-41
2. NCTE (1998). Curriculum Framwork for Quality Teacher Education, New Delhi, NCTE
3. Upadhyay, Pratibha (2010). Education for Peace; Utopia or Reality, New Delhi : Kalpaz Publication, pp. 151-175
4. https://en.wikipedia.org/wiki/jiddu-Krishnmurti
5. http://learning portal.iiep.unesco.org

Notes

Notes